छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

छत्तीसगढ़ में बिजली
सफलता का सफरनामा

25 ऊर्जा का गढ़

छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षेत्र में हुए विकास पर केन्द्रित पुस्तक-2025

जीवट श्रम साधकों
विलक्षण अभियंताओं
दूरदर्शी नेतृत्व
को सादर अर्पित...

ऊर्जा का गढ़

छत्तीसगढ़ में बिजली

सफलता का सफरनामा

CSPTCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

CSPDCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षेत्र में हुए विकास पर केन्द्रित पुस्तक-2025



दुनिया का हर एक्सपर्ट कहता है कि 21वीं सदी भारत की है। भारत न केवल अपना बल्कि दुनिया का भी विकास कर रहा है और इसमें हमारे ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं 5 स्तंभों पर टिकी हैं। हमारे पास संसाधन हैं, शानदार दिमाग हैं, आर्थिक ताकत है, राजनीतिक स्थिरता है, रणनीतिक भूगोल है और वैश्विक स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता है... अगले दो दशक 'विकसित भारत' के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम अगले 5 वर्षों में कई मील के पत्थर हासिल करने जा रहे हैं...

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

(11 फरवरी 2025 को इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में)



छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए हमारे पास हर संसाधन उपलब्ध है। राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हमने हरित भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए ऊर्जा की धुरी के रूप में स्थापित हो।

श्री विष्णुदेव साय
माननीय मुख्यमंत्री

(10 मार्च 2025 को ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में अपने संबोधन में)

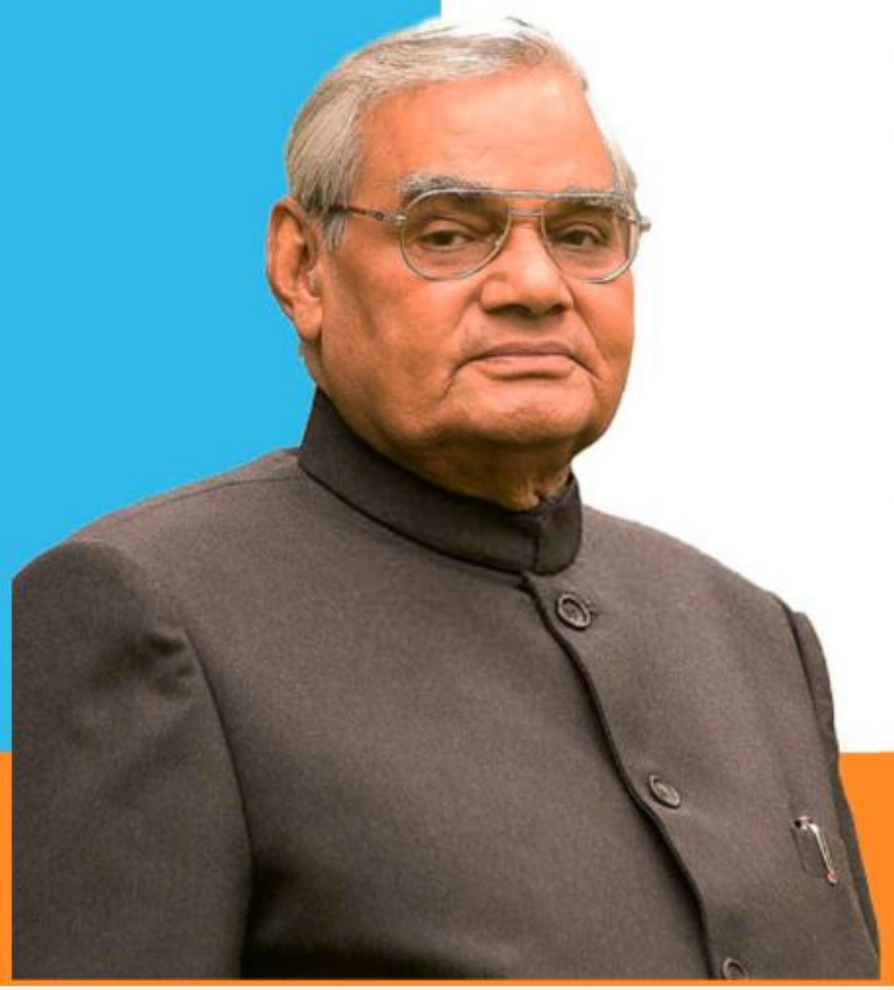

आज के विकास के संदर्भ में, बिजली एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में उभरी है। हर सरकारी और निजी पहल का यह दायित्व होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों की इस बुनियादी जरूरत की पूर्ति करे। बिजली क्षेत्र में "बड़े बदलाव" की आवश्यकता है और सभी राज्यों ने सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया है। केवल स्पष्ट सुधारों से ही बिजली क्षेत्र में बदलाव लाया जा सकता है।

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी
पूर्व प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता

(24 मई 2003 दिल्ली में पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के दौरान अपने संबोधन में)



सस्ती और प्रचुर बिजली भारत के औद्योगीकरण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है । औद्योगीकरण लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए स्थिर और सस्ती बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।

भारत रत्न डॉ भीम राव अम्बेडकर
अध्यक्ष संविधान प्रारूप समिति एवं भारत के प्रथम कानून मंत्री

(लोक निर्माण एवं विद्युत शक्ति नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर 1943 में दिया गया भाषण)

अन्दर के पन्नों में...

क्र.	अनुक्रमणिका	पृष्ठ
1.	सफ़र में ऊर्जावान नेतृत्व	1
2.	प्रबंध निदेशक की कलम से	5
3.	सिंहावलोकन	6
4.	अमृत काल का हर्ष, पंचप्रण का रजत वर्ष	7
5.	रजत वर्ष में स्वर्ण काल की तैयारी	9
6.	हर घर बिजली और विकास का उजाला पहुँचा पाने का सुकून है- डॉ. रमन सिंह	13
7.	उपेक्षित अतीत को पीछे छोड़ बहुत आगे बढ़ गया छत्तीसगढ़- अजय सिंह	17
8.	तेज विकास का आधार बना पृथक विद्युत मंडल- एस के मिश्रा	21
9.	...और छत्तीसगढ़ बन गया लाभ में चलने वाला विद्युत मंडल- गोपाल तिवारी	24
10.	सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ही बड़ी उपलब्धि- शिवराज सिंह	27
11.	चुनौतियों के बीच हुआ विद्युत मंडल का गठन- शरत चंद्र	31
12.	गौरव का भाव जगाते हैं हमारे अतीत के संघर्ष- बी के शर्मा	35
13.	अनेक संभावनाएं समेटे है बोधघाट परियोजना- एस पी चतुर्वेदी	37
14.	छत्तीसगढ़ में विद्युत विकास- आधार से शीर्ष- पी. एल. विधानी	39
15.	बेखबर रहा मध्यप्रदेश और बन गया छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल- पी एन सिंह	41
16.	एक कुर्सी, दो अधिकारी और वित्त विभाग के नींव के दिन- अजय दुबे	44
17.	बिजली बोर्ड और कम्पनी का यादगार सफर- विजय कुमार मिश्रा	48
18.	विरासत: छत्तीसगढ़ में यूं रोशन हुए बिजली के बल्ब	53
19.	छत्तीसगढ़ ऐसे ही नहीं है "पॉवर हब"	60
20.	बोधघाट परियोजना : बस्तर का स्वर्णिम भविष्य	69
21.	छत्तीसगढ़: देश का "पॉवर जंक्शन"	73
22.	लोड डिस्पेच सेंटर नहीं "पॉवर ट्रैफिक कंट्रोलर"	76
23.	बारसूर: एचवीडीसी लाइन और गौरवशाली उपकेन्द्र	79
24.	ईआईटीसी : विद्युत कंपनियों का 'नर्वस सिस्टम'	81
25.	सुरक्षा की ढाल : पॉवर सेक्टर का पहला सायबर सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेन्टर	86
26.	ग्रामीण विद्युतीकरण से तेज हुआ आर्थिक-सामाजिक विकास	89
27.	मैदानी अमले की जीवटता से रोशन होती जिंदगी	92
28.	मानव संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से मजबूत हुई पॉवर कंपनी	95
29.	75 साल पुराना बल्ब आज भी फैला रहा रोशनी	101
30.	नई चुनौतियों के लिए कार्मिक यहाँ तराशे जाते हैं	103
31.	सतर्कता तंत्र की सक्रियता और विद्युत कंपनी की सफलता	105
32.	एनएबीएल प्रमाणित पहली मीटर जाँच प्रयोगशाला- सेन्ट्रल टेस्टिंग लैब	106
33.	रोशनी फैलाने के संकल्प को डिगा नहीं पाईं विपदाएँ	108
34.	अतीत हो गए सीजनिंग प्लांट	110
35.	विद्युत उपभोक्ता शिकायत का होता जहाँ निष्पक्ष समाधान	111
36.	भगीरथ योजनाओं से जन-जन तक पहुँची बिजली- रमेश कुमार	113
37.	समय के साथ बदलते गये बिजली के मीटर	122
38.	मध्य भारत की पहली भूमिगत विद्युत अधोसंरचना	123
39.	ऊर्जा परिदृश्य: आँकड़ों की जुबानी, प्रगति की कहानी	124
40.	संक्षिप्तीकरण	143
41.	सफरनामा के साक्षी, विश्वसनीय सन्दर्भ	144
42.	...जिनसे साकार हुआ सफरनामा	145

संरक्षक



श्री सुबोध सिंह (आईएएस)
अध्यक्ष
छग स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी



डॉ रोहित यादव (आईएएस)
अध्यक्ष
छग स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन
एवं जनरेशन कंपनी

मार्गदर्शक



श्री एस के कटियार
प्रबंध निदेशक (जनरेशन)



श्री राजेश कुमार शुक्ला
प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन)



श्री भीम सिंह कंवर
प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन)

संपादन सलाहकार मण्डल



श्री व्ही के साय
कार्यपालक निदेशक
(ईआईटीसी)



श्री जे एस नेताम
कार्यपालक निदेशक
(संचारण एवं संधारण)



श्री रामायण नामदेव
कार्यपालक निदेशक
(मानव संसाधन)

संकलन एवं संपादन



विकास शर्मा
प्रबंधक (जनसंपर्क एवं औद्योगिक सम्बन्ध)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

सफ़र में ऊर्जावान नेतृत्व

ऊर्जा मंत्री

1.	श्री धनेश पाटिला	नवंबर 2000 से दिसंबर 2003
2.	डॉ रमन सिंह	दिसंबर 2003 से दिसंबर 2018
3.	श्री भूपेश बघेल	दिसंबर 2018 से जुलाई 2023
4.	श्री टी एस सिंहदेव	जुलाई 2023 से दिसंबर 2023
5.	श्री विष्णुदेव साय	दिसंबर 2023 से निरंतर

ऊर्जा राज्य मंत्री

1.	श्री ताम्रध्वज साहू	नवंबर 2000 से दिसंबर 2003
2.	श्री पूनम चंद्राकर	दिसंबर 2003 -2004

संसदीय सचिव

1.	श्री सत्यानंद राठिया	2004 से 2005
2.	श्री संजीव शाह	2007 से 2008
3.	श्री कोमल जंघेल	2011 से 2013
4.	श्री मोतीलाल चंद्रवंशी	2014 से 2015

अध्यक्ष (छत्तीसगढ़ राज्य विदयुत मंडल)

1.	श्री एस के मिश्रा (आईएएस)	15.11.2000 से 09.03.2001
2.	श्री गोपाल तिवारी	09.03.2001 से 07.03.2003
3.	श्री बी एस बनाफर	07.03.2003 से 15.12.2003
4.	श्री एस के मिश्रा (आईएएस)	15.12.2003 से 03.02.2004
5.	श्री अजय सिंह (आईएएस)	03.02.2004 से 18.09.2004
6.	श्री राजीब रंजन	18.09.2004 से 31.12.2008

अध्यक्ष (छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़)

7.	श्री पी जॉय ओम्मेन (आईएएस)	01.01.2009 से 01.02.2012
8.	श्री शिवराज सिंह (आईएएस)	01.02.2012 से 17.12.2018
9.	श्री अंकित आनंद (आईएएस)	18.12.2018 से 29.01.2019
10.	श्री शैलेन्द्र शुक्ला	29.01.2019 से 17.03.2020
11.	श्री सुब्रत साहू (आईएएस)	17.03.2020 से 02.12.2020
12.	श्री अंकित आनंद (आईएएस)	02.12.2020 से 05.01.2024
13.	श्री पी दयानंद (आईएएस)	05.01.2024 से 04.10.2024
14.	डॉ. रोहित यादव (आईएएस)	04.10.2024 से निरंतर
15.	श्री सुबोध सिंह (आईएएस)	15.01.2025 से निरंतर

सफ़र में ऊर्जावान नेतृत्व

सदस्य (उत्पादन परियोजना) छत्तीसगढ़ राज्य विदयुत मंडल

1.	श्री आर के उपाध्याय	28.06.2001 से 31.01.2002
2.	श्री एस बी एस चौहान	01.02.2002 से 07.04.2002
3.	श्री बी एस बनाफर	08.04.2002 से 20.04.2003
4.	श्री टी आर साकार	21.04.2003 से 31.12.2003
५.	श्री बी आर एस बघेल	29.02.2004 से 31.03.2007
7.	श्री एम बी मेंढेकर	10.12.2007 से 31.12.2008

सदस्य (उत्पादन) छत्तीसगढ़ राज्य विदयुत मंडल

1.	श्री आर के उपाध्याय	02.12.2000 से 27.06.2001
2.	श्री एस बी एस चौहान	28.06.2001 से 26.06.2002
3.	श्री बी एस बनाफर	27.06.2002 से 20.04.2003
4.	श्री ए के राय	21.04.2003 से 31.05.2005
5.	श्री बी आर एस बघेल	01.06.2005 से 03.01.2006
6.	श्री ए के द्विवेदी	02.02.2006 से 07.02.2006
7.	श्री एस पी चतुर्वेदी	08.02.2006 से 31.12.2008

प्रबंध निदेशक, छ.ग. स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

1.	श्री एस पी चतुर्वेदी	01.01.2009 से 28.02.2011
2.	श्री व्ही के श्रीवास्तव	01.03.2011 से 31.10.2011
3.	श्री जी एस कलसी	01.11.2011 से 20.11.2011
4.	श्री जनार्दन कर	21.11.2011 से 30.05.2014
5.	श्री विजय सिंह	31.05.2014 से 08.09.2014
6.	श्री शशिभूषण अग्रवाल	09.09.2014 से 07.09.2017
7.	श्री ओ सी कपिला	08.09.2017 से 03.05.2018
8.	श्री के आर सी मूर्ति	04.05.2018 से 04.12.2019
9.	श्री राजेश वर्मा	05.12.2019 से 15.01.2020
10.	श्री एन के बिजौरा	16.01.2020 से 30.11.2022
11.	श्री संजीव कुमार कटियार	01.12.2022 से निरंतर

सदस्य (पारेषण एवं वितरण) छत्तीसगढ़ राज्य विदयुत मंडल

1.	श्री गोपाल तिवारी	02.12.2000 से 18.09.2001
2.	श्री शरत चन्द्र	19.09.2001 से 17.03.2003
3.	श्री मनोरंजन कुमार	18.03.2003 से 19.04.2003
4.	श्री के एस अरोरा	20.04.2003 से 14.01.2004
5.	श्री एक के राय	15.01.2004 से 01.02.2004
6.	श्री वॉय एन जौहरी	02.02.2004 से 20.09.2004
7.	श्री बी के शर्मा	21.09.2004 से 31.01.2005
8.	श्री ए के द्विवेदी	01.02.2005 से 30.04.2006
9.	श्री मनोज डे	03.05.2006 से 09.12.2007
10.	श्री व्ही के जैन	09.12.2007 से 09.12.2008
11.	श्री व्ही के वर्मा	09.12.2008 से 31.12.2008

सफ़र में ऊर्जावान नेतृत्व

प्रबंध निदेशक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

1.	श्री एस एस चौहान	01.01.2009 से 30.09.2010
2.	श्री जी एस कलसी	01.10.2010 से 28.02.2013
3.	श्री विजय सिंह	01.03.2013 से 31.05.2017
4.	श्रीमती तृप्ति सिन्हा	01.06.2017 से 04.12.2019
5.	श्री अशोक कुमार	05.12.2019 से 29.06.2021
6.	श्री एस डी तेलंग	30.06.2021 से 03.05.2022
7.	श्रीमती उज्जवला बघेल	04.05.2022 से 04.12.2023
8.	श्री मनोज खरे	05.12.2023 से 29.02.2024
9.	श्री राजेश कुमार शुक्ला	01.03.2024 से निरंतर

प्रबंध निदेशक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

1.	श्री जी एस देशपांडे	01.01.2009 से 30.09.2010
2.	श्री सुबोध सिंह (आईएएस)	01.10.2010 से 03.03.2015
3.	श्री अंकित आनंद (आईएएस)	04.03.2015 से 05.02.2019
4.	श्री अब्दुल कैसर हक (आईएएस)	06.02.2019 से 15.08.2020
5.	श्री हर्ष गौतम	16.08.2020 से 12.05.2022
6.	श्री मनोज खरे	13.05.2022 से 31.03.2024
7.	श्री राजेश कुमार शुक्ला (अति.प्र)	01.04.2024 से 30.06.2024
8.	श्री भीम सिंह कंवर	11.07.2024 से निरंतर

प्रबंध निदेशक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

1.	श्री व्ही के वर्मा	01.01.2009 से 31.10.2009
2.	श्री विनोद श्रीवास्तव	01.11.2009 से 30.09.2010
3.	श्री एस एन चौहान	01.10.2010 से 25.07.2011
4.	श्री जी एस कलसी	26.07.2011 से 03.11.2011
5.	श्री पी एल विधानी	04.11.2011 से 31.01.2012
6.	डॉ एस पी शर्मा	01.02.2012 से 31.07.2013
7.	श्री ए के गर्ग	01.08.2013 से 30.06.2017
8.	श्री अंकित आनंद (आईएएस)	01.07.2017 से 05.02.2019
9.	श्री शैलेन्द्र शुक्ला	12.02.2019 से 17.03.2020
10.	श्री अब्दुल कैसर हक (आईएएस)	31.03.2020 से 04.08.2020
11.	श्री हर्ष गौतम	18.08.2020 से 21.09.2020
12.	श्रीमती उज्जवला बघेल	22.09.2020 से 06.07.2022

प्रबंध निदेशक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

1.	श्री व्ही के श्रीवास्तव	01.01.2009 से 31.10.2011
2.	डॉ एस पी शर्मा	03.11.2011 से 31.07.2013
3.	श्री सुबोध सिंह (आईएएस)	01.08.2013 से 03.01.2019
4.	श्री राजेश वर्मा	30.04.2020 से 06.07.2022



प्रबंध निदेशक की कलम से....

राज्य निर्माण का 25 वाँ स्थापना वर्ष नए उत्साह और ऊर्जा का संदेश लेकर आया है। यह हमें इस बात का अवसर देता है कि हम बीते समय के उतार-चढ़ाव को निहारे, किए गए कार्यों का आंकलन करें। हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि प्रगति के पथ पर निकले हम लोग बीते ढाई दशकों में कितना सफर तय कर पाए। विद्युत क्षेत्र में किए गए कार्य हमें शत-प्रतिशत विश्वास दिलाते हैं कि प्रयास की नीयत साफ और नियति आशानुरूप रही है। जिस नीयत से स्वतंत्र विद्युत मंडल बनाया गया उसे साबित करने में मंडल के हर एक अधिकारी और कर्मचारी ने जी जान लगाकर कार्य किया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पॉवर कंपनी के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिया है जिसके केन्द्र में राज्य के हर वर्ग का उपभोक्ता है जिसके लिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत@2047 में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो दृष्टि दी है उसे समय सीमा में साकार करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पॉवर कंपनी को दिया है। भविष्य को ध्यान में रखकर पॉवर कंपनी ने इस दिशा में भी योजनाबद्ध तरीके से कारगर कदम बढ़ा दिए हैं।

ढ़ाई दशक पहले तक पिछड़ा कहलाने वाले इस प्रांत की पीड़ा को एक भूमिपुत्र होने के नाते मैंने भी महसूस किया है। राज्य गठन पूर्व छत्तीसगढ़ के साथ हुई उपेक्षा, उदासीनता और भेदभाव को हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं और लगातार बदलते समय के साथ नवीनता को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में बस्तर, सरगुजा, जशपुर, जैसे वनाच्छादित क्षेत्रों समेत दुर्गम स्थानों पर निवासरत जनजातियों के घरों को रोशन करने में हम कामयाब हुए हैं। पूरे प्रदेश में बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति बनाए रखने का दायित्व मेरे लिए आत्मिक संतोष का विषय है। हमें विश्वास है कि छत्तीसगढ़िया सही मायनों में सबले बढ़िया का उजियार प्रदेश ही नहीं देशभर में फैल रहा है।

प्रौद्योगिकी, नित नए सुधार और बदलाव के साथ हमारे जीवन को बदल रही है। ऐसे में हमारी भूमिका भी नवीनता को ग्राह्य करने वाली होनी चाहिए। यह बड़े ही आत्मसंतोष का विषय है कि हमने विद्युत उत्पादन, पारेषण के साथ वितरण क्षेत्र में हर उस बदलाव को स्वीकारा जो हमारी विद्युत सेवा को अधिक गुणवत्तापूर्ण बना सके।

स्मृतियों के पटल पर अंकित घटनाएं बताती हैं कि श्रम और साधना के बल पर जो तंत्र स्थापित हुआ वही आज विकास की तेज रफ्तार का प्रमुख आधार है। 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी तक का यह सफर बहुत सी चुनौतियों, सुधारों और उपलब्धियों से भरा पड़ा है। इन्हीं बातों को सार संग्रहित करने का प्रयास है संदर्भ ग्रंथ 'सफलता का सफरनामा' का प्रकाशन।

आशा है कि 'सफलता का सफरनामा' किताब के माध्यम से पॉवर कंपनी के हमारे साथी आत्मआंकलन कर अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी, नई ऊर्जा के साथ विकासगामी छत्तीसगढ़ की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और विरासत में मिली उत्कृष्टता को सतत बनाए रखने में कामयाब होगी। प्रदेश के विद्युत विकास का लक्ष्य बड़ा है और उसे हासिल करना कठिन हो सकता है, पर हम विद्युतसेवी लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कि पंक्तियाँ प्रेरित करती हैं –

माना अंधेरा घना है लेकिन दीया जलाना कहाँ मना है

भीम सिंह कंवर
प्रबंध निदेशक
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी



सिंहावलोकन...

छत्तीसगढ़ के विकास का एक प्रमुख आधार है विद्युत ऊर्जा। बीते वर्षों में प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में हुए विकास और विस्तार को जानने की उत्सुकता इस बात से शुरू हुई कि आखिर प्रदेश ने विगत ढाई दशकों में क्या खोया और क्या पाया ? **एक प्रदेश के लिए 25 वर्षों का सफर बहुत लंबा नहीं लेकिन उसकी दिशा तय करने में ये शुरूआती कालखण्ड सबसे महत्वपूर्ण है।** यह प्रदेश अब युवा हो रहा है।

इसकी प्रगति की दिशा इसके शैशवावस्था में ही तय हो गई थी। विकास के लगभग सभी प्रतिमानों को जिस तेजी से प्रदेश ने छुआ वो हमारे प्रयासों की दिशा की स्पष्टता को दर्शाते हैं। ये सारे दृश्यमान विकास के मापदण्ड यदि समय पर पूरे हुए हैं तो इसमें अदृश्य रहने वाली बिजली की भूमिका सबसे अहम है। ऐसा भी नहीं रहा कि राज्य के गठन के साथ विरासत में बहुत अच्छी अधोसंरचना मिली हो। सच तो यह कि बहुत कुछ जो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ के खाते में होना था वो हो न सका। बहरहाल, विद्युत जैसी मूलभूत आवश्यकता के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने बहुत उपेक्षा झेली । इन सारी परिस्थितियों के आलोक में राज्य गठन के बाद जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, उनके परिणाम आज हमारे सामने हैं।

विद्युत ऊर्जा आज विकास की पहली आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि वो ऊर्जा क्षेत्र में स्वालंबी है। "सफलता का सफरनामा" पुस्तक को तैयार करने के पीछे एक मंशा विद्युत क्षेत्र में प्रदेश के अतीत से आगत तक के तथ्यों , तारीखों और हजारों समर्पित कार्मिकों की समर्पण कथा को संजोना है। **इसके अलावा एक विचार यह भी प्रबल रहा कि आज युवावर्ग इस बात के लिए सजग रहे कि जो धरोहर उन्हें पिछली पीढ़ी ने सौंपी है उसे संजोने की जिम्मेदारी अब उनकी है।** इस संदर्भ ग्रंथ 'सफलता का सफरनामा' के लिए लेख और सामग्री संकलन के दौरान इस बात की भी सजगता थी कि विद्युत कंपनी के कार्मिकों के मन में गौरव का भाव जाग सके कि उन्हें जो थाती मिली है वो बहुमूल्य है। 'सफलता का सफरनामा' हमें बता सके कि हम बहुत ही योग्य, समर्पित और निष्ठावान कार्मिकों , जिनमें बहुत ही विख्यात अभियंता, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की दूरदृष्टि, लगन और तपस्या से विद्युत विकास का यह सफर तय हुआ है।

इस संदर्भ पुस्तक के माध्यम से यह कोशिश की गई कि हम प्रदेश में विद्युत विकास के इतिहास से जुड़े तथ्यों को भी संजो सकें, इसके लिए मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के पुराने लेखों, दस्तावेजों समेत पूर्व अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों से भी संवाद किया गया। यह प्रयास अपने आप में रोमांच और गर्व से भरने वाला था वहीं इस बात का भी मलाल होता रहा कि छत्तीसगढ़ की उपेक्षा लंबे समय से होती रही। पुस्तक में अपनी पूरी समझ और सतर्कता के साथ तथ्यों को शामिल किया गया है बावजूद इसके, यह संभव है कि कुछ कमी रह गई हो। इस प्रयास की सार्थकता भी तभी होगी जब कुछ नए और अधिक प्रामाणिक तथ्यों से पाठक हमें अवगत कराएंगे। जिससे अधिक समृध्द और सटीक जानकारियों के साथ हम आने वाली पीढ़ी के लिए सार्थक दस्तावेज तैयार कर सकें। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस पुस्तक का प्रकाशन एक प्रारंभिक प्रयास है। **यह पुनीत भाववश तैयार दस्तावेज है जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में किए गए हमारे उत्कृष्ट कार्य को संकलित करने के साथ ही उन्हें संजोने की चिंता थी। यह एक शताब्दी के कालखण्ड के इतिहास को विस्मृत होने से बचाने का प्रयास है।** आशा है कि इसके बाद नए सुझावों और सहभागिता के साथ कुछ और बेहतर दस्तावेज तैयार किया जा सकेगा।

मैं, इस प्रकाशन के एक विनम्र प्रयास को सार्थक और संग्रहणीय दस्तावेज बनाने के लिए हमारे मंडल और कंपनी के सभी वरिष्ठजन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रबंध निदेशकों के प्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया और हर संभव सहयोग कर दुष्कर कार्य को सुगम बनाया। पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों, प्रबंध निदेशकों, वरिष्ठ अभियंताओं समेत कंपनी को कार्यदक्ष बनाने में रत रहने वाले विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिन प्रबुद्ध अधिकारियों ने इस किताब को समृद्ध बनाने के लिए लेख, साक्षात्कार एवं तथ्य संकलन में सहयोग किया उनकी भूमिका असल मायनों में ध्वजवाहक की ही रही है। सफलता का सफरनामा' के प्रकाशन की प्रेरणा इस बात में छिपी है कि कई बार हम वर्तमान की उपलब्धियों में इतने खो जाते हैं कि अतीत के संघर्ष का एहसास नहीं रह जाता और लक्ष्य धुमिल होने लगते हैं। इसलिए राज्य निर्माता , पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह पंक्ति हमें प्रेरणा देती रहेंगी कि...

उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें।
जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।



विकास शर्मा

अमृत काल का हर्ष, पंचप्रण का रजत वर्ष

देश अपने अमृत काल में नए संकल्पों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अमृत काल में छत्तीसगढ़ महतारी की रत्नगर्भा धरती में ऊर्जा से ऊर्जित, आलोकित और स्पंदित साढ़े तीन करोड़ छत्तीसगढ़ियों का जीवन प्रकाशमान और विकास से प्रवाहमान है। **बस्तर की वादी के दुर्गम जंगल-पहाड़ों पर बिजली की कहानी लिखते टॉवर और तारों से प्रवाहित बिजली ने अबूझमाड़ के आदिम मजरा-टोला और गाँवों को आधुनिक युग से जोड़ने का भगीरथ कार्य किया है।** इसी बिजली ने नए भारत के साथ कदमताल करते शहरों-कस्बों में 'मेक इन इंडिया' को साकार भी किया है। इंद्रावती से ईब तक, गिरौदपुरी से दामाखेड़ा तक, धान की सुनहरी बालियों के श्रृंगार से स्टार्ट-अप के आधार तक, 'धान का कटोरा' के आँचल में जगमगाते जन कल्याण, विकास और छत्तीसगढ़ी अस्मिता की हरेक कहानी में छत्तीसगढ़ की बिजली शामिल है। **छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कम्पनियां प्रगति और राष्ट्रनिर्माण के लिए पांच प्रण के साथ निरंतर बढ़ रही है। यह पाँच प्रण हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, जो आगे बढ़ने की ऊर्जा है। 'स्व' का बोध है बिजली। 'स्व' जिसमें स्वदेश और स्वावलंबन के साथ आत्मगौरव की भावना समाहित है। इस स्व से प्रेरित, नागरिक कर्तव्य सेवा हेतु संकल्पित और समर्पित 13 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता का योग है बिजली। पर्यावरण संरक्षण के साथ सौर, पन और ताप विद्युत संयंत्रों से मिलने वाली शाक्ति है बिजली। यह बिजली सामाजिक उत्थान और समरसता की मिसाल है। परिवार सशक्तिकरण और संयुक्तिकरण के माध्यम से संस्कार, संस्कृति, विचार विनिमय का उजियार है बिजली।** "विद्युतगढ़ - छत्तीसगढ़" के पॉवर की ताकत ही तो है, बीते 25 वर्षों में खेत से उद्योग तक, ज्ञान से विज्ञान तक, रोजगार से



रफ्तार तक सबके साथ सबका विकास की नींव पर बढ़ते रहे हैं। विद्युतगढ़ - छत्तीसगढ़, यह बिजली के भण्डार का सूचक मात्र नहीं बल्कि अस्मिता बोध भी है। छत्तीसगढ़ की बिजली ने अन्य प्रदेशों को भी आलोकित किया है। 'स्व' के बोध से ऊर्जित बिजली कंपनियों ने निरन्तर प्रगति के नए सोपान गढ़े हैं। नागरिक कर्तव्य पथ के हमराही बन दिन-रात, गर्मी, शीत, बरसात समेत हर विषम परिस्थितियों में भी उजियारा बाँटते 10 हजार लाइनमैन, इंजीनियरों ने उपभोक्ताओं की बारहों महीने 24 घण्टे सेवा से प्रतिमान स्थापित किया है। विकास के 'विजन' से उसके क्रियान्वयन तक, विद्युत संयंत्रों के श्रमवीरों ने बिजली की निरंतरता बनाए रखते हुए, हर उम्मीद को जीवंत बनाए रखा है। सामाजिक विविधताओं को शामिल करते हुए, विसंगतियों के अंधकार को चीर, भौगोलिक दुर्गमता को पार कर हर वर्ग के आंगन में सामजिक समरसता की रोशनी फैलाया है। **'पंच तत्व मिल बनही शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा' इस श्लोक में प्रकृति के पाँच तत्वों के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसी कड़ी में वर्तमान दौर में बिजली का महत्व बढ़ा है। बिजली हमारी धरती माता और उसकी संतानों के अस्तित्व, विकास और समृद्धि को आधार दे रही है।** बिजली से जगमग समाज आनन्दित है। हर परिस्थिति में निरन्तर-निर्बाध बिजली आपूर्ति बिजली कंपनी की अपने उपभोक्ताओं से 'मितानी' की अनूठी मिसाल है। संकल्प के तार में गतिमान बिजली ने छत्तीसगढ़ महतारी की सुवापाँखी लुगरा को मया-दुलार से बुना है। विश्वगुरु भारत का अभिषेक करती निरन्तर गतिमान छत्तीसगढ़ की बिजली जनमन का अभिमान है। अमृतकाल में छत्तीसगढ़ की बिजली की भूमिका बढ़ती जा रही है और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के रजत वर्ष में पंचप्रण के साथ आगे बढ़ते विद्युत श्रमवीर ऊर्जा समृद्ध छत्तीसगढ़ का ध्वजवाहक बने हैं।

...जय हो...छत्तीसगढ़ मईयां.....



कोरबा स्थित हसदेव ताप विद्युत संयंत्र का विहंगम दृश्य

रजत वर्ष में स्वर्ण काल की तैयारी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत की जो संकल्पना की है उसमें ऊर्जा क्षेत्र की सबसे अहम भूमिका है और ऐसे में अगले तीन दशक की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करना व्यापक कार्ययोजना से ही संभव है। सच तो यह है कि स्थापना के 25 वें वर्ष में जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे वो हमारी स्थापना के 50 वें वर्ष को अधिक सुखमय और समृद्ध बनाने का काम करेगा। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। 20 वें विद्युत सर्वेक्षण में अनुमान है कि विद्युत की खपत अगले दस वर्षों तक लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और वर्ष 2047 में हमारी अधिकतम मांग 750 गीगावॉट तक जा पहुंचेगी।

ताप विद्युत उत्पादन की सीमाओं को समझते हुए तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए वर्ष 2070 के लक्ष्य के बीच नवीकरणीय ऊर्जा समेत अन्य विकल्पों पर देशभर में तेजी से काम किया जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं के बीच देश की निगाह छत्तीसगढ़ की ओर टिकी हुई है। वर्तमान में राज्य, केन्द्र एवं निजी क्षेत्र के उत्पादकों के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 30 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई है। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन की नई पारी में ताप के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व बढ़ा है।



प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ पर विश्वास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका को बखूबी समझा है। उन्होंने विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मुक्त हस्त से सहयोग किया है और इसी का परिणाम है कि इस वर्ष 30 मार्च को उन्होंने बिलासपुर की धरती से विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में नए संयंत्रों का शिलान्यास और कार्यप्रारंभ किया। सीएसपीजीसीएल के 1320 मेगावॉट परियोजना का जहाँ कार्यप्रारंभ किया वहीं सीपत के नए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट की आधारशिला भी उन्होंने रखी। उनकी योजना के अनुकूल छत्तीसगढ़ ने विकास की रूपरेखा तैयार की है और जिससे ऊर्जा की निरंतरता बहाल रख सकें।

निवेशकों का रूझान बड़ी विदयुत परियोजनाओं की ओर

श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ ऊर्जा समृद्धि प्राप्त करने की इस दिशा में बढ़ चुकी है। इसके तहत तीन लाख करोड़ रूपए के निवेश को आमंत्रित करने में पहली सफलता अर्जित की है। बीते 10 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रूपए से अधिक के निवेश के लिए समझौते के मसौदा पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौते प्रदेश के विकास का रोडमैप भी तय कर रहे हैं। आने वाले एक दशक में प्रदेश में 31 हजार मेगावॉट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।



मुख्यमंत्री जी का सपना,
उन्नत छत्तीसगढ़ हो अपना ।।

केन्द्र और निजी क्षेत्र की बढ़ती साझेदारी

राज्य की स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल), सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादक नेश्नल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन(एनटीपीसी), टिहरी हाइडल पॉवर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन(टीएचडीसी), सतलज जल विद्युत निगम लि.(एसजेवीएन) सहित निजी क्षेत्र की अडानी पॉवर लिमिटेड एवं अन्य बड़े निवेशकों ने ताप समेत पन बिजली के क्षेत्र में 17 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिए समझौता किया है। इसके लिए होने वाले निवेश से प्रदेश को समग्र विकास का आधार मिलेगा। ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के आने से औद्योगीकरण की संभावनाएं बढ़ती हैं और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं।

परमाणु ऊर्जा के लिए खुले द्वार

प्रदेश में लगभग डेढ़ दशक पहले सरायपाली के पास यूरेनियम भंडार की खोज की गई थी और उसके बाद से ही यहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा था । एनटीपीसी ने एक बड़ा निवेश प्रदेश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए करने का निर्णय लिया है और इसमें वो 4200 मेगावॉट विद्युत उत्पादन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश में पहली परमाणु विद्युत उत्पादन इकाई होगी।

सस्ता और टिकाऊ विकल्प है हरित ऊर्जा

अगले दस वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 600 गीगावॉट करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। गैर- जीवाश्म ईंधन के तौर पर सौर ऊर्जा,पन बिजली, पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बैटरी ऊर्जा स्टोरेज, स्वदेश में विकसित सरफेस हाइड्रो काइनेटिक टरबाइन प्रौद्योगिकी को भी मान्यता दी गई है। इसके साथ ही इन ऊर्जा स्रोतों में भी नए प्रयोग किए जा रहे हैं जो अंततः विद्युत मांग की पूर्ति पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना कर सके।

पीक डिमांड से निपटने में पम्प स्टोरेज बिजली संयंत्र होंगे कारगर

ताप विदयुत संयंत्रों में तत्काल विद्युत उत्पादन को कम और ज्यादा नहीं किया जा सकता है ऐसे में विदयुत को संधारित कर आवश्यकता अनुसार उपयोग करने के लिए बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज जैसे विकल्प अधिक कारगर हैं। अनुमान के मुताबिक देश में पंप स्टोरेज तकनीक के जरिए 134 गीगावॉट विद्युत उत्पादन की क्षमता है, इसमें से पहले चरण में



2030 तक 39 गीगावॉट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कड़ी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य में 6400 मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर कर राज्य ने एक ठोस पहल कर दी है। अगले एक दशक के अंदर प्रदेश में कुल उत्पादन क्षमता का 45 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

आम उपभोक्ता भी बने बिजली उत्पादक

सौर ऊर्जा सबसे सुलभ विदयुत विकल्प है। ऐसे में इसे बड़े उत्पादन संयंत्रों तक सीमित न रखकर आम उपभोक्ता को विदयुत उत्पादक बनाने की योजना पर काम चल रहा है। महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को और अधिक आकर्षक बनाते हुए केन्द्र के साथ राज्य सरकार भी अब वित्तीय मदद पहुँचाकर विद्युत उत्पादन में आम लोगों की भूमिका बढ़ाना चाह रही है।

प्रदेश में बिजली पहली बार अंबिकापुर में आई।
डीजल जनरेटर के जरिए 1915 में बल्ब हुए रोशन।



पारेषण और वितरण प्रणाली होंगी मजबूत

आज की बिजली की आवश्यकताओं को समझते हुए उत्पादित बिजली का समुचित पारेषण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए पारेषण और वितरण क्षेत्र में भी राज्य बड़ा निवेश करने जा रही है। असल में पारेषण प्रणाली की मजबूती के बगैर विद्युत मांग की आपूर्ति का दबाव नहीं थामा जा सकता है। प्रदेश में आज 14 हजार 249 सर्किट किलोमीटर की अतिऊच्चदाब लाईने हैं जिसकी क्षमता 25 हजार 617 एमव्हीए है। छत्तीसगढ़ में 1700 मेगावॉट अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क के विकास की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त हुई है जिससे हमारे ताप विद्युत की निकासी को सुगम बनाया जाएगा। 400 केव्ही के 09, 220 केव्ही के 26 तथा 132 केव्ही के 48 नए उपकेन्द्र अगले दस वर्षों में बनाया जाना है।

आज ऊर्जा के ऐसे विकल्प पर पूरा विश्व कार्य कर रहा है जिसमें वहनीयता (सस्टेनेबलिटी), विश्वसनीयता के साथ पर्याप्तता और स्थिरता हो। अपने गठन के 25 वें वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र के लिए लगभग तीन लाख करोड़ रूपए का निवेश राज्य के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करने वाला है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक बड़े उत्पादक के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान होगी और ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की आत्मनिर्भरता आने वाले दिनों में समृद्धि का आधार बनेगी। हमारे वेदों में '**तमसो मा ज्योतिर्गमय**' का सूत्र वाक्य दिया गया है। जीवन का विकास उसके आलोक में छिपा है। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती से स्वर्ण जयंती की ओर यात्रा हमारे विद्युत क्षेत्र की सफलताओं से जगमग होगी।

बत्ती बुझाओ झट ले।
बिल घटही फट ले।।

बस्तर के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरती पारेषण लाइन

हर घर बिजली और विकास का उजाला पहुँचा पाने का सुकून है- डॉ रमन सिंह

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर तीन लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले और देश के सबसे लंबे समय तक ऊर्जा मंत्री रहने का गौरव हासिल करने वाले डॉ रमन सिंह की छत्तीसगढ़ को ऊर्जा गढ़ बनाने में अहम भूमिका रही है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के तौर पर गरिमा प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के तौर पर लंबे कार्यकाल के साथ ही उनके सबल नेतृत्व ने ऊर्जा विकास को स्पष्ट दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया। डॉ रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा विकास को लेकर अपने अनुभवों तथा योजनाओं को लेकर प्रबंधक(जनसंपर्क) विकास शर्मा से लंबी बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश-

आप छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के सभी राज्यों में भी सबसे लंबे समय तक ऊर्जा मंत्री रहे हैं, पीछे मुड़कर देखने पर आपको किन बातों का संतोष होता है ?

देखिए, 15 साल की यात्रा के बाद बहुत कुछ है जो तसल्ली देतीं हैं, इनमें भी जब हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो इस बात का आत्मसंतोष होता है कि छत्तीसगढ़ ऊर्जा स्वावलंबी ही नहीं आज देश का पॉवर हब भी है। **यह उपलब्धि इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राज्य निर्माण के समय जब विरासत में आपको कमजोर आधारभूत ढाँचा मिला हो, अधोसंरचना बहुत ही लचर हो और ऐसे में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में आप सफल हों तब इससे बड़ा संतोष और कुछ नहीं।** मेरे कार्यकाल की प्रगति को इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि वर्ष 2003 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत प्रतिवर्ष 300 यूनिट से कुछ थी जो 15 वर्षों में बढ़कर 2018 में 1724 यूनिट हो गई। यानि 15 वर्षों में 500 प्रतिशत से भी अधिक प्रतिव्यक्ति खपत बढ़ी। यह राज्य के विकास का एक पैमाना भी होता है। इतना ही नहीं अधिकतम मांग 1400 मेवॉ से 2018 में 4230 मेवॉ तक पहुँच गई। राज्य के बस्तर और सरगुजा के क्षेत्र में बिजली की पहुँच बहुत ही कम थी। उस चुनौती से निपटना भी था। हमने इन क्षेत्रों पर भरपूर काम किया और इसके लिए पूरी ताकत भी झोंक दी।

हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और इस दौरान 7590 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन से हम 21,890 मिलियन यूनिट तक पहुँच गए। इतनी उत्पादित बिजली का ट्रांसमिशन एक बड़ी चुनौती होती है। बस्तर में सीमित ईएचटी लाइनें थीं , हमने वहाँ 400 केव्ही की लाइन बिछाई। ट्रांसमिशन के विस्तार के लिए 17000 करोड़ रूपए खर्च किए, सिर्फ इसलिए कि सरगुजा और बस्तर के अंतिम छोर तक बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सके।

खेती के लिए पंप कनेक्शन 15 वर्षों में साढ़े पाँच सौ प्रतिशत बढ़कर 4 लाख 70 हजार तक पहुँच गए, किसी दौर में विद्युत कनेक्शन की वेटिंग हुआ करती थी वो अतीत की बातें हो गईं।



यानी वो 15 वर्ष ऊर्जा क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ ही ऊर्जा के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। पूर्व में छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति सिंगल लाइन व्यवस्था पर आधारित थी यानी यदि एक स्थान पर तार कटता या खराबी आती, तो पूरा क्षेत्र अंधकार में डूब जाता। हमने इस स्थिति को बदलते हुए अतिरिक्त लाइन की व्यवस्था की, जिससे बिजली की बिना रुके आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इसके अलावा हमने यह भी सुनिश्चित किया कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव अंधेरे में न रहे। प्रदेश के हर कोने में बिजली की लाइनें बिछाई गईं, ट्रांसफॉर्मर लगाए गए, और हजारों गांवों को रोशन किया गया। हमने सिर्फ उत्पादन पर नहीं, वितरण और पहुँच पर भी बराबर ध्यान दिया। आज छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी बिजली उत्पादक राज्यों में शामिल है और दूसरे राज्यों को भी बिजली भेज रहा है।

छत्तीसगढ़ को जीरो पॉवर कट राज्य का दर्जा आपके कार्यकाल में मिला पर इसके लिए चुनौतियाँ भी आई होंगी, उन चुनौतियों के बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे?

बिलकुल, जब मैं पीछे देखता हूँ, तो गर्व होता है कि **हमने छत्तीसगढ़ को "जीरो" से शुरू करके "जीरो पॉवर कट" वाला राज्य बनाया।** आज हमारा प्रदेश न केवल अपने नागरिकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है बल्कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों को भी विद्युत आपूर्ति कर रहा है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था इस उपलब्धि के पीछे बहुत सी चुनौतियाँ और संघर्ष छिपे हैं।



रायपुर, मध्यभारत का पहला नगर पालिका बना,
जिसने अपने स्तर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की।

राज्य को विद्युत क्षेत्र में आगे ले जाने में तीन बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ा। पहला कमजोर बुनियादी ढाँचा, दूसरा राज्य के कमजोर आर्थिक हालात और तीसरा राज्य में माओवादी हिंसा। जब मुझे प्रदेश की बागडोर मिली तब राज्य का बजट 9,400 करोड़ रूपए के करीब था। **शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि और रोजगार सभी क्षेत्रों में बहुत काम करना था और विकास के लिए कठिन आर्थिक स्थिति थी। हमने 15 वर्षों में राज्य के वार्षिक बजट को 1,10,000 करोड़ रूपए तक पहुँचाया।**

इस बजट को युक्तियुक्त बनाते हुए प्राथमिकता के साथ उपयोग किया गया और इसमें ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता भी दी गई। प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने केन्द्रीय एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित की और विद्युत उत्पादन क्षमता को वर्ष 2003 में 4000 मेवॉ की तुलना में वर्ष 2018 में इसे 22,000 मेवॉ तक पहुँचाया। आप सोचेंगे कि ऊर्जा को ही प्राथमिकता क्यों ? तो **सच्चाई यह है कि ऊर्जा से आज पूरी व्यवस्था जुड़ी है, विकास जुड़ा है, रोजगार जुड़ा है।** तीनों ही कार्यकाल में ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई। बिजली के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति ने हमारे कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। हमें पलायन रोकने में सफलता मिली, सिंचाई पम्पों के कारण कृषि क्षेत्र में विकास, उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर, शिक्षा और स्वास्थ को सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाने में बिजली की बड़ी भूमिका है।

राज्य बदल गया, शासन बदल गए पर बोधघाट परियोजना लंबित रही है, क्या कारण है?

बोधघाट परियोजना तो बहुत पहले बनी, एक बड़ी राशि खर्च कर बड़े कार्यों की शुरूआत भी हो गई थी, सुरंग निर्माण का कुछ हिस्सा पूरा हो गया, सातधारा के पास इंद्रावती नदी पर पुल, रिहायशी कालोनी समेत अन्य निर्माण कार्य भी हो गए थे, बावजूद इसके पर्यावरण के नाम पर इसे रोक दिया गया। पिछली सरकार ने दावे तो बहुत किए पर कुछ न हो सका।

मेरा मानना है कि राज्य और केन्द्र सरकार के समन्वय से नए सिरे से इस परियोजना के लिए पर्यावरण की स्वीकृति लिए जाने की आवश्यकता है। इसमें पन बिजली संयंत्र के साथ कृषि सिंचाई के लिए भी प्रावधान हो। मेरा विश्वास है कि बोधघाट परियोजना पूरे बस्तर क्षेत्र के लिए जीवन दायिनी साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से अब इस दिशा में नई उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है ।

आपने माओवादी हिंसा की चुनौती का उल्लेख किया है, ऐसी कोई बड़ी घटना जिसने आपको बड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया हो?

नक्सलवाद का प्रभाव विशेषकर बस्तर जैसे सुदूर अंचलों में अत्यधिक था। उस दौर में जब हम बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तब नक्सलियों ने काफी बाधा उत्पन्न की। इस सिलसिले में याद आती है वर्ष 2007 और 2008 की घटनाएं। वर्ष 2007 में 01 जून की बात है तत्कालीन दंतेवाड़ा जिले के झाराघाटी में अतिउच्चदाब लाइन के तीन टॉवरों को माओवादियों ने एक साथ ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस घटना से अबूझमाड़ सहित बस्तर अंचल के पाँचों जिले के 25 लाख लोग प्रभावित हुए। 12 दिन तक मानों पूरा बस्तर अंचल अंधेरे में डूब गया। हम कल्पना नहीं कर सकते कि पूरा बस्तर लालटेन युग में पहुंच गया। सैकड़ों की संख्या में विद्युत मंडल के इंजीनियर और मजदूर उस बीहड़ में काम कर रहे थे। मैं चाहता था वहाँ एक बार पहुँच कर अपने लोगों का हौसला अफजाई करूँ। मुझे मना किया जा रहा था लेकिन मैंने कहा कि जब मजदूर पहुँच सकते हैं तो मैं मुख्यमंत्री के नाते क्यों नहीं?

घने जंगल के बीच 4 किलोमीटर की दूरी बिना किसी सड़क के जाना था। ऊर्जा विभाग के सचिव और विद्युत मंडल के अध्यक्ष मेरे साथ थे। हम वहाँ पहुँचे और उस विकट स्थिति में पुनर्निमाण के काम में लगे अभियंताओं और अन्य कार्मिकों को सुखद आश्चर्य हुआ। मेरे वहाँ पहुँचने से उनका मनोबल बढ़ा ही, मुझे भी गर्व हुआ अपने मंडल के कार्मिकों पर जो तमाम प्रतिकूलता के बावजूद वहाँ डटे हुए थे। उत्साही टीम ने अगले दो दिन में पूर्ण होने वाले कार्य को एक दिन में ही कर डाला और पूरे बस्तर का अंधेरा छँट गया।

इस घटना से मुझे एक बात समझ में आई कि बस्तर को अधिक मजबूत ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ा जाए। मैंने 400 केव्ही की लाइनों के विस्तार तथा एक से अधिक अतिउच्चदाब लाइन बिछाए जाने का निर्णय लिया जिससे किसी भी आपात स्थिति में भी ब्लैक ऑउट के हालात न बने। मैं अबूझमाड़ में हुई इस घटना को अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखता हूँ जिसने मुझे नई सोच दी और विश्वास से भरा।

भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार नजर आ रहा है?

छत्तीसगढ़ आज ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य ने ऊर्जा निवेश के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसी वर्ष मार्च में रायपुर में आयोजित 'छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट 2025' में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो राज्य की ऊर्जा क्षमता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का संकेत हैं।

इसमें हम इस बात को ध्यान में रखें कि राज्य की भौगोलिक स्थिति का भी हमें लाभ है। हम देश के मध्य में हैं, **ऊर्जा उत्पादन का गढ़ है छत्तीसगढ़, पॉवर ट्रांसमिशन लाइनों को हमारे यहाँ से गुजरने में अधिक लाभ है ऐसे में अधोसंरचना विकास से राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में स्वाभाविक बढ़त मिलेगी।**

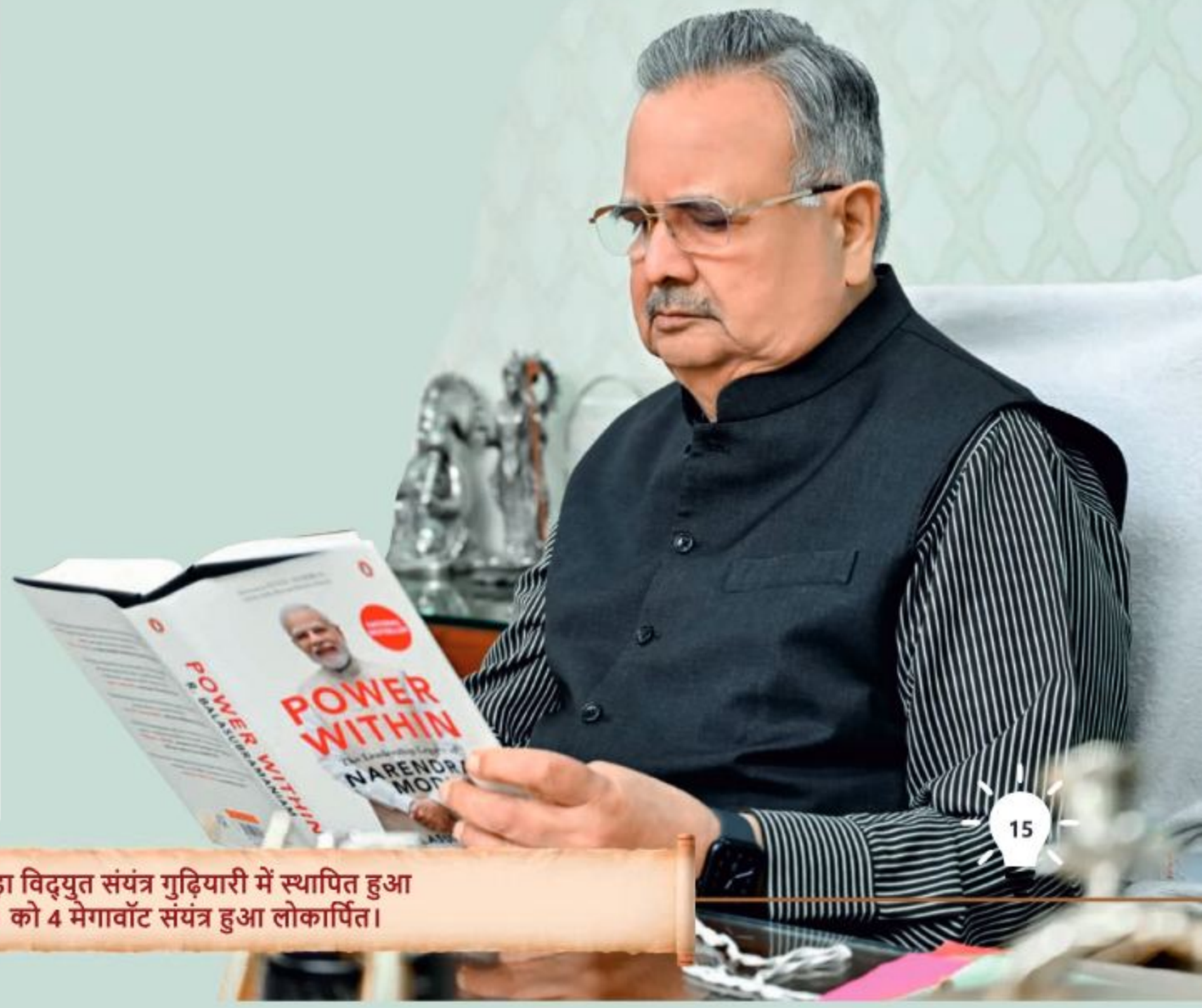

रायपुर में पहला बड़ा विद्युत संयंत्र गुढ़ियारी में स्थापित हुआ
15 अगस्त 1951 को 4 मेगावॉट संयंत्र हुआ लोकार्पित।

वरिष्ठ अधिकारी अनौपचारिक चर्चा में आपको एक डॉक्टर से ज्यादा इंजीनियर कहते हैं, इसके पीछे कुछ खास बात रही है?

(एक सहज मुस्कान के साथ) नहीं, पर ऊर्जा का क्षेत्र मेरी रूचि का है। 15 वर्ष तक इस विभाग का मंत्री रहा। लाइनमैन से लेकर चैयरमैन तक से बात –संवाद करने का अवसर मिलता था। अधिकारियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाते थे, विधानसभा में इससे जुड़े विषयों पर सवाल-जवाब होता, जिसकी तैयारी मैं स्वयं करता था।

ऊर्जा क्षेत्र में क्या हो रहा है इस पर बात होती थी। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में हमारी क्या जरूरतें हैं इस पर चर्चा नियमित होती रहती थी। प्रदेश के हर गांव में कैसे बिजली की लाइनें बिछाई जाएं और कैसे मजबूत सिस्टम बनाया जाए हमेशा इन विषयों को मैं बारीकी से जानने का प्रयास करता था, इस कारण हर पहलू से जुड़ा रहता था और वो सारी चीजें आज भी मुझे याद हैं।

मुख्यमंत्री के नाते कोई रोचक प्रसंग आया हो, विशेषकर बिजली से जुड़ी समस्या को लेकर। साझा करना चाहेंगे।

मैं मुख्यमंत्री के तौर पर जब जनदर्शन में लोगों से मिल रहा था तो एक गाँव से कुछ लोग मुझसे मिले और बताया कि उनके गाँव में यदि बिजली नहीं पहुँचेगी तो गाँव के कई युवा कुंवारे ही रह जाएंगे। बिजली नहीं होने के कारण उनके गांव में कोई लड़की नहीं दे रहा है। मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता न करें सिर्फ विवाह की तैयारियाँ कीजिए अब बिजली की चिंता मुख्यमंत्री के नाते





मेरी है और मैं आपके गांव में विवाह में शामिल होने आउंगा। इस घटना के तीन माह के अंदर वहाँ बिजली पहुँच भी गई। पर सच तो यह है कि बिजली के होने और नहीं होने के व्यापक असर को भी मैं इस नजरिए से समझ सका।

इन अनुभवों के बाद यह कह सकता हूँ कि किस प्रकार हमने चुनौतियों को ठोस संकल्प और जनसहभागिता से पार किया। आज छत्तीसगढ़ ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर है। **मुझे गर्व है कि जिस छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा क्षेत्र में शून्य से शुरुआत की थी, आज वही राज्य देश का अग्रणी विद्युत उत्पादक, निर्यातक और जीरो पॉवर कट वाला प्रदेश बनकर देश के सामने एक मिसाल बना है।**

ऊर्जा मंत्री के रूप में मेरा मानना रहा है कि हमने सिर्फ बिजली नहीं पहुंचाई, बल्कि विकास का उजाला घर-घर तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, सशक्त और निर्यातक राज्य बनाने का जो सपना था, वह हमने साकार किया और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है।



अजय सिंह आईएएस (से.नि.)
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त
एवं पूर्व अध्यक्ष, छगराविमं

उपेक्षित अतीत को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल गया छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की नींव रखने से लेकर उसे आकार देने में एक अहम भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले ऊर्जा सचिव श्री अजय सिंह देश में ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। सीएसईबी के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री सिंह बीते 25 वर्षों की यात्रा को बहुत ही उपलब्धिपूर्ण बताते हैं। प्रस्तुत है प्रबंधक (जनसंपर्क) विकास शर्मा से हुई लंबी बातचीत के कुछ अंश.

छत्तीसगढ़ आपकी जन्म और कर्मभूमि है, आपने प्रशासन के सर्वोच्च पद मुख्य सचिव के तौर पर दायित्व भी निभाया और आज एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं, इस लंबी सेवा यात्रा के बाद आपको किन बातों का संतोष होता है?

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के प्रमुख कारणों में से एक मध्यप्रदेश के शेष क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र का पिछड़ा होना रहा है, जबकि संसाधनों के मामलों में यह क्षेत्र अत्यंत समृद्ध था। राज्य गठन के 25 वर्ष के पश्चात् देखें तो राज्य ने विकास के अनेक पैमानों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेषकर अधोसंरचना, सामाजिक, आर्थिक एवं कृषि जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक नवगठित राज्य ने लम्बी छलांग लगाई है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ गठित अन्य दो राज्यों (झारखण्ड एवं उत्तराखण्ड) की तुलना में बेहतर प्रगति की है, बल्कि कई मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष है। प्रदेश के विकास में मुझे ऊर्जा, जल संसाधन, नगरीय विकास, स्वास्थ्य, वित्त, वाणिज्यिक कर, कृषि विकास इत्यादि महत्वपूर्ण विभागों के सचिव तथा राज्य के मुख्य सचिव के रूप में अपना योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ। राज्य गठन के ढाई दशक उपरांत इन सभी क्षेत्रों में अपने गृह राज्य के चहुंमुखी विकास को देखकर संतोष महसूस करता हूँ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन से लेकर मजबूत आकार देने तक आप इससे सीधे जुड़े रहे। किस प्रकार का अनुभव रहा है, उन प्रारंभिक दिनों को लेकर?

पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 01 नवम्बर 2000 को होने के पश्चात् भी बिजली के मामले में यह क्षेत्र मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के ही अधीन था, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन अपेक्षित था। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से राज्य समृद्ध था, किन्तु विद्युत पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना अत्यंत ही जर्जर अवस्था में थी। अतः यह बहुत आवश्यक था कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से पृथक होकर राज्य द्वारा अपना अलग विद्युत मंडल शीघ्रातिशीघ्र गठित किया जाए। इस आवश्यकता को देखते हुए एक अत्यंत दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राज्य गठन के 15 दिवस के अंदर ही हमारे द्वारा 15 नवम्बर 2000 को पृथक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का वैधानिक रूप से गठन कर दिया गया। पृथक विद्युत मंडल के गठन उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा विद्युत पारेषण एवं वितरण के अधोसंरचना क्षेत्र में प्रारंभ के 3-4 वर्षों में ही व्यापक निवेश किए गए, जिसके कारण न सिर्फ प्रदेश के औद्योगिक विकास में गति आई, बल्कि शहरी व ग्रामीण उपभोक्ता व किसानों को बिजली कटौती से राहत मिली।

अपनी बिजली आप बचाकर,
कर दो अपनों पर उपकार।

विद्युत मंडल गठन और उन प्रारंभिक दिनों की प्राथमिकताओं के बारे में बताना चाहेंगे?

पृथक राज्य विद्युत मंडल के वैधानिक रूप से गठन हो जाने के पश्चात् भी मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारे का कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि बँटवारे से मध्यप्रदेश विद्युत मंडल विपरित रूप से प्रभावित हो रहा था। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पृथक राज्य एवं विद्युत मंडल के गठन के निर्णय को मध्यप्रदेश शासन तथा मप्र विद्युत मंडल ने विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी। न्यायालयों में चुनौती के कारण वर्षों तक मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का अंतिम बँटवारा लंबित रहा। इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा गठन उपरांत पॉवर सरप्लस स्टेट हो जाने के कारण बिजली विक्रय से होने वाली आय से राज्य के विद्युत पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना को तीव्रगति से विकसित किया गया।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में "पॉवर सरप्लस" राज्य होने के बावजूद राज्य की भविष्य की आवश्यकताओं तथा राज्य के विकास के उद्देश्य से राज्य गठन के बाद प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट (कोरबा पूर्व) स्थापित करने का निर्णय भी ऊर्जा सचिव के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान लिया गया, यह निर्णय राज्य के विकास के लिये अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। प्रदेश में अपरंपरागत स्रोत से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में क्रेडा (छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजेंसी) का भी गठन किया गया तथा दूरस्थ अंचलों में स्थित ग्रामों, भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों में वृहद रूप से सौर ऊर्जा चलित प्लांट स्थापित किए गए।

राज्य की राजधानी रायपुर में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संबंध में जन सामान्य विशेषकर विद्यार्थियों की जानकारी के उद्देश्य से ऊर्जा शिक्षा उद्यान का निर्माण किया गया, जो अब भी अत्यंत लोकप्रिय है।

ऊर्जा सचिव, वित्त सचिव और बाद में विद्युत मंडल के अध्यक्ष के नाते आप दायित्व से जुड़े रहे उस दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपक्रम हुए, नई पीढ़ी को साझा करना चाहेंगे?

राज्य गठन से लेकर लगभग 5 वर्षों तक मैंने ऊर्जा सचिव का दायित्व निभाया। इस अवधि में विद्युत मंडल के सदस्य (वित्त) तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का दायित्व भी कुछ समय तक निभाया। इसके अलावा अध्यक्ष क्रेडा का भी उत्तरदायित्व निभाया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि राज्य गठन के पूर्व बिजली के मामले में यह क्षेत्र काफी पिछड़ा था। बिजली उत्पादन के मामलें में समृद्ध होने के बावजूद मध्यप्रदेश राज्य के इस क्षेत्र में विशेष रूप से विद्युत पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना की स्थिति अत्यंत कमजोर रही, जिसके कारण अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में घोषित/अघोषित बिजली कटौती बड़ी आम बात थी। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिये पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना में युद्ध स्तर पर कार्य करने हेतु व्यापक संसाधन आवश्यक था।

इस आवश्यकता को देखते हुए ही राज्य गठन के 15 दिवस के भीतर पृथक विद्युत मंडल का गठन किया गया, जिससे राज्य, विद्युत सरप्लस हो गया एवं उत्पादित बिजली को अन्य राज्यों को बेचने से होने वाली आय से अधोसंरचना के विकास का कार्य किया गया। राज्य गठन के कुछ ही वर्षों में न सिर्फ शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, बल्कि तीव्र औद्योगिक विकास भी हुआ।

राज्य गठन के समय से अब तक कि वर्तमान स्थिति की एक झलक से आज की पीढ़ी की जानकारी के उद्देश्य से यह बताना चाहूंगा कि राज्य गठन के समय प्रदेश में निम्न दाब उपभोक्ता लगभग 19 लाख थे जो बढ़कर आज की स्थिति में लगभग 65 लाख हैं। इसी प्रकार उच्च दाब उपभोक्ता मात्र 530 थे जो वर्तमान में बढ़कर 4,151 हो गये हैं। मध्यप्रदेश के दौर में उपेक्षा को समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा कि राज्य गठन के पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा कृषि पम्प विद्युतीकरण का जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सभी 16 जिलों को मिलाकर दिया जाता था, वह मध्यप्रदेश के एक विशिष्ट जिले के लक्ष्य से भी कम होता था । छत्तीसगढ़ गठन के बाद राज्य शासन व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा पम्प ऊर्जीकरण को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। राज्य गठन के समय किसानों के विद्युतीकृत पम्प की संख्या मात्र 73 हजार थी, जो वर्तमान में 8 लाख 40 हजार (स्थाई एवं अस्थाई मिलाकर) है। इसी प्रकार, राज्य गठन के समय प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 1334 मेगावाट थी, जो वर्तमान में बढ़कर 7 हजार मेगावाट के पार हो गई है। इसी अवधि में प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 284 यूनिट से बढ़कर 2011 यूनिट हो गई है। ये आँकड़े बिजली के क्षेत्र में राज्य गठन में प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास की गाथा स्वतः बता रहे हैं।

जिस विद्युत मंडल को आपने खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आज उसके नये अवतार यानी स्टेट पावर कंपनी को कहाँ पाते हैं?

राज्य विद्युत मंडल का गठन तत्समय प्रभावशील Electricity (Supply) Act 1948 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था । राज्यों के विद्युत मंडलों की वित्तीय स्थिति सशक्त न होने तथा बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 2003 में बिजली क्षेत्र में नया कानून Indian Electricity Act 2003 आने के पश्चात् इसके प्रावधानों के अनुसार सभी राज्यों

प्रदेश का सबसे बड़ा पन बिजली संयंत्र
120 मेवॉ मिनीमाता बांगो, कोरबा में स्थित है।

के विद्युत मंडलों का पुनर्गठन अपेक्षित था। इसके अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का भी पुनर्गठन किया गया और वर्तमान में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कम्पनियाँ संचालित हैं। पुनर्गठन हो जाने के पश्चात बिजली कंपनियों द्वारा सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किये जा रहे हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर वितरण के क्षेत्र में आम जनता को काफी लाभ हुआ है, बावजूद इसके हमारी बिजली कंपनियों द्वारा किये जा रहे कार्यों में सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है।

ऊर्जा क्षेत्र में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है और छत्तीसगढ़ से सभी की अपेक्षाएं हैं। आप प्रदेश को ऊर्जा के मामले में कहाँ देखते हैं?

राज्य में कोयले के व्यापक भंडार होने के कारण ताप बिजली उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं, जिसके कारण न सिर्फ राज्य विद्युत मंडल बल्कि एनटीपीसी और निजी क्षेत्र में भी ताप विद्युत उत्पादन में काफी प्रगति हुई है। इन सबके बावजूद ताप बिजली से होने वाले प्रदूषण, कोल खनन से होने वाले प्रदूषण एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए अपरम्परागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन अत्यंत आवश्यक है। प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं सौर ऊर्जा से उत्पादन हेतु न सिर्फ उद्योगपतियों बल्कि आम नागरिकों एवं किसानों को भी सौर ऊर्जा उत्पादक बना रही है।

आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ प्रशासक भी रहे, इस दौरान आपने हमेशा नवीनता को अपनाया, विद्युत कंपनी में हो रहे नवाचार को कैसे देखते हैं?

विद्युत उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग पूर्व से ही होता रहा है। वर्तमान में इंटरनेट व ई-कामर्स के क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व प्रगति से न सिर्फ वितरण कंपनी की कार्य क्षमता में सुधार हुआ, बल्कि उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल प्राप्त करना तथा भुगतान करना अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। भविष्य में इंटरनेट और ई-कामर्स के और अधिक उपयोग से बिजली कंपनियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त लाभ होगा।

ऊर्जा सचिव और बाद में विद्युत मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए कोई रोचक या यादगार प्रसंग याद हो जो पाठकों को बताना चाहेंगे?

(थोड़ा रूककर और मुस्कुराते हुए) बिजली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वृतांत जिसका राज्य के लिए दूरगामी परिणाम था का मैं जरूर उल्लेख करना चाहुंगा। असल में राज्य गठन के बाद पहले ऊर्जा सचिव के तौर पर मुझे जिम्मेदारी मिली थी। इस दौरान वर्ष 2003 में कोरबा पूर्व में 250 मेगावॉट की दो इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यवाही तेजी से चल रही थी और निविदा की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। इस बीच प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव आ गया और तत्कालीन विपक्ष द्वारा इस निविदा पर आक्षेप लगाया जा रहा था। दिसंबर 2003 में सत्ता परिवर्तन हुआ और डॉ रमन सिंह मुख्यमंत्री बने।

चुनाव प्रचार के दौरान कोरबा पूर्व की इस निविदा पर लगाए आक्षेप के कारण मुझे लगा कि यह निविदा खटाई में न पड़ जाए। इनमें कुछ सलाहकारों ने भी निविदा निरस्त कर पुनः निविदा करने की सलाह दी थी। बहरहाल, मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी जो ऊर्जा मंत्री भी थे, ने मुझे बुलाया और इस निविदा के संबंध में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि निविदा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है और इस बात पर बल दिया कि निविदा प्रक्रिया को फिर से किए जाने से हमारा प्लांट लगभग सालभर पिछड़ जाएगा जिससे हमें बिजली का संकट होगा ही साथ ही देरी होने से प्रति युनिट बिजली की कीमत भी बढ़ जाएगी। यह जानकर आपको सुखद आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से बातों को सुनने के बाद राज्य और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए उसी निविदा के आधार पर कार्य को संपन्न कराने सहमति दी जिसका व्यापक लाभ प्रदेश को मिला।



हरित ऊर्जा की ओर छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम, हर उपभोक्ता को विद्युत उत्पादक बनाने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बड़ी पहल, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का छत्तीसगढ़ में बढ़ा रुझान।

बिजली लग गे स्कूल म, चले लगीस कम्प्यूटर।
सपना देखय दाई ददा, लइका बनही कलेक्टर।।



हरित ऊर्जा में बढ़ते कदम : छत्तीसगढ़ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का विहंगम दृश्य



एस के मिश्रा आईएएस (से.नि.)
पूर्व अध्यक्ष, छ.ग.राज्य विद्युत मंडल

तेज विकास का आधार बना पृथक विद्युत मंडल

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना के रजत वर्ष पर छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा ने पृथक विद्युत मंडल के गठन तथा उसकी स्थापना के प्रारंभिक दिनों के अनुभवों को साझा किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एवं छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष, 1968 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मिश्रा ने गठन के दौरान आई अड़चनों के साथ ही कुछ रोचक और अनछुए पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। प्रबंधक (जनसंपर्क) विकास शर्मा से हुई लंबी बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

राज्य निर्माण के पंद्रह दिन के अंदर पृथक विद्युत मंडल के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

छत्तीसगढ़ का हिस्सा संयुक्त मध्यप्रदेश के दौर में भी विकास योजनाओं में पिछड़ता रहा। यह धारणा की ही बात नहीं है, तथ्यों के लिहाज से भी अपेक्षाकृत विकास इस क्षेत्र का नहीं हुआ। बिजली तो उस समय की सबसे ज्वलंत समस्या थी। बहुत लाजिमी था कि जो क्षेत्र विद्युत उत्पादन का गढ़ हो वो अधिक विद्युत कटौती का शिकार हो तो जनआक्रोश होगा ही। राज्य गठन से तेज विकास की आस जगा दी गई थी, तमाम उपेक्षाओं से मुक्ति का आश्वासन था और ऐसे में बिजली इसके लिए सबसे पहली और बड़ी आवश्यकता थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी को हमारे यहाँ के अभियंताओं ने भी इसके विभिन्न पहलुओं को बताया। कुल मिलाकर उस समय की जरूरत और जनअपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पृथक राज्य विद्युत मंडल का गठन तात्कालिक आवश्यकता बन गई थी। इसके लिए बड़ी तैयारी के साथ 15 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी कर दी गई और 01 दिसंबर 2000 से नए विदयुत मंडल का काम भी शुरू हो गया।

विद्युत मंडल के गठन में किस प्रकार की समस्याएं पेश आईं थीं ?

देखिए, असल में विद्युत मंडल के गठन के संबंध में तो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में ही उल्लेख था पर इसके लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं था ऐसे में पृथक मंडल के अचानक निर्णय से कुछ समस्याएं हुई थीं। सबसे पहले संपत्ति की स्पष्टता नहीं थी, संसाधनों का बँटवारा भी करना था इसे लेकर भी स्पष्ट नहीं थे ऐसे में जिसके राज्य में जो है उसे उसके पास दे दिया गया। यहाँ छतीसगढ़ को कुछ नुकसान हुआ जैसे पन बिजली परियोजनाओं में हमारा हिस्सा और मिलना था। आपको मालूम होगा कि मध्यप्रदेश के शेष हिस्से में स्थापित ताप एवं पन बिजली परियोजनाओं में हमारा भी पैसा लगा था ऐसे में उसमें भी हमें हिस्सा मिलना था। इसके अलावा ट्रांसमिशन, वितरण लाइनें, उपकेन्द्र जैसी अधोसंरचना में भी हमारा हिस्सा होता। पर परिस्थिति ऐसी थी कि हमने जितना मिला उसे रख लिया कारण यह था कि हम अपने बूते भी ऊर्जा स्वावलंबन की स्थिति में दिख रहे थे और बड़ा लक्ष्य था अब अपनी विकास योजनाओं में ऊर्जा का प्रबंधन अपना हो।

**विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए
विद्युत अधिनियम 2003 लागू है।**

पृथक विद्युत मंडल के गठन के बाद प्राथमिक रूप से क्या लाभ हुआ?

पहला और त्वरित लाभ कि हम ऊर्जा सरप्लस हुए। अगले कुछ ही दिनों में इसका असर आम उपभोक्ताओं से लेकर वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को दिखने लगा। दीया तले अंधेरा जैसी स्थिति अब नहीं रही। मुख्यमंत्री ने नो पॉवर कट स्टेट की घोषणा कर दी। असल में यह भी सच था कि नो पॉवर कट भी इतना आसान नहीं था क्योंकि भले ही हमारा विद्युत उत्पादन और कुल उपलब्धता 1360 मेगावॉट थी जबकि लगभग 450 मेगावॉट केन्द्रीय अंश हमें मिल रहा था और हमारी मांग लगभग 12 सौ मेगावॉट के लगभग थी, ऐसे में उपलब्धता तो अच्छी थी पर वितरण अधोसंरचना बहुत ही कमजोर थी। आने वाले दिनों में इस दिशा में ही प्राथमिकता से कार्य करते हुए विद्युत आपूर्ति में लगातार सुधार किया गया।

विद्युत मंडल के गठन से एमपीईबी और सीएसईबी के संबंध शुरूआत में कैसे थे?

यह कहना गलत होगा कि अलग विद्युत मंडल बनने से एमपीईबी के लोगों में कोई खुशी थी, बल्कि सच तो यह है कि शुरूआती दिनों में गठन की प्रक्रिया के दौरान कई मौकों पर तल्खी भी रही। संपत्ति के बँटवारे के सिलसिले में कई बार वहाँ के अधिकारियों से दिल्ली में भेंट हुई इसमें कठिनाइयाँ समझ में आई , पर बाद में इसे उन्होंने भी समझा। पेन्ड्रा और मरवाही जैसे क्षेत्रों में शुरूआती दिनों में बिजली की आपूर्ति शहडोल से ही होती थी। कुछ समय बाद ही छत्तीसगढ़ से पॉवर सप्लाई दी जा सकी। चूंकि मैं राज्य शासन में वित्त सचिव भी था ऐसे में वहाँ के शासन के अधिकारियों से मनमुटाव दूसरे मामलों में देखने में नहीं आया पर विद्युत मंडल के मामले में वे इस पृथक मंडल के गठन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष के साथ ही शासन के वित्त सचिव होने से कितनी प्रशासनिक मदद मिल पाई?

यह तो सौभाग्य की बात थी कि शासन में वित्त सचिव के साथ ही एक बड़े और बहुत ही अहम संस्थान विद्युत मंडल का भी अध्यक्ष मुझे बनाया गया पर यह मेरे लिए बेहद ही चुनौती भरा था। आप जानते हैं कि बजट की तैयारी तो शासन में जुलाई से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में नवंबर में नया राज्य गठन और अगले 15 दिन में विद्युत मंडल, दोनों ही स्थानों पर काँटो भरा ताज था। दो महीने के अंदर एक नए राज्य का पहला बजट जिसमें अपेक्षाओं का अंबार हो और राजस्व बिल्कुल कम तो प्रबंधन करना और कठिन होता है। इस दौर में विद्युत मंडल के गठन के साथ ही दो-तीन मोर्चों पर चुनौतियाँ थी, पहला मध्यप्रदेश नए विद्युत मंडल को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और इस बीच हमें न्यायालयीन मामलों में भी उलझाया गया था। यहाँ कि लचर विद्युत वितरण प्रणाली को जल्द से जल्द मजबूती देने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इसमें इतना ही लाभ मुझे मिला कि मैं शासन में विद्युत मंडल की कुछ आर्थिक आवश्यकताओं के लिए वित्त सचिव के नाते बात आसानी और मजबूती से रख सकता था । इसके साथ ही प्रशासनिक अनुभव के कारण मुझे विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ समन्वय में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी।

इस बारे में एक अनुभव याद आता है, चूंकि विद्युत मंडल के प्रारंभिक दिनों में आर्थिक दिक्कत थी और दायित्व अधिक थे ऐसे में कुछ अनछुए क्षेत्रों पर काम करने का निर्णय लिया गया। आप जानकर हैरान होंगे कि मध्यप्रदेश के दौर में एकल बत्ती कनेक्शन का इतना



कुदरत ने दी हवा, रोशनी, खुले रखें खिड़की और द्वार ।
बिजली बिल का बोझ घटे तो सुखमय होगा घर-परिवार।।

अधिक दुरूपयोग हो रहा था कि लोग आटाचक्की तक बीपीएल कनेक्शन से चलाते थे और इधर विद्युत मंडल के राजस्व में कैंची चल जाती थी। मैंने, बीपीएल कनेक्शन की प्रमुखता से समीक्षा करने और भौतिक परीक्षण के निर्देश दिए। इसका बड़ा लाभ हुआ और बिजली के ऐसे दुरूपयोग को रोका गया और मंडल के राजस्व में सुधार भी हुआ।

विद्युत मंडल के अध्यक्ष के नाते आपका कैसा अनुभव रहा?

विद्युत मंडल के अध्यक्ष के नाते भले ही मेरा कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा पर अनुभव बहुत ही व्यापक हुआ। संयोग से मध्यप्रदेश के कुछ अनुभवी अधिकारियों को यहाँ भेजा गया था। मेरे साथ श्री गोपाल तिवारी, श्री शरतचंद्र, श्री बी एस बनाफर समेत कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मंडल की स्थापना के लिए दिन रात मेहनत की। अभियंता भी बड़े सजग थे और विद्युत मंडल के हित के लिए एकजुटता स्पष्ट रूप से नजर आती थी। संसाधन कम थे, भवन, फर्नीचर जैसी मूलभूत चीजों के अलावा मानव संसाधन और अनुभवी स्टॉफ की भी काफी कमी थी। इसके बावजूद टीम वर्क ने बड़ा काम किया।

प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है ऐसे में पॉवर कंपनी की भूमिका और तैयारी क्या होनी चाहिए ?

हम देख रहे हैं कि प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास हमारी पहचान बनती जा रही है और विद्युत ऊर्जा इसके लिए पहली आवश्यकता है। अब हमारी मांग सात हजार मेगावॉट से अधिक है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। ऐसे में ताप विद्युत के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की ओर तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चूंकि हमें केन्द्रीय संस्थानों के भी अंश प्राप्त हो रहे हैं तो अभी कठिनाई नहीं हो रही है पर आने वाले दिनों में यदि हमने अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई तो कमी के दिन भी लौट सकते हैं।

ताप विद्युत के लिए चूंकि हमारे पास संसाधन प्रचुर हैं तो यह बेहतर विकल्प लगता है पर भारी मांग की पूर्ति सिर्फ ताप विद्युत से भी नहीं हो सकती । ऐसे में हमें जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर अधिक बल देना चाहिए। वर्तमान सरकार इस ओर सजग है तो उम्मीद है आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।

पॉवर कंपनी को इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि हमारे उच्च दाब (एचटी) उपभोक्ताओं की संख्या बढ़े। मेरा शुरू से मानना है कि एचटी उपभोक्ता जितने बढ़ेंगे पॉवर कंपनी के लिए आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद होंगे।

पॉवर कंपनी की नई पीढ़ी के कार्मिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे ?

कंपनी में सिर्फ नौकरी समझकर कार्य करेंगे तो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। किसी भी कार्य और विशेषकर सामूहिक कार्य में हर सदस्य के समर्पण से ही अपेक्षित सफलता मिलती है। राज्य का विकास विद्युत पर आधारित है जो पॉवर कंपनी के लोगों के पक्ष में जाती है। ये अच्छी बात है कि आज पूरा प्रदेश जगमगा रहा है। अब इस शक्ति को आगे बढ़ाने की जरूरत है इसमें नए अभियंताओं और कंपनी के सभी कार्मिकों का बराबर का योगदान अपेक्षित है।

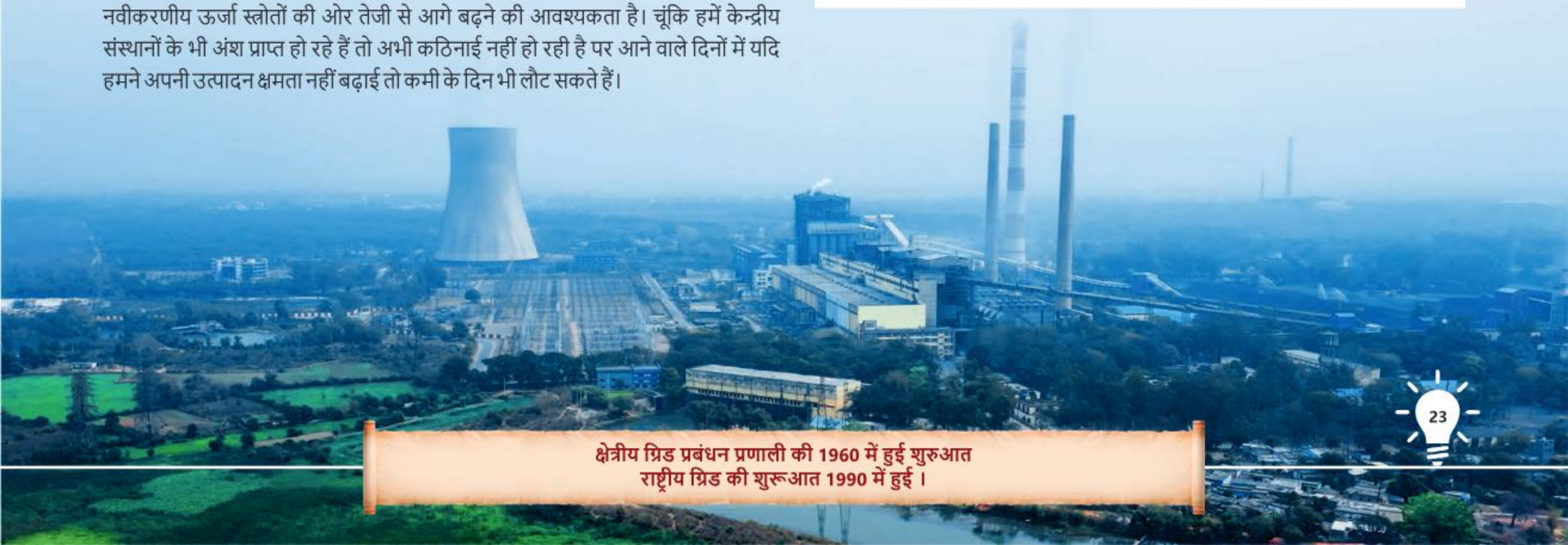

क्षेत्रीय ग्रिड प्रबंधन प्रणाली की 1960 में हुई शुरुआत
राष्ट्रीय ग्रिड की शुरूआत 1990 में हुई ।

...और छत्तीसगढ़ बन गया लाभ में चलने वाला विद्युत मंडल



गोपाल तिवारी
पूर्व अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई । मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में पृथक राज्य विद्युत मंडल का भी उल्लेख था। इसके बँटवारे का नियम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और मध्यप्रदेश द्वारा बनाया गया। नियम के अनुसार प्रावधान किया गया कि छह माह तक छत्तीसगढ़ अपना बोर्ड नहीं बनाएगा। इसके अलावा अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि मध्यप्रदेश ही छत्तीसगढ़ की बिजली की व्यवस्था अगले छह माह तक देखेगा। मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी कुछ अलग ही सोच रहे थे। वे ऊर्जा पर मध्यप्रदेश पर आश्रित होना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने लोगों से चर्चा की, तकनीकी पक्षों को समझा और 15 नवंबर 2000 को एक अधिसूचना निकालकर सीधे पृथक विद्युत मंडल का गठन कर दिया। बोर्ड की स्थापना के बाद वित्त सचिव श्री एस.के. मिश्रा को अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मुझे तकनीकी सदस्य बनाया गया और 1 दिसंबर 2000 को पदभार ग्रहण किया।

कोर्ट का चक्कर और बढ़ता काम का दबाव

सीएसईबी बनने के बाद मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं उनके बड़े-बड़े उपभोक्ताओं ने जनहित याचिकाएं (पीआईएल) जबलपुर हाइकोर्ट, हाइकोर्ट की इंदौर पीठ और दिल्ली हाइकोर्ट में दायर कर दीं। इन परिस्थितियों में बोर्ड की स्थापना के बाद काम करना कठिन लगने लगा क्योंकि मेरा काफी समय न्यायालयीन मामलों में लग जाता था इसके अलावा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा स्टॉफ भी मुहैया नहीं कराया गया था और आर्थिक सहायता भी प्रदान नहीं की गई थी। इन परिस्थिति में बोर्ड को सुचारु रूप से चलाना मुश्किल था।

फिर भी जो दायित्व मिला था वो चुनौतियों के रूप में अच्छा अवसर भी था। हमने अनेक निर्णय लिए। सबसे पहले राजस्व संग्रहण जो हमारे प्रदेश में हो रहा था उसे मध्यप्रदेश विद्युत मंडल (मप्रविमं) को भेजना बंद कर दिया गया। इससे हमारे लिए तत्काल राजस्व इक्ठ्ठा हो गया। बोर्ड का संचालन आसान हुआ। इस दौरान केन्द्रीय मंत्रालय से भी समुचित सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इसके पीछे बड़ा कारण था कि अधिनियम का प्रावधान जिसके तहत छह माह तक हमें बोर्ड का गठन नहीं करना था। इसी कड़ी में एन.टी.पी.सी से छत्तीसगढ़ को 300 मेगावॉट राज्य के अंश के तौर पर आवंटित कराने में सफलता मिली, जिससे हम बिजली में आत्मनिर्भर हो गए और कहें तो यह तीन सौ मेगावॉट हमारे लिए सरप्लस था।

अपनी बिजली आप बचाकर, कर दो अपनों पर उपकार ।
सूझ बूझ से इसे जलायें, ज्ञानी हो तुम बनो समझदार ।।

सरप्लस बिजली से चलवाए उद्योग

एनटीपीसी ने विद्युत आवंटन के आदेश में यह शर्त रखी थी कि जो पॉवर छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल खर्च नहीं करेगा वह मप्रविमं को चला जाएगा। इसके लिए एक उपाय हम लोगों ने निकाला कि हमने दिल्ली को 300 मेगावॉट बिजली देना शुरू कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद पश्चिमी क्षेत्र विदयुत मंडल(WREB) ने यहाँ से दिल्ली को मिलने वाली बिजली काट दी। फिर इसका दूसरा उपाए निकाला गया। एनटीपीसी की बिजली एक रूपए पचास पैसे प्रति यूनिट थी और इधर प्रदेश में स्टील प्लांट बंद थे, इतना ही नहीं कुछ सीमेंट प्लांट तो डीजल जनरेटर (डीजी) सेट की मदद से चलाए जा रहे थे। इन स्थितियों का लाभ लेने का विचार आया और इस दिशा में कदम बढ़ाया गया।

डीजी जनरेटर हुए बंद और मिलने लगी सस्ती बिजली

हमने सभी ऐसे बड़े उपभोक्ताओं को बुलाकर चर्चा की और उन्हें सस्ती बिजली की उपलब्धता कराने पर उद्योगों को चालू कराने पर सहमत कर लिया । स्टील के साथ ही सीमेंट उद्योगों को डीजी सेट बंद कर सस्ती बिजली मुहैय्या कराई गई। इसके लिए तत्कालीन विद्युत मंडल के अध्यक्ष श्री एस के मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री जोगी से चर्चा की और ऐसे उच्चदाब उपभोक्ताओं को ₹2.80 प्रति यूनिट की दर से बिजली दिए जाने पर सहमत किया। यह वो दौर था जब औद्योगिक उपयोग के लिए बिजली की दर 3 रूपए 50 पैसे प्रति यूनिट थी। इस प्रयास का सबसे अच्छा परिणाम यह हुआ कि उद्योगों के डीजी सेट बंद हो गए और सारे उद्योगों में काम तेजी से शुरू हो गया। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि एनटीपीसी की डेढ़ रूपए की बिजली को हम अपना खर्चा आदि जोड़कर 2 रूपए 80 पैसे में बेच रहे थे इसमें भी हमें लाभ था। इससे मप्रविमं और मध्यप्रदेश शासन में खलबली मच गई कि 300 मेगावॉट जो मध्यप्रदेश को मिलता था वह बंद हो गया। इसके बाद वे इसकी शिकायत विद्युत मंत्रालय तक लेकर पहुँच गए।

इधर उद्योगों को सस्ती बिजली देने के निर्णय पर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी, बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी भी इस निर्णय को लेकर आशंकित थे, समाचार पत्रों में भी आलोचनाएं छप रहीं थीं। खैर, इसके लिए सभी पक्षों को अलग-अलग चर्चा कर सहमत किया गया और बाद में इसके अच्छे परिणाम जब आने लगे तो लोग अपने आप इस निर्णय को स्वीकार करने लगे।

शेड में शुरू हुए कार्यालय

श्री एस के मिश्रा जो पहले ही वित्त सचिव के दायित्व में थे अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे तब मुख्यमंत्री जी ने मुझे चेयरमैन का दायित्व सौंपा और श्री शरद चंद्र को तकनीकी सदस्य बनाया गया। हम बोर्ड को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार कुछ नए उपाए करने पर विचार करते रहते । चूंकि वो शुरूआती दिन थे, कार्यालय के लिए पर्याप्त भवन भी नहीं थे, बोर्ड का काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था और भवन बनाने में काफी समय लगता इसको देखते हुए कोरोगेटेड शीट से शेड तैयार किया गया जिससे काम जल्दी शुरू हो जाए। इस शेड में हमारा स्टाफ बैठने लगा और काम शुरू हुआ।



विद्युत मंडल गठन उपरांत मुख्यालय हेतु डंगनिया परिसर में तैयार किए गये शेड

**छत्तीसगढ़ में पहला लघु पन बिजली संयंत्र (0.2 मेगावॉट)
धमतरी के रूद्री बैराज में 1990 में स्थापित हुआ।**

चार महीने बाद से संचालित माना गया विद्युत मंडल

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और मप्रविमं जैसे कि पहले से ही हमारे बोर्ड के गठन से प्रसन्न नहीं थे और समय-समय पर कुछ अड़ंगे भी लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि छत्तीसगढ़ का विद्युत मंडल अप्रैल 2001 से संचालित माना जाएगा और जितना भी पैसा पहले एकत्र किया गया है वो मप्रविमं को वापस किया जाए। इस आदेश के मिलने के बाद पैसे को रोकने की जरूरत थी क्योंकि हमारी भी बहुत अधिक जिम्मेदारियां थी। ऐसे में मैंने उस पैसे को तत्काल ग्रेच्युटी पेंशन फंड बना दिया, उसमें कुछ और पैसे भी डाल दिए और कुछ पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को ड्यूटी के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया। ऐसा करने से मंडल के खाते में पैसा शून्य हो गया इस तरह करने से एमपीईबी को पैसा वापस करना नहीं पड़ा।

उधर ग्रिड फेल, इधर सड़क जाम

एक बड़ी और रोचक घटना इस मौके पर याद आती है। मप्रविमं ने अपने शेयर से अधिक बिजली ड्रॉ कर लिया जिसके कारण ग्रिड फेल हो गया। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, गुजरात, दमन दीव और गोवा सभी की बिजली बंद हो गई। मैं छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में चेयरमैन के साथ ही WREB के अध्यक्ष के भी दायित्व में था। पॉवर को तुरंत रिस्टोर किया जाए यह पहली प्राथमिकता थी। भिलाई स्थित लोड डिस्पेच सेंटर में लोग तत्काल सुधार कार्य में लग गए लेकिन मैं वहां स्वयं रहकर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाए रखना चाहता था। भिलाई के लिए अपनी कार से श्री शरतचंद्र के साथ निकला लेकिन रास्ते में ट्रक दुर्घटना के कारण लंबा जाम लग गया था। कार का आगे निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं था। ऐसे में मैंने एक राहगीर से निवेदन किया कि हमें वो भिलाई छोड़ दे। उसने मोटरसाइकिल से हमें भिलाई पहुंचाया और वहाँ पहुँच करके आगे विद्युत आपूर्ति बहाली तक हम डटे रहे। इस दौरान पूरे पश्चिम क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद रही। इस त्वरित कार्रवाई के लिए राज्य शासन ने मुझे सम्मानित भी किया।

तसल्ली देती हैं उपलब्धियाँ

मेरा कार्यकाल दो वर्ष का ही था जो बहुत लंबा न होते हुए भी उपलब्धियों से भरा रहा। मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली है कि मैं अपने विद्युत मंडल के लिए कुछ आधारभूत और जमीनी कार्य कर पाया। इसमें एनटीपीसी से 300 मेगावॉट बिजली का शेयर अपने हिस्से में प्राप्त करना, सरप्लस बिजली का उपयोग कर प्रदेश में औद्योगिक संस्थानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना जिससे रोजगार के साथ विद्युत मंडल का राजस्व बढ़ाने में सफलता मिले। नए विद्युत मंडल के कार्यालयों के लिए अनेक शेड निर्माण, वितरण अधोसंरचना का काम तेजी



से पूरा करना, मंडल के कर्मियों के लिए वेतन पुनरीक्षण करना, MPEB को पैसा न देना पड़े इसके लिए प्रोविडेंट ग्रेच्युटी फंड बनाया गया और इसके कारण छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल पेंशन देने में सक्षम हो पाया। छत्तीसगढ़ सरकार को अग्रिम विद्युत कर का भुगतान किया गया, बोर्ड के सारे अधोसंरचना के काम अपनी आमदनी से किए गए और वो भी बिना किसी लोन के, इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल पहला बोर्ड था जिसने बिना लोन लिए मंडल का काम जारी रखा। खास बात कि यह एकमात्र बोर्ड था जो लाभ में चल रहा था और जब मैं बोर्ड से निवृत्त हुआ तब सात सौ करोड़ की फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी) बोर्ड के पास थी।

ढाई दशक बीत रहे हैं उस बोर्ड को जिसमें शुरूआती दिनों में काम करने और बोर्ड का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला, बहुत खुशी होती है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि शून्य से शुरू हुआ हमारा बोर्ड आज लगातार आगे बढ़ रहा है। इसने कंपनी का रूप भले धारण कर लिया है पर बोर्ड के तौर पर जो आधार तैयार हुआ था वो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में रत है। मैं पॉवर कंपनी की नई पौध को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो कुछ अच्छा पुरानी पीढ़ी ने किया उसे आगे ले जाएं और जो शेष रह गया उसे बेहतर करने में अपने कौशल का प्रयोग कर राज्य को आगे बढ़ाने की पहल करें।

बिजली की करें हिफाजत जैसे नौनिहाल ।
बचेगी बिजली यदि यहाँ तो, जीवन होगा खुशहाल।।

सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ही बड़ी उपलब्धि

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ के अध्यक्ष का दायित्व सबसे लंबे समय तक निभाने वाले तथा प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री शिवराज सिंह अपने दीर्घ अनुभवों के साथ राज्य में विद्युत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से अपनी बातें रखते हैं। प्रबंधक (जनसंपर्क) विकास शर्मा से दूरभाष पर हुई लंबी बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।



शिवराज सिंह, आईएएस (से.नि.)
पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज

मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद आपको छत्तीसगढ़ राज्य आबंटित हुआ तो आप किस धारणा के साथ रायपुर पहुँचे थे ?

छ.ग. राज्य निर्माण के बाद केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा मुझे छत्तीसगढ़ कॉडर आबंटित किया गया। किन्तु रायपुर मेरे लिए नया नहीं था। मैं वर्ष 1978 से 1980 तक अपर कलेक्टर के रूप में रायपुर में काम कर चुका था और तभी से रायपुर के प्रायः-प्रायः सभी प्रमुख लोगों से मेरा सुखद परिचय था। इस कारण मुझे यहाँ आना काफ़ी अच्छा लगा। यह संयोग ही था कि जब मैं अपर कलेक्टर के तौर पर रायपुर में तैनात था तब अजीत जोगी जी मेरे कलेक्टर थे जिनसे मेरे एक ओर जहाँ व्यक्तिगत तौर पर मधुर ताल्लुकात थे, वहीं शासकीय कार्य संपादन के दौरान उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुख्यमंत्री बनने पर उनकी इच्छा थी कि मैं छत्तीसगढ़ जल्द लौट आऊँ, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने मुझे छः साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद ही छ.ग. के लिए भारमुक्त किया। उस समय केन्द्र में स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और मुझे वहाँ कुछ विशेष दायित्व दिये गये थे। इस कारण राज्य निर्माण के तीन साल पश्चात सितंबर 2003 में मैंने छ.ग. राज्य में पदभार ग्रहण किया।

अध्यक्ष के तौर पर अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल आपका रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं ?

मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष के पद पर काम करने के लिए काफ़ी लंबा कार्यकाल मिला। वास्तव में मेरे शासकीय कार्यकालों से संबंधित कुछ सुखद संयोग जुड़े हैं। सामान्यतः विद्युत मंडल/स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष का कार्यकाल 3-5 वर्ष का होता है। किन्तु राज्य सरकार ने मेरी कार्यशैली पर विश्वास करते हुए मुझे छ.ग. स्टेट पॉवर कम्पनीज के अध्यक्ष पद पर कार्य करने के लिए लगभग 7 वर्ष का समय दिया जो असामान्य स्थिति है। सच्चाई तो यह है कि न केवल छत्तीसगढ़ राज्य में बल्कि वर्ष 1950 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के गठन के बाद से मेरा कार्यकाल अब तक का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल' रहा है। इसी प्रकार मुझे ग्वालियर ज़िले के कलेक्टर पद पर 1983-88 तक लगातार पाँच वर्ष तक का कार्यकाल प्राप्त हुआ था जो किसी भी एक जिले में कलेक्टर के रूप में पदस्थ रहने का एक अभूतपूर्व कार्यकाल था।

(मप्रविमं में स्व. एस एन मेहता 01.10.1957 से 24.04.1968 तक अध्यक्ष रहे जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है)

कोरबा में 1957 में संयुक्त मप्र के पहले बड़े (100 मेवॉ) ताप विद्युत गृह का शिलान्यास हुआ।

स्टेट पावर कम्पनीज के अध्यक्षीय कार्यकाल में आपको किन बातों का संतोष होता है?

दिसंबर 2003 में डॉ रमन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार ने कार्यभार संभाला था। उस समय विद्युत उत्पादन,विद्युत पारेषण तथा विद्युत वितरण की अधोसंरचना की भारी कमी थी। यद्यपि अधोसंरचना निर्माण के कार्य प्रारंभ हो चुके थे किन्तु उनकी गति धीमी थी। अधोसंरचना निर्माण के कामों में, विशेष रूप से बड़े कामों में, परिणाम आने में समय लगता है। किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तथा प्रगति का वहां होने वाली ऊर्जा खपत की मात्रा को एक प्रमुख मानदंड माना जाता है। इस संबंध में यह कहा भी जाता है- "इकोनॉमी रन्स ऑन व्हील्स एंड व्हील्स रन आन इनर्जी (अर्थव्यवस्था, पहियों पर दौड़ती है और पहिए ऊर्जा से चलते हैं।" इसलिए प्रदेश के प्रत्येक ग्राम तक यथासंभव शीघ्र सतत, गुणवत्तापूर्ण और वहनीय ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एक प्रमुख लक्ष्य था।

अधूरे संयंत्रों का काम हुआ पूरा

जब मैंने वर्ष 2012 में काम संभाला तो विद्युत संयंत्रों की दो परियोजनाएँ- कोरबा पश्चिम की निर्माणाधीन 500 मेगावॉट की इकाई तथा जांजगीर- चांपा जिले में मड़वा की 500 मेगावॉट की दो इकाइयां- पूर्ण नहीं हुईं थीं। इसलिए मैंने इन परियोजनाओं को पूर्ण करने पर सर्वाधिक ध्यान दिया। पॉवर जनरेशन कंपनी के अधिकारियों की टीम ने दिन-रात काम किया और कोरबा पश्चिम की 500 मेगावाट की इकाई का मध्य- अक्टूबर 2013 में पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा लोकार्पण किया गया। इससे प्रदेश विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में आ गया। मड़वा (जांजगीर-चांपा) की 1000 मेगावॉट की परियोजना के निर्माण का काम यद्यपि वर्ष 2008 में प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु जमीन की अनुपलब्धता के कारण काम पूरा होने में विलंब हो रहा था। इस कारण परियोजना को पूर्ण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ था। निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं का तत्परता से निराकरण करते हुए इस परियोजना को भी पूर्ण किया गया जिससे प्रदेश ऊर्जा उत्पादन में सरप्लस राज्य बन गया। इसके फलस्वरूप हमने अपनी विद्युत आवश्यकता की आपूर्ति करने के साथ-साथ तेलंगाना राज्य की विद्युत आपूर्ति में भी सहयोग दिया। मेरे द्वारा अध्यक्ष का काम सँभालते समय प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर सरगुजा क्षेत्र के वाड्रफनगर, कोरिया के उन क्षेत्रों जहाँ मध्यप्रदेश से विद्युत पारेषण एवं वितरण होता था, बस्तर के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर आदि दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत पारेषण तथा वितरण अधोसंरचना या तो नगण्य थी या अत्यधिक कमज़ोर थी। राज्य के इन सुदूर क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता होने के बावजूद आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा था।

मुख्यमंत्री के विश्वास ने दी ताकत

संयोग से उसी समय देश में विद्युत वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार की कई योजनाएं आ गईं जिनमें प्रमुख योजना विद्युत वितरण कंपनियों को पुराने कर्जों से मुक्त करके उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की थी। इस योजना के तहत सीएसपीडीसीएल के ओवरड्यू क़र्ज़ राज्य सरकार द्वारा वहन कर लिए गए और वितरण कंपनी अधोसंरचना निर्माण के लिए पुनः संसाधन जुटाने हेतु सक्षम हो गई। समयबद्ध तरीक़े से लक्ष्य प्राप्ति हेतु वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ योग्य व अनुभवी मानव संसाधनों का होना भी ज़रूरी होता है। इस मामले में मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं को समयबद्ध तरीक़े से पूरा करने के लक्ष्य के साथ-साथ मुझे अपनी टीम का चयन करने की छूट प्रदान कर दी।मेरे अनुरोध पर ही वितरण कंपनी के लिए श्री अंकित आनंद, जनरेशन कंपनी के लिए श्री एस बी अग्रवाल एवं पारेषण कंपनी के लिए श्री विजय सिंह के रूप में कर्तव्यनिष्ठ, ऊर्जावान और अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इन कर्मठ अधिकारियों ने अपनी-अपनी टीम के साथ मिलकर दिन-रात अबाध गति से काम कर अभूतपूर्व लक्ष्यों को प्राप्त किया। मुझे सर्वाधिक ख़ुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास किया, हमें अपने ढंग से कार्य करने की छूट दी और पैसे की कमी नहीं होने दी जिससे हम परियोजनाओं का काम निरंतर चलाते रहे। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही कोरबा और मड़वा के विद्युत उत्पादन प्लांट्स के लिए ली गई किसानों की जमीन के बदले विस्थापित परिवारों को रोज़गार की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सकी। मुझे याद है कि भू-विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के हर एक मामले को मैं स्वयं ही देखता था।

गाँव-गाँव में बिजली पहुंची, घर-घर हुआ ऊजाला ।
हर हाथ को काम मिला, हर मुँह को निवाला ।।

पॉवर कंपनी के अध्यक्ष के तौर पर किसी नीतिगत मामले में आपने मुख्यमंत्री जी के सलाहकार की भूमिका का उपयोग किया हो?

इस संबंध में पावर कंपनीज के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण से जुड़ा एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग याद आता है। असल में मेरे कार्यकाल के दौरान भी मध्यप्रदेश के समय से चली आ रही पंचवर्षीय वेतन पुनरीक्षण व्यवस्था प्रचलित थी जिसे केंद्रीय वेतनमानों के अनुरूप दस वर्षीय पुनरीक्षण प्रणाली से बदला जाना था। इस बदलाव हेतु तैयार किए गए प्रस्ताव में पॉवर कंपनीज के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की परिउपलब्धियां राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक हो रही थीं और राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि वेतनमान पुनरीक्षण के ऐसे प्रस्ताव को मंज़ूरी दी जाए या नहीं। इस मामले में हमने मुख्यमंत्री जी तथा ऊर्जा व वित्त विभाग के मंत्रालयीन अधिकारियों के समक्ष यह तर्क रखा कि ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों की विशेष परिस्थितियाँ यथा, संपूर्ण सेवाकाल के दौरान ड्यूटी हेतु 24 घंटे उपलब्ध रहना और वर्षा, आंधी, तूफ़ान आदि के समय जोखिम भरी ड्यूटी निभाना, आदि के कारण उन्हें वेतनमान के मामले में भी अलग दर्जा दिया जाना आवश्यक है। यह तथ्य भी सबके सामने रखा गया कि इन्हीं कारणों से ऊर्जा क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के वेतनमान भी अलग व बेहतर होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी पहलुओं व बातों को सुना और स्टेट पॉवर कंपनीज के पंचवर्षीय पुनरीक्षण वाली व्यवस्था को केन्द्रीय वेतनमानों की तर्ज़ पर दस वर्षीय वेतन व्यवस्था में बदलने तथा वेतनमानों के पुनरीक्षण प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में आप कितनी संभावना देखते हैं?

मेरा मानना है कि राज्य में सौर ऊर्जा की अच्छी संभावनाएँ है। विशेषकर छोटे संयंत्रों के माध्यम से उत्पादन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सरकार की रूफ टॉप योजना बहुत ही उपयोगी है। इसका अनूठा पहलू यह है कि एक कमरे वाले घर में भी इसको लगाया जा सकता है, इतना ही नहीं खेतों में ऐसे छोटे संयंत्र लगाकर सिंचाई की आवश्यकता पूरी करने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर आमदनी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में सोलर पैनल भी बेहतर गुणवत्ता वाले आ गए हैं। अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना चल रही है, जो एक क्रांतिकारी योजना साबित हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में बड़े संयंत्रों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हैं। प्रदेश का 45 प्रतिशत के लगभग भूभाग वनाच्छादित है, 10 प्रतिशत भू-भाग राजस्व वनों में शामिल है और फिर नदी-नालों, पहाड़ एवं खनन क्षेत्र भी काफ़ी अधिक हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश का लगभग 35 प्रतिशत भू-भाग ही कृषि योग्य है जिसे खेती के लिए ही उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सोलर की संभावना छोटे संयंत्रों के माध्यम से अधिक है न कि बड़े संयंत्रों से। हाँ, एकदम कृषि के अयोग्य पड़त भूमि का उपयोग अवश्य इस कार्य हेतु हो सकता है। इसमें एक बात यह भी है कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बदलाव के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी आ रही हैं। ऐसे में संभव है कि अगले दस वर्षों में सौर ऊर्जा की कीमत बहुत कम या आधी हो जाए।

पॉवर सेक्टर के बदलते दौर के साथ हमारा मानव संसाधन कितना तैयार नजर आता है?

पॉवर कंपनीज में वर्ष 2028 तक मानव संसाधन के लिहाज से बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। कारण कि तब तक सभी वरिष्ठ लोग सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। असल में एकीकृत मध्य प्रदेश के समय वर्ष 1991-92 के बाद कोई नई भर्तियाँ ही नहीं हुईं। अच्छे मैनेजमेंट के लिए यह एक अनिवार्यता होती है कि कम मात्रा में ही सही, प्रतिवर्ष नई नियुक्तियाँ होती रहे। हमने मानव संसाधन की इस संभावित कमी की यथासंभव पूर्ति करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में सही अन्तरालों पर नई भर्तियाँ कीं हैं जिनके कारण मानव संसाधनों की कमी का प्रबंधन किया जा सकेगा। किसी भी संस्थान में कार्य की गुणवत्ता वहाँ की कार्य संस्कृति पर निर्भर रहती है। इसमें कार्मिकों का सही कॉडर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य संस्कृति के लिहाज से देश में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का नाम काफी अच्छा रहा है और वही परंपरा छत्तीसगढ़ में भी चली आ रही है। मुझे विश्वास है कि विरासत में मिली इस अच्छी कार्य संस्कृति की निरंतरता बनी रहेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे नए बदलावों के साथ अद्यतन रहना और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आपको तैयार रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कंपनी प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि ऊर्जा क्षेत्र के राष्ट्रीय संस्थानों में अपने लोगों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करे ताकि प्रौद्योगिकी के बदलाव के साथ नए ऊर्जा के स्रोतों और उसकी प्रौद्योगिकी के बारे में कम्पनीज के अधिकारी अपने आप को तैयार रख सकें।

देश का पहला बड़ा ताप विदयुत संयंत्र 22.5 मेवॉ, हुसैन सागर, हैदराबाद, 1920 में स्थापित हुआ।

एचटीपीएस कोरबा में कोयला आपूर्ति के लिए कुसमुंडा से कोरबा 14.5 किलोमीटर लम्बे कन्वेयर बेल्ट का विहंगम दृश्य

चुनौतियों के बीच हुआ विद्युत मंडल का गठन



शरत चंद्र
पूर्व सदस्य (पारेषण एवं वितरण)
एवं सचिव छ.ग. विद्युत नियामक आयोग

बड़ी उम्मीदों और अपेक्षा के बीच मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। राज्य निर्माण के बाद विकास की सबसे बड़ी और प्राथमिक जरूरत विद्युत (बिजली) पर नियंत्रण को लेकर उहापोह की स्थिति बनी। वैसे तो मध्यप्रदेश पुनर्गठन की अधिसूचना में एक वर्ष तक विद्युत संबंधी कामकाज के लिए मध्यप्रदेश के नियमों से संचालित करने की बात कही गई थी पर नियंत्रण तथा अलग विद्युत मंडल का निर्णय छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को लेना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने इस मामले में त्वरित निर्णय लेने का मन बनाया और वैधानिक पक्षों की जानकारी प्राप्त कर तत्काल पृथक विद्युत मंडल का गठन करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक पेज की अधिसूचना जारी कर 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन कर दिया गया। जिसका मुख्यालय रायपुर में रखने का निर्णय लिया गया। तत्कालीन वित्त सचिव श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा को मंडल के पहले अध्यक्ष का काम सौंपा गया। वे प्रदेश के पहले बजट की तैयारियों में भी व्यस्त थे बावजूद इसके उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभवों से प्रारंभिक अड़चनों से निपटने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा श्री गोपाल तिवारी को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई जो पहले कार्यपालक निदेशक के पद पर भोपाल में पदस्थ थे। इसी क्रम में मुझे मंडल के सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया।

न्यायालयीन विवादों में उलझा विद्युत मंडल का गठन

मंडल ने गठन के साथ ही तेज गति से काम शुरू किया लेकिन मप्रविमं ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (छगराविमं) के गठन को मान्यता नहीं दी, और इस गठन का ही विरोध किया। मप्रविमं ने इस विवाद को न्यायालय में चुनौती दी। यह हमारे लिए पहली बड़ी चुनौती थी। मामला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में पहुँचा। इन कानूनी पेचिदगियों के बीच संसाधनहीन विदयुत मंडल के लिए उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाने के साथ आर्थिक चुनौतियाँ भी सामने खड़ी हो गई थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ ने अपने हिस्से का राजस्व जबलपुर मुख्यालय को भेजना बंद कर दिया। इस मामले को भी मप्रविमं ने न्यायालय में चुनौती दी। इन सभी न्यायालयीन प्रक्रियाओं में हमारा काफी समय नष्ट हुआ और आर्थिक क्षति भी हुई। चुनौतियों के बीच अध्यक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे श्री मिश्रा ने बड़ी कुशलता से मंडल को शुरूआती समस्याओं से उबारा। वहीं प्रदेश के वित्त विभाग की महती जिम्मेदारी के कारण उन्होंने आगे अध्यक्ष का दायित्व न संभालने का फैसला लिया। श्री मिश्रा के बाद श्री गोपाल तिवारी को शासन ने अध्यक्ष



सीएसईबी गठन के बाद पहला मंडल मुख्यालय, गुढ़ियारी गेस्ट हाउस

नियुक्त किया जिनके पास सदस्य पारेषण एवं वितरण का अतिरिक्त दायित्व भी था। कुछ समय बाद सदस्य (टीएंडडी) का दायित्व मुझे सौंपा गया और सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी। प्रारंभिक दिनों में कई मोर्चों पर चुनौतियाँ थी। इनमें से एक नए मुख्यालय का संचालन जिसके लिए भवन, स्टॉफ तथा फर्नीचर की तत्काल आवश्यकता थी। एक ओर जहाँ राजधानी के अनुकूल भवनों का टोटा था वहीं विदयुत मंडल मुख्यालय के लिए हमारे पास कोई ऐसा भवन नहीं था जिसमें मुख्यालय (मंडल का केन्द्रीय कार्यालय) की जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रारंभिक दिनों में गुढ़ियारी के विश्राम भवन से ही मुख्यालय संचालित किया गया। वहाँ भी किराए के प्लास्टिक के कुर्सी टेबल से काम चलाया गया। बाद में डंगनिया के अधीक्षण एवं कार्यपालन यंत्री सिविल के कार्यालयों को किराए के भवनों में स्थानांतरित किया गया और फिर डंगनिया में केन्द्रीय कार्यालय की शुरूआत हुई। साथ ही साथ खाली पड़े स्थानों पर शेड निर्माण कर कुछ कार्यालय शुरू किए गए और कुछ को आसपास के किराए के भवनों से संचालित किया गया।



सेवा भवन के पूर्व डंगनिया स्थित इस भवन से संचालित हुआ विद्युत मंडल

उपेक्षा के दंश और अपेक्षाओं का भार

हमारे सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी लोगों को बेहतर और संतोषजनक विद्युत सेवा उपलब्ध कराई जाए क्योंकि मप्रविमं के दौर में यहाँ के उपभोक्ता, विद्युत सुविधाओं से बहुत अधिक वंचित थे। एमपीईबी के दौर में बहुत अधिक विद्युत कटौती और अधिक विदयुत दर के कारण स्थानीय उद्योग लगभग बंद ही होते जा रहे थे। छत्तीसगढ़ जो पहले बड़ी उपेक्षा झेल रहा था उसे अब उसका हक मिलना भी चाहिए था। उत्पादन से लेकर राजस्व तक छत्तीसगढ़ अव्वल था पर सुविधा सिफर थीं । इससे आम लोगों और उद्योगों में काफी आक्रोश था। मंडल के गठन के बाद हमें इस दिशा में प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता थी। विद्युत व्यवस्था और वह भी गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत की आपूर्ति आम उपभोक्ता से लेकर उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता थी। कई उद्योगों में ताले सिर्फ अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण लग चुके थे।

बहाल हुई निर्बाध बिजली आपूर्ति और बढ़ा राजस्व

तीसरी चुनौती हमारे सामने लचर विद्युत अधोसंरचना की थी। हमने सबसे पहले इसी दिशा में तेजी से काम शुरू किया। बिना विद्युत लाइनों और उपकेन्द्रों के निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित कर पाना संभव ही नहीं था। बहुत सारी योजनाओं पर एक साथ काम शुरू हुआ। हमारे पक्ष में एक बात थी कि अब छत्तीसगढ़ का पूरा राजस्व, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के पास आ रहा था ऐसे में नई विद्युत लाइनों तथा नए उपकेन्द्रों का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। वह वो दौर था जब मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी आए दिन नए उपकेन्द्र का या तो भूमिपूजन कर रहे होते या लोकार्पण। विद्युत की आँख मिचौली कम होने लगी और उद्योगों को निर्बाध बिजली, वह भी सस्ते में मिलने लगी इसका बड़ा सकारात्मक असर हुआ। उपभोक्ताओं में संतोष के साथ मंडल को अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होने लगी। उल्लेखनीय बात यह है कि सरप्लस बिजली का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया और शायद ही कहीं देश में विद्युत की दरें कभी कम की गई हो, जो उस दौर में छत्तीसगढ़ में हुआ। यह इस समय की एक बड़ी घटना थी। इससे उद्योगों में 24 घंटे काम शुरू हो गया और इससे स्वाभाविक रूप से उद्योगों की बिजली की खपत बढ़ने लगी और मंडल के लिए राजस्व में इजाफा हुआ। बड़ी खपत के बावजूद मंडल के पास अतिरिक्त बिजली (सरप्लस पॉवर) रहने लगी जिसे अन्य जरूरतमंद राज्यों को बेचा गया। बंद उद्योगों के शुरू होने से एमपीईबी के दौर से उनपर बकाया राशि भी हमें मिलनी शुरू हो गई जिससे हमारा राजस्व भी बढ़ा।

सीएसईबी 15 नवंबर 2000 को हुआ गठित
मंडल का कार्यारंभ 1 दिसंबर 2000 को हुआ।

मंडल के लाभ से विद्युत कर्मियों को भी लाभ हुआ। वेतन आयोग का गठन कर बेहतर वेतनमान, नई सुविधाओं तथा पदोन्नति आदि तेजी से होने लगे। आवासों की स्थिति अच्छी नहीं थी जिस दिशा में तत्काल कार्य किया गया। भवनों तथा कार्यालयों के रखरखाव के काम तेजी से किए गए। कुल मिलाकर नए विदयुत मंडल से जहाँ एक ओर पूरे राज्य के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी थीं वहीं अपने कर्मी और कर्मचारी संगठन भी बड़ी अपेक्षा से निहार रहे थे। इन अपेक्षाओं की पूर्ति निश्चित ही बड़ी चुनौती थी पर समन्वय के साथ इन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए मंडल आगे बढ़ता रहा।

सुबह आए थे नौकरी में, अचानक हो गए सेवानिवृत्त

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में ही प्रावधान था कि मप्रविमं के स्टॉफ का बंटवारा भी उसी अनुपात में होगा जैसे अन्य संसाधनों का हो। इसमें यह भी प्रावधान था कि नए विद्युत मंडल के बनने के बाद भी स्टॉफ पर प्रशासनिक नियंत्रण एक वर्ष तक मप्रविमं का होगा। बंटवारे के समय मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष थी और बाद में मप्रविमं ने इसे किसी कारण से 58 वर्ष कर दिया और इसका सीधा असर हुआ छत्तीसगढ़ के स्टॉफ पर। प्रशासनिक नियंत्रण होने के कारण उनका नियम हमारे यहाँ भी लागू कर दिया गया। बाकायदा मप्रविमं ने इसके लिए आदेश निकाल दिया। एक ही दिन में बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसका विरोध अभियंता संघ ने किया और मामला बिलासपुर उच्च न्यायालय में पहुँचा। उच्च न्यायालय ने फौरी राहत देते हुए मामले पर स्थगन दे दिया। परिणामस्वरूप तत्कालीन अध्यक्ष श्री गोपाल तिवारी समेत कई अधिकारी मंडल की सेवा से निवृत्त होने से बच गए नहीं तो विद्युत मंडल को बड़ा झटका होता। खैर, लगभग पौने दो वर्ष के बाद उच्च न्यायालय ने स्थगन हटा दिया। इससे फरवरी 2002 में एकाएक तब के बहुत से अधिकारी और कर्मचारी एक साथ सेवानिवृत हो गए।

रिटायर्ड चीफ इंजीनियरों की भी सेवा ली गई

प्रारंभिक दिनों में जब मुख्यमंत्री जहाँ जाते वहाँ नई विद्युत लाइनों तथा उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए मांग होती थी। और वे भी तत्काल इस मांग को पूरा करने का आदेश देते जाते। इसका सबसे बड़ा दबाव हम लोगों पर था क्योंकि जिस समय एक साथ अधिकारियों की सेवा निवृत्ति हुई हमारे पास अधिकारी नहीं थे। हमें 12 मुख्य अभियंता की आवश्यता थी जिससे पूरे प्रदेश के लोगों की बिजली की मांग पूरी हो सके। नए उपकेन्द्र बनाने, लाइन बिछाने निविदा आदि करने की पूरी प्रक्रिया को तेज गति से करने के लिए अनुभवी मुख्यअभियंता की कमी हो गई। ऐसे में हमने मप्रविमं और छत्तीसगढ़ के सेवा निवृत्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों की सेवा भी ली। काम अधिक था और मानव संसाधन की कमी थी, इतना ही नहीं ठेकेदार भी उस समय यहाँ नहीं थे जो बड़े काम तत्काल पूरा करते जाए।

छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में लगभग ढाई वर्ष तक सेवा देने का जो अवसर मिला वह करियर के अंतिम समय को अधिक सक्रिय और सीख देने वाला साबित हुआ। जीवन के इस पड़ाव में जब व्यक्ति थोड़ा थक सा जाता है यहाँ अधिक काम करने और सीखने का मौका दे गया। उस दौर में काम करना उत्साह से भरने वाला था, भले ही संसाधनों की कमी थी पर पूरा विदयुत मंडल मानों एक मिशन मोड में कार्य कर रहा था फिर चाहे अभियंता हों, तकनीकी कर्मचारी हो या अन्य कार्यालयीन कर्मी सभी अपने कार्य को समर्पण से करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि यहाँ के अनुभव ने मुझे सेवा निवृत्ति के बाद भी सक्रिय रखा। छत्तीसगढ़ में विदयुत अधिनियम- 2003 के तहत गठित राज्य विद्युत नियामक आयोग में मुझे सदस्य के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। मुझे विश्वास है कि जिस विद्युत मंडल से विदा हुआ हूँ वहाँ कि नई पीढ़ी अधिक ऊर्जा और अपनेपन के साथ वर्तमान विद्युत कंपनी की सेवा में रत होगी। विद्युत मंडल (पॉवर कंपनी) के पच्चीसवें वर्ष के इस पड़ाव पर सभी को मेरी अशेष शुभकामनाएं।



राजिम कुम्भ कल्प के दौरान रोशनी से जगमग संगम तट का विहंगम दृश्य

गौरव का भाव जगाते हैं हमारे अतीत के संघर्ष



बी के शर्मा
पूर्व सदस्य छगराविमं एवं
पूर्व सदस्य, छगराविनिआ

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन के प्रारंभिक दिनों की चुनौतियाँ भी बड़ी सीख लेकर आई। 1969 में मप्रविमं में सेवा प्रारंभ करने के बाद अतीत की बहुत सी बातों से सीखते रहे वहीं मैदानी स्तर पर काम करने के दौरान नए अनुभव भी हुए। हमें गर्व होना ही चाहिए कि हमारे वरिष्ठ लोगों ने नवाचार को सदैव अपनाया और विद्युत जैसी आवश्यक सेवा और सुविधा को निर्बाध और लगातार गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास किया।

लकड़ी के पोल और सिजनिंग प्लांट

अतीत के संघर्षों से सीखना ही हमारी प्रगति का आधार तैयार करती है। मप्रविमं के दौर में पचास- साठ के दशक के दिनों से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद तक के कालखण्ड का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से साक्षी होने का अनुभव मुझे गौरव से भर देता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अस्सी के दशक की शुरूआत तक भी लकड़ी के खंभों का उपयोग एलटी लाइनों के विस्तार के लिए किए जाते थे। सस्ते होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लकड़ी के पोल का उपयोग होता रहा, चूंकि ये दस पंद्रह वर्षों में खराब हो जाया करते थे इसलिए बाद के दिनों में इसके स्थान पर स्टील (लोहे) के खंभों का उपयोग शुरू हुआ पर इसकी लागत अधिक होने के कारण फिर कंक्रिट (पीसीसी-प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कांक्रीट) पोल का प्रचलन बढ़ा।

विद्युत पोल के संबंध में ध्यान आता है कि छत्तीसगढ़ में वनों की उपलब्धता के कारण यहाँ तो बाकायदा विद्युत पोल तैयार करने के लिए वन विभाग द्वारा संयंत्र भी स्थापित किए गए थे। खंभो को तैयार करने के लिए इन लकड़ियों की सिजनिंग की जाती थी। सिजनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी के खंभों को एक बेलनाकार लोहे के ड्रम में डालकर भाप दिया जाता है जिससे लकड़ी में मौजूद नमी अंदर से समाप्त हो जाए और बिजली का खंभा लंबे समय तक सड़ने, दीमक या अन्य कीटों के प्रकोपों से बचा रहे।

रायपुर से बिलासपुर का 33 केव्ही लाइन

1951 में जब रायपुर में 4 मेगावॉट ताप विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ उस दौर में बिलासपुर में भी बिजली का उत्पादन हो रहा था पर उसकी क्षमता एक मेगावॉट से भी कम थी। इस बीच छत्तीसगढ़ में मप्रविमं के पहले ताप विद्युत केन्द्र की शुरूआत रायपुर में हुई। इसके बाद ही प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए 1951-52 में रायपुर से बिलासपुर तक 33 केव्ही उच्चदाब विद्युत लाइन बिछाई गई। इस कार्य को पूरा करने वाले तत्कालीन सहायक अभियंता स्व.रमा शंकर मेहता थे जो बाद में रायपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता हुए (1975-78) और उनके दौर में मुझे रायपुर में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। बाद में श्री मेहता मप्रविमं के सदस्य भी हुए।

तांबे के तार और एलटी लाइन

आज लाखों किलोमीटर की निम्न एवं उच्चदाब लाइनें हैं , इन लाइनों में एल्यूमिनियम के तार उपयोग में लाए जाते हैं। जबकि छह दशक पहले तक शहरों में तांबे के तार (कॉपर वॉयर) का उपयोग किया जाता था। ये तार चूंकि काफी महंगे होते थे और खुले में रहने के कारण इसमें बहुत जल्द आक्सीडेशन हो जाया करता था। लोड बढ़ने पर तार के टूटने का बड़ा कारण यह कॉपर का आक्सीडेशन होता था। ऐसे में बार-बार टूटने और काफी महंगी होने के कारण तांबे के सस्ते और मजबूत विकल्प की तलाश की गई। एल्यूमिनियम का तार इसमें सबसे बेहतर विकल्प साबित हुआ।

**छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियों का गठन 19.12.2008 को हुआ,
और 1 जनवरी 2009 को पाँच कंपनियों का कार्यारंभ ।**

ब्राडमा मशीन से बिलिंग

1960 के दशक में कैल्कुलेटर का उपयोग कार्यालयों में शुरू नहीं हुआ था फिर 1970 के बाद महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कैल्कुलेटर उपलब्ध कराए जाने लगे। उस दौर तक बिजली के बिलों की गणना के लिए मेकेनिकल ब्राडमा मशीन का उपयोग किया जा रहा था। यह मेकेनिकल कैल्कुलेटर, टाइपराइटर के आकार का होता था जो एक प्रकार से आवश्यक गणना के लिए सक्षम होता था। रायपुर शहर संभाग में इस प्रकार की मशीन उपयोग में लाई गई थी।



(सांकेतिक ब्राडमा मशीन)

राजकुमार कालेज से खरीदी जमीन

जब छगराविमं का गठन हुआ तब सबसे पहले गुढ़ियारी के विश्राम भवन से मुख्यालय संचालित हुआ। यह वो गुढियारी है जहाँ प्रदेश के पहले ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। इसके लिए तब लगभग 13 एकड़ भूखण्ड तत्कालीन आबकारी विभाग से खरीदा गया था चूंकि रेल पांत बिछाने, कोयला भंडारण, आवास आदि के लिए यह हिस्सा पर्याप्त नहीं हो रहा था तब आसपास के और बड़े हिस्से की खरीदी भी की गई। इसी प्रकार आज डंगनिया क्षेत्र में जहाँ हमारा पॉवर कंपनी मुख्यालय है उसे राजकुमार कालेज प्रबंधन से 1978 में खरीदा गया था। लगभग 21 एकड़ के इस भूखण्ड की रजिस्ट्री के लिए मप्रविमं के तत्कालीन सचिव स्वयं आए थे। आज यह सभी भूखण्ड पॉवर कंपनी को अलग पहचान दिलाते हैं और इनमें विद्युत विकास का अतीत विरासत बनकर मौजूद है।

छिन गया बिजली की दर तय करने का अधिकार

छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग की भूमिका एक निष्पक्ष नियामक की रही है। पूर्व में बिजली की दर का निर्धारण राज्य विद्युत मंडल तय किया करते थे, इसके लिए भी एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन होता था पर तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं होती थी। पर नियामक आयोग के गठन के बाद दर निर्धारण में तीसरे पक्ष के तौर पर आयोग भूमिका निभाता है। वो जनसुनवाई करता है साथ ही विद्युत कंपनी अपने खर्चों एवं विस्तार आदि के अनुमान के मुताबिक नई दर का प्रस्ताव करता है और आयोग गुणदोष के आधार पर वृद्धि की अनुमति प्रदान करता है।

बिजली देवय अब्बड़ सुख ।
लपरवाही म मिलही दुख ।।

अनेक संभावनाएं समेटे है बोधघाट परियोजना



एस पी चतुर्वेदी
पूर्व सदस्य (उत्पादन) एवं
प्रबंध निदेशक (जनरेशन)

छत्तीसगढ़ विदयुत मंडल में सदस्य (उत्पादन) तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में प्रबंध निदेशक (जनरेशन) के तौर पर सबसे लंबे समय तक दायित्व निर्वहन करने वाले श्री एस पी चतुर्वेदी विद्युत क्षेत्र में प्रदेश को बहुत मजबूत स्थिति में देखते हैं। वे ताप विद्युत के बाद अब सौर और पन बिजली के क्षेत्र में अधिक कार्य किए जाने पर बल भी देते हैं। प्रबंधक (जनसंपर्क) विकास शर्मा के साथ हुई लंबी बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन के दौरान विद्युत उत्पादन की क्या स्थिति थी ?

राज्य निर्माण के दौरान हमारी वितरण और उत्पादन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पहली चुनौती थी कि वितरण नेटवर्क को विस्तारित और सुदृण किया जाए साथ ही उत्पादन के मामले में स्वावलंबन की दिशा में बढ़ा जाए। असल में राज्य बनने के बाद से जनापेक्षाएं बढ़ गईं थीं। काम को तेज गति से करने की योजना बनने लगी। पारेषण और वितरण नेटवर्क पर काम शुरू हुआ। इसी बीच उत्पादन में भी बढ़ती मांग के अनुरूप तैयार होने की जिम्मेदारी थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए नए संयंत्र की स्थापना में समय और बड़ी राशि की आवश्यकता होती ऐसे में तात्कालिक समाधान के लिए मंडल ने अपने पुराने संयंत्रों का नवीनीकरण कर क्षमता वृद्धि करने का निर्णय लिया।

असल में 1966 -67 में शुरू किए गए कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक दो की 50 मेवॉ की चार इकाइयाँ 10-10 मेवॉ कम क्षमता से चल रहीं थीं उसी प्रकार विद्युत गृह क्रमांक तीन जिसकी 120 मेवॉ की दोनों इकाइयाँ लगभग 90 मेवॉ में चल रहीं थीं का नवीनीकरण का कार्य शुरू किया गया। यह नवीनीकरण अपने संसाधनों से किया गया और बिना किसी ऋण के इस काम को अंजाम दिया गया। इस कार्य में प्रारंभ से जुड़े रहने का मौका मिला, पहले पेपर वर्क और बाद में इसके परिपालन में निरंतर लगा रहा। इसका काम वर्ष 2002 में शुरू हुआ और वर्ष 2005 में जब यह कार्य पूर्ण हुआ तो हमें लगभग 100 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली मिलने लगी।

उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी का क्रम

इसी दौरान विद्युत गृह क्रमांक एक जिसपर पहले 100 मेगावॉट का संयंत्र स्थापित था को स्क्रैप कर दिया गया और 2004 में 250 मेवॉ की दो इकाई की स्थापना का काम शुरू हुआ। 2007 में यह संयंत्र क्रियाशील भी हो गया। इसे डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर समर्पित किया गया, जो देश के पहले उद्योग मंत्री रहे। सरगुजा और बस्तर में ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया गया। बिश्रामपुर में 220 केव्ही के उपकेन्द्र के अतिरिक्त इस क्षेत्र में 132 केव्ही की लाइनों और उपकेन्द्रों की स्थापना भी की गई। एनटीपीसी के पॉवर स्टेशन से हिस्सेदारी मिलने लगी। इससे हम जरूरतों की पूर्ति कर पाने में सफल हुए। इसके अलावा आने वाले दिनों के लिए तैयार भी होना था। जांजगीर –चांपा जिले के मड़वा में 500 मेवॉ की दो इकाई तथा 500 मेवॉ की एक इकाई कोरबा पश्चिम विस्तार योजना लाने का निर्णय हुआ। कोरबा पश्चिम विस्तार का कार्य 2009 में शुरू हुआ और 2013 में संयंत्र क्रियाशील भी हो गया, जबकि मड़वा का कार्य तकनीकी बाधाओं के कारण धीरे – धीरे बढ़ा और वर्ष 2016 में यह क्रियाशील हो पाया।

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की स्थिति काफी बेहतर हुई है और राज्य निर्माण के समय से आज की तुलना करेंगे तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। उत्पादन के अलावा विद्युत वितरण अधोसंरचना के काम इतने मजबूत हुए हैं कि देश के कई राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति आज बहुत

पाँच पॉवर कंपनियों में से दो होल्डिंग एवं ट्रेडिंग का संविलियन 06.07.2022 को क्रमशः ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ।

सुदृण है। राज्य निर्माण के बाद निजी विद्युत उत्पादकों ने भी प्रदेश में संयंत्र लगाने में रूचि दिखाई जिसमें जिंदल पॉवर, लैंको अमरकंटक पॉवर, डी बी पॉवर, एस्सार पॉवर, नल्वा स्टील एवं पॉवर, एस.के.एस पॉवर जैसे अन्य उत्पादन कंपनियाँ शामिल हैं। इनसे उनके कुल उत्पादन से 7.5 प्रतिशत बिजली वेरिएबल कास्ट पर विद्युत मंडल को दिए जाने का अनुबंध किया गया। (वेरिएबल कास्ट मतलब ओ एंड एम कास्ट) इसके अतिरिक्त रायगढ़ के लारा में एनटीपीसी की 800 मेवॉ की दो इकाई स्थापित करने का निर्णय हुआ। 2009 में हुए आपसी समझौते के मसौदे में कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत विद्युत हमें बेचे जाने का निर्णय हुआ।

राज्य निर्माण के समय निजी क्षेत्र में कितने विद्युत उत्पादक थे ?

राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में विदयुत मंडल और एनटीपीसी को छोड़ कोई और विद्युत उत्पादक नहीं था। निजी क्षेत्र में जिन्दल स्टील का अपना कैप्टिव पॉवर प्लांट था इसके अलावा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के भी कैप्टिव पॉवर प्लांट थे पर व्यवसायिक उत्पादन तब नहीं था। 2007 में जिन्दल पॉवर ने 250 मेवॉ के चार संयंत्र की स्थापना कर उत्पादन शुरू किया जो निजी क्षेत्र में पहला उत्पादन गृह था। इसके बाद कई और विद्युत कंपनियों ने रूचि दिखाई, एक दौर ऐसा भी आया कि 50 से अधिक कंपनियों ने 40 हजार मेगावॉट बिजली के उत्पादन के लिए एक साथ समझौते भी किए। अलग बात है कि बहुत सारी कंपनियों ने बाद में हाथ पीछे खींच लिए। इन सबके बावजूद आज प्रदेश में हजारों मेवॉ विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र में हो रहा है।



हसदेव बांगो पन बिजली संयंत्र को मिला 'गोल्डन पीकॉक' पुरस्कार

छत्तीसगढ़ को ऊर्जा समृद्ध बनाने के लिए और किस क्षेत्र में संभावना है ?

अब हमको ताप विद्युत पर केन्द्रीयकृत होने की बजाए नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ना चाहिए। हमें, सौर और पन बिजली के क्षेत्र में फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में पन बिजली की बड़ी अच्छी संभावना है। यह सच है कि प्रदेश बनने के बाद इस दिशा में बहुत काम नहीं हो पाया है। गंगरेल में 10 मेवॉ, सिकासार में 6 मेवॉ, कोरबा पश्चिम में 1.65 मेवॉ को छोड़ हमने नया कुछ नहीं जोड़ा है जबकि बहुत बेहतर संभावना हमारे लिए है।

हमारे पास बोधघाट जैसी बड़ी परियोजना थी। मप्रविमं के दौर में छत्तीसगढ़ में यह पन बिजली की बहुत बड़ी परियोजना प्रस्तावित थी जिसे विश्व बैंक ने ऋण स्वीकृत भी कर दिया था। तत्कालीन केन्द्रीय वन मंत्रालय के सचिव स्व. टी एन शेषन ने पर्यावरणीय आपत्तियों के कारण कुछ वर्ष काम हो जाने के बाद भी परियोजना को बंद करवा दिया। राज्य गठन के बाद फिर प्रयास हुए और पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ आगे बढ़ने की बात शुरू हुई। टिहरी हाइडल पॉवर कार्पोरेशन को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव आगे बढ़ा। विदयुत मंडल को 70 और टीएचपीसी को 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी तय हो गई थी। यह परियोजना सिर्फ विद्युत के लिए नहीं, सिंचाई, पर्यटन और रोजगार की अपार संभावना लेकर आता।

परियोजना के अंतर्गत लगभग एक हज़ार मेवॉ बिजली का उत्पादन प्रदेश को ऊर्जा समृद्ध बना सकता है। वर्तमान सरकार स्थानीय एवं प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए बोधघाट परियोजना पर एक बार फिर गंभीरता से विचार कर रही है। परियोजना पर आगे बढ़ने के विचार से नई उम्मीद जगी है।

छत्तीसगढ़ में विद्युत विकास- आधार से शीर्ष



पी. एल. विधानी
पूर्व प्रबंध निदेशक
छ ग स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी

जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं से भरा पूरा राज्य छत्तीसगढ़ अपने विकास की बाट जोह रहा था। विकास की असीम संभावनाओं को सीने में समेटे ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य का उदय 1 नवंबर 2000 को हुआ। मध्य प्रदेश से विभाजन उपरांत भारत के नक्शे पर नवोदित राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान तो बनी पर पिछड़ा राज्य कहलाना राज्यवासियों को खटकने लगा था। इसे जल्द से जल्द मिटाने के लिए ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को ही राज्य शासन द्वारा कर दिया गया । जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश से पृथक होकर अस्तित्व में आया, उसी तरह मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अस्तित्व में आया।

विदित हो कि मध्यप्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में मध्य भारत और बरार प्रांत से अलग होकर हुआ था। तब मध्य भारत की राजधानी नागपुर थी। उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर को बनाया गया किन्तु नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी और सीएसईबी का मुख्यालय दोनों ही रायपुर में बने ।

राज्य गठन और सीएसईबी के गठनोपरांत दिसंबर 2000 में बिजली बोर्ड मुख्यालय जबलपुर से मेरी सेवाएं छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को हस्तांतरित हुई। सीएसईबी के सफर के साथ ही मेरी छत्तीसगढ़ में सेवा यात्रा प्रारंभ हुई। तब रहने के लिए गुढ़ियारी में विश्रामगृह था। वहीं पास में ही रायपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक का कार्यालय भी था। मध्य प्रदेश के समय से संचालित पुराने कार्यालय तो यथावत संचालित होने लगे थे पर सीएसईबी मुख्यालय की स्थापना एक बड़ी चुनौती थी। इस हेतु स्थान चयन की बात चली तो दो विकल्प थे। पहला गुढ़ियारी और दूसरा डंगनिया। काफी विचार विमर्श के बाद आवागमन की सुविधा और नवनिर्माण हेतु उपलब्ध भूमि के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री सुयोग्य कुमार मिश्रा, प्रथम सदस्य वितरण श्री गोपाल तिवारी और प्रथम सदस्य उत्पादन श्री आर के उपाध्याय द्वारा डंगनिया में ही मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।



तब डंगनिया में एकमात्र पक्का कार्यालय भवन था, जिसके प्रथम तल पर अधीक्षण अभियंता सिविल और भूतल पर कार्यपालन अभियंता सिविल का कार्यालय था। आनन फानन में दोनों कार्यालयों को अन्यत्र संचालित करने की व्यवस्था की गई।और फिर उसी रिक्त भवन के ऊपरी तल में मंडल मुख्यालय तथा भूतल में सचिवालय स्थापित कर न्यूनतम उपलब्ध सुविधाओं में मंडल की गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई । उस दौर में एक बड़ा कार्य था मध्यप्रदेश विद्युत मंडल और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के बीच संपत्तियों का बंटवारा। जो विद्युत उत्पादन केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के अंदर थे, वे सब सीएसईबी के हिस्से में आए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी द्वारा निर्देश दिया गया कि पृथक वित्तीय प्रबंधन हेतु सीएसईबी का बैंक खाता खोला जाए। सारे कार्यालयों,वाहनों और स्टेशनरी पर सीएसईबी लिखा जाए। यह निर्देश सभी कार्यालयों को भेज दिया गया । जबलपुर से पहली खेप में आए कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर डंगनिया मुख्यालय में ही पदस्थ किया गया । बाद के दिनों में आने वाले

छत्तीसगढ़, देश का पहला जीरो पॉवर कट राज्य,
01 जनवरी 2008 को छत्तीसगढ़ को मिला यह दर्जा ।

अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई। साथ ही पूर्व से ही छत्तीसगढ़ में स्थित कार्यालयों में पदस्थ जो कर्मचारी नवनिर्मित मंडल मुख्यालय में काम करने के इच्छुक थे, उन्हें उनके अनुभव के आधार पर मुख्यालय में पदस्थ किया गया। इस प्रकार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों /कर्मचारियों में भेदभाव न करते हुए अलगाव की भावना पनपने नहीं दी गई। सबने मिलकर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सीएसईबी के नवनिर्माण में अपना श्रेष्ठ योगदान दिया। इसी का नतीजा रहा कि न्यूनतम साधनों के साथ सीएसईबी ने अपना काम बखूबी प्रारंभ किया और नवगठित राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती से मुक्ति मिलने लगी। पूरे देश में छत्तीसगढ़ को जीरो लोड शेडिंग वाला पहला राज्य होने का गौरव भी मिला। इसका श्रेय यहां के शासन, प्रशासन और विद्युत मंडल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य के प्रति अटूट निष्ठा को गया। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था और बिजली की गति से सीएसईबी भी राज्य के द्रुत विकास में सहभागी बना हुआ था। इसका आंकलन करते हुए राज्य शासन की ओर से राज्य के श्रेष्ठ विभाग का पहला पुरस्कार विद्युत मंडल को प्रदान किया गया। उस समय विकास की रेलगाड़ी, पटरी पर निर्बाध रूप से जो चली सो अब तक चली जा रही है । विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां और पुरस्कार विद्युत मंडल / कंपनी के पटल पर अंकित होते जा रहे हैं। भविष्य और उज्जवल हो उपभोक्ताओं की सेवा में अनवरत सुधार हो यही मंगलकामना है।

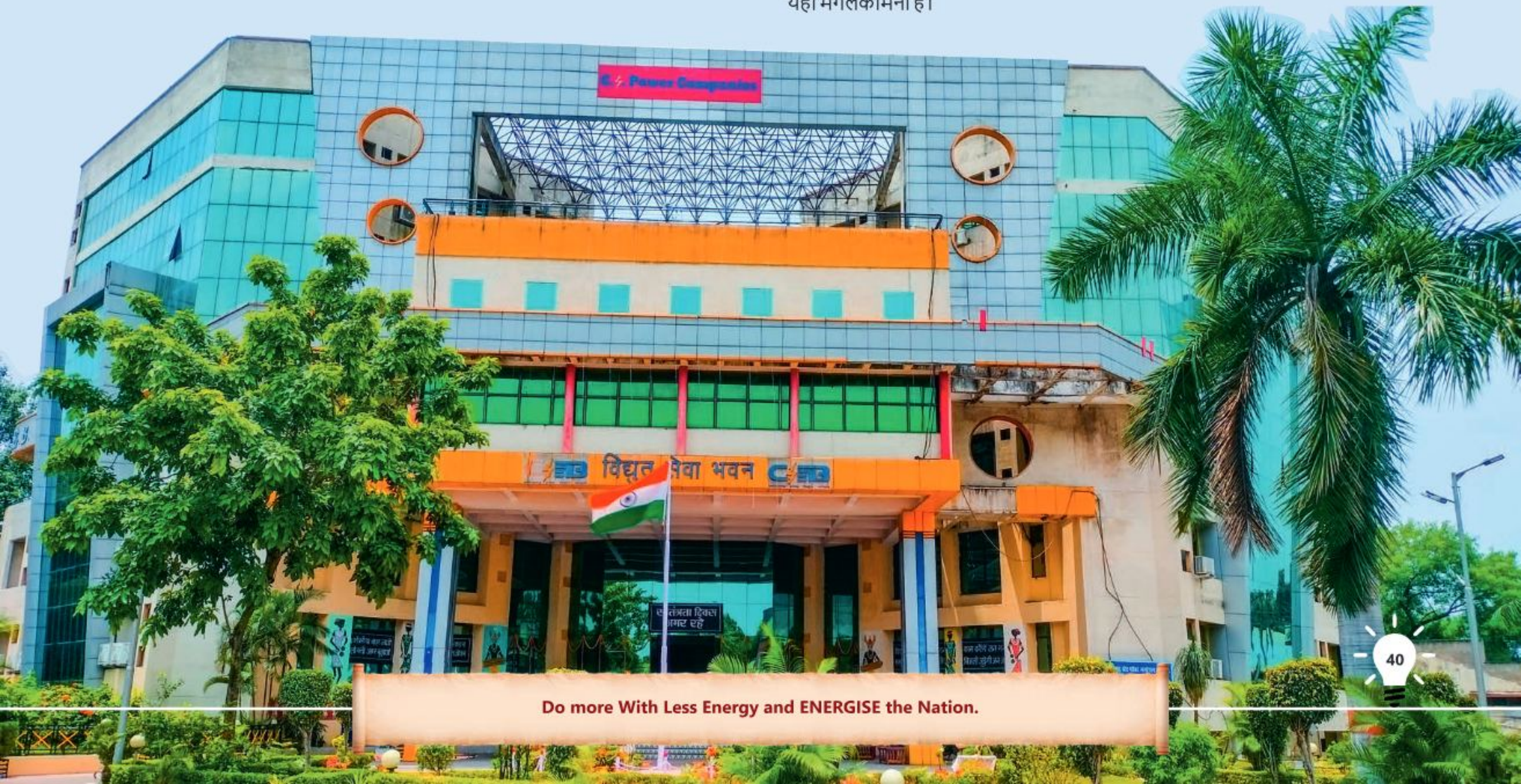

Do more With Less Energy and ENERGISE the Nation.



पी एन सिंह
पूर्व मुख्य अभियंता

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता के साथ ही लंबे अर्से तक विद्युत मंडल अभियंता संघ के महासचिव रहे श्री पारस नाथ सिंह जिन्हें लोग इंजी. पी एन सिंह के नाम से जानते हैं लगभग पाँच दशकों से विद्युत क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं । श्री सिंह अपनी सक्रियता, समझ और पॉवर सेक्टर से संबंधित जानकारियों के लिए अलग पहचान रखते हैं। वर्तमान में ऑल इंडिया पॉवर इंजी.एसोसिएशन के संरक्षक के तौर पर सक्रिय श्री सिंह विद्युत मंडल के गठन और बाद के विकास क्रम में सरकारों की भूमिका तथा अभियंता संघ की सक्रियता पर खुलकर अपने विचार रखते हैं। प्रबंधक (जनसंपर्क) विकास शर्मा के साथ हुई लंबी बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

बेखबर रहा मध्यप्रदेश, बन गया छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल

पृथक विद्युत मंडल बनने के बाद शुरूआती दिनों में कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन तो कर दिया गया पर यह मध्यप्रदेश को नागवार गुजरा और उन्होंने इसे म.प्र.उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में चुनौती दे दी। मंडल में तीन सदस्य बनाए गए इसमें सदस्य सह अध्यक्ष श्री एस के मिश्रा, सदस्य वित्त श्री अजय सिंह एवं श्री बी के एस रे शामिल थे।एमपीईबी ने विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें अनुभव प्राप्त एक इलेक्ट्रीकल इंजीनियर को सदस्य के तौर पर अवश्य रखा जाना चाहिए जो इस मंडल में नहीं था। विचार मंथन हुआ जिसमें मुझे भी बुलाया गया था तब मैंने एक सुझाव दिया कि इसमें हम उस अधिनियम के प्रावधान का लाभ लेते हुए और सदस्यों को नामित कर दें क्योंकि बोर्ड में अधिकतम सदस्य सात हो सकते हैं। तब विद्युत मंडल के ही अभियंता श्री गोपाल तिवारी एवं श्री आर के उपाध्याय को नामित किया गया। इसके बाद फिर मामला उच्च न्यायालय से खारिज हुआ।

मंडल के गठन के बाद हमें शून्य से ही शुरूआत करनी थी। नए मंडल के लिए पूरा ढाँचा तैयार करना था। नई व्यवस्था तैयार करनी थी पर नए मंडल के लिए न भवन था न ही अनुभवी मानव संसाधन। खोज शुरू हुई पर एक दिसंबर 2000 से जब काम शुरू करना था तब गुढ़ियारी के विश्राम भवन से काम शुरू हुआ। बाद में डंगनिया के अधीक्षण अभियंता (सिविल) कार्यालय में स्थानांतरित कर वहाँ पर मुख्यालय बनाया गया। जगह तो बहुत ही कम थी, नए शेड का निर्माण शुरू हुआ फिर भी बहुत कम संसाधन में आवश्यक कार्य तेजी से शुरू किए गए।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल बनने की पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?

राज्य का गठन एक नवंबर 2000 को हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं यह वो दौर था जब मध्यप्रदेश के उपेक्षापूर्ण रवैय्ये से सभी आहत थे और जनभावना विशेषकर बिजली के संकट को लेकर उद्वेलित थी। राज्य शासन जन के मन को समझ रही थी और साथ ही प्रदेश के विकास में बिजली की भूमिका को भी। इन सभी बातों के बीच मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस विषय पर कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे जिनमें से एक मैं भी था,इसमें तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस के मिश्रा, ऊर्जा सचिव आदि भी प्रमुख रूप से शामिल थे। मुख्यमंत्री त्वरित निर्णय के मूड में थे और अभियंता संघ भी इसके लिए तैयार था। कुछ तकनीकी पक्षों की जानकारी लेने के बाद उन्होंने निर्णय कर लिया कि जल्द ही पृथक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन किया जाएगा और 15 नवंबर 2000 को अधिसूचना भी जारी कर दी गई कि 1 दिसंबर 2000 नया विद्युत मंडल अपना कार्य प्रारंभ करेगा। इस अचानक हुए निर्णय से मध्यप्रदेश विद्युत मंडल में खलबली मच गई। उन्हें पता भी नहीं चला और शायद प्रदेश में भी लोगों को सीधे निर्णय के बाद ही जानकारी हुई कि अपना विद्युत मंडल अलग बन गया है।

छत्तीसगढ़ गठन के दौरान विद्युत खपत 360 यूनिट जबकि वर्ष 1950 में 18.17 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी।

पृथक विदयुत मंडल का मध्यप्रदेश क्यों कर रहा था विरोध?

देखिए, मप्रविमं के लिए तो पृथक छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन खजाने के लुट जाने जैसा हो गया था। उस दौर में 500 करोड़ के राजस्व वाले बोर्ड को 150 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा छत्तीसगढ़ से मिलता था और खर्च बहुत कम करना पड़ रहा था। बिजली की दिक्कत तो उस दौर के सभी लोग जानते हैं ऐसे में बोर्ड गठन करते ही सरकार ने सबसे पहले निर्देश दिया कि खाता अलग किया जाए। एमपीईबी को मिलने वाला इतना बड़ा हिस्सा रूक जाए तो कठिनाई तो होनी ही थी।

इसके अलावा जैसे ही उस समय के मुख्य अभियंता श्री बी के दास ने बैंक खाता अलग खोलना चाहा बैंक की ओर से बहुत सी पेचीदगियाँ बताई गई जिसे शासन स्तर पर हस्तक्षेप कर सुलझाया गया। इस घटना से एमपीईपी प्रबंधन खासा नाराज हो गया इसे अवज्ञा माना और गाज गिर गई सीई श्री दास और संयुक्त संचालक वित्त श्री एस पी शर्मा पर। एमपीईबी ने उनके निलंबन का आदेश निकाल दिया।

मुख्य अभियंता को एमपीईबी द्वारा निलंबन करने के आदेश पर राज्य सरकार और छ.ग.राज्य विद्युत मंडल की क्या प्रतिक्रिया रही?

श्री बी के दास के निलंबन का निर्णय एकतरफा और तानाशाही पूर्ण था। चूंकि मुख्य अभियंता श्री दास अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधिकारी थे और ऐसे में एमपीईबी का यह आदेश हम मानने वाले नहीं थे। 22 नवंबर 2000 की बात थी, बड़े ही तनावपूर्ण माहौल में आदेश लेकर आने वाले कर्मचारी को सैकड़ों अभियंताओं और कर्मचारियों ने गुढ़ियारी में ही घेर लिया और इस आदेश के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया।

ऐसी स्थिति की जानकारी मिलते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने हम लोगों को चर्चा के लिए बुलवाया और आश्वस्त किया कि मुख्य अभियंता को निलंबित करने का निर्णय हमें स्वीकार नहीं होगा और इसके लिए जिस भी स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसे वे स्वयं लड़ेंगे। खैर, मामला शांत हुआ और बाद में एमपीईबी का वह फैसला वापस हुआ।

बड़ी संख्या में विद्युत मंडल के कर्मी कैसे हो गए रिटायर?

मप्रविमं के तत्कालीन सदस्य वित्त श्री राधेश्याम जुलानिया इस बात से तो नाराज थे ही कि छत्तीसगढ़ ने अपना पृथक विद्युत मंडल बना लिया और मध्यप्रदेश को मिलने वाला राजस्व कम हो गया। इस बीच वो विद्युत मंडल में कार्मिक आधिक्य (ओव्हर स्टॉफिंग) की बात कहते रहते थे। मध्यप्रदेश में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की ऊम्र 1997 में 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 की गई थी, जिसे उन्होंने फिर दिसंबर 2000 को 58 वर्ष कर दिया और चूंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मंडल के कार्मिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण मप्रविमं का रखा गया था, ऐसे में उनका यह निर्णय छगराविमं पर भी लागू कर दिया गया।

पृथक विद्युत् मंडल के गठन और उसके बाद विद्युत क्षेत्र में हुए विकास में अभियंता संघ की भूमिका कैसी थी?

मंडल के गठन में बड़ी भूमिका रही है अभियंता संघ की। राज्य शासन को पृथक विद्युत मंडल के गठन के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार करने के साथ ही आवश्यक नियम कायदों के आधार पर पृथक विद्युत मंडल को कानूनी पेचिदगियों से बचाने जैसे हर महत्वपूर्ण अवसरों पर संघ ने पूरी दृढ़ता से अपना कार्य किया है।

नए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अभियंता संघ ने लगातार दबाव बनाया और विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए विद्युत मंडल को नवीन प्रौद्योगिकी के अनुकूल तैयार करने में सकारात्मक सहयोग शासन और प्रबंधन को दिया गया है।अभियंता संघ इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ता रहा है कि यदि हमारा संस्थान रहेगा तो हम रहेंगे और ऐसे में संस्थान और प्रदेश की बेहतरी में ही हमारा हित छिपा है। इसके लिए हमें सदैव रचनात्मक रूप से सहयोग करते रहना है। बेजा दबाव बनाकर कुछ कार्य कराना संगठन और संस्था दोनों के लिए हितकर नहीं होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले दिनों में चुनौतियाँ और बढ़ने वाली हैं ऐसे में आप पॉवर कंपनी को कहाँ पाते हैं?

देखिए, हमारी आज की स्थिति यह है कि हम कुल मांग का एक तिहाई उत्पादन कर रहे हैं, एक तिहाई केन्द्रांश हमें मिलता है और लगभग एक तिहाई हम बाजार से लेते हैं। अब, यह सामान्य सिद्धांत है कि यदि आप बाजार पर आश्रित रहेंगे तो हमेशा दबाव में रहना होगा। वैसे भी विश्वबैंक की रिपोर्ट से लेकर भारत सरकार की रिपोर्ट तक भविष्य की जरूरतों को दर्शाती है। हमारा मानना है कि आज विद्युत की हमारी अधिकतम मांग जो 7 हजार मेगावॉट है वो 2035 में 15 हजार मेगावॉट तक पहुँच जाएगी। ऐसे में हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हमारे पास अगले कई दशकों के लिए पर्याप्त कोयला है उसका उचित उपयोग करना लाभकारी होगा।

राज्य सरकार और पॉवर कंपनी को मड़वा, कोरबा पश्चिम, कोरबा पूर्व, कोरबा साऊथ समेत कोरबा के बंद हो रहे संयंत्रों के स्थान पर कम से कम अब 800 -800 मेगावॉट के संयंत्र लगाने चाहिए। इसके लिए हमें बीएचईएल के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस संयंत्रों को लगाते हुए न्यूनतम प्रदूषण की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हमें 765 किलोवॉट की पारेषण लाइनों के विस्तार और उपकेन्द्रों को बनाने की दिशा में सोचना पड़ेगा। हमें अपनी भौगोलिक उपस्थिति यानी राज्य की भौगोलिक स्थति का लाभ लेने के लिए तैयार होना चाहिए। हम ट्रांसमिशन नेटवर्क में लाभ की स्थिति में हैं इसलिए पारेषण लाइनों के जरिए भी अच्छा राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।

अब जबकि हरित ऊर्जा की बातें हो रही हैं ऐसे में आप ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की बातें कर रहे हैं?

नवीकरणीय ऊर्जा हमारा भविष्य है पर तात्कालिक जरूरतों को भी समझना होगा। यानि सौर ऊर्जा, पन बिजली जैसे साधन लाभकारी और लंबे समय तक साथ देने वाली ऊर्जा है पर अभी चूंकि यह तकनीक नहीं आई है कि हम बड़ी मात्रा में विद्युत का स्टोरेज कर सकें ऐसे में पीक डिमांड के समय की जरूरतों को थामने के लिए अब भी ताप विद्युत के साथ ही आगे बढ़ना होगा। सौर ऊर्जा में अच्छा भविष्य है इसमें पीएम सूर्य घर योजना के साथ ही किसानों के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके साथ ही उनके संयंत्र को ग्रिड से जोड़ना लाभकारी होगा। इसके अलावा हमारे प्रदेश में पन बिजली की जितनी संभावना है उसका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। पन बिजली में लगभग ढाई हजार मेगावॉट की हमारी क्षमता है जिसमें से दो हजार मेगावॉट पन बिजली तो अकेले बस्तर में उत्पादित हो सकता है। चाहे तो हम नेश्नल हाइडल पॉवर कार्पोरेशन से बिजली उत्पादन का कोई समझौता कर सकते हैं। हम पड़ोसी राज्यों विशेषकर मध्यप्रदेश के साथ द्विपक्षीय समझौते कर वहाँ पन बिजली परियोजना शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोरबा पूर्व के खाली स्थान पर 500 मेगावॉट आवर की बैटरी स्टोरेज इकाई स्थापित की जा सकती है।

आने वाला समय ऊर्जा सक्षमता का है और जो राज्य इसमें जितना समर्थ होगा वो राज्य हर क्षेत्र में उतना ही संपन्न होगा। पॉवर कंपनी इस शुरूआती बढ़त का लाभ लेकर और आगे बढ़े जिससे आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत आधार हम दे सकें।



प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत (2023) 2211 यूनिट
जबकि देश में औसत खपत 1395 युनिट है ।



अजय दुबे
पूर्व निदेशक
छ.ग.पॉवर होल्डिंग कंपनी

एक कुर्सी, दो अधिकारी और वित्त विभाग के नींव के दिन

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल के संपत्तियों, दायित्वों, अधिकारों, कर्मियों, अभिलेखों इत्यादि के विभाजन में तो लंबा वक़्त लगना था, यह तो सब को पता था परन्तु उसके समानांतर नए राज्य छत्तीसगढ़ के विद्युत् मंडल के गठन (15-11-2000) के बाद उसके दिन-प्रतिदिन का कार्य शुरू करना आवश्यक हो गया था। फील्ड आफिस का कार्य तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलना था परन्तु मुख्यालय का कार्य बिलकुल शून्य से शुरू करना था, जो बहुत चुनौतीपूर्ण था। हेड ऑफिस में भी विशेषकर वित्त और लेखा विभाग का कार्य, जिसमें अधिकतर कार्य अतीत के अभिलेखों के आधार पर निरंतरता में किये जाते हैं जैसे राजस्व का लेखा-जोखा, खर्च के लिए योजना, विभिन कार्यालयों से प्राप्त खर्च के प्रस्तावों का वित्त में सहमति, बजट, ऋण-प्रबंधन, कैश-प्रबंधन, बैंक-प्रबंधन, बिल भुगतान, टैक्स-भुगतान, टैक्स-अनुपालन, लेखा, आडिट, कर्मियों को भुगतान, पेंशन, भविष्य-निधि, कर्मी-बीमा इत्यादि का निष्पादन काफी चुनौतीपूर्ण था। इनके लिए पुराने अभिलेख, यथासंभव जो उपलब्ध हो सकें, तो चाहिए ही थे पर साथ ही प्रशिक्षित कर्मियों की निहायत आवश्यकता थी जो संपत्तियों, दायित्वों, अधिकारों, कर्मियों, अभिलेखों के अंतिम विभाजन के न होने की स्थिति में भी, दूरदृष्टि के साथ उनसे सुसंगत, दैनिक कार्यों को जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू कर सके।

रायपुर में वित्त के फील्ड ऑफिस में एक जॉइंट डायरेक्टर (वित्त) पहले से ही थे। हेड ऑफिस जबलपुर के वित्त विभाग से नवम्बर 2000 में अधिकारियों में कनिष्ठ स्तर के 3 एकाउंट्स आफिसर को छत्तीसगढ़ भेजा गया। जनवरी 2001 में मुझे जबलपुर से रायपुर भेजा गया। मैं

Switches have two options on or off.
Switch "off " to switch "on" energy conservation.

डिप्टी डायरेक्टर (वित्त) के पद पर कार्यरत था (हालांकि, बाद में उच्च न्यायालय, जबलपुर के 2006 और 2007 के आदेश के अनुसार पुराने डी. पी. सी. रिव्यु कर मुझे 1993 से डिप्टी डायरेक्टर और 1998 से जाइंट डायरेक्टर (वित्त) पर पदोन्नत किया गया था)। इस तरह जबलपुर से मुझे मिलाकर कुल जमा 4 आधिकारी ही छत्तीसगढ़ आ पाए। फील्ड ऑफिस के एक अधिकारी को मिलाकर कुल 5 अधिकारियों से वित्त विभाग के हेड ऑफिस की शुरुआत हुई। यहाँ विस्तारित कार्य भार के लिए इतने अधिकारी बहुत ही कम थे पर कार्य की शुरुआत करने की जिम्मेदारी इन पर ही थी।

तीन माह बाद भी मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का हिस्सा था रायपुर

मेरे अकेले के लिए 20 जनवरी 2001 को जारी स्थानान्तरण आदेश कुछ विशेष था क्योंकि उसमें कहीं भी 'छत्तीसगढ़' नहीं लिखा था और मुझे विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। ऐसा अन्य स्थानान्तरण-आदेशों में नहीं किया गया था। रायपुर (छत्तीसगढ़) के कार्यालय को भी मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल ही संबोधित किया गया था। मुझे ई. डी. (रायपुर क्षेत्र), मप्रविमं, रायपुर में पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए भेजा गया था। पता चला कि मप्रविमं के मुख्यालय जबलपुर में छत्तीसगढ़ स्थित कार्यालयों से सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के कई पेंशन प्रकरण, छत्तीसगढ़ बनने के पहले ही लंबित थे। ऊपर से रिटायरमेंट की उम्र दिसंबर 2000 में 60 से घटाकर 58 कर दी गई। बड़ी संख्या में पेंशन व अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के प्रकरणों के बढ़ते दबाव के कारण मेरा एकल आदेश शायद मप्रविमं को मजबूरी में निकालना पड़ा था। जैसा भी था, वह आदेश मुझे उस छत्तीसगढ़ में पहुंचा रहा था, छत्तीसगढ़ में आकर अपनी सेवा देने लिए मैं वर्षों से अभिलाषी था, उत्सुक था, प्रतिबद्ध था। इसलिए आदेश का तुरंत पालन कर मैंने 1 फ़रवरी 2001 को रायपुर में अपनी जॉइनिंग दी। रायपुर आते ही मुझे सीएसईबी में जॉइंट डायरेक्टर का प्रभार दिया गया। इस प्रकार डॉ. एस.पी. शर्मा और मैं, अर्थात हम दो जॉइंट डायरेक्टर थे और प्रारंभ में वित्त सम्बन्धी जिम्मेदारियों को हमारे बीच विभाजित किया गया। हम दोनों सीधे सदस्य (वित्त) को रिपोर्ट करते थे, जो सचिव (ऊर्जा), छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय भी थे। करीब 6 महीने बाद एक ई डी (वित्त) की संविदा नियुक्ति की गई। और हेड आफिस जबलपुर के वित्त विभाग से कुछ अन्य अधिकारी पूरे 7 वर्ष बाद 2008 में ही छत्तीसगढ़ आ पाए।

बैठने को कमरा नहीं और पेड़ की छाँव में बनती योजनाएं

डंगनिया स्थित मुख्यालय परिसर में उस समय 2-3 भवन/शेड ही थे। वर्तमान में मुख्यालय के मुख्य द्वार से लगे छोटे शेड के अन्दर पूरे वित्त विभाग को शुरूआती दिनों में केवल एक कमरा मिला था। हम दो जॉइंट डायरेक्टर और 3 एकाउंट्स आफिसर के अतिरिक्त फील्ड आफिस से कुछ और अधिकारी और कार्यालय सहायकों की पोस्टिंग वित्त विभाग के मुख्यालय के कार्यों के लिए होती जा रही थी। कार्यालय में बैठने की जगह न होने के कारण कार्यालय के बाहर बरगद पेड़ के नीचे शुरूआती कुछ दिनों में अपने सहायकों के साथ खड़े-खड़े मैं अपने कार्य की योजना बनाता था, चर्चा करता था। पेंशन प्रकरणों के अतिरिक्त कुछ पुराने अभिलेख जबलपुर से मिलते जा रहे थे, जिसे ज़मीन पर रखा जा रहा था, क्योंकि अन्य कोई समुचित जगह नहीं थी। अभिलेखों में दीमक लगने की शुरुआत हो गई, हम चिंतित होकर उसे हाथ से ही ठीक करने का प्रयास करते थे।

मार्च में की मांग और जून में मिला पंखा

किराए के आफिस और फर्नीचर खरीदने के लिए प्रस्ताव पर विचार चल रहा था लेकिन किसी न किसी कारण से विलम्ब हो रहा था। मार्च के महीने में रायपुर में अच्छी गर्मी पड़ने लग गई थी। किराये के मकान लेने सम्बन्धी नियम/राशि-सीमा को शिथिल करते हुए, बड़ी मुश्किल से, हमने वित्त विभाग के लिए किराए का एक मकान सुन्दर नगर में लिया जो मुख्यालय से लगभग 2-3 किमी दूर स्थित था। उस नए कार्यालय में अभिलेख शिफ्ट किये गए, पानी व अन्य सुविधा बनाई गई। लेकिन कूलर तो दूर, विकट गर्मी में पंखा भी नसीब होते-होते दो महीने गुज़र गए। हम पसीने से तर होकर भी काम करते रहते थे। मुझे याद है जून में जाकर हमें कुछ पंखे मिल पाए थे। फिर धीरे से कूलर भी उपलब्ध हो पाया था।

**विद्युत खपत के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पाँचवा,
सबसे अधिक प्रति व्यक्ति खपत वाला राज्य है।**

कैश सरप्लस और आयकर का नोटिस

मुझे कई कार्य आबंटित थे पर उसमें भी टैक्स और पेंशन दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य थे। जबलपुर में रहते हुए मैंने कभी पेंशन प्रकरण का निष्पादन नहीं किया था, टैक्सेशन भी मैंने पहले नहीं देखा था। नित नई चुनौतियाँ भी सामने आ रहीं थीं। इसी बीच इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ गया था कि मंडल प्रॉफिट में है तो इनकम टैक्स भुगतान करे। वास्तव में हम प्रॉफिट में नहीं थे, सिर्फ कैश सरप्लस में थे क्योंकि राजस्व तो आ रहा था लेकिन नए मंडल में कर्मी की कमी से खर्च/ भुगतान के निर्णय धीरे-धीरे लिए जा रहे थे। प्रॉफिट का निर्धारण तो लेखा के अंत में मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल से विभाजन की पूरी प्रक्रिया के बाद होना था। पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा समाचार पत्रों में कैश सरप्लस सम्बन्धी समाचारों/ बयानों को स्वतः संज्ञान में लेकर नोटिस जारी कर दिया गया था। इस नोटिस से निपटने मुझे तुरंत दिल्ली के एक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ा और तथ्यों को वैधानिक प्रकाश में रखकर विभाग को समुचित उत्तर दिया गया, जिससे इनकम टैक्स विभाग को संतुष्ट किया जा सका। नए विद्युत् मंडल और उसके ट्रस्ट इत्यादि के लिए कई वैधानिक विभागों में नए पंजीकरण करने थे, अन्यथा की स्थिति में अनावश्यक वित्तीय भार अर्थात पेनाल्टी का जोखिम होता। सबको दूरदृष्टि और योजना से निपटाने की आवश्यकता थी। हमारे लिए समय कम था लेकिन वैधानिक प्राधिकारी सुनते नहीं थे और उन्हें अपनी स्थिति की पेचीदिगियों का खुलासा कर मनाना पड़ता था। चुनौती यह थी कि यह सब मप्रविमं से अंतिम निपटारे के पहले कुछ अनुमानों के आधार पर करना पड़ता था।

पेंशन प्रकरण और संडे क्लास

बैंक, कैश, लेखा, टैक्सेशन के कार्य सप्ताह में हर दिन कुछ न कुछ चुनौती लेकर आते थे अतः कई बार पेंशन, पी एफ़ के लिए मुझे रविवार को अपने सहायकों के साथ काम करना पड़ता था। पेंशन के लिए मुझे शुरू में सिर्फ 3-4 कार्यालय सहायक मिले, कोई अधिकारी नहीं। लेकिन मैं उनके साथ पेंशन नियमों की एक किताब लेकर बैठता था, लेखक पान्धरे की। हम जॉइंट स्टडी करते थे, नोट्स लेते थे और चर्चा करते थे। मेरी वह टीम, छोटी सी ही सही, पर बहुत अच्छी थी। धीरे-धीरे हमने पेंशन प्रकरणों के निपटारे के लिए कुछ टेम्पलेट तैयार किये, जिसमें कैलकुलेशन शीट, नोट शीट, चेक लिस्ट, कुछ रजिस्टर इत्यादि शामिल थे। फिर हमने धड़ल्ले से पेंशन प्रकरण निपटाना शुरू कर दिए। विधानसभा के एक प्रश्न में शायद हमने 200 तक पेंशन प्रकरणों को अक्टूबर 2001 तक अंतिम रूप से निपटाने के लिए उत्तर दिए थे। और हम निर्धारित समय तक उससे कुछ ज्यादा ही लक्ष्य हासिल कर लिए। 2001-02 वित्तीय वर्ष के अंत में हमने कोई 600 पेंशन प्रकरण पूरी तरह निपटा कर लगभग शून्य लंबित की स्थिति को प्राप्त कर लिया।

चार साल और चार हजार पेंशन प्रकरण

2001 से 2005 तक मैं पेंशन सम्बन्धी कार्य देखता रहा और मैंने कम-से-कम 4000 पेंशनर के आदेशों को तो स्वीकृत किया होगा जो कि छत्तीसगढ़ विद्युत् मंडल/कंपनियों के कुल पेंशनरों का एक बड़ा हिस्सा होगा। पेंशन सेक्शन में पोस्टिंग के लिए कई कार्यालय-सहायक अनिच्छुक रहते थे, वे बिल या कैश सेक्शन में जाना चाहते थे। मेरी कोशिश रही कि कर्मी पेंशन सेक्शन में भी कार्य को वैसे ही आनंद से करें जैसा कि वे अन्य सेक्शन में करते हैं या देखते हैं; शेष तो कर्मियों की अपनी रुचि। मैंने 26 जनवरी 2002 को अर्थात पेंशन सेक्शन के शैशव अवस्था में ही एक कार्यालय-सहायक को चेयरमैन के हाथों पुरस्कार की अनुशंसा की, जिसे स्वीकारा गया। मैं चाहता था कि कार्यालय में कर्मियों का हौसला बना रहे।

झूलते बैग, लटकती फाइलें और वो भैंस की पूँछ

हालांकि हम दो जॉइंट डायरेक्टर वित्त विभाग के मुख्यालय में तब शीर्ष पद पर थे परन्तु हमें गाड़ी नहीं मिली थी क्योंकि नियमानुसार हमें गाड़ी की पात्रता नहीं थी। मैं अपने हीरो होंडा मोटर साइकिल में ही मंत्रालय और विधानसभा आदि कार्यालयों में जाया करता था। मेरी मोटर साइकिल के पीछे एक बैग लगा था जिसमें फ़ाइल रखने से वह नीचे झूल जाता था। 2001 के शुरू के महीनों में ही एक बार सदस्य (वित्त) ने मुझे तत्समय एक महत्वपूर्ण प्रकरण की फाइलों के साथ चर्चा के लिए मंत्रालय बुलाया जहाँ से हमें विधानसभा जाना था। मैं समय से पहले ही अपनी बाइक से फाइलों के साथ मंत्रालय के लिए निकला। मेरा ध्यान बार-बार पीछे झूलते बैग में लटकी फाइलों पर जा रहा था कि कहीं वे टपक न जाएं। इस बीच आमापारा में

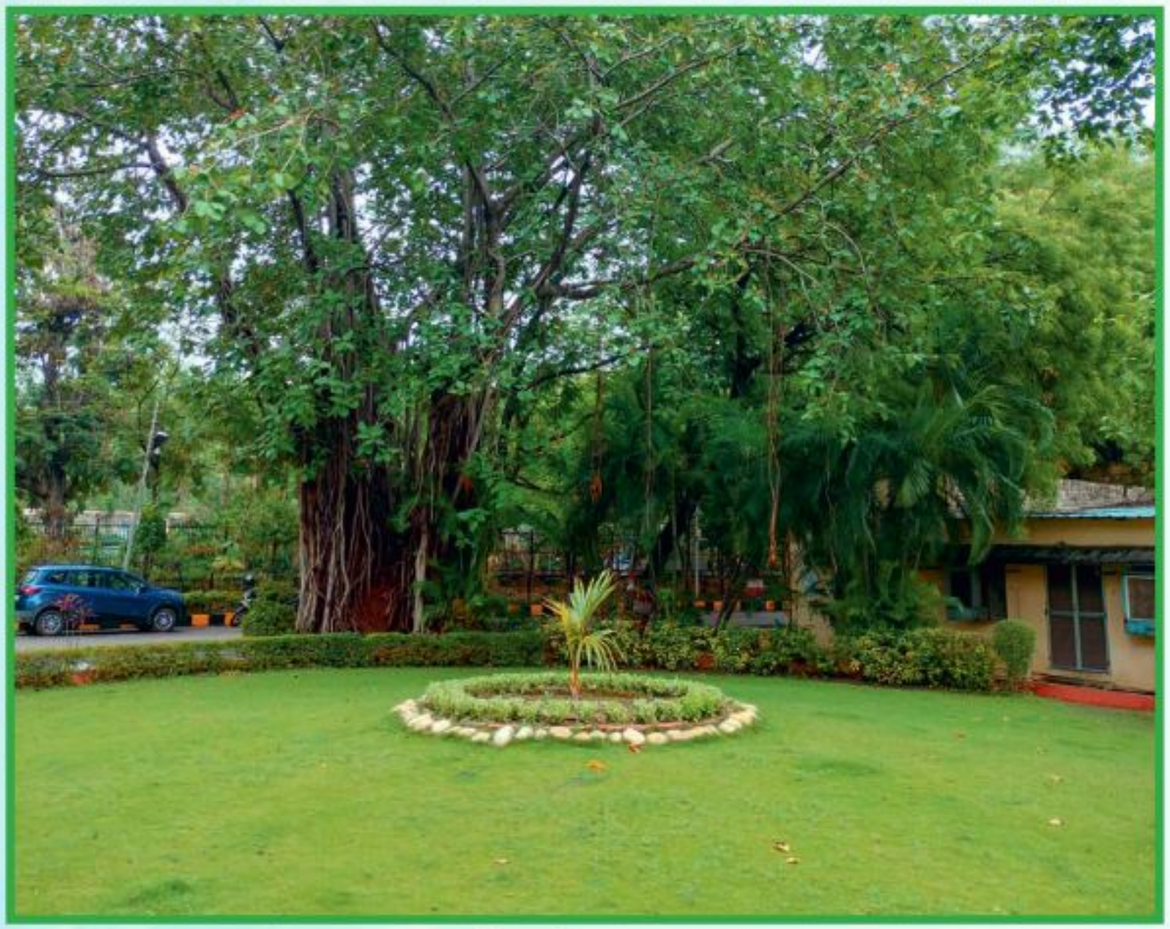

मुख्यालय स्थित विशाल बरगद का वृक्ष

भैसों का एक झुण्ड मिला जो काले कीचड़ से सने हुए जी. ई. रोड से गुजर रहे थे। मेरा ध्यान अपनी बैग और भैसों के बीच बँट गया था। नतीजा यह हुआ कि 'सड़ाक' की आवाज़ के साथ एक भैंस की पूँछ मेरे सफ़ेद शर्ट पर पड़ी और एक बास मारता हुआ निशान मेरे शर्ट पर चस्पा हो गया।

मैं कुछ देर किन्कर्तव्यविमूढ़ वहीं खड़ा रहा फिर यू-टर्न लेकर घर पहुंचा, शर्ट बदला, मुंह धोया और पुनः मंत्रालय के लिए निकला। विलम्ब से वहाँ जब पहुंचा तो पता चला सदस्य (वित्त) जो कि सचिव (ऊर्जा) भी थे काफी नाराज़ होकर विधान सभा चले गए थे। मैं भी वहां विधानसभा पहुंचा। वहां ऊर्जा मंत्री की प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। मैं सचिव ऊर्जा को आवश्यक इनपुट नहीं दे पाया था। वे बहुत नाराज़ हुए थे पर मैं उन्हें अपने अनुभवों के बारे में कुछ न कह सका। क्या बताता, कैसे बताता। अब लगता है कि काश अब उन्हें यह किस्सा बता सकूं।

संग और हर्ष है सफलता का मूल

संघर्ष का मतलब संग और हर्ष ही है अर्थात संग-संग हर्ष के साथ चलना। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मंडल के नींव में ऐसे ही साथ चलने की कई कहानियाँ हैं। हर्ष से हौसला मिलता है, हौसले से व्यक्ति मजबूत होता है, व्यक्ति से विद्युत् मंडल जैसे संस्था बनते हैं, संस्थाओं से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बनते हैं, जिसमें सब संग-संग चलते हैं और जीवन को आसमान की उंचाई मिलती है।

किसी ने ठीक ही कहा है ...

जब हौसला बना लिया,ऊंची उड़ान का ।
फिर देखना फिजूल है, कद आसमान का ।।

ई-संपर्क सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य,
छत्तीसगढ़ में 2011 में प्रदेश में शुरू हुई ई-संपर्क सेवा।

बिजली बोर्ड और पॉवर कम्पनी का यादगार सफर

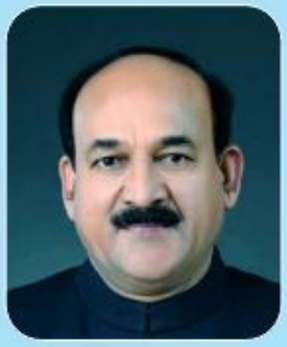

विजय कुमार मिश्रा
पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क)

किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो दिवस जन्म और मृत्यु बहुत ही खास होते हैं, पर दोनों ही दिवस का बोध उसे नहीं हो पाता। जन्म के समय अबोध होता है और मृत्यु के बाद अचेत होता है। इन दो दिवस से परे जिंदगी का एक खास दिवस शिक्षा उपरांत जब वह स्वयं का जीवन आरंभ करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है तो वह दिवस भी विशेष दिवस बनकर आजीवन याद रहता है। जैसा कि मेरे जीवन में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जबलपुर में मेरी नियुक्ति तिथि 4 फरवरी 1989 अविस्मरणीय है। इस दिवस पर मुझे सीधे द्वितीय श्रेणी अधिकारी 'प्रकाशन अधिकारी (पब्लिसिटी ऑफिसर)' के पद पर नियुक्ति मिली थी।

मंडल का पहला जनसंपर्क अधिकारी

मेरे लिए और भी ज्यादा गर्व का विषय था क्योंकि मेरे पूर्व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जनसंपर्क कार्यों के लिए मध्यप्रदेश शासन के अधिकारी ही प्रतिनियुक्ति पर आते थे। मंडल के जनसंपर्क, प्रेस, प्रकाशन संबंधी कार्यों के लिए पहली नियमित सीधी नियुक्ति मेरे नाम ही रही। इस नियुक्ति के पूर्व मैं नगर निगम स्कूल राजनांदगांव में विज्ञान का उच्च श्रेणी शिक्षक हुआ करता था। इस नाते मुझे प्रशासनिक-कार्यालयीन कार्यों का पर्याप्त ज्ञान नहीं था। मैं मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह था और मंडल के ऑफिसर-इंजीनियर पूर्ण परिपक्व थे। तब मेरा हौसला बढ़ाने हितैषी कहते थे कि "कोई भी मां के पेट से सीख कर नहीं आता"। यह बात मेरे मन में घर कर गई थी और मैं हर दिन नया सीखने,नया करने का संकल्प लिए बढ़ता गया।

जनसंपर्क विभाग का सीधा संबंध मंडल अध्यक्ष और सचिवालय से था, फलस्वरुप मंडल अध्यक्ष सर्वश्री पी सेतुरत्नम,पी एल नेने, वेद प्रकाश चावला, के .शंकर नारायणन (आईएएस), एस. के. दासगुप्ता जैसे दीर्घ अनुभवी जन का सानिध्य मिला। आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी हुई। नये ताप एवं जल विद्युत गृह, उपकेंद्रों का निर्माण सहित भव्य नए प्रशासनिक भवन 'शक्ति भवन'(एशिया के उत्कृष्ट आर्किटेक्ट में चयनित) के निर्माण और वहां पर बैठकर कार्य करने का सुखद अवसर भी मिला।

पृथक विद्युत मंडल न हुआ भारत-पाकिस्तान हो गए

मंडल मुख्यालय में ही जनसंपर्क कार्यालय था अतः जबलपुर के बाहर कहीं अन्यत्र स्थानांतरण का प्रावधान ही नहीं था। मुझे भी लगा था कि अपने गृह निवास दुर्ग जाना कभी नहीं होगा।कहते हैं वक्त करवट बदलता है। एक नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश के विभाजन उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हो गया। दोनों राज्यों के



बिजली बची रहेगी ।
मुस्कान बनी रहेगी ।।

विभाजनोपरांत अधिकारियों- कर्मचारियों सहित संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। दोनों राज्य विद्युत मंडल के बीच बिजली, परिसंपत्तियों तथा राजस्व को लेकर भारत- पाक विभाजन की तरह जबरदस्त खींचतान मची हुई थी। परिसंपत्तियों के बँटवारे हेतु एक अनुपात निश्चित किया गया था। पुराने कार्यालय तो जो जहां जैसे थे वे यथावत कार्य संचालित करने लगे। बड़ी तेजी से कार्यालयों के बोर्ड,फाईल, रजिस्टर आदि पर मध्य प्रदेश की बजाए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सी.एस.ई.बी) लिखा जाने लगा। चूंकि विद्युत मंडल मुख्यालय नहीं था अतः उसकी स्थापना पहली बड़ी चुनौती थी। प्रारंभिक दिनों में पेड़ के नीचे कुर्सी टेबल पर बैठकर भी कार्यों को अंजाम दिया गया था।जहां चाह वहां राह को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल मुख्यालय की स्थापना डंगनिया स्थित पुराने दो मंजिलें भवन में कर ली गई थी। मुख्यालय भवन हेतु चरौदा के पास जंजगिरी अथवा नया रायपुर स्टेडियम रोड भी विचारणीय था किन्तु अनेक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए डंगनिया को उपयुक्त समझा गया। राज्य शासन का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक उपक्रम बिजली बोर्ड ही था, अतः बिजली बोर्ड से मंत्रालय (दाऊ कल्याण सिंह भवन) तक उच्च अधिकारियों को दिन भर दौड़ लगानी पड़ती थी। अतः डंगनिया मुख्यालय ही उपयुक्त रहा। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कर्माचारियों के निर्विवाद बंटवारे संबंधी कार्यों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आर पी कपूर (आईएएस) की अध्यक्षता में जनवरी 2004 में कमेटी गठित हुई थी। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ 20 से अधिक बैठकों के बाद सामंजस्यपूर्ण तरीके से आवंटन पूरा किया गया और इसकी अंतिम बैठक जब 26 मई 2009 को हुई तो कुल मिलाकर 900 कर्मियों को छत्तीसगढ़ आवंटित किया गया।

रायपुर में कुछ भी नहीं था "वेल सेटेड"

मध्य प्रदेश विद्युत मंडल मुख्यालय जबलपुर में छत्तीसगढ़ जाने के इच्छुक अधिकारियों-कर्मचारियों से विकल्प (ऑप्शन) लिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ का ऑप्शन देकर मैंने भी जबलपुर को सदा-सदा के लिए बाय-बाय कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल मुख्यालय रायपुर में 4 मार्च 2001 को अपनी ज्वाइनिंग दी। तब इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाया था कि नई जगह, नए कार्यालय में पुराने जैसा कुछ भी वेल सेटेड नहीं होगा। बिग जीरो से ही आरंभ करना होगा।

स्थिति बड़ी विकट भयावह, हैरान-परेशान कर देने वाली थी। न तो बैठने के लिए कुर्सी थी और न ही कामकाज निपटाने के साधन -सुविधा। जबलपुर जनसंपर्क विभाग से मैं अकेला ही छत्तीसगढ़ आया था अतः कोई सहयोगी कर्मचारी भी नहीं था। जबलपुर के महल जैसे कार्यालय शक्ति भवन के ठाठ बाठ को छोड़कर सभी आए थे इसलिए पीड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। काम के दबाव के बीच रायपुर की भीषण गर्मी को झेलना, एक गिलास पानी के लिए तरसना दुबले को दो आसाढ़ जैसा हो चला था। 'यलो यूरिन' की शिकायत से अधिकांश साथी जूझ रहे थे।

एक हफ्ते मशक्कत के बाद एक टूटी हत्थे वाली कुर्सी और धूल धूसरित लकड़ी की टेबल मुझे मिली। उसे अपने ही हाथों पोंछ कर जब उसमें बैठा तो 'राजसिंहासन' का अहसास हुआ क्योंकि अनेक साथी ऐसे भी थे जो कहीं पेड़ के नीचे तो कहीं टीन की पेटी के ऊपर बैठकर कार्यालयीन कार्यों को ईमानदारी और तेज गति से निपटा रहे थे। टाइप करने के लिए कंप्यूटर तो दूर टाइप राइटर भी नसीब नहीं था और ना ही टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध थी। ऐसे दौर में कागज में कार्बन लगाकर हाथ से ही लिखकर समाचार बनाना पड़ता था। समाचार पत्रों के कार्यालयों तक देने जाना पड़ता था। ऐसे ही भाग दौड़ में एक बार एक महत्वपूर्ण काम समय पर मैं नहीं कर पाया। जिसके कारण मुझे चेयरमैन सर से अच्छी खासी डांट सुननी पड़ी। तब मैंने उन्हें बताया मेरे पास टेलीफोन, फोटो कापी,फैक्स मशीन, गाड़ी घोड़ा की सुविधा और एक भी सहयोगी नहीं है। यह जानकर वे चौंक गए थे। मुझे अविलंब आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने उन्होंने सचिवालय को निर्देशित किया। मेरी टूटी टेबल पर काले रंग का चोंगा वाला फोन, टाइपराइटर सहित दो सहयोगी श्री दिलीप रहेजा और श्री जाबिर कुरैशी मिले। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था।

स्पॉट बिलिंग की शुरूआत जुलाई 2011 में हुई,
विदयुत मंडल का डाटा सेंटर 02 फरवरी 2008 को शुरू हुआ।

अध्यक्ष अलग -तेवर अलग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के प्रथम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के तत्कालीन वित्त सचिव श्री सुयोग्य मिश्रा बने। उनके कुशल मार्गदर्शन में मंडल के सभी कामकाजों में तेजी आई। आगे सुनियोजित योजना के साथ विद्युत मंडल को बढ़ाने का दायित्व बतौर अध्यक्ष श्री गोपाल तिवारी के कंधे पर आया। टेक्नोक्रेट अध्यक्ष का कंधे से कंधा मिलाते सदस्य उत्पादन श्री आर के उपाध्याय और सचिव श्री शरतचंद्र के साथ ही विद्युत मंडल की टीम ने न दिन देखा न रात। सबने केवल काम को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। काम में जरा भी कोताही अध्यक्ष श्री गोपाल तिवारी को नागवार गुजरता था। वे ऊपर से बेहद सख्त थे, क्षण भर में गुस्सा उनके लाल होते नाक पर दिखाई देता था, यद्यपि भीतर से वे नम्र थे।ऐसे दौर में तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष सचिव (आगे सदस्य टी एंड डी बने) श्री शरतचन्द्र साहब आग में बर्फ का काम बखूबी करते थे।

ढाबे का वो रूखा सूखा खाना

राज्य विभाजनोपरांत बंटवारे में मिले विद्युत गृहों से उत्पादित बिजली छत्तीसगढ़ की जरूरत से अधिक थी,अतः छत्तीसगढ़ को देश के विद्युत आधिक्य राज्य (सरप्लस पावर स्टेट) के रूप में पहचान मिली, किंतु छत्तीसगढ़ की विद्युत पारेषण-वितरण हेतु अधोसंरचना का बेहद अभाव था। गांव सहित शहरों को भी विद्युत समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। लचर विद्युत प्रणाली से उबरने के लिए चौबीसों घंटे सातों दिन काम करना पड़ रहा था। नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे। वे जानते थे कि विकास तेजी से करना है तो बिजली की अधोसंरचना का द्रूत गति से विस्तार करना होगा।वे स्वयं,तथा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री धनेश पटिला एवं ऊर्जा राज्यमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू हरेक सप्ताह नये नये उपकेंद्रों का भूमि पूजन,शिलान्यास कर रहे थे। ऐसे कार्यक्रमों में संचालन, कव्हरेज हेतु आने जाने के दौरान मैंने देखा कि चेयरमैन, मेम्बर, मुख्य अभियंता सहित पूरी टीम कहीं भी छोटे मोटे ढाबे में रुखा सूखा खाने में गुरेज नहीं करती थी, बल्कि सलाद- सब्जी काटने में हम भीड़ भी जाते थे। अनथक परिश्रम का रंग छत्तीसगढ़ में चढ़ता गया और बिजली व्यवस्था में सुदृढ़ता आती चली गई।

बिना तामझाम सामान्य सी बैठक व्यवस्था में पहला स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। वह एक सादा कार्यक्रम ही था। समारोह जैसी भव्यता, साधन सम्पन्नता, धूमधाम बैंड परेड,नहीं था पर उसके आयोजन में लगा हर चेहरा अभिनव पहल नामक 'फेसक्रीम' लगाए हुए चमक रहा था। फिर आगे जब गणतंत्र दिवस आया तो वह समारोह का रूप लिए हुए था।पहली बार छगविमं का कैलेंडर-डायरी-समंक प्रकाशित और विमोचित हुआ। जिसकी एक एक प्रति पाने सभी लालायित रहते थे।

कंपनी के संकल्प को दर्शाने शुरू हुआ "संकल्प"

मार्च 2003 में टेक्नोक्रेट श्री बी.एस. बनाफर अध्यक्ष नियुक्त हुए। उन्होंने प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन की बृहद संभावना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, फलस्वरूप गंगरेल,सिकासेर जल-विद्युत तथा कोरबा में ताप विद्युत गृह निर्माण कार्य को गति मिली। छत्तीसगढ़ को 'पावर हब आफ इंडिया' बनाने की कारगर पहल हुई। उनकी सोच से ही मंडल की गृह पत्रिका 'संकल्प' का नामकरण और प्रकाशन वर्ष 2003 में आरंभ हुआ।

मंडल में नए दौर की शुरूआत

नवंबर 2003 के आमचुनाव में भाजपा की सरकार बनी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह बने। ऊर्जा विभाग की बागडोर भी उन्होंने ही संभाला। तब बिजली बोर्ड के अध्यक्ष बने आईएएस श्री अजय सिंह, जो कि राज्य शासन के ऊर्जा सचिव भी थे। इस दौर में छत्तीसगढ़ 'विद्युत गढ़' बना और 'जीरो पावर कट स्टेट' होने का गौरव भी मिला। छत्तीसगढ़ की विद्युत व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने नये क्षेत्रीय कार्यालयों का भी गठन किया गया। सरगुजा, बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य सुदूर वनांचलों की बिजली व्यवस्था भी पुख्ता की गई। सुदृढ़ कार्यशैली और सुवित्तीय प्रबंधन के कारण विद्युत की दरें बढ़ाई नहीं गई, जबकि देशभर में बिजली की दरों में प्रति वर्ष इजाफा हो रहा था। सितंबर 2004 में मंडल अध्यक्ष के पद पर श्री राजीव रंजन पदस्थ हुए। वे न तो ब्यूरोक्रेट थे न ही टेक्नोक्रेट पर कार्य प्रबंधन, टीम वर्क, प्रचार प्रसार में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उनके ही कार्य काल में मंडल के नये प्रशासनिक भवन विद्युत सेवा भवन, कोरबा विद्युत विस्तार परियोजना और कॉल सेंटर की स्थापना हुई। हसदेव बांगो जल विद्युत गृह को देशभर में उत्कृष्टता का प्रथम पुरस्कार मिला। जून 2007 को बस्तर क्षेत्र में अति उच्च दाब लाइन के टॉवर माओवादियों द्वारा गिरा दिए गए थे, जिसके कारण बस्तर में 11 दिनों तक बिजली गुल रही थी। इसे पूर्ववत बहाल करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जान जोखिम में डालकर मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों ने बिजली बहाली की थी।

बनेगी अपनी छत, अपना बिजली घर ।
दिलाए मुफ्त बिजली, पीएम सूर्य घर ।।

विद्युत मंडल का नया कलेवर विद्युत कंपनी

देशभर में विद्युत सुधार की प्रक्रिया चल रही थी तभी वर्ष 2009 में विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत छगविमं का पुनर्गठन किया गया और पाँच अलग-अलग राज्य विद्युत कंपनियों का गठन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पॉवर होल्डिंग, उत्पादन, पारेषण, वितरण और ट्रेडिंग कम्पनी शामिल थीं। पाँचों कंपनियों के अध्यक्ष तत्कालीन छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री पी. जाय ओमेन बनाए गए। इनके फरवरी 2012 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरांत पूर्व मुख्य सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री शिवराज सिंह कम्पनियों के अध्यक्ष बनाए गए। ब्यूरोक्रेट तथा टेक्नोक्रेट होने के साथ ही इनके प्रशासनिक कार्यों के दीर्घ अनुभव का लाभ कम्पनी को मिला। बतौर अध्यक्ष इनका कार्यकाल (लगभग सात वर्ष) सर्वाधिक लम्बे समय तक रहा। वर्ष 2018 में विधानसभा के आमचुनाव में पुनः सत्ता परिवर्तन हुआ। ऊर्जा मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पाँच वर्षों तक ऊर्जा क्षेत्र को दिशा प्रदान की। पॉवर कम्पनी अध्यक्ष के पद पर जनवरी 2019 को श्री शैलेन्द्र शुक्ला की पदस्थापना हुई। मोर बिजली एप सुविधा और कंपनी में फोर व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने की शुरुआत उनके ही कार्यकाल में हुई। उनका कार्यकाल केवल एक वर्ष दो माह का रहा। राज्य शासन ने अध्यक्ष का अस्थाई कार्यभार अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू को सौंपा। यह दौर कोरोना महामारी के कारण अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था। जिसका निडरता पूर्वक सामना करते हुए श्री साहू के नेतृत्व में कम्पनी के अधिकारियों-कर्मचारियों ने विद्युत व्यवस्था को सतत बनाए रखा। इसी क्रम में आगे टेक्नोक्रेट-ब्यूरोक्रेट श्री अंकित आनंद चेयरमैन बने। मेरी सेवा यात्रा का यह अंतिम पड़ाव रहा।

अगले जनम मोहे....

मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल फिर पॉवर कम्पनियों का गठन जैसे उतार चढ़ाव को पार करते हुए लगभग बत्तीस वर्षों की सेवा यात्रा को पूरी करके जून 2021 में अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) पद से सेवानिवृत हुआ। मेरे लिए गर्व की बात रही कि बिजली बोर्ड के इतिहास में पहली बार अतिरिक्त महाप्रबंधक जनसंपर्क का पद सृजित हुआ और मेरी पदोन्नति इस पद पर हुई। बिजली बोर्ड की सेवा इतनी अच्छी रही कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि **"अगले जनम मोहे बिजली बोर्ड में ही नियुक्ति दीजो"।**

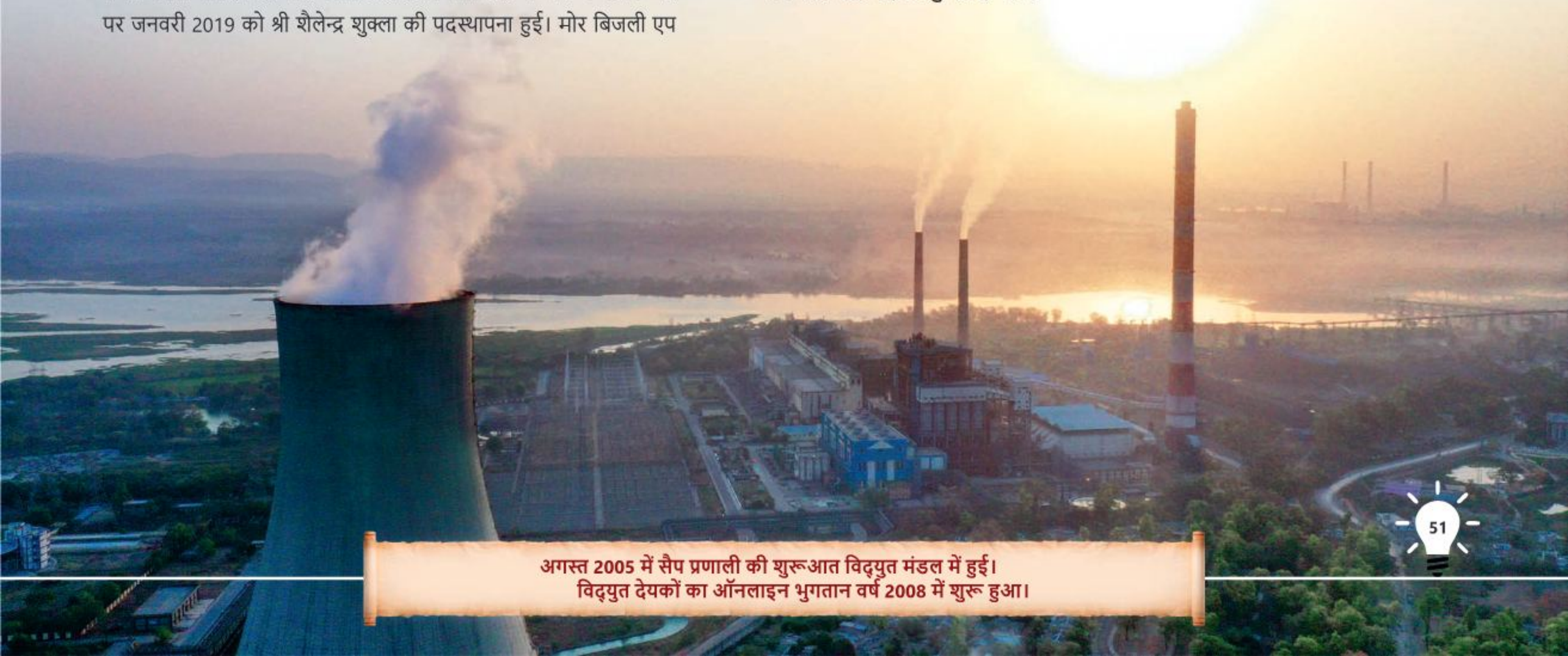

अगस्त 2005 में सैप प्रणाली की शुरूआत विद्युत मंडल में हुई।
विद्युत देयकों का ऑनलाइन भुगतान वर्ष 2008 में शुरू हुआ।

बिजली की रोशनी से आलोकित हुआ छत्तीसगढ़ का हर घर-परिवार

विरासत: छत्तीसगढ़ में यूं रोशन हुए बिजली के बल्ब

बिजली है तो यह आधुनिक जीवन है। बिजली है तो जीवन को सुगम बनाने वाले उपकरण है और बिजली है तो सरपट दौड़ती हमारी जिंदगी। जल और वायु के बाद विद्युत मानों जीवन की अनिवार्यता हो गई है। लेकिन क्या आज की पीढ़ी इस बात को स्वीकार करेगी कि सिर्फ 200 वर्ष पूर्व बिजली का वर्तमान स्वरूप में उपयोग मानव जीवन में नहीं था और भारत के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ 150 वर्ष पूर्व यह विद्युत ऊर्जा शब्दकोष का हिस्सा भी नहीं था। वर्ष 1896 में दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में एक छोटे पन बिजली संयंत्र की स्थापना के साथ शुरू हुआ भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। भारत में तब की राजधानी कोलकाता में कलकत्ता इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी ने पहली बार 1889 में महात्मा गांधी रोड (तत्कालीन हैरिसर रोड) पर स्ट्रीट बल्ब जलाकर दिखाया । इस प्रकार देश ने पहली बार बिजली के उपयोग को जाना। बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता के पहले निजी उत्पादकों और वितरकों को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान की जाती थी । विद्युत उत्पादन और वितरण इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1887, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1903 और फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अधीन नियंत्रित होते रहे। प्रारंभिक दिनों में बिजली का उत्पादन प्रमुख रूप से जल आधारित तथा डीजल संचालित संयंत्रों से होता था। तब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा उपयोग सीमित ही थे और आमजन के लिए सपने की तरह था।

स्वतंत्रता के पश्चात देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए विद्युत ऊर्जा के महत्व को समझा गया और इसे गति प्रदान करने के लिए विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 लागू किया गया। उस दौर में छत्तीसगढ़, सेन्ट्रल प्राविंस तथा बरार प्रांत का हिस्सा था। ऐसे में पूरे भारत में 10 सितंबर 1948 को नया विद्युत अधिनियम लागू हुआ (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)। छत्तीसगढ़ समेत पूरे प्रांत की राजधानी नागपुर थी जहाँ पहली बार 1905 में बिजली के बल्ब की रोशनी को लोगों ने देखा। लेकिन छत्तीसगढ़ को बिजली के लिए एक और दशक का इंतजार करना पड़ा। 1939 तक सीपी एवं बरार प्रांत में कुल 10 विद्युत घर थे जिससे 36.4 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होता था। इसमें से 25.464 निजी क्षेत्र में उत्पादित होता था।

पहला विद्युत अधिनियम और विद्युत मंडल

विद्युत के समुचित विकास और विस्तार में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह स्वतंत्रता के बाद विद्युत ऊर्जा क्षेत्र को तेजी से आगे ले जाने के उदेश्य से बना पहला अधिनियम था। इसी अधिनियम ने केन्द्रीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी), स्वतंत्र राज्य विद्युत मंडलों के गठन का मार्ग प्रशस्थ किया था और देश के पहले विद्युत मंडल के रूप में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का गठन 9 दिसंबर 1950 को हुआ। एक अप्रैल 1952 में मंडल ने एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में विधिवत कार्य प्रारंभ किया। तब मुख्यालय नागपुर हुआ करता था। उस दौर में मध्यभारत का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी था और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा अनुसार 1 नवंबर 1956 को गठित मध्यप्रदेश राज्य का भी हिस्सा बना। 1956 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की उत्पादन क्षमता 81.5 मेगावॉट थी जबकि पारेषण लाइन 66 केव्ही की थीं जो 221 सर्किट किलोमीटर में ही विस्तारित थीं। आजादी के पहले सीपी और बरार के दो प्रमुख क्षेत्र बिलासपुर तथा रायपुर विद्युत ऊर्जा के लिहाज से काफी पिछड़े थे।

पहली बार आई बिजली

इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910) के लागू होने से। अधिनियम के तहत विद्युत उत्पादन और वितरण हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) देने की प्रणाली प्रारंभ हुई। चार दशकों तक कम क्षमता के विद्युत संयंत्रों के माध्यम से प्रमुख शहरों में संपन्न वर्ग के उपभोक्ताओं तक बिजली पहुँची। छत्तीसगढ़ में पहली बार बिजली रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहर में नहीं बल्कि अंबिकापुर में आई। यहाँ आज से एक शताब्दी पहले 1915 में लोगों ने बिजली से नगर को रोशन होते देखा। इसी क्रम में सारंगढ़ में 1924, छुईखदान में 1926, रायपुर और राजनांदगांव में 1928 , जगदलपुर और बैकुंठपुर में 1929, खैरागढ़ में 1930, रायगढ़ में 1931, बिलासपुर में 1934 और जशपुर में 1941 में बिजली आपूर्ति के प्रमाण हैं। इन्हीं दशकों में बीजापुर, कांकेर समेत कई अन्य स्थानों पर छोटे पॉवर जनरेटरों के जरिए आवश्यक सेवाएं बहाल होती रहीं।

हम सब करें बचत का वादा ।
बिल न होगा कभी भी ज्यादा ।।

अंबिकापुर बना ध्वजवाहक

सरगुजा संभाग के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बिजली का आगमन अंबिकापुर में हुआ। यहाँ 1915 में 30.5 किलोवॉट का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया। 1953 में 173 किलोवॉट तक पहुंच गया था जबकि 1958 में कुल उपभोक्ता सिर्फ 262 ही थे। अंबिकापुर के अलावा बैकुंठपुर रियासत ने 1929 में अपना बिजली संयंत्र स्थापित किया जिसकी क्षमता केवल 15 किलोवॉट थी, 1954 में यह क्षमता 27 किलोवॉट तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बिश्रामपुर कालरी तथा रेलवे द्वारा भी बिजली का कुछ उत्पादन किया जाने लगा था। 1962 में कोरबा से 132 केव्ही लाइन जिसका चिरमिरी में उपकेन्द्र बनाया गया था के जरिए पूरे सरगुजा अंचल को बिजली मिलने लगी। 1958 तक बिजली का सिर्फ घरेलू उपयोग किया जा रहा था जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए कुछ और वर्ष का इंतजार करना पड़ा।

शुरूआती दौर से लेकर अस्सी के दशक तक निम्नदाब विद्युत लाइनों के लिए लकड़ी के खंभों का उपयोग किया जाता रहा। इसके लिए साल,सागौन जैसी कीमती पर टिकाऊ लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। इन लकड़ियों की सिजनिंग (लकड़ी से नमी निकालने की पद्धति) के लिए मनेंद्रगढ़ में बाकायदा सिजनिंग प्लांट की स्थापना की गई थी। अस्सी के दशक की शुरूआत में लकड़ी के खंभों की बजाए पीसीसी के खंभों ने स्थान ले लिया।

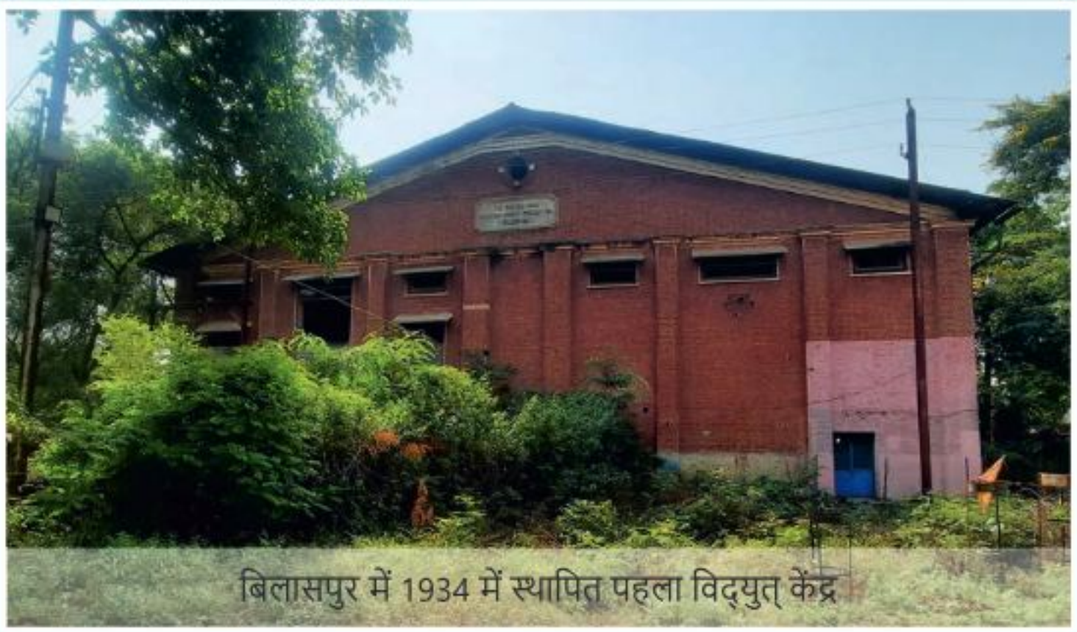

बिलासपुर में 1934 में स्थापित पहला विद्युत् केंद्र

सागौन के खंभे

संयुक्त रायगढ़ जिले में पहले की रियासतों ने अपने-अपने स्तर पर सजग प्रयास किए। जशपुर, सारंगढ़, सक्ति जैसी रियासतों में बड़ी सजगता थी। सारंगढ़ में सबसे पहले 1924 में बिजली से नगर की सड़कों को रोशन किया गया। राजा स्व.जवाहीर सिंह ने यहां 35 किलोवॉट बिजली का उत्पादन शुरू करवाया था। नगर में प्रकाश के लिए बाकायदा सागौन के ऊँचे खंभों पर बल्ब लटकाए जाते थे। इन दिनों यहाँ सिर्फ 14 उपभोक्ता थे। 1958 में उत्पादन क्षमता कम होकर 30 किलोवॉट हो गई।

रायगढ़ में नगर पालिका के नियंत्रण में 100 किलोवॉट का पॉवर स्टेशन था जो 1931 में शुरू हुआ जहाँ उस दौर में सिर्फ 273 उपभोक्ता थे । 1960 में स्थापित क्षमता बढ़कर 500 किलोवॉट (ए.सी.) तथा 100 किलोवॉट(डीसी) थी. वहीं कुल उपभोक्ता 1321 थे। जो रायगढ़ आज ऊर्जा तथा इस्पात का शहर है वहाँ 1954 में पहली बार बिजली का औद्योगिक उपयोग शुरू हुआ ।

जशपुर राजपरिवार के राजा स्व. विजय भूषण सिंह देव ने 1941 में 37 किलोवॉट का पॉवर स्टेशन शुरू करवाया था जिसके प्रमाण आज भी उनके राजमहल के परिसर में ही मौजूद है। इसके अतिरिक्त पानी की आपूर्ति के लिए पनचक्की (रहट) भी बनाया गया था और आज उस स्थान को लोग पनचक्की के नाम से जानते हैं। 1958 के आते तक उत्पादन क्षमता 13 किलोवॉट हो गई थी जो फिर 1970 के आते तक 125 किलोवॉट हो गई। इन्हीं के साथ धरमजयगढ़ में वर्ष 1960 से 1964 तक 25 किलोवॉट क्षमता का विद्युत उत्पादन भी हो रहा था। रायगढ़ क्षेत्र के सभी संयंत्रों को 1953 में मध्यप्रदेश विद्ययुत मंडल ने अधिग्रहित कर लिया। वर्ष 1963 में रायगढ़ एक वितरण केन्द्र भी बन गया था जहाँ से आसपास के सभी स्थानों को बिजली आपूर्ति की जाती थी। पहली पंच वर्षीय योजना के दौरान जिले का सिर्फ चार गाँव विद्युतीकृत हो पाया था।

राजनांदगाँव को पछाड़ आगे हुआ छुईखदान

दुर्ग संभाग में सबसे पहले छुईखदान रियासत में बिजली से रोशनी की गई। 20 वीं शताब्दी के शुरूआती दशकों में राजनांदगाँव, छुईखदान और खैरागढ़ रियासत ने अपने यहाँ बिजली की आपूर्ति का काम प्रारंभ किया। वरिष्ठ पत्रकार विरेन्द्र बहादुर सिंह बताते हैं कि असल में राजनांदगाँव के राजा अपने यहाँ सबसे पहले बिजली लाने की तैयारी में थे जिस बारे उन्होंने

संयुक्त म.प्र. का पहला 132 केव्ही उपकेन्द्र – भिलाई में 1958 में निर्मित।



अपने मित्र और छुईखदान के राजा को बताया था। छुईखदान के राजा ने तत्काल काम शुरू कर अपने यहाँ 1926 में ही बिजली का उत्पादन कर दिया। राजनांदगाँव में 1928 तथा खैरागढ़ में 1930 में बिजली से बल्ब रोशन हुए। तीनों स्थानों पर डीजल आधारित संयंत्र स्थापित किए गए थे। छुईखदान में 45 किलोवॉट, खैरागढ़ में 80 तथा राजनांदगाँव में 220 किलोवॉट बिजली का उत्पादन किया जा रहा था। इन सबके बाद दुर्ग में 1951 में 75 किलोवॉट क्षमता की बिजली का उत्पादन शुरु हुआ। इस दौरान तक सभी चारों स्थानों के पॉवर स्टेशन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के अधीन हो गए थे।

बस्तर के साल के खंभे और बिजली

बस्तर क्षेत्र भी बिजली के मामलों बहुत पीछे नहीं था। बस्तर राजपरिवार के प्रयासों से पहली बार 1929 में बिजली आई। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कश्यप बताते हैं कि शुरूआत में पाँच डीजल जनरेटर बस्तर रियासत के लिए खरीदे गए थे जिसमें से चार इंद्रावती के किनारे पॉवर हाउस में स्थापित किया गया था तथा एक भोपालपट्टनम भेजा गया था। बस्तर की रानी प्रफुल्ल कुमारी देवी के प्रयासों से यह बिजली 21 फरवरी 1929 में नगर में पहुँची थी। राजमहल के साथ ही पाँच हजार की आबादी वाले जगदलपुर में बिजली के तार, साल पेड़ के खंभों पर लटकाए जाते थे। 1965 में यह सभी जनरेटर बंद कर दिए गए। चालीस के दशक में कांकेर रियासत ने भी जनरेटर की सहायता से बिजली की व्यवस्था की थी। पर बस्तर को असल में रोशनी 1962 में उड़ीसा से आई 33 केव्ही लाइन की मदद से मिली। 1963 में 33 केव्ही बालोद – भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, कांकेर, कोण्डागाँव, जगदलपुर लाइन का निर्माण पूरा हुआ और क्षेत्र में बिजली बस्तर के हर क्षेत्र में पहुँच गई। 1968 में 132 केव्ही लाइन स्थापित हुआ और किरंदुल में बना उपकेन्द्र। इससे बैलाडीला से लौह अयस्क खदान से खनिज परिवहन के लिए रेलवे को गति मिली। इसी बस्तर से देश का पहला हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचव्हीडीसी) लाइन बारसूर से तेलंगाना के लोअर सिलेरू (196 किलोमीटर) तक 1991 में शुरू हुआ। इस एचवीडीसी लाइन को वर्ष 2014 में बंद कर दिया पर इस लाइन का अब 220 केव्ही उपकेन्द्र के लिए उपयोग किया जा रहा है।

मध्यप्रांत की पहली नगर पालिका जिसने की विद्युत आपूर्ति

आज से लगभग सौ वर्ष पूर्व 1926 में नगर पालिका समिति रायपुर ने विचार किया कि पानी की आपूर्ति के साथ ही नगर में प्रकाश व्यवस्था की जाए। इसके लिए कोलकाता कि एक फर्म कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन को लाइसेंस दिया गया। अक्टूबर 1928 में पहली बार शहर में बिजली की आपूर्ति शुरू हुई। विद्युत उत्पादन और वितरण में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण दिया गया लाइसेंस 1932 में वापस ले लिया गया और नगर पालिका विद्युत उपक्रम (म्यूनिसिपल इलेक्ट्रीकल अंडरटेकिंग) रायपुर ने यह काम अपने हाथ में ले लिया। रायपुर, मध्यप्रांत का पहला नगर पालिका था जो विद्युत आपूर्ति को अपने बूते संचालित कर रहा था। रायपुर के भाठागाँव तथा नयापारा में मौजूद पॉवर हाउस, बिजली का उत्पादन करते थे। इसमें 1939 में सिर्फ 240 किलोवॉट बिजली बनती थी जिससे आवश्यक सेवाओं की बहाली की जाती थी।



जगदलपुर में 1929 में स्थापित पॉवर प्लांट का धरोहर नुमा जनरेटर

आई सूर्य घर योजना, लेकर बिजली मुफ्त ।
घर- घर पहुँची बिजली, हर छत बिजली घर ।।

विद्युत उत्पादन करने वाला इंजन बना धरोहर

1928 में रायपुर में पहला उत्पादन केंद्र भाठागाँव में था जिसमें उत्पादित बिजली जलापूर्ति और आवश्यक प्रकाश व्यवस्था के लिए काम में लाई जाती थी। बाद में नयापारा में भी उत्पादन केन्द्र बनाया गया इस नए उत्पादन केन्द्र के कारण ही इसका नाम नयापारा हो गया। आज भाठागाँव में उत्पादन करने वाला इंजन धरोहर की तरह टॉउनहाल के सामने स्थित उद्यान में रखा गया है जिससे आज की पीढ़ी भी उस ऐतिहासिक धरोहर को निहार सके और अपने पुरखों की दूरदर्शिता पर गर्व कर सके।

चालीस के दशक में भूमिगत बिजली के केबल

आज जबकि रायपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के अंदर अंडरग्रांउड केबलिंग की जा रही है तो याद आता है 1930-40 का वह दशक जब रायपुर में ही पहली बार भूमिगत बिजली के केबल बिछाए गए थे. पुराना विद्युत उत्पादन केन्द्र, भाठागाँव से शहर उपकेन्द्र तक 6.6 किलोवोल्ट की साढ़े चार मील की लाइन में से 2.56 मील भूमिगत थी। तब के दौर में चार उपकेन्द्र थे जिसमें शहर , सिविल लाइन , राजकुमार कालेज तथा दूधाधारी मठ क्षेत्र शामिल था। संयुक्त रायपुर जिले का मानिकचौरी पहला गाँव है जहाँ 1956 में लोगों ने बिजली के बल्ब से घरों को रोशन किया।



टाउन हॉल के सामने रायपुर का पहला विद्युत इंजन

रायपुर में बिजली और किशोर कुमार

शुरूआती दिनों में नगर में विद्युत अधोसंरचना विशेषकर खंभों में लाइटिंग,वायरिंग जैसे कार्यों के लिए ठेका मशहूर गायक और अभिनेता स्व.किशोर कुमार के चाचा को दिया गया था जो कलकत्ता में एक फर्म चलाते थे। एक जून 1948 को सीपी एवं बरार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने तत्कालीन मुख्य अभियंता एवं महाप्रबंधक विद्युत विभाग, सीपी एंड बरार को इस कंपनी को अधिग्रहित करने की सहमति दी। भाठागाँव एवं नयापारा में स्थित जनरेटर, बॉयलर, जमीन आदि संपत्तियों का कुल मूल्यांकन 7,20,000 रूपए किया गया। 1950 में रायपुर में विद्युत उत्पादन क्षमता 476 किलोवॉट थी जिसमें से कुछ औद्योगिक उपयोग के लिए भी भेजा जा रहा था इस दौरान पूरे रायपुर क्षेत्र में सिर्फ 18 सौ उपभोक्ता थे जबकि आज शहर में ही पाँच लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। समय के साथ बढ़ती मांग और विद्युत सुविधा के विस्तार के लिए पूर्वी उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत 15 अगस्त 1951 को रायपुर के गुढियारी में चार हजार किलोवॉट के पहले पॉयलट पॉवर स्टेशन (शासकीय पॉवर हाऊस) का मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल ने लोकार्पण किया था। 1958 में इसकी क्षमता बढ़कर आठ हजार किलोवॉट (8 मेवॉ) हो गई थी पर कोरबा से बिजली की आपूर्ति शुरू होते ही यहाँ की उत्पादन क्षमता 6 हजार 200 किलोवॉट पर आ गई और बाद में 1965 में इस बिजली घर को बंद कर दिया गया। अब इस बंद पड़े पॉवर हॉउस भवन में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सिविल कार्यालय समेत अन्य कार्यालय संचालित हैं।

बिलासपुर का वो लाहौरी शेड

बिलासपुर में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 1934 में तीस वर्षों का लाइसेंस दिया गया पर एक वर्ष बाद इसे सेन्ट्रल इंडिया इलेक्ट्रीक सप्लाई कंपनी को सौंप दिया गया। लाहौर (तत्कालीन पंजाब) की जिस कंपनी ने तोरवा क्षेत्र में पॉवर हाऊस बनाया उसके लिए ईंटें कानपुर से मंगाई गई थीं। ये खास किस्म की ईंटे होती हैं जिसे रिफैक्ट्री ब्रिक्स कहा जाता है जो बहुत अधिक तापमान में भी नष्ट नहीं होता और जल्द ही ठंडा भी हो जाता है। संयंत्र के लिए निर्मित चिमनी की लंबाई 30 मीटर थी। पॉवर हाउस की उत्पादन



रायपुर में 1951 में स्थापित 4 मे.वा. का पहला विद्युत केंद्र

**साइबर सुरक्षा के लिए शासकीय उपक्रमों में देश का पहला सेंटर,
सेन्ट्रालाइज्ड साइबर सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेन्टर रायपुर में स्थापित।**

क्षमता 1936 में 688 किलोवॉट थी जबकि 1950 के आते तक क्षमता 954 किलोवॉट हो गई थी। लाइसेंस समाप्ति के बाद 4 मई 1964 को मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ने इसे अधिगृहित कर लिया। इस बीच शहर को बिजली आपूर्ति करने वाला पॉवर हॉउस शहर के लिए गौरव का स्थान रखता था। इतना ही नहीं लाहौर की कंपनी ने चूंकि काम शुरू किया था ऐसे में बिलासपुर के एरिया स्टोर जो कुछ वर्ष पहले तक तिफरा में ही स्थित था का एक शेड लाहौरी शेड के नाम से जाना जाता था। समय के बीतने के साथ पॉवर हॉउस की जर्जर होती लगभग 100 फीट ऊँची चिमनी के गिरने का डर बढ़ने लगा और 2016 में इसे स्थानीय नागरिकों के विरोध के बावजूद गिराया गया। यह कितनी सुखद बात है कि पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में जिस संयुक्त बिलासपुर जिले के सिर्फ तीन गाँव में बिजली पहुँची थी वहाँ आज हर घर बिजली से रोशन है।

स्वतंत्रता के बाद विकास को गति प्रदान करने के लिए 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मध्यभारत प्रांत को उत्पादन के लिहाज से तीन



क्षेत्रों में बांटा गया जिसके तहत एक क्षेत्र रायपुर को बनाया गया। पूर्व क्षेत्र में रायपुर में 4 मेगावाट का एक विद्युत गृह स्थापित किया गया। 1951 में मध्यप्रदेश में स्थापित विद्युत गृहों की कुल क्षमता 39.28 मेगावॉट थी जो योजना के अंत 1956 में बढ़कर 81.5 मेगावाट हो गई। वर्ष 2000 के आते तक मध्यप्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3 हजार 900 मेगावॉट के करीब पहुँच गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा 1360 मेगावॉट था।

विद्युत उत्पादन का बड़ा पड़ाव

छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन का पहला बड़ा पड़ाव 25 जून 1957 को आया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ कैलाश नाथ काटजू ने कोरबा जिले (तत्कालीन बिलासपुर जिला) में 100 मेगावॉट के कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। सच कहें तो यहाँ से सिलसिला चल पड़ा और मध्यप्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका निर्धारित हुई।



इधर कोरबा में ही नेश्नल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) ने 1980 के दशक में 2100 मेगावॉट का संयंत्र शुरू किया वहीं भारत एल्यूमिनियम कार्पोरेशन (बाल्को) ने 270 मेगावॉट के केप्टिव पॉवर प्लांट की स्थापना की थी। मिनीमाता हसदेव बांगो पन बिजली परियोजना भी 90 के दशक में मध्यप्रदेश में बड़े संकटमोचक की भूमिका में थी जहाँ 120 मेगावॉट क्षमता का विद्युत उत्पादन बड़ा सहायक साबित हुआ। इस प्रकार मध्यप्रदेश के लिए कोरबा एक पॉवर हब साबित हुआ और कालांतर में पृथक प्रदेश छत्तीसगढ़ को भी ऊर्जा, कोरबा से ही मिलती रही और यह छत्तीसगढ़ के लिए ऊर्जाधानी के रूप में स्थापित है।

आज कोरबा में एनटीपीसी, राज्य विद्युत कंपनी और निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हजारों मेगावॉट बिजली का उत्पादन कर रहीं हैं। कोरबा की बिजली से प्रदेश ही नहीं देश के कई



बिजली है प्रगति की धूरी ।
मिलकर रोकें इसकी चोरी ।।

राज्य रोशन हो रहे हैं। कई उद्योग संचालित हो रहे हैं जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो देश के विकास को गति प्रदान कर रही है कोरबा की बिजली।

पारेषण में मजबूत पर वितरण लचर

पारेषण क्षमता की बात करें तो मध्यप्रदेश के दौर से ही इसका लगातार विस्तार हो रहा था। मध्यप्रदेश निर्माण के समय उच्चदाब के तौर पर 66 केव्ही की पारेषण लाइनें स्थापित थीं जिसकी लंबाई सिर्फ 221 सर्किट किलोमीटर थी। अगले तीन दशकों में मांग और आपूर्ति का तालमेल बनाने के लिए पारेषण लाइनों और उपकेन्द्रों का निर्माण हुआ। 66 केव्ही की लाइनों की क्षमता 400 केव्ही तक बढ़ाई गई। बिलासपुर के तिफरा स्थित 132 केव्ही का उपकेन्द्र पहला उपकेन्द्र है जो 1959 में चार्ज किया गया था। मध्यप्रदेश में पहली बार 400 केव्ही लाइन और उपकेन्द्र का काम 1983 में शुरू हुआ जो 1985 में पूर्ण हुआ। 400 केव्ही की पहली लाइन सतपुड़ा और इंदौर के बीच 360 किलोमीटर की बिछाई गई साथ ही कोरबा से भिलाई की 199 किलोमीटर तथा भिलाई से सतपुड़ा की 375 किलोमीटर की लाइन का काम भी इसी दौरान पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ में 220 केव्ही तथा 132 केव्ही लाइनों का विस्तार तथा उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा था। राज्य निर्माण के पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा तथा भिलाई में 400 केव्ही का उपकेन्द्र स्थापित हो चुका था वहीं 220 केव्ही के चार अतिउच्चदाब उपकेन्द्र बिलासपुर, भिलाई, भाठापारा और उरला में तथा 132 केव्ही के 25 उपकेन्द्र स्थापित हो चुके थे।

दीया तले अंधेरा

वर्ष 2000 के आते तक छत्तीसगढ़ में उत्पादन तथा पारेषण की क्षमता तो अच्छी थी । इन सबके बावजूद मध्यप्रदेश के दौर में वितरण की व्यवस्था में कभी प्राथमिकता नहीं मिली। अब की पीढ़ी उस उपेक्षा का अहसास नहीं कर सकती न ही उस अंधकार की पीड़ा को समझ सकती है। एक बानगी देखें कि 1992 तक मध्यप्रदेश के 45 में से 17 जिले पूर्ण विद्युतीकृत हो चुके थे इसमें से छत्तीसगढ़ से एक भी जिला शामिल नहीं था। शांतिपूर्ण क्षेत्र की सहज जनता को भरमाने के सिवा विकास के मामले में मध्यप्रदेश के अन्य हिस्सों से कही कमतर प्राथमिकता और संसाधन मुहैय्या कराया जाता रहा। सिर्फ ढाई दशक बीते हैं और यादें बहुत धुंधली नहीं है जब शेष मध्यप्रदेश में रबी फसल को पानी देने के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बिजली घंटों गुल रहा करती थी।

पुनर्गठन विधेयक और पृथक विद्युत मंडल की गूंज

छत्तीसगढ़ के लोगों की इस पीड़ा को राजनीतिक बाध्यताओं से ऊपर उठकर राजनेताओं ने संसद में मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पर चर्चा के दौरान जोर शोर से उठाया। लोकसभा में चर्चा की शुरूआत करते हुए मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्यामाचरण शुक्ल ने बिजली के क्षेत्र में लगातार हो रही उपेक्षा को रेखांकित करते हुए पृथक विद्युत मंडल का प्रावधान विधेयक में भी करने का आग्रह किया। इनके अलावा तत्कालीन सदस्य डॉ चरणदास महंत, श्री पुन्नुलाल मोहले, श्री पी आर खूंटे , स्व. ताराचंद साहू ने भी इस क्षेत्र की उपेक्षा का उल्लेख कर पृथक विद्युत मंडल के गठन पर बल दिया।

अटल जी ने दिया राज्य और बदल गई तस्वीर

छह दशकों से अधिक समय से पृथक राज्य की मांग बिना किसी हिंसक आंदोलन के पूरी हुई। छत्तीसगढ़ को अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना वचन निभाया और एक नवंबर 2000 को देश के 26 वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया।

राज्य गठन के बाद गठित सरकारों ने अपनी-अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से परे ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राज्य गठन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.अजीत प्रमोद जोगी ने साहसिक निर्णय लेते हुए 15 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कर उन्होंने राज्य के हितों से समझौता नहीं करने का स्पष्ट संदेश दिया।

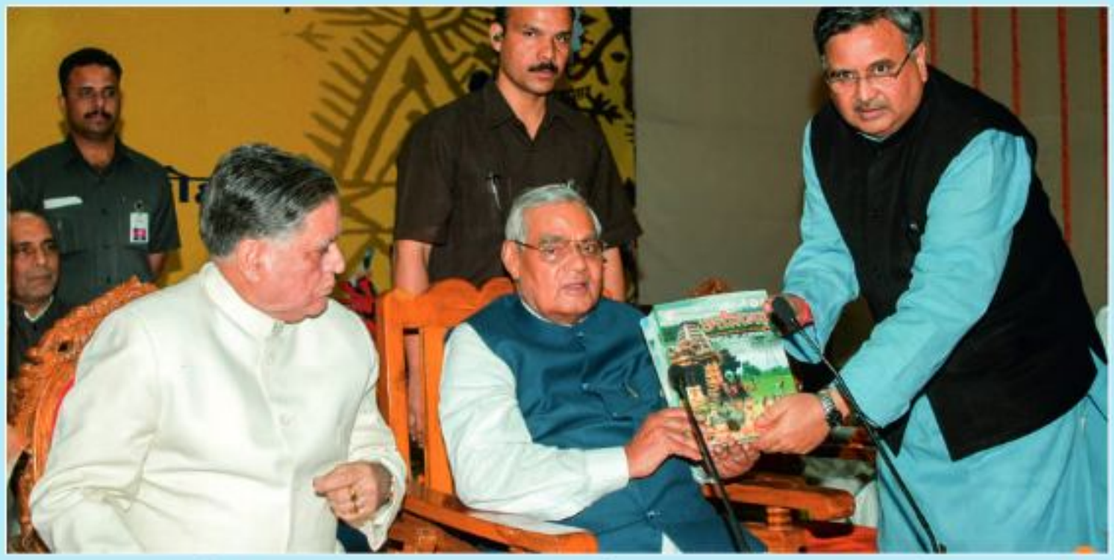

राज्योत्सव 2005 में सम्मिलित हुए राज्य निर्माता भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी

प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर 23 मार्च 1971 को हुआ स्थापित।



इस कार्य में विद्युत मंडल के तत्कालीन अभियंताओं ने तकनीकी तैयारी और विपक्ष के नेताओं ने नैतिक सहयोग देकर इस पुनीत कार्य को मुकाम तक पहुँचाया। तीन वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में विद्युत विकास के अपनी दूरगामी सोच को धरातल पर लाने का सार्थक प्रयास किया। प्रदेश को बिजली कटौती युक्त प्रदेश से कटौती मुक्त प्रदेश बनाने का प्रारंभिक कार्य किया।

विद्युत विकास को मिली नई दिशा

दिसंबर 2003 के बाद डॉ रमन सिंह का नेतृत्व ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश के लिए स्वर्णिम युग कहा जाएगा। पॉवर सरप्लस स्टेट का दर्जा हासिल करने से लेकर अधोसंरचना का अभूतपूर्व कार्य अपने कार्यकाल में पूर्ण कराया। संभावनाशील प्रदेश के लिए ऊर्जा पहली और प्राथमिक आवश्यकता थी और ऐसे में शासकीय से लेकर निजी भागीदारी से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता को 22 हजार मेगावॉट तक ले जाने में सफलता पाई वहीं नए दौर की ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े और जमीनी कार्य उनके कार्यकाल में संपन्न हुए। वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 लागू किया था जिसका व्यापक असर विद्युत मंडल की संरचना पर आगामी दिनों में हुआ। 01 जनवरी 2009 से विद्युत मंडल का पाँच कंपनियों में विखंडन हुआ तथा सभी कंपनियों के विभिन्न दायित्व निर्धारित किए गए। डॉ रमन सिंह के बाद श्री भूपेश बघेल ने ऊर्जा क्षेत्र में चल रही सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को समझते हुए नई परियोजनाओं को शुरू करने पर बल दिया।

संवार रहे साय, बना रहे ऊर्जा समर्थ

अब प्रदेश और ऊर्जा विभाग की बागडोर एक संवेदनशील राजनेता श्री विष्णुदेव साय के हाथों में है। विकसित होते छत्तीसगढ़ की जरूरतों को मुख्यमंत्री श्री साय ने भलिभांति समझा है और दूरगामी निर्णयों की शुरूआत कार्यकाल के प्रारंभिक समय में ही कर दी है। आज प्रदेश का हर घर रोशन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुरूप अब प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा का भी हब बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने निर्धारित कर दिया है। राज्य की पॉवर कंपनी ने भी इस दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए हैं। विद्युत ऊर्जा का यह सफर जो छत्तीसगढ़ में एक शताब्दी से कुछ अधिक समय पूर्व शुरू हुआ था वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अब पूरे देश के लिए ऊर्जा प्रदेश और पॉवर हब बन चुका है। यह हमें गर्व की अनुभूति के साथ जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आइए, स्थापना के 25 वें वर्ष में हम अतीत के 'अंधकार' से किए गए संघर्षों, त्याग और दूरदर्शी निर्णयों से मिली सफलताओं की 'किरणों' को पहचाने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिसमें आने वाली पीढ़ी हमें किसी 'ज्योति पुंज' की तरह स्मरण कर सके।

विद्युत का वैध कनेक्शन ।
समुचित रोशनी सुरक्षित जीवन ।।

छत्तीसगढ़ ऐसे ही नहीं है पॉवर हब

छत्तीसगढ़ आज देश में अपने खनिज और ऊर्जा उत्पादन के लिए विशेष महत्व का स्थान रखता है। यह राज्य के लोगों के लिए गौरव की बात है कि इस धरा में सबकुछ प्रचुर है। विकास की नई अवधारणा के लिए जो सबसे बड़ा संसाधन है वह है विद्युत ऊर्जा। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है और आगामी वर्षों में इसका और अधिक उत्पादन होना तय है। वर्तमान दौर में भी प्रदेश में कुल उत्पादन क्षमता लगभग 30 हजार मेगावॉट है। इसमें सभी परंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत शामिल हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य में कई केन्द्र हैं पर इन सब में "विद्युत तीर्थ" के तौर पर कोरबा की पहचान है।
प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) के अतिरिक्त केन्द्र सरकार का उपक्रम नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) सहित निजी क्षेत्र का उत्पादक जिंदल पॉवर, अदानी पॉवर, भारत एल्युमीनियम कंपनी (बाल्को) समेत अन्य विद्युत उत्पादक प्रदेश को पॉवर हब के तौर पर स्थापित कर रहे हैं।

"ऊर्जाधानी" कोरबा से प्रवाहित होती समृद्धि की ऊर्जा

ऊर्जा की इस अखण्ड ज्योति के जलने की पृष्ठभूमि 1945 में तैयार हुई। मध्यभारत प्रांत और बरार के दौर में विद्युत विकास को गति प्रदान करने के लिए मद्रास राज्य के मुख्य अभियंता सर हेनरी हावर्ड को सलाहकार नियुक्त किया जिन्होंने नागपुर, चांदा,अकोला, जबलपुर और रायपुर में विद्युत उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया। उन्हीं की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने उत्पादन की दृष्टि से उत्तर, दक्षिण एवं पूर्वी उत्पादन क्षेत्र का गठन किया। इसी क्रम में पहली बार रायपुर में 1951 में 4 मेगावॉट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा की अखण्ड ज्योति को कोरबा में सबसे पहली बार प्रज्जवलित किया संयुक्त मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ कैलाशनाथ काटजू ने वर्ष 1957 में, जब 25 जून को उन्होंने मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के लिए तत्कालीन बिलासपुर जिले के कटघोरा क्षेत्र के छोटे से गाँव कोरबा में कुल 100 मेगावॉट क्षमता के पहले संयंत्र के शिलान्यास का पत्थर रखा। असल में भारत में स्वतंत्रता के समय विद्युत उत्पादन की क्षमता 1362 मेगावॉट थी जबकि इसी समय तत्कालीन मध्यभारत औऱ बरार प्रांत में सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन क्षमता



1959 में स्थापित पहले विद्युत संयंत्र का टरबाइन हमारी विरासत है

देश की पहली एचव्हीडीसी लाइन बारसूर से लोअर सिलेरू है,
196 कि.मी की यह लाइन 1991 में कार्यशील हुई ।

26.485 मेगावॉट थी। नागपुर, जबलपुर और कटनी में उत्पादन संयंत्र थे। मध्यभारत प्रांत में विदयुत विभाग का गठन 1945 में किया गया था जिससे विदयुत संबंधी कार्य को गति मिले। स्वतंत्रता के बाद 10 सितंबर 1948 में लागू हुए विद्युत आपूर्ति अधिनियम – 1948 के अधीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन 9 दिसंबर 1950 में ही हो गया और 01 अप्रैल 1952 को विदयुत विभाग से पृथक स्वतंत्र संस्थान के रूप में कार्य करने लगा। ऐसे में तत्कालीन शासन और विद्युत मंडल ने अपनी जरूरतों और संसाधनों के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने का काम शुरू किया। नियोजित विकास के लिए मध्यप्रदेश को तीन क्षेत्रों में बाँटा, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र। रायपुर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय था और यहाँ ताप विद्युत का पहला संयंत्र स्थापित किया गया। रायपुर के गुढ़ियारी में 4 मेगावॉट के इस संयंत्र का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अगस्त 1951 को किया। इस समय तक प्रदेश में कुल उत्पादन क्षमता 39.28 मेगावॉट थी। पाँच वर्ष बाद ही 1956 में मध्यप्रदेश (जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था) का गठन हुआ, उस दौरान राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 81.50 मेगावॉट थी जिसमें 24 मेगावॉट निजी क्षेत्र का हिस्सा था।

संयोग ने कोरबा को बनाया विद्युत तीर्थ

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) की समाप्ति पर नवगठित राज्य मध्यप्रदेश पर औद्योगिक विकास से लेकर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का दबाव था। तत्कालीन शासकों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) की शुरूआत में ही विद्युत शक्ति के महत्व को समझा और इसके उत्पादन के लिए उत्पादन केन्द्र की खोज शुरू हुई। स्वाभाविक रूप से बिजली उत्पादन के लिए दो प्रमुख संसाधन होते हैं कोयला और पानी। बड़े रोचक और संयोगों से भरे घटनाक्रम के बाद सहमति बनी कोरबा पर। असल में कोरबा के संबंध में पहली बार 1948-49 में खोज हुई थी जब भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के लिए अच्छे कोयले (कोकिंग कोल) के भंडार की खोज शुरू हुई। इसी दौरान कोरबा में हल्के दर्जे का कोयला भंडार (यहाँ "एफ" ग्रेड का कोयला मिलता है जो विदयुत उत्पादन के लिए श्रेयकर होता है) और बाक्साइट के खदान की भी जानकारी हुई। इस खोज ने कुछ निर्णय बदल दिए और कटनी में पहले जो 500 टन के एल्यूमिनियम संयंत्र और 22.5 मेवॉ के ताप विद्युत केंद्र की योजना बनाई गई थी उसे कोरबा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया पर रेल लाइन से संपर्क न होने के कारण आखिरकार बल्लारशाह (महाराष्ट्र) में स्थापित करने का निर्णय हुआ। (उल्लेखनीय है कि तत्कालीन दौर में यह पूरा क्षेत्र मध्यभारत प्रांत और बरार कहलाता था)

समय बीता और नया राज्य गठित हुआ मध्यप्रदेश और इसी दौरान भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना का निर्णय हो चुका था जिसे चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता थी और इसके लिए एक बड़े संयंत्र की स्थापना की जानी थी और तब कोरबा में कोयला भंडार का ध्यान आया और हसदेव नदी का प्रचुर पानी कोरबा में नई संभावनाएं लेकर आया। कोरबा (बिलासपुर जिले का एक छोटा सा गाँव जो बिलासपुर मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर था) के निकट ही राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के खदान थे और छत्तीसगढ़ की चौथी सबसे बड़ी नदी हसदेव का किनारा। चूंकि उस दौर में कोयले की ढुलाई रेल से नहीं होती थी इसलिए विदयुत मंडल ने मानिकपुर कोयला खदान से 17 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण अपने खर्च पर कराया था। इसके अतिरिक्त रजगामार और कुसमुंडा से भी कोयला परिवहन कर संयंत्र में आपूर्ति की गई।









विद्युत नहीं ये सोना है ।
व्यर्थ न इसको खोना है ।।

तीन दशक चला पहला विद्युत गृह

हसदेव नदी की बायीं ओर स्थापित यह संयंत्र कोरबा पूर्व ताप विद्युत संयंत्र के नाम से जाना गया। दो साल की निर्माण अवधि से चार माह पूर्व ही 21 फरवरी 1959 को संयंत्र को क्रियाशील कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया। दो अन्य 30 मेगावॉट के संयंत्र 27 जुलाई 1959 तथा 31 मार्च 1960 को क्रियाशील हुए। इस बीच 1963 में कोरबा पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र समेत बढ़ती औद्योगिक जरूरतों के लिए 10 मेवॉ का संयंत्र भी शुरू कर दिया गया। औद्योगिक विकास और बढ़ती विदयुत मांग को देखते हुए विद्युत मंडल ने कोरबा पूर्व में ही दूसरा विद्युत गृह स्थापित करने का निर्णय लिया। इसमें 50 मेगावॉट क्षमता के चार संयंत्र स्थापित किए गए। इसकी पहली इकाई 5 सितंबर 1966, दूसरी 16 मई 1967, तीसरी 23 मार्च 1968 तथा 31 अक्टूबर 1968 को क्रियाशील हुई। प्रदेश की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी और ऐसे में 120 मेवॉ की दो इकाई की स्थापना कोरबा पूर्व के तीसरे विद्युत गृह में की गई। इन ताप विदयुत संयंत्रों से 27 अप्रैल 1976 तथा 5 अप्रैल 1981 को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। कोरबा पूर्व के 100 मेगावॉट के संयंत्र को वर्ष 1989 में तकनीकी खराबी के कारण बंद कर दिया गया।

तीन विद्युत गृह और तीन विशेषताएं

कोरबा में स्थापित हुए तीनों विद्युत गृह कई मायनों में विद्युत मंडल के लिए गौरव का केन्द्र थे। 950 एकड़ में स्थापित पहले 100 मेवॉ के संयंत्र का बिना किसी बाहरी सलाहकार और तकनीकी सहायता के विद्युत मंडल ने अपने अभियंताओं की देखरेख में निर्माण कराया। ग्लोबल टेंडर कर संयंत्र का निर्माण किया गया। तत्कालीन मध्यप्रदेश के इस पहले बड़े संयंत्र के 30 मेवॉ इकाई के लिए इंग्लैण्ड से टर्बो जनरेटर, पश्चिम जर्मनी से ट्रांसफार्मर तथा स्वीच गियर इटली से खरीदी की गई थी। इसके बाद 10 मेवॉ की इकाई के सारे उपकरण जापान से खरीदे गए।

रुसी मैत्री का प्रतीक

50 मेवॉ की चार इकाइयों वाले 200 मेवॉ का संयंत्र भी कुछ विशेष था। यह भारत- रूस आपसी सहयोग का परिणाम था जिसके लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता भी रूस ने ही दी थी। इस संयंत्र के लिए योजना आयोग ने 1961 में सहमति प्रदान की। इससे पहले 1960 में रूसी तकनीकी विशेषज्ञ श्री क्लिंग गोफ के नेतृत्व में एक रूसी दल यहाँ आया जिसने क्षेत्र का निरीक्षण और अधिकारियों से विमर्श कर स्थान का निर्धारण किया और इसके लिए 2500 एकड़ भूमि आवंटित की गई। रूसी सहयोग से बने इस संयंत्र के सभी उपकरण भारत में अन्य संयंत्रों में लगे उपकरणों से बेहतर थे। इसमें लगे टर्बो जनरेटर हाइड्रोजन से ठंडे होते थे जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। इतना ही नहीं इस संयंत्र में मशीनी उपकरणों का अधिक उपयोग हुआ था जिससे संचालन हेतु मानव श्रम कम लगे और सुरक्षा तथा सटीकता अधिक हो।

120 मेवॉ की तीसरी इकाई के लिए 1971 में योजना आयोग ने मंजूरी दी और इसे भी निर्धारित समय से तीन महीने पहले अप्रैल 1976 को क्रियाशील कर दिया गया। यह तत्कालीन दौर में पूरे देश का सबसे बड़ा विदयुत संयंत्र था। इसके सारे उपकरण स्वदेश निर्मित थे और पूरा इरेक्शन भारतीय अभियंताओं के निर्देशन में संपन्न हुआ था। इस दौर में मेकेनिकल प्रेसिपिटेटर के अतिरिक्त पहली बार इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी) का उपयोग प्रदुषण नियंत्रण के उदेश्य से किया गया।

प्रचुर कोयला भंडार को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोरबा में अन्य विद्युत संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके लिए गठित तकनीकी जाँच समिति ने कोरबा पूर्व में अतिरिक्त विदयुत केन्द्र की स्थापना को असाध्य पाया । इसके बाद नदी के दायें किनारे पर विचार किया गया। यहाँ 210 मे.वॉ. की चार इकाई की स्थापना का निर्णय हुआ। 840 मेगावॉट के कोरबा पश्चिम विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की उपलब्धता कुसमुंडा कोयला खदान से की गई। नई तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े कन्वेयर बेल्ट की स्थापना की गई जो साढ़े 14 किलोमीटर लंबा है। यंत्रीकृत ढंग से कोल हेन्डलिंग प्रणाली को विकसित कर निरंतर कोयला उपलब्धता सुनिश्चित की गई। यह इकाइयां 21 जून 1983, 31 मार्च 1984 , 26 मार्च 1985 तथा 13 मार्च 1986 को क्रियाशील हो गईं। इस प्रकार कोरबा विद्युत काम्पलेक्स का निर्माण एक युगप्रवर्तक निर्णय साबित हुआ।

एनटीपीसी का बड़ा विद्युत केंद्र बना छत्तीसगढ़

देशभर में औद्योगिक विकास के साथ कृषि और व्यवसायिक क्षेत्र में विद्युत की मांग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने भी विदयुत उत्पादन के लिए देशव्यापी योजना पर काम करने का निर्णय लिया और इसी कड़ी में 1975 में नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) और नेशनल हाइडल पॉवर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) की स्थापना की गई। ताप विद्युत उत्पादन

मध्यभारत का सबसे बड़ा स्काडा कंट्रोल सेन्टर, रायपुर एवं दुर्ग-भिलाई-चरोदा में स्थापित है।

को बढ़ावा देने के लिए बने एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ में अपने संयंत्र लगाने की योजना तैयार की। इसके फलस्वरूप कोरबा पश्चिम में ही कोरबा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन की 200 मेगावॉट की पहली इकाई स्थापना का निर्णय हुआ और मार्च 1983 में उत्पादन शुरू कर दिया गया। यह सिलसिला बढ़ता चला गया। अक्टूबर 1983 और मार्च 1984 में 200 मेवॉ की दो अन्य इकाइयाँ क्रियाशील हुईं। इसके अतिरिक्त मई 1987, मार्च 1988 तथा मार्च 1989 को 500 मेगावॉट के तीन संयंत्रों से भी उत्पादन शुरू हो गया।

राज्य निर्माण के बाद एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत के लिए पहली बड़ी परियोजना बिलासपुर के सीपत में लाने का निर्णय लिया। यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट था जिसकी कुल क्षमता 2980 मेगावॉट है। संयोग की बात है कि इस संयंत्र का शिलान्यास 28 जनवरी 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी बाजपेयी ने किया जबकि लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.डॉ मनमोहन सिंह ने 19 सितंबर 2013 को किया था। संयंत्र की पहली 500 मेवॉ इकाई मई 2007, 500 मेवॉ की दूसरी इकाई अगस्त 2008, 660 मेवॉ की तीसरी इकाई जून 2011, चौथी इकाई 660 मेवॉ की दिसंबर 2011 तथा 660 मेवॉ की पाँचवीं इकाई जून 2012 को क्रियाशील हो गई। एनटीपीसी ने विदयुत उत्पादन की संभावना को देखते हुए प्रदेश में पहली बार सुपर क्रिटिकल पॉवर स्टेशन स्थापना की तरफ कदम बढ़ाया और रायगढ़ के लारा में 800 मेगावॉट की दो इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था जो आज क्रियाशील है,आज वहाँ उत्पादित बिजली का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ को राज्यांश के तौर पर प्राप्त हो रहा है। इस संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को किया था इसके अलावा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 800 मेगावॉट की दो और इकाई की स्थापना के लिए शिलान्यास भी किया था। असल में एनटीपीसी के उत्पादन संयंत्रों से छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलता है और राज्यांश के तौर पर बड़ी मात्रा में विद्युत, उत्पादन दर पर अथवा नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को वितरण हेतु प्राप्त होता है।

इसी वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को बिलासपुर के सीपत विद्युत गृह में 800 मेवॉ के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की इकाई का शिलान्यास किया है जिसके अगले दो वर्ष के अंदर शुरू होने का अनुमान है।

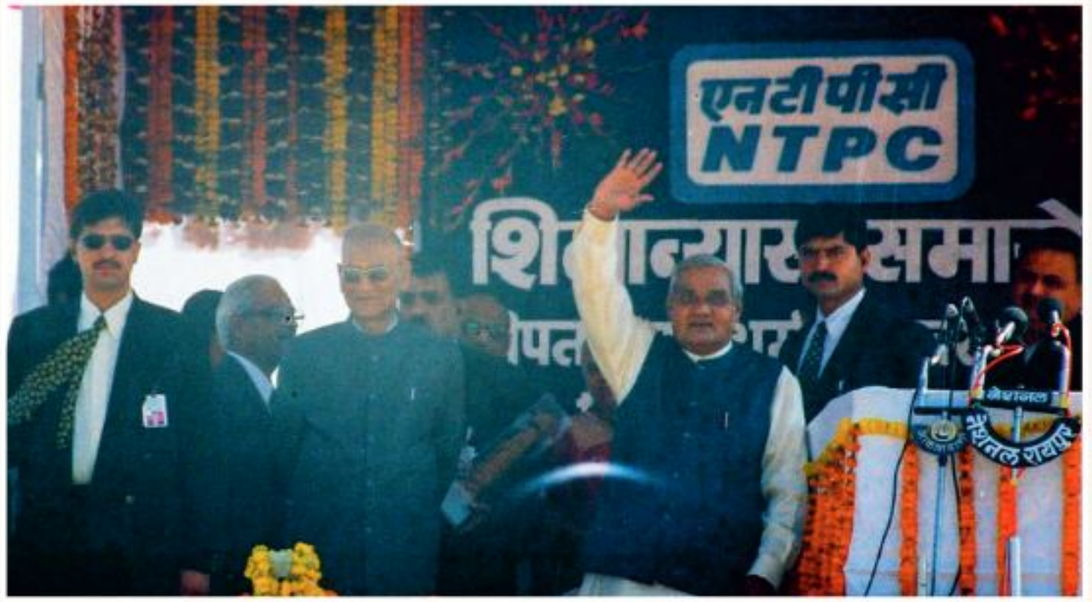

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनटीपीसी सीपत के निर्माण का जनवरी 2002 में शिलान्यास किया

छत्तीसगढ़ बन गया पॉवर सरप्लस स्टेट

राज्य गठन के बाद सबसे अधिक तेजी से विकास जो प्रदेश और देश के लोगों ने देखा वो था विदयुत और औद्योगिकरण के क्षेत्र में। अधोसंरचना का तेज विकास यदि हो पाया तो इसके पीछे वो विद्युत ऊर्जा थी जो पहले भी पर्याप्त थी पर वितरण की असमानता से विकास के मापदंडो में छत्तीसगढ़ पिछ़ता ही जा रहा था। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने अपनी उत्पादन क्षमता का विकास करने के साथ ही पारेषण और वितरण अधोसंरचना पर अभूतपूर्व कार्य किया। बीते ढाई दशक में निरंतर कार्य हुए हैं। विद्युत मंडल के संयंत्रों की उत्पादन क्षमता (1240 ताप +120.85 पन) 1360 मेगावॉट से आज 2978 मेगावॉट हो चुकी है। शुरूआती दिनों में जबकि अधिकतम मांग 1450 मेवॉ थी और विद्युत मंडल को केन्द्रीय आवंटन लगभग 450 मेगावॉट तक प्राप्त होने के कारण मांग से अधिक आपूर्ति मंडल को हो रही थी। इससे प्रदेश पॉवर सरप्लस स्टेट हो गया था। राज्य के कई बंद हो रहे या बंद पड़े स्पंज आयरन समेत अन्य अनेक उद्योगों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध कराया जाने लगा। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए, विकास को गति और रोजगार के अवसर बढ़ने लगे।

जब भी भैय्या बाहर जाओ ।
बिजली बत्ती जरूर बुझाओ ।।

राज्य सरकार इस बात को लेकर गंभीर थी कि आने वाले दिनों में मांग बढ़ेगी इसीलिए नई विद्युत परियोजनाओं पर काम भी किया गया और साथ ही पूर्व में स्थापित 120 मेवॉ तथा 50 मेवॉ की 4 इकाइयों के जिर्णोद्धार से क्षमता सुधार कर 100 मेगावॉट बिजली उत्पादन को बढ़ाया गया। इसके अलावा राज्य गठन के बाद विद्युत मंडल का पहला ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व की 250 मेवॉ क्षमता की इकाई है जिसे 17 अगस्त 2007 में वर्तमान केन्द्रीय रक्षा मंत्री (तत्कालीन सांसद) श्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पित किया। इस संयंत्र को देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर समर्पित किया गया। इसकी 250 मेवॉ की दूसरी इकाई 2008 में क्रियाशील हुई। छगविमं ने वर्ष 2008 में कोरबा में ही 500 मेगावॉट के कोरबा पश्चिम विस्तार योजना को मंजूरी के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को कार्यादेश दिया। इस संयंत्र को वर्ष 2013 में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा जांजगीर-चांपा जिले के मड़वा-तेंदुभाठा में 500 मेवॉ की दो इकाई स्थापित किए जाने का निर्णय हुआ। वर्ष 2009 में संयंत्र स्थापना के लिए चैन्नई की कंपनी को कार्यादेश जारी हुआ और इस संयंत्र में उत्पादित बिजली को तेलंगाना राज्य ने खरीदने के लिए 03 नवंबर 2014 को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। प्रस्तावित समय से कुछ विलम्ब से यह दोनों संयंत्र 20 दिसंबर 2013 तथा 31 मार्च 2015 को क्रियाशील हुए। इन सबसे विदयुत कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की गई है।



पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र का किया लोकार्पण

संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावॉट में)	क्रियाशील वर्ष	वर्तमान स्थिति
कोरबा पूर्व विद्युत गृह-एक 100 मे.वॉ.			
	30 मे.वॉ.	1 मार्च 1959	1989 को सेवानिवृत्त
	30 मे.वॉ.	27 जुलाई 1959	1989 को सेवानिवृत्त
	30 मे.वॉ.	31 मार्च 1960	1989 को सेवानिवृत्त
	10 मे.वॉ.	1963	1989 को सेवानिवृत्त
कोरबा पूर्व विद्युत गृह-दो 200 मे.वॉ.			
	50 मे.वॉ.	05 सितंबर 1966	14 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्त
	50 मे.वॉ.	16 मई 1967	14 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्त
	50 मे.वॉ.	23 मार्च 1968	14 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्त
	50 मे.वॉ.	31 अक्टूबर 1968	14 सितंबर 2018 को सेवानिवृत्त
कोरबा पूर्व विदयुत गृह-तीन 240 मे.वॉ.			
	120 मे.वॉ.	27 अप्रैल 1976	31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त
	120 मे.वॉ.	5 अप्रैल 1981	31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त
कोरबा पश्चिम (हसदेव ताप विद्यतु गृह) 840 मे.वॉ.			
	210 मे.वॉ.	सितंबर 1981	क्रियाशील
	210 मे.वॉ.	मार्च 1982	क्रियाशील
	210 मे.वॉ.	मार्च 1983	क्रियाशील
	210 मे.वॉ.	सितंबर 1983	क्रियाशील
कोरबा पूर्व विस्तार (डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्यतु गृह) 500 मे.वॉ.			
	250 मे.वॉ.	17 अगस्त 2007	क्रियाशील
	250 मे.वॉ.	2008	क्रियाशील
कोरबा पश्चिम विस्तार योजना 500 मे.वॉ.			
	500 मे.वॉ.	16 सितंबर 2013	क्रियाशील
मड़वा – तेंदुभाठा ताप विद्यतु गृह अटल बिहारी वाजपेयी हसदेव ताप विद्यतु गृह 1000 मे.वॉ.			
	500 मे.वॉ.	20 सितंबर 2013	क्रियाशील
	500 मे.वॉ.	31 मार्च 2015	क्रियाशील

प्रदेश में कुल्हारडोह गाँव में सबसे पहले बिजली आई
मोहला-मानपुर के इस गांव में 19.02.1953 में पहुँची बिजली।

छत्तीसगढ़ और पन बिजली

छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने सबकुछ बड़ी उदारता से दिया है। अनेक खनिज भंडारों के साथ विद्युत ऊर्जा के लिए पर्याप्त संभावानाएं भी हैं। कोयले से जहाँ ताप विद्युत का गढ़ बना है हमारा प्रदेश वहीं उत्तर से दक्षिण तक छत्तीसगढ़ में पन बिजली की पर्याप्त संभावनाएं समेटे हुए है। 120 मेगावॉट क्षमता की मिनीमाता हसदेव बांगो पन बिजली परियोजना प्रदेश की पहली बड़ी पन बिजली परियोजना है। 40 मेवॉ की तीन टरबाइन की मदद से यहाँ 120 मेवॉ बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह मूल रूप से हसदेव नदी पर निर्मित बहुद्देश्यीय बांध परियोजना का हिस्सा है। इस बांध से जहाँ सिंचाई के लिए पानी प्रवाहित किया जाता है वहीं कोरबा स्थित विद्युत कंपनी के संयंत्रों, एनटीपीसी, बाल्को और एसईसीएल को भी पानी की पूर्ति की जाती है। इस बांध की क्षमता को देखते हुए तत्कालीन म.प्र.वि.मं द्वारा 72 करोड़ रूपए की लागत से पन बिजली संयंत्र की स्थापना की गई। इसकी तीन इकाइयों को मार्च 1994 , जुलाई 1994 तथा नवंबर 1994 को क्रियाशील किया गया । राज्य गठन के पूर्व तक एक लघु पन बिजली संयंत्र रूद्री बैराज में भी स्थापित किया गया था जिसकी क्षमता 1.1 मेगावॉट थी।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी तो मिली पर पन बिजली परियोजना के मामले में बहुत अधिक उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सके। राज्य निर्माण के बाद कुल 18 मेगावॉट की तीन परियोजनाएं ही धरातल पर उतर सकीं। धमतरी जिले में महानदी पर निर्मित गंगरेल बांध पर 10 मेगावॉट क्षमता के पन बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है। 2.5 मेवॉ की चार इकाइयों से 02 अप्रैल 2004, 29 जून 2004 , 17 अक्टूबर 2004 तथा 05 नवंबर 2004 को उत्पादन शुरू कर दिया गया । इस संयंत्र की स्थापना में 40 करोड़ रूपए की लागत आई।

इसी प्रकार गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर निर्मित सिकासार बांध में 7 मेगावॉट क्षमता का पन बिजली उत्पादन होता है। 33 करोड़ रूपए की लागत से बने इस संयंत्र की 3.5 मेवॉ क्षमता की दोनों इकाइयों को 03 सितंबर 2006 को क्रियाशील किया गया। इसके अतिरिक्त हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा (पश्चिम) की वापसी नहर में निर्मित 0.85 मेगावॉट क्षमता की दो इकाइयों की कुल क्षमता 1.7 मेवॉ है जिसे 12 जनवरी 2003 तथा 29 मई 2007 में क्रियाशील कर लिया गया।

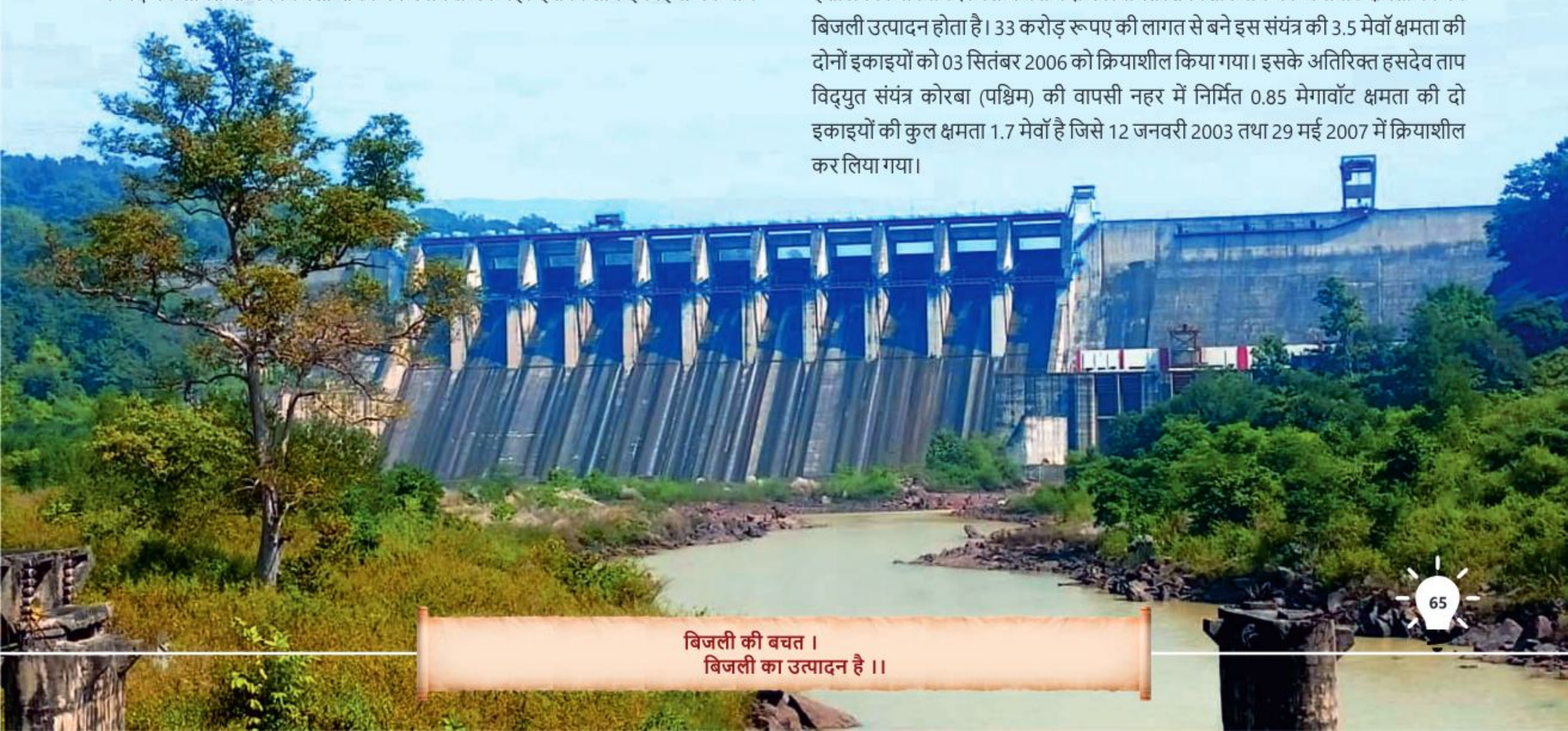

बिजली की बचत ।
बिजली का उत्पादन है ।।



पन बिजली में नई संभावनाएं

राज्य निर्माण के बाद पन बिजली के मामले में कुल 18.7 मेगावॉट की क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है। इस दिशा में अब जबकि विद्युत मंत्रालय ने पंप स्टोरेज तकनीक के जरिए विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना शुरू किया है , राज्य में कुल सात हजार पाँच सौ मेगावॉट पन बिजली उत्पादन की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने विगत 10 मार्च 2025 को ऊर्जा निवेशक सम्मेलन के दौरान केन्द्रीय एजेंसी एनटीपीसी, सतलज पन विद्युत विकास निगम, टेहरी पन विद्युत विकास निगम के साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कुल 6400 मेगावॉट पन बिजली उत्पादन के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्रिड में बेहतर भार प्रबंधन बनाए रखने के लिए ताप एवं पन विद्युत में 60:40 का अनुपात बेहतर माना जाता है। प्रदेश में अब जबकि 30 हजार मेगावॉट से अधिक विदयुत उत्पादन क्षमता है ऐसे में पन बिजली उत्पादन की दिशा में और अधिक प्रयास किया जाना दूरगामी और लाभकारी होगा।

बड़े उपभोक्ताओं से मजबूत हुआ विद्युत मंडल

विद्युत मंडल के लिए बड़े उपभोक्ताओं का होना बहुत ही लाभाकारी रहा। प्रदेश औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है और ऐसे में इन उद्योगों के कारण विद्युत की खपत लगातार बढ़ी है। छह दशक पहले कोरबा में विद्युत उत्पादन की शुरूआत के साथ भिलाई स्टील प्लांट पहला बड़ा उपभोक्ता बना, इसके बाद 60 के दशक के उत्तरार्ध में वर्ष 1968 में नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी), 70 के दशक के मध्य में भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) का उत्पादन शुरू हुआ (1975 में एल्यूमिनियम का उत्पादन शुरू हुआ)। ये तीनों ही बड़े उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 70 के दशक में ही निजी औद्योगिक संस्थानों के शुरू होने से बिजली की खपत और बढ़ गई। भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ में स्पंज आयरन, स्टील, मिनी स्टील प्लांट, सीमेंट समेत कई कल कारखाने शुरू होने लगे। बिजली का औद्योगिक उपयोग बढ़ा और इससे बढ़ा विद्युत मंडल का राजस्व।

छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार (तत्कालीन रायपुर) जिले में 1974 में रायपुर-बिलासपुर रेल मार्ग पर स्थित बैकुंठ के पास सेंचुरी सीमेंट पहली सीमेंट फैक्ट्री थी इसके बाद जांजगीर (तत्कालीन बिलासपुर) जिले के अकलतरा में रेमंड सीमेंट की फैक्ट्री 1981 में शुरू हुई इसी दशक के उत्तरार्ध में निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी जिन्दल समूह ने स्पंज आयरन फैक्ट्री की शुरूआत रायगढ़ जिले में की। इस प्रकार राज्य निर्माण के पहले लगभग चार दशक तक राज्य में विद्युत की मांग लगातार बढ़ती रही। यह मांग और बढ़ती ही जा रही थी ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकार ने बड़े उपक्रम को अपनी अत्याधिक विद्युत मांग की पूर्ति करने के लिए कैप्टिव पॉवर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था।

उपलब्धियों से भरा रहा है उत्पादन संयंत्रों का कार्यकाल

छत्तीसगढ़ की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में राज्य विद्युत मंडल और वर्तमान में स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का 75 वर्षों का इतिहास है। 15 अगस्त 1951 में पहला ताप विद्युत संयंत्र क्रियाशील हुआ। इन बीते वर्षों में विद्युत संयंत्रों ने हमारे जीवन को रोशन तो किया ही है साथ ही हमें गौरव का अहसास भी कराया है। विदयुत मंडल के दौर से आज पर्यंत हमारे संयंत्रों को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त होता रहा है। इसके अलावा विभिन्न कार्यों में उच्च मापदंडों को अपनाने के कारण राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा गुणवत्ता का प्रमाण पत्र भी मिलता रहा है।



एनएमडीसी बैलाडीला खदान के प्रारंभिक दिनों की तस्वीर(वर्ष 1963)

प्रदेश में सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन,
एचटीपीएस में 14.5 किलोमीटर दूर से आता है कोयला।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पूर्व महत्वपूर्ण सम्मान

1976-77 छत्तीसगढ़ का कोरबा पूर्व ताप विदयुत संयंत्र क्रमांक 02 (4x50 मेगावाट संयंत्र) जिसने भारत सरकार द्वारा 1975-76 में प्रारंभ की गई पुरस्कार योजना के दूसरे ही वर्ष यानि 1976-77 में "श्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार" अपने नाम कर लिया। संयंत्र उपयोगिता गुणक (पीएलएफ) 80 प्रतिशत के साथ देश में सर्वश्रेष्ठ था।

1979-80 कोरबा पूर्व ताप विदयुत गृह क्रमांक 03 (2x120 मेगावाट संयंत्र) को देशभर के 120 मेगावॉट इकाईयों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

1989 -90 हसदेव ताप विद्युत संयंत्र को सर्वश्रेष्ठ गृह रख –रखाव पुरस्कार ।

1990-91 कोरबा पूर्व ताप विदयुत गृह क्रमांक 03 (2x120 मेगावाट संयंत्र) और हसदेव ताप विद्युत संयंत्र (कोरबा पश्चिम) (4x210 मेगावाट संयंत्र) को ऊर्जा मंत्रालय का "मेरिटोरियस प्रोडक्टिविटी अवार्ड" और 12 लाख रूपए पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

1992-93 कोरबा पूर्व ताप विदयुत संयंत्र को मप्रविमं का अवार्ड और 6 लाख रूपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

हसदेव ताप विद्युत संयंत्र (कोरबा पश्चिम) (4x210 मेगावाट संयंत्र) को "सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह" सम्मान प्रदान किया गया ।

हसदेव ताप विद्युत संयंत्र (कोरबा पश्चिम) (4x210 मेगावाट संयंत्र) को "मेरिटोरियस प्रोडक्टिविटी अवार्ड" और 5.8 लाख रूपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई ।

1993-94 कोरबा पूर्व ताप विदयुत संयंत्र को "मेरिटोरियस प्रोडक्टिविटी अवार्ड" और 4.8 लाख रूपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

हसदेव ताप विद्युत संयंत्र (कोरबा पश्चिम) (4x210 मेगावाट संयंत्र) को "मेरिटोरियस प्रोडक्टिविटी अवार्ड" और 10.2 लाख रूपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

1996-97 कोरबा विद्युत गृह को ऊर्जा मंत्रालय एवं सीईए का मेरिटोरियस प्रोटक्टिविटी अवार्ड और पुरस्कार राशि 10.2 लाख रूपए।

1998-99 कोरबा विद्युत गृह को ऊर्जा मंत्रालय एवं सीईए का श्रेष्ठ पीक लोड जनरेशन अवार्ड ।

1999-2000 कोरबा विद्युत गृह को ऊर्जा मंत्रालय बेहतर उत्पादन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में चलता रहा उपलब्धियों का सिलसिला

2005 प्रोत्साहन पुरस्कार विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ।

2008 हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र को गोल्ड शील्ड अवार्ड प्रदान किया गया। यह प्रदेश का पहला जलविद्युत संयंत्र था जिसे यह बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ।

2010 विद्युत मंत्रालय द्वारा डीएसपीएम विद्युत गृह को नेशनल इनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड।

2011 सीएसपीजीसीएल के संयंत्र अधिकतम विद्युत उत्पादन के मामले में अव्वल रहा। वर्ष भर 87.74 प्रतिशत पीएलएफ दर्ज किया गया।

2012 डीएसपीएम ताप संयंत्र को अखिल भारतीय स्तर पर स्टेट सेक्टर में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

2015 सीईए ने पॉवर कंपनी को 85.44 प्रतिशत पीएलएफ के लिए स्टेट सेक्टर वर्ग में दूसरा स्थान दिया।

मिनीमाता हसदेव बांगो पन बिजली संयंत्र को वर्षभर 98.66 विद्युत उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया।

सीईए की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का पीएलएफ 74.05 प्रतिशत के साथ देश में चौथे स्थान पर था।

2020 स्टेट सेक्टर में 67.3 पीएलएफ के साथ सीएसपीजीसीएल स्टेट सेक्टर में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं इस वर्ष डीएसपीएम 250 ताप विद्युत गृहों में कोरबा पूर्व को आठवां स्थान प्राप्त हुआ।

सूर्य ऊर्जा का आधार, बिजली बने हर घर द्वार ।
मुफ्त बिजली संग व्यापार, प्रदूषण मुक्त हो संसार ।।



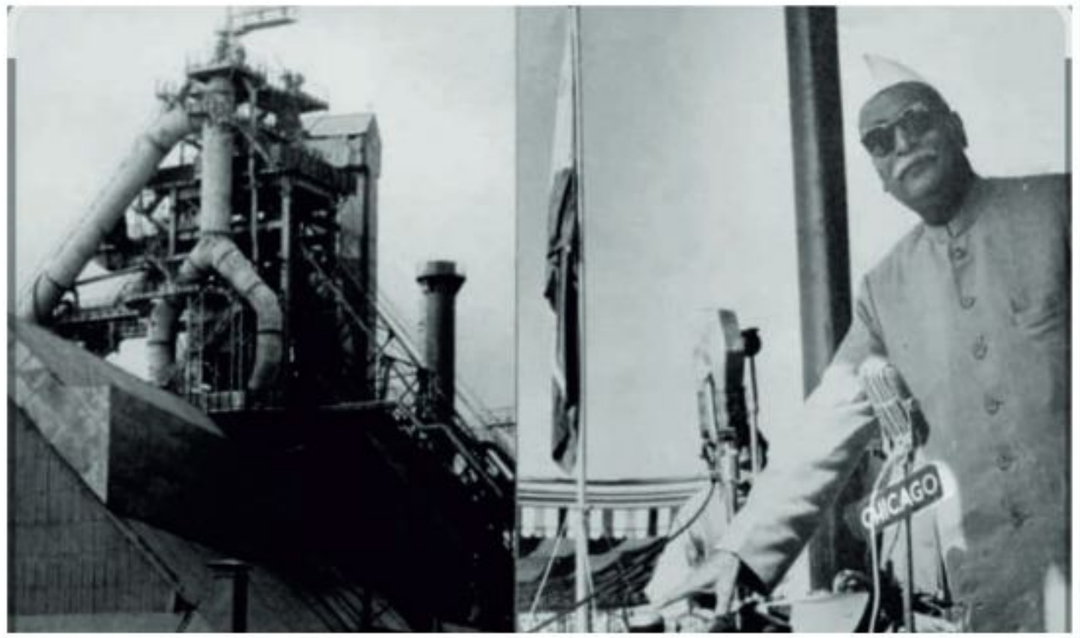

भिलाई इस्पात सयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस का लोकार्पण करते हुए राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद (सन 1959)

2021 छ.ग.स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने राष्ट्रीय औसत पीएलएफ 51.49 प्रतिशत से अधिक 70.08 प्रतिशत पीएलएफ दर्ज कर स्टटे सेक्टर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

2022 डीएसपीएम ताप संयंत्र ने देश के सभी केन्द्रीय एवं स्टेट सेक्टर ताप विदयुत संयंत्रों में 89.22 प्रतिशत पीएलएफ के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया।

2025 इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया द्वारा डीएसपीएम ताप विद्युत संयंत्र को 2012 के पूर्व स्थापित संयंत्रों की श्रेणी में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मान।

इसी संस्था द्वारा देश के 35 भार प्रेषण केन्द्रों में छत्तीसगढ़ एसएलडीसी सर्वोत्तम, आउट स्टैण्डिंग एचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। इजीएस्ट एक्सेस टू ओपन एक्सेस वर्ग में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

इंडियन स्टैंडर्ड आर्गेनाजेशन द्वारा विभिन्न मापदंडों के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र भी बीते ढाई दशकों में प्रदान किए गए हैं-

- हसदेव ताप विदयुत गृह कोरबा (पश्चिम) एवं कोरबा (पूर्व) को 2004 में आईएसओ 9001-2000 प्राप्त हुआ।
- डीएसपीएम ताप संयंत्र को आईएसओ 9001-14001 प्रमाणपत्र
- गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वर्ष 2011 में आईएसओ 9001-2008
- मिनीमाता हसदेव बांगो पन बिजली संयंत्र को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईएसओ 9001-2008 प्रमाणपत्र।
- आईएसओ 9001:2000
- कोरबा पूर्व को आईएसओ 14001:2004

रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला सिविल संभागीय कार्यालय
01.12.1958 को खोला गया संभागीय यंत्री कार्यालय ।

बोधघाट परियोजना : बस्तर का स्वर्णिम भविष्य

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग पांच दशक पुरानी छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी बोधघाट परियोजन के पूरा होने की आस को फिर जगा दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की इस महत्वपूर्ण परियोजना को नए सिरे से प्रारंभ करने का आग्रह किया और प्रधानमंत्री ने इस विचार पर सकारात्मक रुख दिखाया है बोधघाट परियोजना लगभग 5 दशकों से हिचकोले खाते हुए बढ़ता और ठहरता रहा है। अब प्रधानमंत्री के सकारात्मक रुख के बाद इसके बहुउद्देशीय रूप में साकार होने की उम्मीद जग गई है। ऐसे में बोधघाट परियोजना के अतीत से अब तक के सफर को फिर से निहारे जाने की जरूरत है।

इंद्रावती बेसिन और पन बिजली की संभावना

संयुक्त मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ के हिस्से में 1960 के दशक में बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो रही थी। विद्युत के औद्योगिक उपयोग के साथ कृषि और घरेलू खपत भी बढ़ रही थी। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विस्तार हो रहा था। ऐसे में ताप से अधिक पन विद्युत ऊर्जा को भी बढ़ाने पर भारत सरकार का फोकस था। स्वतंत्रता के लगभग डेढ़ दशक बाद मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ने तत्कालीन बस्तर जिले से बहने वाली इंद्रावती नदी पर बड़ी पन बिजली परियोजना का सर्वे शुरू किया। असल में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं जवाहर लाल नेहरू 1955 में बस्तर प्रवास पर आए थे तब इंद्रावती पर पन बिजली संयंत्र का विचार बना।

प्रारंभिक सर्वे के बाद विदयुत मंडल और सिंचाई विभाग के बीच खींचतान रहीं कि इस परियोजना को उन्हें सौंपा जाए और इस कारण यह मामला कुछ समय तक ठंडे बस्ते में रहा। इसके बाद इसका प्रस्ताव बनाकर जून 1970 में प्रस्तुत किया गया। इस योजना के पीछे दो बड़ा आधार था, एक केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट जिसमें इंद्रावती बेसिन में 2000 मेगावॉट तक पन बिजली संयंत्र की संभावना व्यक्त की गई थी। इसी प्रकार डॉ ए नागराजा राव (उद्योग एवं खनिज मंत्रालय के सलाहकार) की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा 1964 में गठित तकनीकी एवं आर्थिक टीम की रिपोर्ट में इंद्रावती बेसिन में वन एवं खनिज आधारित उद्योगों की अपार संभावनाओं को इंगित किया गया था।

महत्वाकांक्षी और वृहद परियोजना

उड़ीसा के कालाहांडी से निकलकर बस्तर (तत्कालीन मध्यप्रदेश के सबसे बड़े जिले) से गुजरते हुए गोदावरी नदी में मिल जाने वाली इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर 80 मेवॉ की 3 इकाइयाँ (240 मेगावॉट) स्थापित करने के लिए 1970 में पहली परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। इतना ही नहीं इसमें भविष्य में विस्तार योजनाएं भी प्रस्तावित थीं। इसमें नेलगोरा, कुटरू, माजिमेन्द्री और भोपालपट्टनम में विभिन्न क्षमता की पन बिजली संयंत्र स्थापित किया जाना था। बोधघाट परियोजना के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के बारसूर के निकट इंद्रावती नदी में सातधारा पर बांध का निर्माण प्रस्तावित था। बोधघाट परियोजना का कैचमेंट 15 हजार 104 वर्ग किलोमीटर था। बांध के पूरे भराव में 29 राजस्व गाँव डूबान में आते। यह इतनी वृहद परियोजना थी कि बांध से 11 हजार 525 फीट की दूरी पर पॉवर हाउस बनाया जाना था, बांध के पानी को कुछ हिस्से में सुरंग और कुछ को प्रेशर पाइप के जरिए प्रवाहित कर टरबाइन तक लाया जाता। पॉवर हाउस इंद्रावती की सहायक नदी मांडेर में बनाया जाना था। उत्पादित बिजली को भिलाई से बैलाडीला जा रही 220 केव्ही ट्रांसमिशन लाइन से लिंक करने की योजना थी चूंकि यह लाइन बारसूर के निकट से ही गुजर रही थी।



सबसे अधिक (193192) उपभोक्ता बिलासपुर संभाग में
सबसे कम (13554) उपभोक्ता सिलतरा डिविजन में ।।

उलझी प्रक्रियाओं से बढ़ती रही लागत

जब परियोजना की शुरूआत हुई और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई (वर्ष1970) तब इसकी लागत 37.5 करोड़ रूपए थी पर विभिन्न मंत्रालयों से होते हुए योजना आयोग के अनुमोदन तक 126 करोड़ रूपए हो गई (प्रस्ताव में सुधार और संशोधन के कारण) बाद में 1983 के आते तक 475 करोड़ रूपए तथा जब इस परियोजना को रोका गया तब 1986 में इसकी लागत 600 करोड़ तक जा पहुँची थी। राज्य गठन के बाद भी प्रयास हुए और वर्ष 2020 में जब इसे विदयुत परियोजना की बजाए मुख्य रूप से सिंचाई परियोजना में बदलकर लाया गया तब इसकी लागत 22 हजार करोड़ रूपए अनुमानित थी। अब इसके यह लगभग 29 हजार करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है।

वाशिंगटन से बस्तर पहुंचा दल

मुख्य रूप से म.प्र.वि.मं द्वारा इस परियोजना को अपने विद्युत उत्पादन के लिए तैयार किया जा रहा था और प्रारंभिक योजना में सिंचाई के लिए प्रावधान नहीं रखे गए थे। बाद में अंतिम रूप से अनुमोदन मिलने तक आवश्यक संशोधन किए गए। 209.30 करोड़ रूपए की बोधघाट परियोजना को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय समेत योजना आयोग द्वारा 1979 में सभी आवश्यक अनुमति मिल गई । कार्य की लागत बढ़ते देख 1983 में भारत सरकार ने इसके लिए विश्वबैंक से ऋण लेने की अनुमति दे दी। (इंदिरा सरोवर) बोधघाट परियोजना के नाम से विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन किया गया , इसके लिए विश्व बैंक और विद्युत मंडल के अधिकारियों की चर्चा दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक में हुई। अप्रैल 1984 में विश्व बैंक के अधिकारियों का दल परियोजना का आँकलन करने बस्तर का दो बार दौरा भी कर गया। मार्च 1985 में विश्व बैंक ने इंदिरा सरोवर परियोजना के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण की स्वीकृति भी कर दी ।

प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने किया शिलान्यास

जनवरी 1979 में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद ही बारसूर में म.प्र.वि.मं ने विद्युत परियोजना का काम शुरू कर दिया और अनुमान था कि परियोजना 1985 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसके शिलान्यास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. मोरारजी भाई देसाई बारसूर आए थे। इसके बाद मंडल ने अपने अभियंताओं और कर्मचारियों की एक बड़ी टीम तैनात कर दी। इसमें मुख्य अभियंता, उप मुख्य अभियंता, 03 अधीक्षण अभियंता, 15 कार्यपालन अभियंता, 70 सहायक अभियंता,22 ग्रेजुएट इंजीनियर, 30 कनिष्ठ अभियंता, 02 भूअर्जन अधिकारी , नायब तहसीलदार, राजस्व अधिकारी,पटवारी समेत 300 अन्य कर्मचारियों ने बारसूर में काम भी संभाल लिया।

स्मारक की तरह मौजूद है तब के निर्माण

प्रारंभिक कार्य के तौर पर 13 मीटर डायमीटर के सुरंग के कुछ हिस्से का निर्माण कार्य , इंद्रावती नदी के सातधारा के निकट 1650 मीटर लंबे और 90 मीटर ऊँचे बाँध निर्माण के लिए कॉफर डेम का प्रारंभिक निर्माण , इंद्रावती नदी पर पुल (जो आज भी नारायणपुर जाने का मार्ग है) कार्मिकों के लिए बड़ी संख्या में आवास समेत कुछ अन्य कार्य प्रगति पर भी थे। इसके अतिरिक्त 500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया था जिसके लिए 53 लाख रूपए का भुगतान भी किया गया था। इतना ही नहीं इस स्थान पर हेलीपेड का निर्माण तब करवाया गया था जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरजी देसाई का हेलीकाप्टर उतरा था। इस परियोजना के पूर्ण होने से 42 गाँवों के 9,200 लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता। पूरे बाँध के बनने से 130 वर्ग किलोमीटर भराव क्षेत्र हो जाता।



इन्द्रावती नदी से टरबाइन तक पानी ले जाने के लिए बनाया गया सुरंग

बिजली विकास की कुंजी है ।
जन जन की यह पूंजी है ।।

एक अधिनियम ने बिगाड़ा खेल

कार्य प्रारंभ होने के कुछ वर्ष बाद इस कार्य के सामने बड़ा रोड़ा बनकर आया 1980 में लागू हुआ केन्द्रीय वन संरक्षण कानून (एफसीए)। इसके तहत परियोजना को नए सिरे से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ गई। इस प्रक्रिया को पूरा करने में भी काफी विलंब होता रहा। एमपीईबी ने 1981 में ही इसके लिए नए सिरे से आवेदन कर दिया पर कृषि , वन और पर्यावरण मंत्रालय ने श्री एम एन बुच के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन 1983 में किया और समिति ने रिपोर्ट फरवरी 1985 में प्रस्तुत की। कुछ अतिरिक्त बिन्दुओं को जोड़ते हुए समिति ने अनुमोदन की अनुशंसा कर दी थी। इधर स्थानीय लोगों के विरोध और पर्यावरणवादियों की आशंकाओं के बीच 1986 में बोधघाट परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 1990 में कार्य बंद कर दिया गया। इस परियोजना को बंद करने को लेकर अंतिम निर्णय 1993 में लिया गया।

राज्य गठन के बाद फिर हुआ प्रयास

समय-समय पर इस दिशा में आगे बढ़ने की मांग उठती रही और राज्य गठन के बाद एक बार फिर बोधघाट परियोजना की ओर ध्यान गया। वन मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति मिलने पर फरवरी 2004 के बाद इस दिशा में को काम गति प्रदान की गई। इस बार इसे बहुद्देश्यीय परियोजना का रूप दिया गया और पन बिजली की क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। बोधघाट में 125 मेवॉ की चार इकाइयों के अतिरिक्त कुटरू - एक में 50 मेवॉ की तीन इकाई, कुटरू – दो में 50 मेवॉ की तीन इकाई, नुगूर – एक में 210 मेवॉ, नुगूर –दो में 170 मेवॉ , कोटरी में 150 मेवॉ एवं 100 मेगावॉट की भोपालपट्टनम में पन बिजली संयंत्र की स्थापना शामिल थी। किन्हीं कारणों से यह परियोजना फिर आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद पिछली सरकार ने वर्ष 2020-21 में नए सिरे से इस परियोजना का डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय एजेंसी वैपकास को दी पर उसमें भी बात कुछ अधिक आगे नहीं बढ़ पाई।

राज्य गठन के बाद पन बिजली परियोजनाओं में 20 मेवॉ की तीन इकाइयों वाली मटनार पन बिजली परियोजना भी 2004 में विभिन्न स्वीकृतियों के नहीं मिल पाने के कारण परवान नहीं चढ़ पाया। इसी प्रकार सरगुजा में 50 मेगावॉट की कन्हार जल विद्युत परियोजना एवं कोरिया जिले में रिहन्द नदी पर 171 मेगावॉट की रेहार जल विद्युत परियोजना भी परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद आगे नहीं बढ़ पाई।



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात कर बोधघाट परियोजना पर चर्चा की

परियोजना एक, संभावना अनेक

मुख्यमंत्री श्री साय की इस पहल से क्षेत्रीय विकास की नई राह दिखने लगी है। बोधघाट परियोजना के मूर्तरूप लेने से न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी। यह प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई, बिजली, मत्स्य पालन और पेयजल सुविधा का बड़ा आधार बनेगा। इसके साथ ही परियोजना के आने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। बोधघाट परियोजना बस्तर को वनोपज, खनिज, बिजली के बाद अब कृषि और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। सही मायनों में यह परियोजना बस्तर के लिए लाइफ लाइन साबित होगी।

सबसे अधिक (114555) एसएलपी उपभोक्ता जगदलपुर में,
सबसे कम(30) एसएलपी उपभोक्ता रायपुर सिटी सेन्ट्रल में ।

छत्तीसगढ़ विद्युत पारेषण प्रणाली

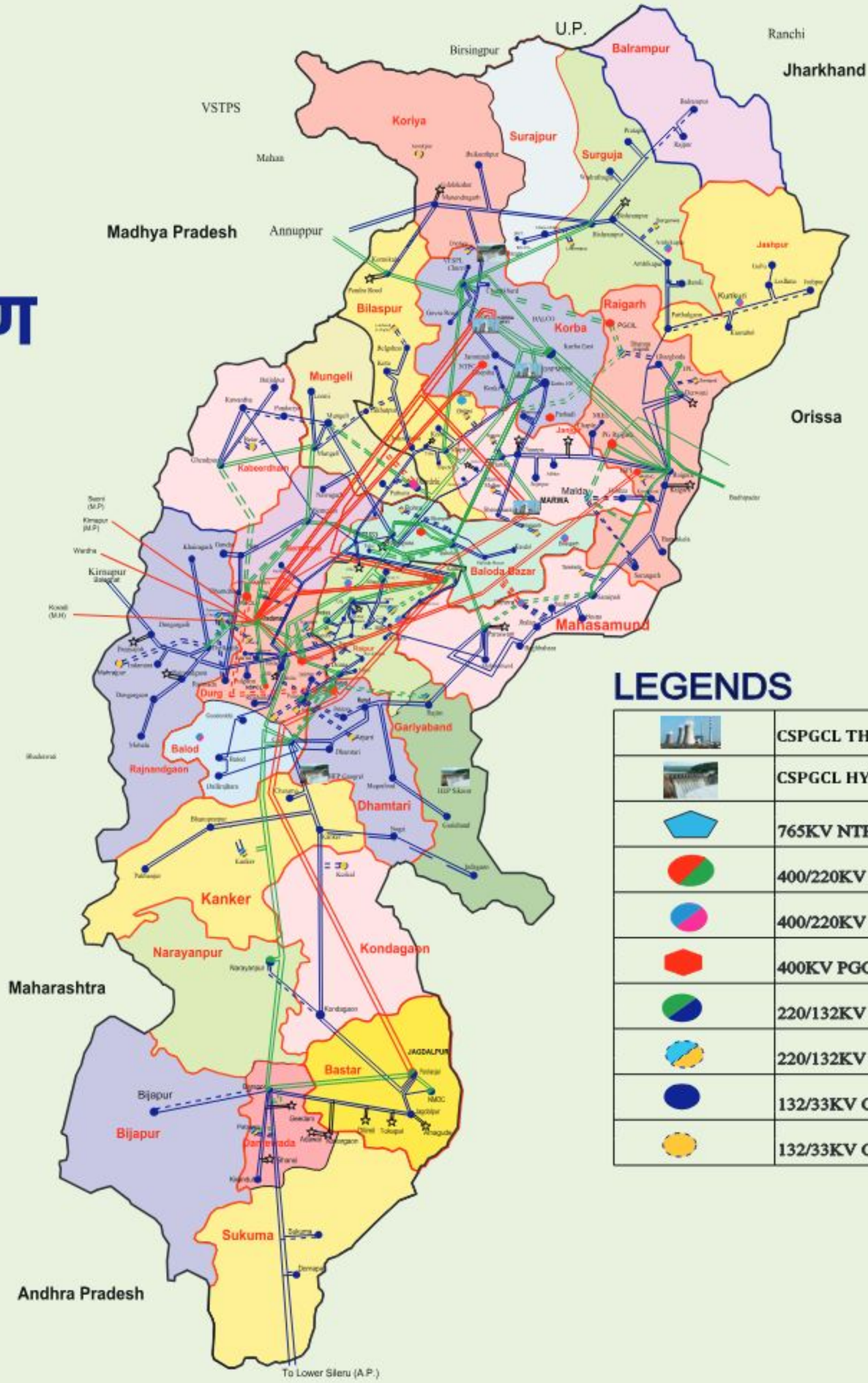

LEGENDS

	CSPGCL THERMAL GENERATING STATION
	CSPGCL HYDEL GENERATING STATION
	765KV NTPC SUB-STATION
	400/220KV CSPTCL SUB-STATION
	400/220KV CSPTCL PROPOSED SUB-STATION
	400KV PGCIL/NTPC/NSPCL SUB-STATION
	220/132KV CSPTCL SUB-STATION
	220/132KV CSPTCL PROPOSED SUB-STATION
	132/33KV CSPTCL SUB-STATION
	132/33KV CSPTCL PROPOSED SUB-STATION

छत्तीसगढ़: देश का "पॉवर जंक्शन"



छत्तीसगढ़ ने बीते वर्षों में अपने तेज विकास से एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। विकास का मंत्र यदि सफल हो रहा है तो इसमें निर्बाध ऊर्जा की 'शक्ति' का बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश औद्योगिक विकास के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के केन्द्र के तौर पर स्थापित हो रहा है। ऐसे में देश की आशाओं और बढ़ी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन के साथ मजबूत पारेषण और वितरण तंत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में विद्युत अधोसंरचना के विकासक्रम में पारेषण क्षमता में वृद्धि सबसे अधिक तेजी तथा आधुनिक प्रयोगों के अनुकूल रही है। असल में पारेषण तंत्र, उत्पादित अति उच्चदाब विद्युत और विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं तक पहुँचाने वाले वितरण तंत्र के बीच की कड़ी है। विद्युत पारेषण पूरी विद्युत प्रणाली का वह 'राजमार्ग' है जिसमें विकास की विभिन्न जरूरतों के लिए बड़ी क्षमता से विद्युत का परिवहन होता है।

सात गुणा बढ़ी पारेषण क्षमता

छत्तीसगढ़ राज्य के आम लोगों के लिए भले ही बिजली का उजाला आते-आते आया हो , पर दूसरों को रोशन करने के लिए इस क्षेत्र में उत्पादन और पारेषण तंत्र आज से सात दशक पहले ही स्थापित हो चुका है। राज्य गठन के बाद बीते 25 वर्षों में विद्युत पारेषण प्रणाली को विस्तारित करने के साथ अधिक विश्वसनीय बनाने पर जोर दिया गया। राज्य निर्माण के समय जिस छत्तीसगढ़ में अतिउच्चदाब के कुल 26 उपकेन्द्र हुआ करते थे वहाँ ढाई दशक के अंदर 5 गुणा वृद्धि के साथ आज 135 अति उच्चदाब उपकेन्द्र क्रियाशील हैं। इसी प्रकार पारेषण क्षमता में सात गुणा वृद्धि हुई है जिससे 3552 एमव्हीए के स्थान पर अब 27 हजार 345 एमव्हीए पारेषण क्षमता हो गई है। अब प्रदेश के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 14 हजार 541 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों पर विद्युत प्रवाहित हो रही है जो राज्य गठन के समय सिर्फ 4845 सर्किट किलोमीटर तक विस्तारित थी।

सात दशक पहले स्थापित हुई अतिउच्चदाब लाइन

देश विद्युत पारेषण के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है और इसमें प्रदेश की भागीदारी भी अहम है। इस विकासक्रम के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को जानने से हमारे प्रयासों की पृष्ठभूमि स्पष्ट होती है। विद्युत प्रणाली का विकास मध्यभारत प्रांत के दौर में ही शुरू हो गया था। संयुक्त मध्यप्रदेश के दौर में उसे विस्तार मिला। प्रदेश में 132 केव्ही का पहला उपकेन्द्र जहाँ 1958 में भिलाई में स्थापित हुआ वहीं 220 केव्ही का पहला उपकेन्द्र भी भिलाई में 1967 में क्रियाशील हुआ। इसी प्रकार 400 केव्ही का पहले उपकेन्द्र का रिकॉर्ड भी खेदामारा



सबसे अधिक (47960) कृषि पंप उपभोक्ता सक्ती में ,
सबसे कम(शून्य) कृषि पंप उपभोक्ता रायपुर सिटी सेन्ट्रल में ।



(भिलाई) के नाम दर्ज है जहाँ 1983 में उपकेन्द्र बनाया गया। बस्तर क्षेत्र में पहला उपकेन्द्र 1968 में बनाया गया जो 132 केव्ही क्षमता का था। वहीं 220 केव्ही का बस्तर में पहला और छत्तीसगढ़ का दूसरा उपकेन्द्र बारसूर में स्थापित किया गया।

देश की पहली एचवीडीसी लाइन

प्रदेश के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के पहले हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) पद्धति से पारेषण छत्तीसगढ़ से हुआ। प्रदेश के बारसूर (तत्कालीन बस्तर जिले) से तत्कालीन आंध्रप्रदेश के लोअर सिलेरू तक 196 किलोमीटर की लाइन स्थापित की गई। 1991 में शुरू की गई इस पारेषण लाइन की क्षमता 200 केव्ही थी, जिसमें 400 केव्ही की पारेषण दर से विद्युत प्रवाहित की जा रही थी। इसे वर्ष 2014 में कार्यबाह्य कर दिया गया। बाद में राज्य पारेषण कंपनी ने इस स्थापित लाइन को नियमित पारेषण के लिए उपयोग शुरू किया है।

दो दशक में बदल गई सूरत

पारेषण क्षमता में अधिक विकास और विस्तार का दौर 2003 के बाद शुरू हुआ।अतिउच्चदाब उपकेंद्रों का विकास एवं लाइनों का विस्तार तेजी से हुआ है। 2003 से 2018 के बीच विभिन्न क्षमता के 88 उपकेन्द्र स्थापित किए गए जिसने विद्युत के परिवहन को काफी मजबूत किया। यह गुणवत्तापूर्ण बिजली को बनाए रखने में सबसे अधिक कारगर प्रयास साबित हुआ। प्रदेश में अधिकतम मांग 7006 मेगावॉट (अप्रैल 2025) तक पहुँच गई है ऐसे में पारेषण क्षमता का उन्नयन एक अनिवार्यता है। इसके अलावा प्रदेश की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि लगातार हो रही है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी काम तेजी से चल रहा है । अन्य प्रदेशों को बिजली की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से हो रही है। ऐसे में अंतरराज्यीय और अन्तरक्षेत्रीय विद्युत पारेषण को मजबूत किए जाने की जरूरत है।

व्यावसायिक पारेषण है लाभकारी

पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी ने इस बात को भी समझा है कि पारेषण लाइन अपनी बिजली के साथ ही अन्य राज्यों एवं निजी क्षेत्र की बिजली के पारेषण में उपयोग में लाया जाता है जिससे हमें पर्याप्त शुल्क भी प्राप्त होता है। देश में पॉवर ट्रांसमिशन को वर्गीकृत करने के लिए पाँच ग्रिड में विभाजित किया गया है। इसमें उत्तर, दक्षिण , पूर्व , पश्चिम एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र शामिल है।



छत्तीसगढ़ राज के नवां चिन्हारी ।
चौबीस घण्टा बिजली सब्बो दुवारी ।।

छत्तीसगढ़ पश्चिम क्षेत्र में शामिल है जो सबसे अधिक उत्पादन और पारेषण करने वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति क्षेत्रीय विद्युत पारेषण के लिहाज से सबसे निकटतम मार्ग साबित होता है। ऐसे में आर्थिक तौर पर अधिक लाभकारी पारेषण लाइन होने की स्थिति को कारोबारी ढंग से लेने की आवश्यकता है। पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, अतिउच्चदाब लाइनों का इस प्रकार का जाल बिछाया जाए कि किसी भी आपात स्थिति में ब्लैक ऑउट की स्थिति निर्मित न हो। यानी क्षेत्र में फैले उपकेन्द्र को जल्द से जल्द दूसरी लाइन से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उत्तर - दक्षिण और पूरब-पश्चिम के बीच छत्तीसगढ़ विद्युत ऊर्जा के केन्द्र के साथ ही विद्युत पारेषण के लिए सुगम और सस्ता है। इसका लाभ अन्य राज्य तथा एजेंसियाँ लेना चाहेंगी और ये हमारे लिए एक बेहतर अवसर की दस्तक है।

राष्ट्रीय ऊर्जा योजना से मजबूत होगा पारेषण तंत्र

पारेषण प्रणाली की मजबूती के बगैर विद्युत मांग की आपूर्ति का दबाव नहीं थामा जा सकता है। इसे भलीभांति समझते हुए राष्ट्रीय ऊर्जा योजना (पारेषण) में व्यापक योजना पर काम शुरू किया गया है। देश की पारेषण लाइनों को आने वाले दस वर्षों में 600 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के लिए तैयार रहना होगा। अगले एक दशक में 01 लाख 90 हजार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के साथ 01 हजार 270 जीव्हीए परिवर्तनीय क्षमता नियोजना स्थापित करने की दिशा में काम शुरू भी कर दिया गया है। इससे ग्रिड परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करते हुए उन्नत भंडारण प्रक्रियाओं की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय ऊर्जा योजना में वर्ष 2032 तक पूरे देश में पारेषण लाइन का विस्तार कर उसे 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर किया जाना है। प्रदेश में आज 14 हजार किलोमीटर के करीब अति उच्चदाब लाइनें हैं जिसकी क्षमता 27 हजार 345 एमव्हीए है। छत्तीसगढ़ में 1700 मेगावॉट अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क के विकास की स्वीकृति केन्द्र से प्राप्त हुई है जिससे हमारे ताप विद्युत की निकासी को सुगम बनाया जाएगा। 400 केव्ही के 09, 220 केव्ही के 26 तथा 132 केव्ही के 48 नए उपकेन्द्र अगले दस वर्षों में बनाया जाना है। इससे केन्द्रीय ग्रिड से विद्युत हस्तांतरण की क्षमता 3536 एमव्हीए से बढ़कर 6 हजार एमव्हीए हो जाएगी।

नवाचारों के साथ विस्तारित पारेषण तंत्र

छत्तीसगढ़ ने जिस प्रकार से अपनी पारेषण क्षमता का विकास बीते ढाई दशकों में किया है और बढ़ती मांग के अनुकूल अधोसंरचना को विकसित किया है इससे सभी की निगाहें छत्तीसगढ़ की ओर टिक जाती है। वन नेशन – वन ग्रिड और वन फ्रिक्वेंसी के मानक को हासिल करने के बाद अब समय आ गया है कि हम इस अवसर का प्रदेश के विकास में सार्थक ढंग से उपयोग करें। आगामी दिनों के लिए पारेषण क्षेत्र में विकास की जो योजना तैयार की जा रहीं हैं वह विश्वास जगाते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ अपनी विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता के कारण जहाँ 'पॉवर हब' के तौर पर जाना जाता है वहीं आने वाले दिनों में 'पॉवर जंक्शन' के रूप में विकसित होगा।

सबसे कम विद्युत वितरण हानि सिलतरा डिविजन में
सबसे कम हानि वाला वृत्त रायपुर सिटी सर्किल 02 है।

लोड डिस्पेच सेंटर नहीं "पॉवर ट्रैफिक कंट्रोलर" कहिए

विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए बीते दशकों में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में लगातार वृद्धि की गई है। इससे उत्पादन और भार केन्द्रों के मध्य निरंतर संपर्क की आवश्यकता बढ़ने लगी। उत्पादित विद्युत का अधिकतम उपयोग करने तथा विद्युत प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए भार प्रेषण केन्द्रों की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश के दौर में 1969 में पहली बार भार प्रेषण केन्द्र (लोड डिस्पेच सेंटर) जबलपुर में स्थापित किया गया। शुरूआती दिनों में यहाँ पॉवर लाइन कैरियर कम्यूनिकेशन (पीएलसीसी) फोन,एक्सप्रेस फोन और फ्रीक्वेंसी मीटर भर हुआ करते थे बाद के दिनों में प्रौद्योगिकी के विस्तार से भार प्रेषण केंद्र भी उन्नत होते गए। बीते ढाई दशकों में छत्तीसगढ़ में भी ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। उत्पादित बिजली को देश के विभिन्न राज्यों, निजी संस्थानों एवं राज्य के अंदर उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए बड़ा विद्युत पारेषण तंत्र स्थापित किया गया है। विद्युत एक ऐसी शक्ति है जिसे आज बड़े पैमाने पर संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सभी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच पारेषण की निर्बाध व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है भार प्रेषण केन्द्र (लोड डिस्पेच सेंटर) की।





क्या करता है भार प्रेषण केन्द्र

लोड डिस्पेच सेंटर (एलडीसी) का मुख्य काम विद्युत उत्पादन एवं मांग के बीच सतत संतुलन बनाए रखना है। इस दौरान यह सुनिश्चित करना कि विद्युत की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) एवं वोल्टेज निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हो। यह केन्द्र एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है जिससे प्रदेश के उत्पादकों से प्राप्त विद्युत को नियत समय पर निर्धारित पारेषण लाइनों से गुजरने की अनुमति प्रदान की जाए। तकनीकी अथवा किसी भी कारण से उत्पदान इकाइयों में उत्पादन बंद होने की स्थिति में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन की जिम्मेदारी एसएलडीसी पर होती है। इसके अलावा विभिन्न उत्पादकों एवं वितरकों तक पहुँचने वाली विद्युत का लेखा-जोखा भी संधारित करता है। पारेषण तंत्र को अधिक विश्वसनीय बनाए रखने में यह भार प्रेषण केन्द्र बड़ी भूमिका निभाता है। यह ओपन एक्सेस की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही आगामी मांग और आपूर्ति का आंकलन कर संबंधित इकाइयों को तैयार करता है। केन्द्रीय विदयुत प्राधिकरण (सीईए) के मापदण्डों के आधार पर सभी राज्यों में स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर (एसएलडीसी) की स्थापना की गई है।

छेरिक छेरा, छेरछेरा ।
बिजली बारव बारे के बेरा।।

खेदामारा उपकेन्द्र बन गया एसएलडीसी

राज्य निर्माण के बाद सबसे पहले दुर्ग के खेदामारा में तात्कालिक रूप से 01 दिसंबर 2000 को एसएलडीसी की स्थापना की गई। तब खेदामारा के 400 केव्ही उपकेन्द्र में एसएलडीसी का काम शुरू कर दिया गया। स्थान से लेकर संसाधनों की कमी के बीच अधिकारियों की लगन और सूझबूझ से भार प्रेषण की निगरानी तथा समन्वय का काम निर्बाध संचालित किया गया। प्रदेश में नए उत्पादक और देश के दूसरे राज्य हमारे उपभोक्ता के तौर पर आगे आ रहे थे। ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार और उन्नयन भी जारी था। ऐसे में एसएलडीसी की जिम्मेदारी अधिक थी कि कोई भी लाइन ओव्हर लोड न होने पाए, साथ ही उत्पादित हर एक यूनिट बिजली का लेखा-जोखा रखना जिससे उत्पादक, पारेषक और उपभोक्ता के बीच पारदर्शी लेन देन की व्यवस्था बनी रहे। आज एसएलडीसी से 83 इकाइयाँ पंजीकृत हैं इसमें 28 कैप्टिव पॉवर प्लांट भी शामिल हैं। खेदामारा से एसएलडीसी को रायपुर में निर्मित नए और आधुनिक जरूरतों के अनुकूल विकसित भवन में जनवरी 2012 में स्थानांतरित किया गया।

वन नेशन – वन ग्रिड

राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण तंत्र के बीच की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो सभी के बीच समन्वय स्थापित कर पूरी विद्युत व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए देश के राज्यों को पाँच क्षेत्रों (पॉवर ग्रिड) में विभक्त किया गया है इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र शामिल हैं। छत्तीसगढ़, पश्चिम क्षेत्र में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन दीव और दादर नागर हवेली तथा गोवा के साथ शामिल है। पश्चिम क्षेत्र लोड डिस्पेच सेंटर मुम्बई में स्थापित है। पारेषण तंत्र के इन पाँचों ग्रिड को एक करने तथा देशव्यापी संतुलन के लिए वन नेशन-वन ग्रिड प्रणाली विकसित की गई है। 1991 में पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रों के बीच अंतरक्षेत्रीय एकीकरण के साथ शुरू हुआ यह प्रयास 31 दिसंबर 2013 को पूर्ण हुआ और पूरा देश एक पॉवर ग्रिड से जुड़ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के किसी भी हिस्से में उत्पादित विद्युत को किसी भी दूसरे हिस्से में भेजा जा सकता है। इस बीच वर्ष 2006 में राज्य के अंदर की इकाइयों के बीच ओपन एक्सेस की सुविधा प्रारंभ कर दी थी वहीं दो वर्ष बाद यानी जुलाई 2008 में अंतर राज्यीय ओपन एक्सेस भी शुरू किया गया।

स्कॉडा समेत नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस

आज हमारा एसएलडीसी हजारों मेगावॉट बिजली पारेषण की निगरानी हर क्षण करता है। इस जटिल निगरानी तंत्र को संचालित करने के लिए पॉवर कंपनी ने लगातार अपने आप को अद्यतन (अपडेट) किया है। विकसित प्रौद्योगिकी को एसएलडीसी का अविलम्ब हिस्सा बनाया। वर्ष 2002 में सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डाटा एक्विजीशन सिस्टम (स्कॉडा) की शुरूआत हुई, इससे निगरानी तंत्र में कसावट लाई गई। वेब आधारित एनर्जी शेड्यूलिंग सिस्टम लागू किया गया। आज इसी का परिणाम है कि सिस्टम को सिन्क्रोनाइज रखते हुए पारेषित बिजली की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) 49.9 से 50.05 हर्ट्ज़ बनाए रखने में सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की एसएलडीसी ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 17 नवंबर 2009 को पहली बार अपना वेबसाइट www.sldc.cg.com शुरू किया।

सदैव तत्पर रहने, करते हैं मॉक ड्रिल

एसएलडीसी का एक प्रमुख कार्य ब्लैक ऑउट की स्थिति से निपटने के लिए निर्धारित अंतराल में मॉक ड्रिल आयोजित करना है। उत्पादन और पारेषण कंपनी के अभियंताओं के समन्वय से एलएसडीसी इसे संपादित करता है। रियल टाइम ऑपरेशन को संपादित करने में कई आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। इससे 37 अंतरराज्यीय इकाइयों को 4702 मेगावॉट बिजली का पारेषण किया जा रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का एक प्रयास है "समस्त"। इसमें सिस्टम इंटिग्रेशन कर डेविएशन सेटलमेंट मेकेनिजम (डीएसएम), ट्रांसमिशन लॉस, सिस्टम ऑपरेशन, शेड्यूलिंग को समन्वित किया जा सकेगा। एसएलडीसी के ढाई दशक के सफर को इस पड़ाव पर खड़े होकर देखना अलग सुकून देता है। विद्युत क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों में से एक उचित पारेषण प्रणाली का संचालन होता है। राज्य का भार प्रेषण केन्द्र न केवल इसके लिए तैयार है बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपने आप को लगातार अद्यतन (अपडेट) भी कर रहा है। जिस प्रकार से राज्य का भार प्रेषण केन्द्र विद्युत पारेषण की पूरी व्यवस्था को संतुलित और समन्वित कर आगे बढ़ रहा है हम कह सकते हैं कि हजारों मेगावॉट विद्युत का नियंत्रित पारेषण करने वाला लोड डिस्पेच सेंटर सही मायनों में "पॉवर ट्रैफिक कंट्रोलर" है।

भारत विद्युत उत्पादन में विश्व का तीसरा बड़ा देश है।
खपत के मामले में भी भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।

एसएलडीसी का सफ़र

01 जुलाई 2002

अनुशासन बनाए रखने के लिए उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) ग्रिड लागू की गई.

01 दिसंबर 2000

राज्य भार प्रेषण केन्द्र खेदामारा (भिलाई) में शुरू हुआ.

02 मार्च 2003

पश्चिम क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र के साथ सिन्क्रोनाइजेशन.

जनवरी 2006

अंतर्राज्यीय (राज्य के भीतर) ओपन एक्सेस की शुरूआत.

03 दिसंबर 2002

स्कॉडा प्रणाली का प्रयोग शुरू.

17 नवंबर 2009

एसएलडीसी की वेबसाइट प्रारंभ हुई.

जनवरी 2012

एसएलडीसी को रायपुर मुख्यालय स्थित नए भवन में स्थानांतरित किया गया.

जुलाई 2008

अंतर्राज्यीय (अन्य राज्यों के बीच) ओपन एक्सेस की शुरूआत.

31 दिसम्बर 2013

एक राष्ट्र-एक ग्रिड पूर्ण हुआ (दक्षिणी ग्रिड शेष ग्रिड से सिन्क्रोनाइज हुआ)

30 जून 2016

पॉवर ग्रिड ईएमएस/ स्कॉडा प्रणाली प्रारंभ.

2018

ऑनलाइन वेब आधारित ऊर्जा समय सारिणी प्रणाली की शुरूआत (WBES).



बिजली की बही जोर बयार ।
खुले समृद्धि के नवद्वार ।।

बारसूर : एचवीडीसी लाइन और गौरवशाली उपकेन्द्र

यह छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि देश में पहले हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) पारेषण लाइन की स्थापना तत्कालीन बस्तर जिले के बारसूर से आन्ध्रप्रदेश के लोअर सिलेरू तक की गई थी। 220 केव्ही लाइन को 100 केव्हीडीसी लाइन में परिवर्तित करने का यह शानदार प्रयोग हुआ। देशी उपकरणों की सहायता से इसे तैयार किया गया था। 196 किलोमीटर की इस एचवीडीसी लाइन की स्थापना का काम 1989 में पूर्ण हुआ और 1991 में इसे क्रियाशील किया गया।

असल में आज जो भी विद्युत परंपरागत रूप से हम उपयोग में लाते हैं वह अल्टरनेट करंट (ए.सी. करंट) होता है और इसके उच्चदाब में पारेषण और परिचालन में कुछ समस्याएं होतीं हैं। ये अल्टरनेट करंट ही होता है जो हमारे घरों तक आता है जबकि बैटरी सेल तथा ऐसे सभी छोटे उपकरणों में जो हम चार्जिंग करते हैं वे सभी डीसी (डायरेक्ट करंट) होते हैं। एसी अतिउच्चदाब के पारेषण में पारेषण हानि बढ़ती है और इसे केपेसिटिव चार्जिंग करंट की आवश्यकता होती है जिससे लाइन पर अतिरिक्त भार भी पड़ता है। इससे निपटने का एक मात्र तरीका होता है डायरेक्ट करंट (डीसी करंट)। इससे पारेषण में हानि कम होती है और केपेसिटिव चार्जिंग करंट की आवश्यकता भी नहीं होती है।

सरल शब्दों में समझे तो लंबी दूरी में एसी लाइनों में पारेषण का व्यय बढ़ जाता है। ए.सी. में अलग-अलग फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर कार्य करने के लिए संयोजन (सिंक्रोनाइज) करने की दिक्तत होती है ऐसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए इसके बेहतर विकल्प के रूप में डीसी करंट पारेषण का उपयोग किया जाता है।

भारत का पायलेट प्रोजेक्ट और बारसूर का चयन

डीसी पारेषण प्रणाली को 1954 में स्वीडन और गोटलेंड द्वीप के बीच पहली बार स्थापित किया गया। इसके बाद सिलसिला निकल पड़ा। विश्व के कई देशों में इस पारेषण लाइन की स्थापना होने लगी। भारत में पहली बार इसके उपयोग के बारे में 1973 में विचार हुआ। 1982 में भारत शासन के ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि. के प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग ने प्रायोगिक रूप से डीसी पारेषण प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया।



बारसूर स्थित एचवीडीसी उपकेन्द्र





बारसूर स्थित एचवीडीसी केन्द्र

स्वतंत्रता के समय देश में प्रति व्यक्ति खपत 16.3 यूनिट
78 वर्षों में 85 गुणा बढ़कर आज औसत खपत 1395 यूनिट है।

1 अक्टूबर 1983 में में प्रयोगात्मक रूप से एचवीडीसी के प्रथम चरण में 100 केव्ही 100 मेगावॉट क्षमता की 6 पल्स मोनोपोलर प्रणाली विकसित करने का निर्णय हुआ। इसके लिए 220 केव्ही लाइन को डीसी में परिवर्तित किया जाना था। तत्कालीन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल और आँध्रप्रदेश विद्युत मंडल ने दोनों प्रदेशों के बीच स्थापित 220 केव्ही बारसूर (छत्तीसगढ़) तथा लोअर सिलेरू(आन्ध्रप्रदेश) डबल सर्किट एसी लाइन को प्रयोगात्मक एचवीडीसी परियोजना में कार्यांवित करने का निर्णय लिया। बस्तर के बारसूर से लोअर सिलेरू तक इस लाइन के चयन के पीछे भी आधार बड़ा रोचक है। असल में 1970 से इंद्रावती नदी बेसिन में बोधघाट पन बिजली परियोजना की तैयारी चल रही थी जहाँ 500 मेगावॉट बिजली उत्पादन की योजना थी, ऐसे में यहाँ से उत्पादित बिजली को समुचित रूप से पारेषित करने में बारसूर से लोअर सिलेरू का प्रयोग एक बेहतर विकल्प था। इसे तीन चरणों में परिवर्तित किया गया। पहले चरण का कार्य 1989 में पूर्ण हुआ और बाद में 1991 में इसे क्रियाशील कर दिया गया। आशातीत परिणामों को देखते हुए दूसरे चरण का काम भी वर्ष 1999 में पूर्ण कर क्रियाशील कर दिया गया। विश्व के तकनीकी विशेषज्ञों ने इस कार्य की सराहना भी की।

तीन चरणों में एचवीडीसी प्रणाली विकसित हो गयी और बेहतर परिणाम भी आए। बाद में बदलती जरूरतों तथा भारी पारेषण क्षमताओं के विकास के दबाव में डीसी लाइनों के साथ समन्वय की समस्या भी देखने में आई। इन व्यवहारिक पक्षों को देखते हुए वर्ष 2014 में एचवीडीसी के इस पारेषण लाइन को बंद कर दिया गया। उपकेन्द्र के निष्क्रिय होने के बाद आन्ध्रप्रदेश की ओर जाने वाली लाइन का उपयोग 220 केव्ही एसी लाइन के रूप में किया जा रहा है। अपनी उत्सुकता और कौतुहलवश जब मैं बंद हो चुके इस उपकेन्द्र को देखने पहुँचा तो मेरी मुलाकात हुई श्री सुरंजय मुखर्जी से जो सेवानिवृत्त लाइन परिचारक हैं और इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरूआत से बंद होने तक इससे जुड़े रहे। बड़े भावुकता के साथ उन्होंने मुझे पूरे परिसर का भ्रमण कराया।

देश का पहला एचवीडीसी उपकेन्द्र अब धरोहर बन चुका है। वहाँ स्थापित ट्रांसफार्मर, तीन मंजिला भवन, कंट्रोल रूम, वो भारी भरकम मशीनें अपने आप में जीवंत नजर आती हैं और पूरा भवन सूनेपन को चीरते हुए अपने अतीत की कहानियाँ कहता है।







रिश्तों का जंक्शन ।
बिजली कनेक्शन ।।

विद्युत कंपनियों का 'नर्वस सिस्टम' ईआईटीसी

आज जब हर एक व्यक्ति विद्युत ऊर्जा का उपयोग अपने बुनियादी कार्यों के लिए कर रहा है ऐसे में गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। संपूर्ण विद्युत कंपनी का एक लक्ष्य रहता है कि उत्पादित बिजली निर्बाध रूप से उपभोक्ता तक पहुँचे। ऐसे में इतनी बड़ी और जटिल प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में अद्यतन प्रौद्योगिकी और संसाधनों का स्मार्ट प्रबंधन करने वाली पॉवर कंपनी के ऊर्जा सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (ईआईटीसी) की बड़ी अहम भूमिका है।

प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने जहाँ उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्र के विशाल नेटवर्क की एकीकृत निगरानी संभव की है वहीं एक उपभोक्ता और विद्युत कंपनी के बीच हर दूरी को समाप्त किया है। उपभोक्ता अधिक संतुष्ट और उसकी विदयुत सुरक्षा अधिक सुदृढ़ हुई है।

नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरूआत

आज जो उपभोक्ता एक फोन के जरिए विद्युत कंपनी और उनके अधिकारियों से सीधे संपर्क कर घर बैठे संपूर्ण जानकारी और सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, इसके पीछे प्रौद्योगिकी के आगमन को बड़ा श्रेय जाता है। विद्युत मंडल में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग पर हमेशा से ही बल दिया गया। यह बड़े गर्व की बात है कि मप्रविमं (छगविमं की पूर्ववर्ती) देश का पहला



उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए संचालित एटीपी सेंटर



ऐसा मंडल था जिसने 1971 में पूर्णकालिक कंप्यूटर स्थापित कर मंडल के महत्वपूर्ण कार्यों को सुगम बनाया। इसकी सहायता से लेखा, निम्नदाब उपभोक्ता बिलिंग, जीपीएफ, सीपीएफ लेखा, भंडार समेत राजस्व के रिकार्ड का संधारण आदि में बड़ी अहम भूमिका रही। देश में कंप्यूटर के विस्तार के साथ इसके उपयोग को विद्युत मंडल के मैदानी स्तर तक लाने का प्रयास हुआ। उपभोक्ता सेवा निर्बाध बनाए रखने के लिए 1995 में कंप्यूटर का उपयोग किया गया। ट्रांसफार्मर व्यवस्था को मजबूत बनाने में सबसे पहले इसका उपयोग हुआ। उस दौर में लाखों उपभोक्ताओं की विद्युत देयकों से संबंधित जानकारी का एकजाई संधारण मानव संसाधन के लिए दुष्कर था, इसमें कंप्यूटर के उपयोग से बड़ी सुलभता हुई। यहाँ भी 1995 में संभागीय स्तर पर कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध कराए गए जिससे कंप्यूटरीकृत विद्युत देयक प्रणाली की शुरूआत हुई। शुरूआती दिनों में यह संभागीय स्तर पर ही उपयोग में लाया जा रहा था पर उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग का यह पहला बड़ा प्रयास था।

मील का पत्थर, ईआईटीसी का गठन

इतने बड़े नेटवर्क को सुचारू रूप से संचालित, नियंत्रित एवं समन्वित करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम की आवश्यकता थी। विद्युत मंडल के अधिकारियों को इस बात का भी एहसास था कि आने वाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियां लगातार बढ़ती ही रहेंगी ऐसे में समर्पित टीम को यह कार्य सौंपने का विचार किया गया। दिसंबर 2001 में विशेष प्रकोष्ठ को एक विभाग के

स्वतंत्रता के समय उत्पादन क्षमता 1362 मेगावॉट थी
आज देश की उत्पादन क्षमता 466000 मेगावॉट है।

तौर पर स्थापित किया गया जिसे ऊर्जा सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (ईआईटीसी) नाम दिया गया। आज इस इकाई का काम विस्तारित होते हुए बेवबासइट से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन के निर्माण और सुरक्षित संचालन तक बहुत ही अहम हो गया है। आज स्टोर मैनेजमेंट, ई- बिडिंग, वाईड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, आईपी फोन, इंटरनेट, इन्ट्रानेट, ई-मेल, वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि जैसी आधुनिक संचार एवं सूचना की सुविधा को सुनियोजित और सुगम रूप से उपलब्ध कराने में ईआईटीसी निरंतर कार्यरत है।

छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल और कंप्यूटर युग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन के बाद बिजली की आँखमिचौली जैसी समस्याओं को विरासत में मिले होने के बावजूद नवगठित मंडल ने तत्काल अपनी प्राथमिकताएं तय कीं। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए अधोसंरचना के विकास के साथ ही उपभोक्ता सेवा को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को मैदानी स्तर पर लाने के लिए सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डेक) , पुणे के साथ जून 2003 में एक समझौता किया गया जिससे पूरे मंडल में ऑटोमेशन के लिए साफ्टवेयर विकसित किया जा सके। मंडल में पहले चरण में कंप्यूटर का उपयोग, वितरण केन्द्र के स्तर पर लाने का काम 2004 में शुरू हुआ और जल्द ही अधिकांश कार्यालयों में कंप्यूटरों का उपयोग शुरू हो गया था। इसके साथ ही कंप्यूटर की मदद से कामकाज निपटाने, उस पीढ़ी के कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। वर्ष 2009 से कामकाज पेन- पेपर से बदलकर पूर्ण रूप से कंप्यूटरों से संपादित होने लगा।



केंद्रीयकृत कॉल सेंटर में उपभोक्ता सुविधा के लिए कार्यरत कर्मी

कॉल सेंटर की स्थापना से उपभोक्ता सेवा हुई आसान

उपभोक्ता सेवा को मजबूत करने और तेजी से शिकायतों के निपटारे के लिए रायपुर, बिलासपुर एवं भिलाई में कॉल सेंटर की स्थापना की गई। पहला कॉल सेंटर 17 अगस्त 2005 को बिलासपुर में खोला गया इसके बाद 25 और 27 अगस्त 2005 को रायपुर एवं दुर्ग में उपभोक्ता सेवा कॉल सेंटर की स्थापना की गई।

प्राथमिक रूप से यह प्रयास कारगर रहे पर पूरे प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 24 सितंबर 2013 में केन्द्रीयकृत विद्युत शिकायत केन्द्र (कॉल सेंटर) की स्थापना की गई। चौबीसों घंटे उपभोक्ताओं की सेवा के लिए स्थापित इस कॉल सेंटर में 30 लाइनें थीं जो अब बढ़कर 100 लाइनें हो गई हैं। यह बड़ी सहुलियत पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए शुरू हुई जहाँ छत्तीसगढ़ी, हिन्दी और अंग्रेजी में संवाद कर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सैप पद्धति से व्यवस्थित हुई कार्यप्रणाली

विद्युत मंडल में सूचना प्रौद्योगिकी का एक बड़ा प्रयोग सैप पद्धति की शुरूआत थी। अगस्त 2006 में ही इसे विदयुत मंडल में लागू किया गया। इसने पूरे मंडल की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम और विश्वसनीय बनाया है। सैप (सिस्टम्स, एप्लीकेशन्स एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग) एक ऐसा साफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें वित्त, मानवसंसाधन, निविदा, सामग्री प्रबंधन, बिलिंग, संयंत्र प्रंबंधन, दस्तावेज प्रंबधन समेत कार्यालयों के अमूमन सभी कार्य संचालित, संधारित एवं प्रबंधित होते हैं। आज सैप प्रणाली की मदद से फाइलों का निपटारा, निविदा की प्रक्रिया, ट्रांसफार्मर नियोजन, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे मूलभूत से लेकर विशेष प्रकार के कार्य में सैप की भूमिका है। छ.ग.वि.मं देश में ऊर्जा क्षेत्र का पहला उपक्रम है जिसने एसएपी-ईआरपी की शुरूआत की थी।

आईटी से बदली कार्य संस्कृति

कंप्यूटरों के उपयोग की शुरूआत होने के बाद जब तक प्रौद्योगिकी का विस्तार क्षेत्रीय और अंतिम इकाई तक पहुँच पाता, राज्य का निर्माण हो चुका था और आधुनिकीकरण का कार्य कुछ दिनों के लिए प्रभावित हुआ। मंडल ने ऊर्जा सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (ईआईटीसी) का गठन कर पूरी कार्यप्रणाली में प्रौद्योगिकी को

शामिल करते हुए कार्य की उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया गया। आंतरिक कार्य प्रणाली के साथ ही उपभोक्ता सेवा में भी प्रौद्योगिकी को शामिल करने की शुरूआत हुई। इतना ही नहीं उत्पादन तथा पारेषण प्रणालियों में भी नित नए बदलावों के साथ प्रौद्योगिकी को शामिल कर ऊर्जा तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है।

उपभोक्ता सेवा के लिए दो दशकों में क्रांतिकारी बदलाव देखने में आया। वैसे तो कंप्यूटरीकृत बिलिंग की शुरूआत राज्य निर्माण के पहले ही हो चुकी थी पर व्यापक रूप से उपयोग वर्ष 2000 के बाद ही हो पाया। बिजली बिल भुगतान के लिए लंबी कतारें अब बीते समय की बात हो चुकी है। मोबाइल क्रांति का लाभ उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा डाटा की सुरक्षा में प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है।

आईटी और उपभोक्ता सेवा क्षेत्र

उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का दौर शुरू हुआ ईआईटीसी के गठन के बाद। 2004 में कंप्यूटरों का उपयोग सभी कार्यालयों में शुरू होने के बाद उपभोक्ता सेवा में सुगमता आई। वर्ष 2002 में पहली बार वेबसाइट www.cseb-powerhub .com प्रारंभ हुआ। शुरूआत में इसके जरिए टेंडर आदि की जानकारी प्रदर्शित हो रही थी पर बाद में निविदाकार्ताओं को ईमेल के जरिए निविदा संबंधी जानकारियाँ भी प्रेषित की जाने लगी। वर्ष 2008 में इसे आम उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी बनाया गया और www.cseb.gov.in बेबसाइट शुरू की गई। इसमें उपभोक्ताओं को कंपनी संबंधी बहुत सी जानकारियाँ एवं सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। पॉवर कंपनी के बन जाने के बाद वर्ष 2015 में नई सुविधाओं के साथ उपभोक्ता अनुकूल वेबसाइट का निर्माण किया गया जो वर्तमान में www.cspdcl.co.in, www.cspgcl.co.in एवं www.csptcl.co.in के तौर पर उपलब्ध है।



हर एक उपभोक्ता तक पहुँचने का माध्यम एसएमएस

पॉवर कंपनी ने इस बात को भलिंभांति समझा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता मोबाइल धारक हैं ऐसे में आवश्यक सूचनाओं के विश्वसनीय एवं सुनिश्चित संप्रेषण के लिए शार्ट मैसेज सिस्टम (एसएमएस) का उपयोग किया जाए। इसके लिए अगस्त 2011 में ई-संपर्क सेवा की शुरूआत हुई। आज 45 लाख से अधिक उपभोक्ताओं तक एसएमएस के जरिए बिलिंग, शिकायत, बिजली बंद आदि की आवश्यक सूचना पल भर में पहुँचाई जा रही है। इसी के साथ ही मोबाइल शार्ट कोड एवं लान्ग कोड सेवा भी शुरू की गई। छत्तीसगढ़, देश का पहला राज्य है जिसने ई-संपर्क सेवा की शुरूआत की।

मिस्ड कॉल सेवा- मोबाइल के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए कुछ सुविधाओं को मिस्ड कॉल के जरिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की शुरूआत वर्ष 2015 में हुई। इसमें बिलिंग और

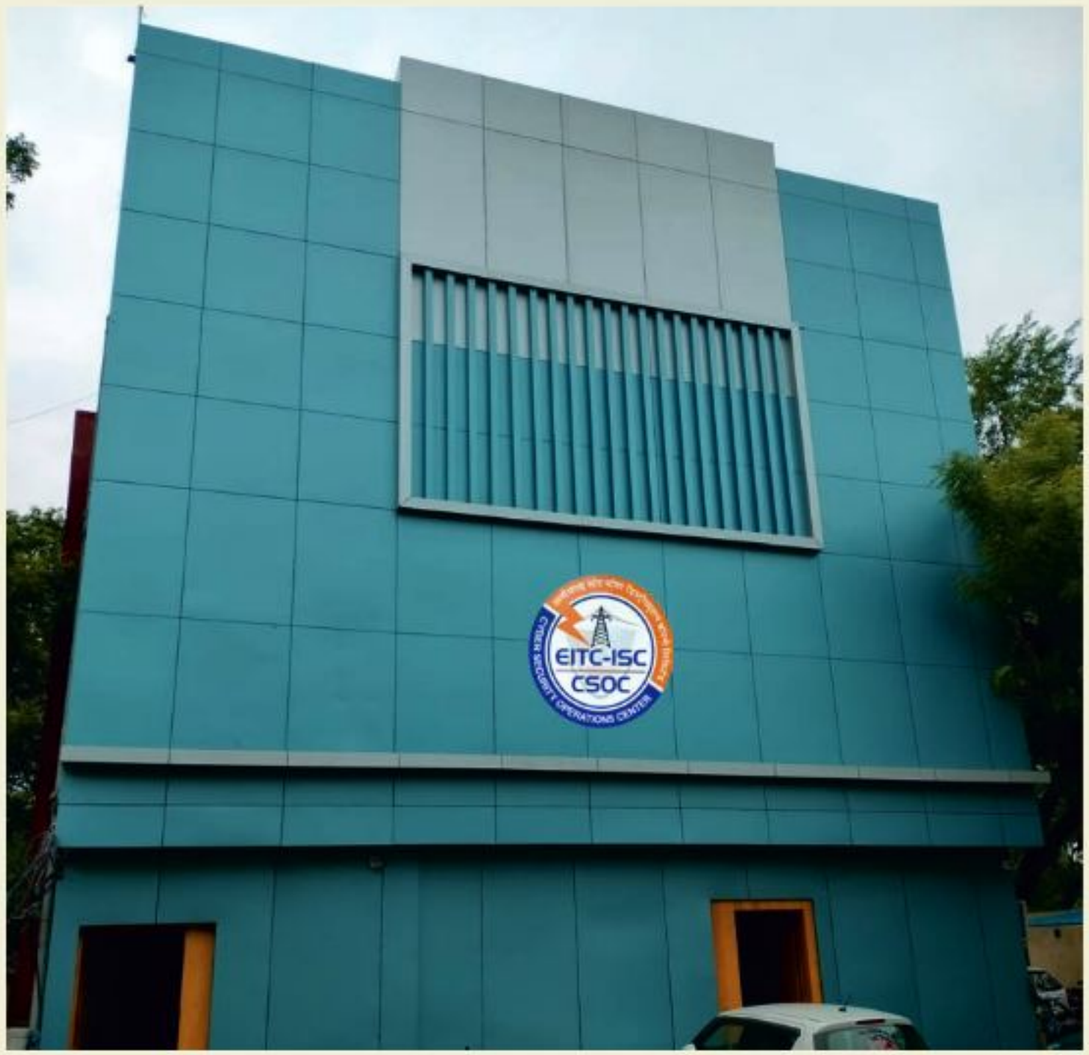

देश में पहली बार 1879 में पी डब्ल्यू फ्लूरी कंपनी ने कलकत्ता की सड़क को बिजली से रोशन किया।

बिल भुगतान जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल थीं। ई-मेल सेवा- उपभोक्ताओं को ई-मेल के जरिए बिलों को भेजने का काम दिसंबर 2012 में शुरू हुआ। इस सेवा के तहत उपभोक्ता अपनी शिकायत भी कार्यालयों तक भेज सकते हैं।

ऑन लाइन सुविधाओं से बिल भुगतान हुआ सुगम

प्रदेश के गठन के दौरान जिस प्रदेश में लगभग 19 लाख उपभोक्ता थे वे लगातार बढ़ रहे थे ऐसे में जनअपेक्षा को समय सीमा में पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी सबसे कारगर सहयोगी बनकर उभरा है। उपभोक्ता को बिजली बिल के भुगतान के लिए कहीं भी इंतजार न करना पड़े इसके लिए 535 वितरण केन्द्रों के अतिरिक्त 142 एटीपी मशीनों की स्थापना से लेकर 2200 पे पाईंट सेंटर,9000 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) तथा इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्लेटफार्म (इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि) के जरिए तत्काल भुगतान की सुविधा ने उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान सरल और सुगम बनाया है। इसी दौर में 03 जून 2008 को इंटरनेट की सहायता से मंडल की वेबसाइट के माध्यम से बिल का भुगतान किए जाने की सुविधा प्रारंभ हुई।

मोबाइल एप्लीकेशन-एक क्रांतिकारी दौर

पॉवर कंपनी के आंतरिक तथा उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण एक क्रांतिकारी कदम है। मोर बिजली एप ने 25 से अधिक सुविधाओं को एक क्लिक पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया है और इससे छोटी बड़ी जरूरतों के लिए बिजली ऑफिस दौड़ लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। मोर बिजली एप अपने आप में बिजली ऑफिस के रूप में सुविधा उपलब्ध करा रहा है। नवंबर 2019 को इस एप्लीकेशन के शुरू होने के बाद लगभग तीस लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। यह प्रदेश में भुइंया एप्लीकेशन के बाद सबसे अधिक डाउन लोड किया जाने वाला सरकारी एप्लीकेशन है। इसके अलावा प्रकाश एप (2019), मोर बिजली कंपनी एप (नवंबर 2022) समेत पॉवर कंपनी की विभिन्न आतंरिक सुविधाओं एवं कार्य प्रबंधन के लिए एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं।

एकीकृत डाटा सेंटर ने बनाया दस्तावेजों को सुरक्षित

पॉवर कंपनी में रोजाना होते कामकाज जो अपने आप में संवेदनशील और संग्रणीय किस्म के हैं को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी डाटा सेंटर की है। डाटा सेंटर की स्थापना रायपुर मुख्यालय में वर्ष 2005 में की गई जिसे चार वर्ष बाद 2009 में नए बदलाव के साथ बेहतर बनाया गया और फिर 2013 में नए स्वरूप में कंपनी की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रहण करने लगा। पॉवर कंपनी अपनी सूचनाओं, जानकारियों तथा दस्तावेजों की सुरक्षा को बहुत प्राथमिकता प्रदान करता रहा है। इसी लिए सभी डाटा की अतिरिक्त प्रति बिलासपुर स्थित डिजास्टर रिकव्हरी डाटा सेंटर में संग्रहित की जाती है जिससे कभी किसी आपातकाल में मुख्यालय स्थित डेटा के नष्ट होने पर सारी जानकारी फिर से प्राप्त की जा सके।

साइबर सुरक्षा के लिए तैयार तंत्र

वितरण संबंधी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के लिए एकीकृत निगरानी एवं साइबर सुरक्षा तंत्र की स्थापना में भी सहायक रहा है। सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) 2013, मीटर डाटा एक्वीजिशन सिस्टम (एमडीएएस) 2013, जियोग्राफिकल इंफोर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) 2013 के साथ ही सुपराइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्वीजिशन (स्कॉडा) 2015 के प्रयोग शुरू होने से किसी समस्या पर रिस्पांस टाइम काफी कम हुआ है। डाटा सेंटर, रिकवरी डाटा सेंटर और एसओसी को वर्ष 2014 से ही इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आईएसओ 2001 प्रमाणित किया गया है। साइबर सुरक्षा के लिए देश के शासकीय उपक्रमों में पहले केन्द्रीयकृत साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र (सी –एसओसी) की स्थापना रायपुर में 2024 में कर दी गई है।



ऐसी सूर्य घर योजना, बिजली प्रदूषण मुक्त ।
मुफ्त मिलेगी बिजली, योजना सब्सिडी युक्त ।।

ईआईटीसी – समय के साथ बदलती और बढ़ती रही भूमिका

2001 ईआईटीसी का गठन ।

2002 पहली बार वेबसाइट www.cseb-powerhub.com प्रारंभ ।

2003 सी- डेक के साथ समझौता कर ऑटोमेशन के लिए साफ्टवेयर तैयार करने का काम शुरू।

2004 मुख्यालय के कार्यालयों में नेटवर्किंग की शुरूआत।

2005 डाटा सेंटर की शुरूआत।
क्षेत्रीय कॉल सेंटर (बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग) की स्थापना अगस्त 2005 में की गई।

2006 सैप प्रणाली की शुरुआत ।
सीएसईबीनेट योजना की शुरूआत 14 नवंबर को ।
विभिन्न स्थानों को व्हीएएन और डब्ल्यूएएन से जोड़ा गया।

2007 एसबीआई के एटीएम से भुगतान/ एटीपी मशीन की सहायता से विद्युत देयक का भुगतान शुरू हुआ।

2008 विदयुत मंडल के वेबसाइट की शुरूआत एवं ऑनलाइन बिल भगुतान की सुविधा।

2009 पॉवर कंपनी में कंप्यूटर से सम्पूर्ण काम-काज का संपादन ।

2011 देश में पहली बार ई-संपर्क सेवा की शुरूआत ।
एसएमएस से मिलने लगी बिल की जानकारी।
स्पॉट बिलिंग की शुरूआत।

2012 ई-मेल सेवा की शुरूआत ।

2013 केन्द्रीयकृत विद्युत शिकायत केन्द्र (कॉल सेंटर), एसओसी, एमडीएएस और जीआईएस ।

2014 इंफोर्मेशन सिक्यूरिटी मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसएमएस) की शुरूआत हुई।

2015 देश की पहली पॉवर कंपनी होने का गौरव प्राप्त हुआ जहाँ डाटा सेंटर, डाटा रिकवरी सेंटर और एसओसी (सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर), आईएसएमएस को आईएसओ 27001 प्रमाणित किया गया।
पॉवर कंपनी की नई वेबसाइट का निर्माण। स्मार्ट फोन से बिल भुगतान सुविधा।
च्वाइस सेंटरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर बिल भुगतान की सुविधा प्रारंभ। मिस्ड कॉल सेवा की शुरूआत, स्कॉडा पद्धति से लैस हुआ निगरानी तंत्र। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विद्युत कंपनी का पदार्पण। ऑनलाइन विद्युत कनेक्शन की शुरूआत।

2016 पेटीएम के जरिए बिल भुगतान की सुविधा की शुरूआत।
एयरटेल मनी, एम-पैसा, एम-रूपी, आक्सी कैश और जियो मनी जैसे ऑनलाइन माध्यम से भुगतान संभव।

2017 12 जनवरी से वितरण केन्द्रों पर पाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन की सुविधा उपलब्ध हुई।

2019 मोर बिजली एप, प्रकाश एप सहित अन्य एप हुए लांच।

2024 ऊर्जा क्षेत्र में देश के पहले केन्द्रीयकृत साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र (सी –एसओसी) की स्थापना।

दार्जिलिंग का सिद्रापोंग देश का पहला बिजली संयंत्र पहले पन बिजली संयंत्र की स्थापना 1896 में हुई।



सुरक्षा की ढाल: सायबर सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेंटर

विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर भी बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। देश में विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए कंज्यूमर सिक्यूरिटी इन्सीडेंट रिस्पांस टीम (सीएसआईआरटी) का गठन किया जा रहा है। यह आधुनिक साइबर सुरक्षा उपकरण और प्रमुख संसाधनों से सुसज्जित है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीयकृत सायबर सुरक्षा संचालन केन्द्र (सी-एसओसी) की स्थापना भी कर दी है। यह केन्द्र, प्रदेश ही नहीं देश के सार्वजनिक क्षेत्र के पॉवर सेक्टर का पहला ऐसा सायबर सुरक्षा केन्द्र है।

इस सायबर सुरक्षा केन्द्र के संचालित होने के बाद पॉवर कंपनियों की वेबसाइट, एप्लीकेशन, डाटा सर्वर तथा इससे जुड़े सभी कंप्यूटर सेट को अधिकतम सायबर सुरक्षा घेरा प्रदान किया जा सका है। पॉवर कंपनी मुख्यालय में स्थापित इस केन्द्र में 24 घंटे निगरानी की जाती है। इस निगरानी तंत्र के संचालन से विश्व भर से कंपनी के सर्वर पर हो रहे सायबर अटैक पर नजर रखी जाती है तथा संदेहास्पद प्रयासों को तत्काल विफल किया जाता है।

पॉवर कंपनी के सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा संचालित सेन्ट्रलाइज्ड सिक्यूरिटी ऑपरेशन सेण्टर (सी- एसओसी) के शुरू होने से नेटवर्क निगरानी को अधिक मजबूती मिली है। इसमें निगरानी टीम 24 घंटे सायबर खतरों के विभिन्न घटकों के आधार पर नजर रखती है। 03 बड़े स्क्रीन के साथ 10 लोगों की टीम कंपनी के सर्वर पर चल रही सायबर गतिविधियों की निगरानी करती है।

छत्तीसगढ़ के हे पहिचान ।
भरपूर बिजली संग हांसए किसान।।

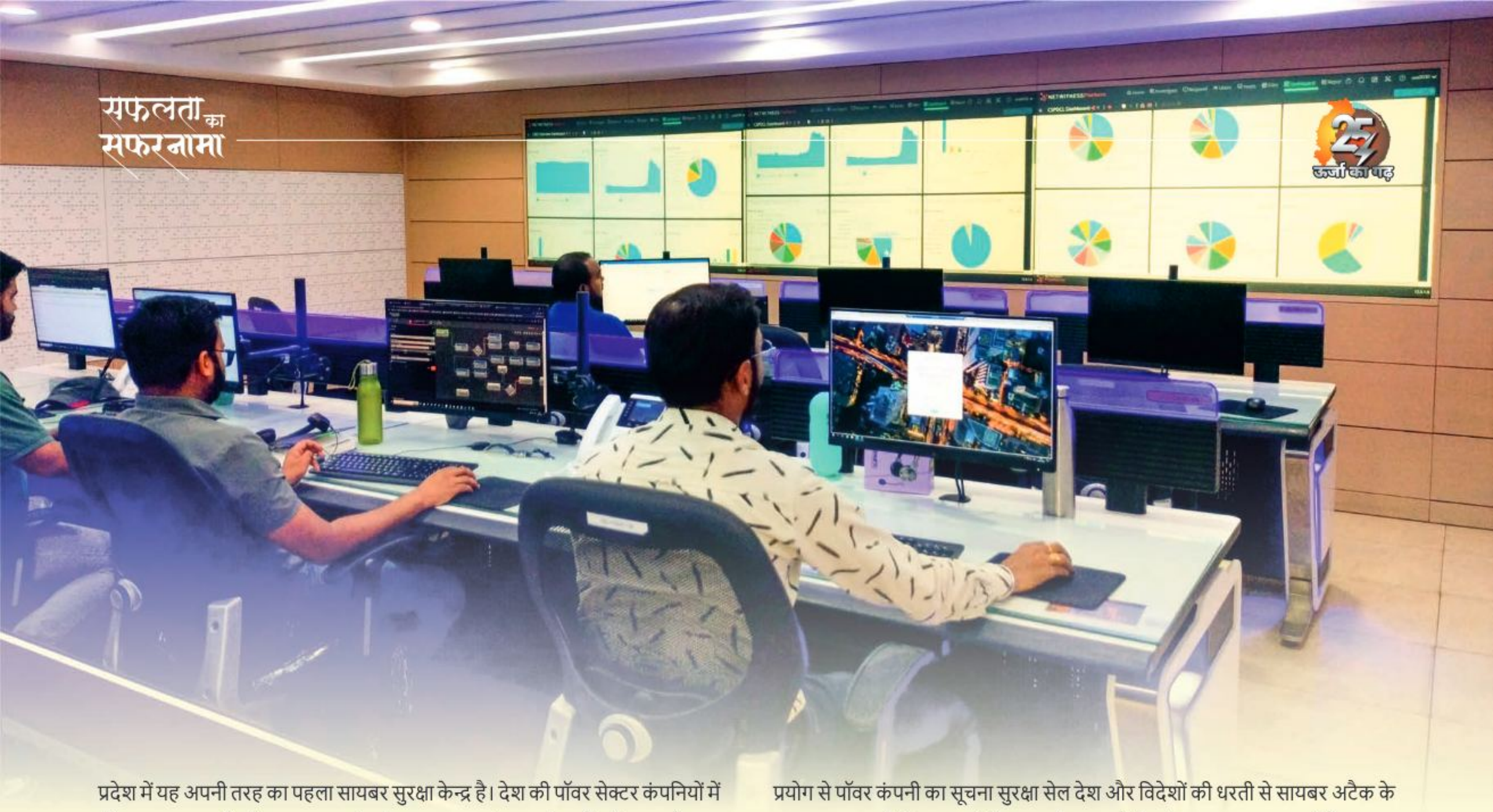

प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला सायबर सुरक्षा केन्द्र है। देश की पॉवर सेक्टर कंपनियों में भी सायबर सुरक्षा के लिए यह पहला केन्द्रीयकृत सुरक्षा संचालन केन्द्र है। रोजाना औसतन 50 लाख इंटरनेट ट्रैफिक वाले पॉवर कंपनी के सर्वर को सायबर सुरक्षा देना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में इस सेंटर के संचालन से सुरक्षा प्रणाली मजबूत हुई है। पॉवर कंपनी के प्रदेशभर के 6 हजार कंप्यूटर सेट तथा 500 सर्वर एवं 500 से अधिक नेटवर्क डिवाइस एक ही प्रणाली से जुड़े हैं।

इस केन्द्र की कार्यप्रणाली में अहम हिस्सा निगरानी तंत्र है। सी- एसओसी में निगरानी के दौरान सायबर सुरक्षा के जानकार अभियंताओं के साथ ही डाटा विश्लेषक समन्वय से कार्य करते हैं। एनजी-एसआईईएम, एडीआर, यूईबीए,एसओएआर और टीआईपी जैसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली फायरवॉल तकनीक और प्रणाली से इस केन्द्र को मजबूती मिली है। इनके प्रयोग से पॉवर कंपनी का सूचना सुरक्षा सेल देश और विदेशों की धरती से सायबर अटैक के हर उस प्रयास को विफल करने में सफल हो पा रहा है जिसके प्रयास लगातार जारी है।

पॉवर कंपनी की वेबसाइट तथा एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बिल भुगतान, उपभोक्ता सेवा, भर्ती, टेंडर, ऑनलाइन शिकायत, शासकीय योजना समेत अन्य जरूरतों के लिए इंटरनेट यूजर उपयोग करते हैं। भारत के अलावा अमेरीका, इंग्लैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, बुल्गारिया, चीन, आयरलैंड, हांगकांग तथा थाइलैंड में बैठे भारतीय इसके उपयोग करने वालों में प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके साथ ही डाटा पर सेंध लगाने की कोशिशें की जाती है जिसमें विदेशों से प्रयास अधिक हो रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से अमेरीका, बुल्गारिया, फ्रांस, चीन और पोलैण्ड में बैठे हैकर शामिल हैं।

भाप आधारित देश का पहला प्लांट कोलकाता में सीईएसी ने 1899 में शुरू किया 1000 कि.वॉ. का संयंत्र।



खेत और जंगलों से गुजरती उच्च दाब पारेषण लाइन

ग्रामीण विद्युतीकरण से तेज हुआ आर्थिक-सामाजिक विकास

किसी भी व्यक्ति से लेकर समाज और राष्ट्र के विकास में पहली आवश्यकता ऊर्जा है। इसमें विद्युत ऊर्जा सबसे प्रमुख है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ ग्रामीण आबादी आज भी लगभग 70 प्रतिशत है, का विकास ग्राम और ग्रामीण के ऊर्जा संपन्न होने के बिना संभव नहीं है। इस बात को स्वतंत्रता के पश्चात प्राथमिकता प्रदान की गई। इसे अभियान के तौर पर पूरा करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से ही शामिल किया जा रहा है। वैसे ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना से योजनाबद्ध ढंग से शुरू हो सका। मध्यभारत और बरार के दौर में छत्तीसगढ़ के गाँवों का विद्युतीकरण शुरू हो गया था और प्राप्त आँकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के 06 वर्षों बाद ही छत्तीसगढ़ का पहला गाँव विद्युतीकृत हुआ। राज्य बनने के पहले तकनीकी रूप से प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका था पर उपभोक्ताओं की संख्या और मात्रात्मक रूप से स्थिति बहुत निराशाजनक थी। असल में ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा ऐसी कि वो आँकड़ों में चुस्त और जमीनी रूप से सुस्त थी। राज्य गठन के बाद बीते 25 वर्षों को इस लिहाज से बहुत ही अहम माना जा सकता है क्योंकि अब गाँव तकनीकी रूप से ही नहीं अपितु जमीनी तौर पर विद्युतीकृत है। इसमें भी बीता एक दशक गाँव ही नहीं बल्कि हर घर में रोशनी लेकर आया है और साथ ही उपभोक्ता के समृद्ध होने में सहायक भी हुआ है।

समय के साथ बदलती रही परिभाषा

ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर सरकारों ने काम तो शुरू से किए पर प्राथमिकता का क्षेत्र बदलता रहा है। 1950 के दशक में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई के साथ ही लघु उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की गई। इसके बाद 1960 के दशक में जब देश ने अकाल का भयंकर दौर देखा तो विद्युतीकरण को सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण पर केन्द्रीत किया गया, यह वह दौर था जब "जय जवान और जय किसान" का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने कृषि क्षेत्र में स्वालंबन का संकल्प देश को दिलाया और हरित क्रांति का ऐलान हुआ। 70 के दशक आते तक सिंचाई पंपों के साथ मूलभूत अधोसंरचनाओं में बिजली उपलब्धता प्राथमिकता थी। 1980 के बाद ग्रामीण आबादी तक बिजली की पहुँच को प्रमुखता दी गई। असल में बीते 75 वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा भी बदलती रही है। जहाँ 1947 के बाद लगभग पाँच दशक तक (अक्टूबर1997 तक) किसी गाँव के राजस्व क्षेत्र में बिजली का उपयोग किए जाने पर वह गाँव विद्युतीकृत मान लिया जाता था। अक्टूबर 1997 के बाद इसमें बदलाव हुआ। किसी गाँव की राजस्व सीमा के अंदर रिहायशी क्षेत्र में बिजली का उपयोग किसी भी कार्य में किया जाता है (औद्योगिक, व्यवसायिक या घरेलू) तो वह गाँव विद्युतीकृत मान लिया जाता था।

17 फरवरी 2004 के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा को अधिक प्रभावी बनाया गया और ऐसे गाँव जहाँ गाँव की आबादी वाले क्षेत्र में वितरण लाइन, ट्रांसफार्मर जैसी बुनियादी विद्युत अधोसंरचना स्थापित हो, साथ ही दलित बस्ती में भी ऐसी अधोसंरचना विकसित हो तथा गाँव के कुल घरों में कम से कम 10 प्रतिशत घरों में विद्युत की आपूर्ति की जा रही हो तब वह विद्युतीकृत गाँव माना गया।

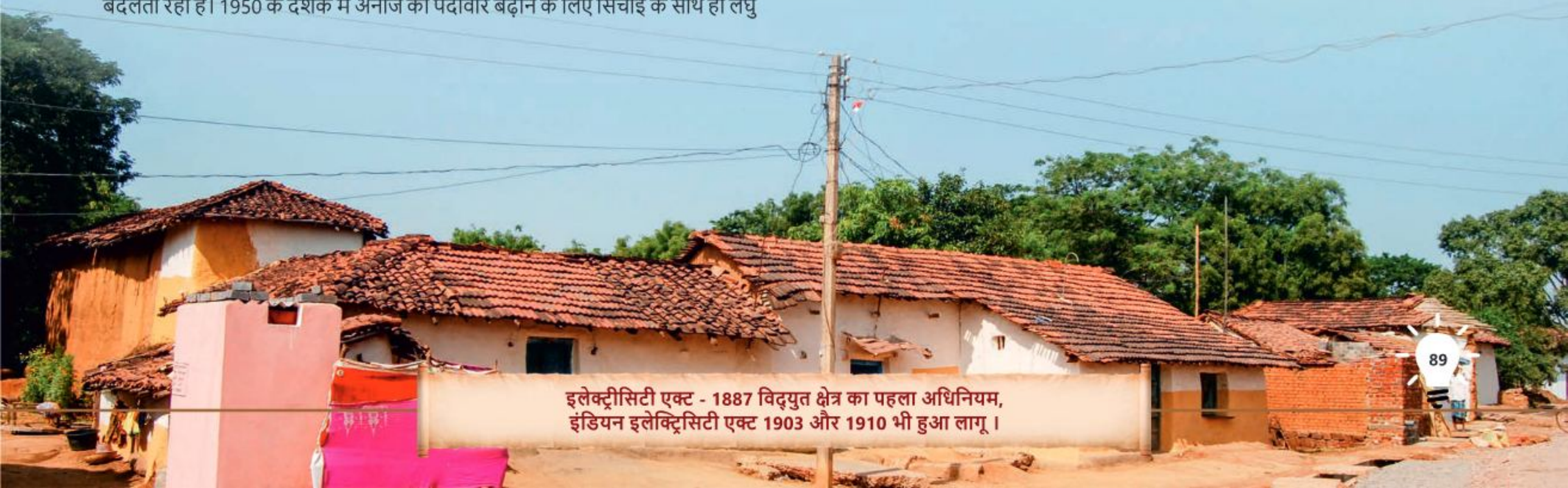

इलेक्ट्रीसिटी एक्ट - 1887 विद्युत क्षेत्र का पहला अधिनियम,
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1903 और 1910 भी हुआ लागू ।

योजनाओं से बदली तस्वीर

सरकारों ने विगत दो दशकों में ग्रामीण विद्युतीकरण को बहुत प्राथमिकता प्रदान की है। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 बनाई गई। इसके अतंर्गत सभी घरों में वर्ष 2009 तक बिजली पहुँचाने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया, साथ ही न्यूनतम जीवन रेखा खपत 01 यूनिट प्रति घर प्रतिदिन सुनिश्चित करना भी तय किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत चल रही सभी योजना को शामिल करते हुए राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की शुरूआत अप्रैल 2005 में की गई। इसमें विकेन्द्रीत वितरित उत्पादन (decentralized distributed generation) को लागू किया गया। इसके तहत ऐसे गाँवों में जहाँ ग्रिड से बिजली संभव नहीं है वहाँ बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया।

लगभग एक दशक में इस योजना से काफी बदलाव ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में देखने में आया। ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू और कृषि दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई योजना दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरूआत हुई। इसमें पूर्व की आरजीजीवीवाई के घटकों को भी शामिल करते हुए विद्युत वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया गया।

हर घर रोशन करने चला अभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण विद्युतीकरण के दायरे को आगे बढ़ाते हुए हर घर को रोशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना (सौभाग्य) लागू की गई और 2019 तक हर घर को बिजली से रोशन करने का लक्ष्य रख गया । इसके अतंर्गत ऑफ ग्रिड घरों को सौर ऊर्जा अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा माध्यमों से रोशन करना था। इसके सुखद परिणाम भी आए और आज देश के हर घर में बिजली की पहुँच हो चुकी है। इस योजना के तहत प्रदेश के ही 7 लाख 31 हजार से अधिक घरों में लोगों ने पहली बार बिजली के बल्ब से रोशनी देखी।

छत्तीसगढ़ और ग्राम विद्युतीकरण

छत्तीसगढ़ में आज से 25 वर्ष पहले 77 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती थी, ऐसे में प्रदेश के विकास को गति, ग्रामीण जनजीवन को विद्युत प्रकाश से रोशन किए बगैर संभव नहीं था। तत्कालीन परिभाषा अनुसार राज्य के 19609 राजस्व गाँवों में 17108 गाँव विद्युतकृत थे जो वर्तमान में न केवल शत प्रतिशत गाँव विद्युतीकृत हैं अपितु शत-प्रतिशत घरों में बिजली की आपूर्ति हो रही है। कुल विद्युतीकरण में 18728 गाँव ग्रिड के माध्यम से तथा 881 गाँव ऑफग्रिड पद्धति से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो 64 लाख उपभोक्ताओं में से 44 लाख से अधिक उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

छत्तीसगढ़ राज म।
दिनकस अंजोर रात म।।



यह जानना बहुत रोचक है कि प्रदेश में मध्यभारत प्रांत के दौर में (1 नवंबर 1956 के पूर्व) ग्राम विदयुतीकरण की शुरूआत हो गई थी। मोहला-मानपुर जिले के कुल्हारडोह गाँव को यह सौभाग्य मिला । यहाँ 1953 में बिजली आई, यह अलग बात है कि विद्युतीकरण की परिभाषा तब कुछ और थी। इसके बाद रायपुर जिले के अभनपुर ब्लॉक के मानिकचौरी गाँव में अगस्त 1956 में मध्यप्रदेश बनने के पहले तथा मध्यप्रदेश बनने के बाद सबसे पहले 31 दिसंबर 1956 में बस्तर जिले के जगदलपुर ब्लॉक के जीरागाँव में बिजली की दस्तक हुई। एक-एक कर सभी जिलों में बिजली पहुँचती चली गई। वर्तमान 33 जिलों में से सबसे अधिक 06 जिलों के पहले ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1970 में हुआ। वैसे ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में सबसे अधिक 1112 ग्राम विद्युतीकरण महासमुंद जिले में, इसके बाद 1063 ग्रामों के साथ कांकेर एवं 957 ग्रामों के साथ कबीरधाम का क्रम आता है। इसी प्रकार सबसे कम दंतेवाड़ा जिले में 219 ग्राम इसके बाद पेण्ड्रारोड जिले में 225 तथा कोरिया में 263 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य के 24 जिलों के कुल 881 गाँवों में ऑफ ग्रिड प्रणाली से विद्युतीकरण किया गया है। राज्य के बीजापुर जिले में सबसे अधिक 237 ग्रामों ऑफ ग्रिड बिजली पहुंचाई गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की भूमिका अहम

कृषि क्षेत्र में प्रगति को देखते हुए छत्तीसगढ़ को अलग पहचान मिली है। राज्य का आम उपभोक्ता आज देश के औसत 1395 यूनिट से कहीं अधिक 2211 यूनिट की वार्षिक खपत करता है। यह इसके विकास का प्राथमिक मापदण्ड है। इसके पीछे प्रदेश का गहन विदयुतीकरण एक बड़ा कारण और जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के सतत सहयोग और प्रयास महत्वपूर्ण हैं। 1969 को निगम की स्थापना के बाद से पूरे देश में जहाँ आरईसी ने ग्रामीण विदयुतीकरण को मिशन मोड पर चलाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता पहुँचाई है वहीं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यह और अहम हो जाता है। वनाच्छादित और ग्राम बहुल इस राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलता के पीछे व्यापक और निरंतर प्रयास है। विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं समेत ऊर्जा क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों में आरईसी पूरा सहयोग प्रदान करता रहा है। प्रदेश में 8.1 लाख से अधिक सिंचाई कृषि पंपों का ऊर्जीकरण हो, सौभाग्य योजना के तहत 7.31 लाख घरों का विद्युतीकरण हो, ट्रांसफार्मर पृथककरण हो या अन्य ऊर्जा विकास की योजनाएं, आरईसी ने स्टेट पॉवर कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया है।



विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम -1948 स्वतंत्र भारत में लागू हुआ
इस अधिनियम से देश में बने विद्युत मंडल और राष्ट्रीय संस्थान ।

मैदानी अमले की जीवटता से रोशन होती जिंदगी

प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के 64 लाख उपभोक्ताओं को सतत और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना जितना जटिल उतना ही कठिन भी होता है। इस पूरे विद्युत आपूर्ति तंत्र और उसके विकसित प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन के लिए विदयुत कंपनी के तकनीकी और उनके जमीनी श्रम साधकों की मेहतन होती है। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की बहाली के लिए तीन स्तरों पर काम निरंतर चलता रहा है। इसमें सबसे पहला पड़ाव विद्युत उत्पादन का है, इसके लिए ताप और पन विद्युत संयंत्रों में हजारों तकनीकी कार्मिक एवं विशेषीकृत श्रमिक 24 घंटे एक लक्ष्य के साथ कार्य करते हैं। यहाँ से शुरू होता है काम पारेषण तंत्र का जो पूरे प्रदेश में उच्च क्षमता से विद्युत ऊर्जा को कोने-कोने तक पहुँचाने का काम करता है। पारेषण की विकसित लाइनों से मांग की पूर्ति करने के लिए उच्च क्षमता के उपकेन्द्र भी बनाए गए हैं।

घर-घर और हर उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा सुगम बनाने का काम करता है वो है विद्युत वितरण तंत्र। प्रदेश के 33 जिलों के हर छोर तक पहुँचती बिजली के लिए एक बहुत ही बड़ा और व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसे समय-समय पर नई जरूरतों के हिसाब से अद्यतन भी किया जाता है। पॉवर वितरण कंपनी के इस वितरण तंत्र को सुगम और सशक्त बनाने के लिए मजबूत मैदानी अमला तैयार किया गया है।

सशक्त वितरण प्रणाली विकसित करने के लिए प्रदेश में 08 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ ही विद्युत की मांग लगातार बढ़ी है और इसके साथ ही बढ़ा है मैदानी कार्यबल पर दबाव। वर्ष 2000 तक प्रदेश में तीन क्षेत्रीय कार्यालय थे। वैसे इस मामले में यदि और पीछे झाँकेंगे तो पता चलता है कि 23 मार्च 1971 को प्रदेश का पहला क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थापित हुआ। उस दौरान इसे एमपीईबी के पूर्वी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था और उप मुख्य अभियंता का कार्यालय स्थापित था जिसे रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर 1982 में मान्यता दी गई। बाद में वर्ष 1989 में बिलासपुर में तथा 1998 में बस्तर क्षेत्र के लिए जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ।









गाँव घर में बिजली लग गे, चले लगीस कम्प्यूटर ।
सपना देखय दाई ददा, लइका बनही कलेक्टर ।।



मैदानी कार्यालयों से सशक्त हुई वितरण व्यवस्था

राज्य गठन के बाद समय-समय पर कार्याधिकता को ध्यान में रखते हुए तथा सुगम सेवा के लिए विकेन्द्रकरण किया जाता रहा है और इसी कड़ी में नए-नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। इसमें सबसे पहले राजनांदगाँव क्षेत्र का गठन 2001, इसके बाद अंबिकापुर 2003, दुर्ग 2012 तथा 2018 में रायगढ़ एवं रायपुर (ग्रामीण) क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों को धरातल पर लाने के लिए जहाँ जोनल एवं वितरण केन्द्र होते हैं वहीं कसावट और निगरानी को बेहतर रखने के लिए वृत्त ,संभागीय एवं उप संभागीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में बीते 25 वर्षों में जहाँ क्षेत्रीय (रीजनल) कार्यालय 03 से 08 हुए हैं वहीं वृत्त (सर्किल) 07 से 19, संभाग 30 से 68 , उपसंभाग 52 से 158, जोन 02 से 59 तथा वितरण केन्द्र 250 से 535 हो गए हैं।

मैदानी कार्यालयों में वृद्धि के साथ ही मैदानी अमले में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है बावजूद इसके लगातार बढ़ती उपभोक्ता संख्या और बहुत बड़े विद्युत तंत्र की देखरेख के लिए वर्तमान कार्यबल पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में कठिन परिस्थितियों में यह कार्यबल बड़ी मजबूती से अपने कार्य के लिए समर्पित होकर हर मौसम और परिस्थिति में जुटा रहता है।

वर्तमान दौर में 825 अभियंताओं एवं 10 हजार से अधिक लाइन परिचारक(लाइन मैन) मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह कार्यबल उपकेन्द्रों की देखरेख, लाइन सुधार के साथ ही फ्यूज़ ऑफ कॉल(एफओसी) जो आम लोगों की बिजली बंद होने संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए तैनात रहती है।

मैदानी कर्मियों के संघर्ष को सलाम

आमजन के लिए इस बात को महसूस कर पाना इतना आसान नहीं है कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए कुशल और पेशेवर दक्षता के साथ मैदानी अमला प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करता है। यह भी सच है कि आम उपभोक्ता की अपेक्षा बहुत अधिक है और लगतार बढ़ती ही जा रही है ऐसे में विद्युत आपूर्ति का थोड़े भी देर के लिए बाधित होना उपभोक्ता की असंतुष्टि का कारण बनता है।

वितरण कंपनी का मैदानी अमला तो सालभर सतर्क और सजग रहकर विद्युत आपूर्ति में रत रहता है, बावजूद इसके उन दिनों और अवसरों पर उसे अधिक कार्य करना पड़ता है जब लोग अपने घरों में रहना चाहते हैं, उत्सव और त्योहार मनाते हैं। चिलचिलाती धूप में हवा के गर्म थपेड़ों का मौसम हो या गरजते और बरसते बारिश का मौसम , मूसलाधार पानी से डूब चुके खंभों पर घुप अंधेरे के बीच चढ़कर किसी खराबी को ठीक करने का जोखिम उठाता है, लाइनस्टॉफ अपनी सारी कठिनाइयों को भूलकर अपने उपभोक्ता को जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति करने के लिए फाल्ट सुधारता है। यह हम सभी की भी जिम्मेदारी है कि आमजन में हमारे मैदानी अमले के संघर्ष और जोखिम भरे कार्यों के प्रति संवेदीकरण करे। उनकी जीवटता भरे कार्य को आवश्यक सम्मान के नजरिए से देखे जाने तथा यथासंभव प्रतिष्ठा दिए जाने की भी जरूरत है।

राज्य निर्माण के दौरान 91.66 प्रतिशत गाँव विद्युतीकृत थे।
महासमुंद जिले में सबसे अधिक 1112 ग्राम विद्युतीकृत हैं।



सतत एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति बहाल रखने में अहम भूमिका निभाते हैं उपकेन्द्र

मानव संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से मजबूत हुई पॉवर कंपनी

किसी कंपनी को शुरू करने में चार 'एम' की आवश्यकता होती है। इसमें मशीन, मटेरियल,मनी और मैनपॉवर शामिल हैं। विद्युत कंपनी जैसे एक बड़े और विस्तारित संस्थान जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश का कोना-कोना है और जिसमें कार्य करने वाले कर्मचारी पर 24 घंटे तैनात रहने का दबाव रहता है वहाँ मानव संसाधन (मैनपॉवर) के मनोबल को बेहतर बनाए रखना कंपनी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। इस महती कार्य को सुचारू और संस्थागत रूप से संचालित करने के लिए होता है मानव संसाधन विभाग। पूर्व में इसे कार्मिक विभाग के तौर पर जाना जाता था। मप्रविमं के गठन के कुछ वर्षों बाद नवंबर 1960 में पहली बार कार्मिक विभाग का गठन किया गया जिसकी देखरेख संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी किया करते थे। बाद के दिनों में कार्य का विस्तार हुआ और कई अन्य शाखाएं एवं प्रकोष्ठों का गठन कार्य की सुगमता के लिए इस विभाग के अंतर्गत किया गया।

आज जो छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनियाँ हैं उसके पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के प्रारंभिक वर्ष 1952 में कुल अधिकारी एवं कर्मचारी 1808 थे। कार्य विस्तार के साथ 1956 में 2433 हुए और बढ़ते हुए 1979 में पूरे मंडल में 44,000 पदों का सृजन हो गया। यह संख्या बढ़ते हुए 1985 में 53,600 हुई तथा 1990 के आते तक 95,087 पद हो गए। इसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद ही 91 हजार के करीब थे शेष लगभग 4,200 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के थे।

हजारों युवाओं को मिला रोजगार

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के दौरान वर्ष 2000 में लगभग 23 हजार पद छत्तीसगढ़ के हिस्से में आए जिसमें छत्तीसगढ़ में कार्यरत अधिकारी- कर्मचारी के अतिरिक्त मंडल के बँटवारे में अनुपातिक रूप से राज्य के हिस्से में आने वाले 900 कार्मिक भी शामिल थे। वर्ष 2003-04 में कार्मिकों की यह संख्या घटकर 17,196 हो गई। कर्मियों की संख्या में कमी के पीछे कारण था मप्रविमं का वह निर्णय जिसमें उसने सेवानिवृत्ति की उम्र को घटाकर 60 से 58 कर दिया था । मंडल बँटवारे के नियमों के अनुसार राज्य गठन से एक वर्ष तक छगविमं के कर्मियों पर भी प्रशासनिक नियंत्रण मप्रविमं का था। दूसरी ओर शुरूआती वर्षों में भर्ती की प्रक्रिया भी नहीं हो सकी थी। राज्य गठन के बाद विद्युत क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और विस्तार हुआ। इसी क्रम में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जिम्मेदारी भी बढ़ी।

नवंबर 2000 में जहाँ विद्युत उपभोक्ता 19 लाख के करीब थे वहीं आज यह आँकड़ा बढ़कर 64 लाख के ऊपर जा चुका है। प्रौद्योगिकी के विस्तार ने मानव संसाधनों को अधिक कुशल और सक्षम बनाया है इससे मानव संसाधनों में संख्यात्मक रूप से कमी आने लगी है और गुणात्मक रूप से विस्तार हुआ है। वर्तमान दौर में विद्युत मंडल से बने तीन स्टेट पॉवर कंपनियों में नियमित लगभग 12500 कार्मिक कार्यरत हैं। इसमें सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 8180 कर्मी हैं। इसके अतिरिक्त हजारों संविदा एवं बाह्यस्रोत से कर्मियों की सेवा से पॉवर कंपनी गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को संभव बना पा रही है। राज्य गठन के बाद पॉवर कंपनी बनने तक मंडल में मानव संसाधन विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण सचिव कार्यालय करता था।

मानव संसाधन विभाग की भूमिका है अहम

किसी कंपनी अथवा संस्थान की सफलता का पैमाना अधिक उत्पादन और बेहतर सेवा होती है, पर इस सफलता के पीछे काम करता है वहाँ कार्यरत कार्यबल (जो उत्पादन इकाई में मानव संसाधन है) में व्याप्त सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा से भरा माहौल। बीते 25 वर्षों



मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करते नवनियुक्त अभियंता

हर घर पहुँची बिजली, हर छत बिजली घर ।
मुफ्त मिलेगी बिजली, योजना पीएम सूर्य घर ।।

में मानव संसाधन विभाग ने विभिन्न स्तरों के 10,386 कर्मियों की सीधी भर्ती को निर्विवाद रूप से संपन्न कराया है। पृथक विद्युत मंडल के प्रारंभिक वर्ष में सीधी भर्ती संभव नहीं हो पाई थी और वर्ष 2002 में पहली बार भर्ती की गई। यह म.प्र.वि.मं के दौरान हुई भर्ती के लगभग एक दशक बाद हुई पहली भर्ती थी। इस वर्ष 540 कर्मियों की भर्ती हुई जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मी शामिल थे। इसके बाद सिलसिला चल पड़ा और तीन वर्षों को छोड़कर प्रतिवर्ष भर्तियाँ हुई। सबसे अधिक वर्ष 2018 में 2123 कर्मियों की भर्तियाँ की गईं।

2009 में पॉवर कंपनी के गठन के बाद मानव संसाधन विभाग को सुगठित किया गया और मानव संसाधन क्षेत्र के पेशेवरों को शामिल करते हुए कार्य को गति प्रदान की गई। मानव संसाधन विभाग, भर्ती के साथ समय-समय पर प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन पुनःरीक्षण समेत स्थानांतरण जैसी प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चत करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कार्मिक के आर्थिक हितलाभों, सेवानिवृत्ति लाभों को समय पर प्रदान कर अपने कर्मियों की सेवा का सम्मान सुनिश्चित करता है। अपने नियमित कर्मियों को अच्छी स्वास्थ सेवा मुहैय्या कराने, दुर्घटना बीमा, आवश्यकता अनुसार पदों को युक्तियुक्त करना भी मानव संसाधन विभाग अपनी महती जिम्मेदारी समझता है।

मानव संसाधन विभाग कार्मिकों की स्थापना संबंधी गतिविधियों के अलावा संपूर्ण कंपनी के अधीन कई विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयों एवं प्रकोष्ठों के बीच समन्वय भी करता है। वर्तमान में तीनों विद्युत कंपनियों यथा पॉवर जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मानव संसाधन विभाग कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं। इसमें कंपनी की सशक्त समिति द्वारा कुछ कार्यों के लिए सीएसपीटीसीएल को समन्वय का कार्य सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त निर्धारित कॉमन कैडर की पदोन्नति एवं स्थानांतरण जैसे कुछ प्रशासनिक कार्य भी ट्रांसमिशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग को दिया गया है।

सामाजिक सजगता का बोध- उदार अनुकम्पा नीति

पॉवर कंपनी के कर्मी उसमें भी विशेषकर संयंत्रों एवं मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मी खतरों के बीच कार्य करते हैं। ऐसे में उनके परिवार की चिंता भी पॉवर कंपनी की है। देश में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में सबसे अधिक दुर्घटना और उसमें भी उसके प्राणघातक होने की हमेशा आशंका होती है। ऐसे में विद्युत मंडल और बाद में पॉवर कंपनी ने अपने कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए उदार अनुकम्पा नीति को अपनाया है।

कंपनी के कर्मियों के आकस्मिक निधन पर उनके परिवार को आर्थिक समस्या से बचाने और कंपनी के नियमानुसार यथाशीघ्र परिजन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता के आधार पर कार्य संपन्न किया जाता है। आवश्यकतानुसार नियमों को लचीला बनाते हुए मृत कार्मिकों के परिजन के हितों को सुनिश्चित करने का बड़ा काम पॉवर कंपनी करती है।

राज्य निर्माण के बाद मंडल/ कंपनी ने फरवरी 2004 के बाद कुल 3224 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर कार्मिकों के जाने के बाद आर्थिक संबल प्रदान करने का प्रयास किया है।

राज्य गठन के बाद हुए चार वेतन पुनरीक्षण

एक कार्मिक आजीविका के लिए कार्य करता है और कार्य के दौरान उसको समय-समय पर वेतनवृद्धि मिले एक स्वाभाविक अपेक्षा के साथ ही उसकी आवश्यकता भी होती है। छगविमं के साथ सौभाग्य रहा कि उसके गठन के तत्काल बाद ही वेतन पुनरीक्षण की अनुशंसा हुई और दिसंबर 2000 में ही पहली वेतन सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसके ठीक पाँच सालों बाद वेतन निर्धारण के लिए वेज एडवाइजरी कमेटी (वेतन सलाहकार समिति) का दूसरी बार गठन दिसंबर 2005 में हुआ। असल में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के तहत विद्युत मंडल में पूर्व से ही प्रत्येक पाँच वर्षों में वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। वर्ष 2009 में तीसरी बार वेतन पुनरीक्षण हुआ तथा मार्च 2014 में चौथी बार वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया। चौथी बार गठित समिति दो सदस्यीय थी जिसके अध्यक्ष विद्युत मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री एस के मिश्रा तथा सदस्य, विद्युत मंडल के पूर्व सदस्य (पारेषण एवं वितरण) श्री शरत चंद्र थे। व्यापक विचार विमर्श के बाद समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू है। वेतन पुनरीक्षण को युक्तियुक्त बनाते हुए इस प्रकार से वेतन निर्धारण किया गया कि प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नई समिति के गठन की आवश्यकता न हो । समय और श्रम की बर्बादी अधिक न हो इसीलिए वेतन पुनरीक्षण को दस वर्षों में करने का निर्णय लिया गया।

400 केव्ही की पहली ट्रांसमिशन लाइन कोरबा से भिलाई है प्रदेश की यह ट्रांसमिशन लाइन 1985 में क्रियाशील हुई।

कर्मचारी हितैषी विभिन्न नीतियाँ एवं सहुलियतें

विद्युत कंपनी ने बेहतर वेतन और अन्य आर्थिक लाभों के अतिरिक्त हमेशा अपने कर्मियों को अन्यान्य तरीके से उसका मनोबल बढ़ाने की नीति पर काम किया है। इसमें समय-समय पर पदोन्नति के साथ ही सेवानिवृत्ति लाभों और सेवाकाल तथा उसके बाद भी चिकित्सा की समुचित सुविधाएं भी शामिल हैं। इन सुविधाओं में से प्रमुख का उल्लेख करना बहुत ही प्रासंगिक है।

स्वास्थ्य सुविधाएं – पॉवर कंपनी के कार्मिकों का उत्तम स्वास्थ्य कंपनी और राष्ट्र के लिए आवश्यक है ऐसे में उन्हें हर संभव स्वास्थ्य सुविधा मुहैय्या कराना कंपनी का दायित्व भी। पॉवर कंपनी ने इसके लिए व्यापक स्वास्थ सेवा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसके तहत बड़ी संख्या में कार्यरत कार्मिकों वाले स्थानों पर अस्पताल एवं औषधालय की स्थापना की गई है। रायपुर में जहाँ दो औषधालय संचालित हैं वहीं भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर में एक-एक औषधालय हैं। इसके अतिरिक्त कोरबा पूर्व एवं पश्चिम तथा मड़वा (अबिवातावसं) स्थित उत्पादन गृहों के कार्मिकों के लिए सर्वसुविधायुक्त अस्पताल भी संचालित हैं।

इन औषधालयों में नियमित एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को प्राथमिक चिकित्सा के साथ नि:शुल्क दवाएं एवं आवश्यकतानुसार देशभर के अनुबंधित अस्पतालों में सीजीएचएस दर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चिकित्सा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भी पॉवर कंपनी द्वारा की जाती है। कार्मिकों के विभिन्न संगठनों की लगातार मांगों के आधार पर पॉवर कंपनी ने चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए अंशदायी कैशलैस स्वास्थ्य योजना भी शुरू की है।

अंशदायी कैशलैस स्वास्थ्य योजना- पॉवर कंपनी अपने सेवारत और सेवा निवृत्त कार्मिकों के स्वास्थ्य को लेकर सदैव गंभीर रही है। स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ आर्थिक बोझ से मुक्त रखने के लिए व्यापक विचार मंथन और अध्ययन के बाद अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना अक्टूबर 2023 में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नियमित एवं पेंशनभोगी कर्मियों और उनके आश्रित परिजन को अंतःरोगी अस्पताली चिकित्सा बिना नकद खर्च के प्रदान की जा रही है। कुल 58,768 कर्मियों एवं उनके आश्रितों को यह चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। कंपनी कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इस हेतु प्रदेश सहित देश के प्रतिष्ठित 605 अस्पतालों को नेटवर्क अस्पताल के रूप में अनुबंधित किया गया है। अनुबंधित होने वाले अस्पतालों की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है।

गैर अंशदायी दुर्घटना बीमा– पॉवर कंपनी अपने नियमित कार्मिकों को गैर अंशदायी दुर्घटना बीमा की सुरक्षा प्रदान करती है। इसके तहत कार्यावधि के दौरान दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में पात्र आश्रितों को 15 लाख रूपए एवं कार्य के उपरांत दुर्घटना से मृत्यु होने पर 05 लाख रूपए की बीमा राशि का भुगतान पात्र आश्रितों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।



रियायती दर पर विदयुत आपूर्ति

पॉवर कंपनी के नियमित कर्मचारी को अपने निवास में कुल खपत में 50 प्रतिशत की छूट के साथ विद्युत बिल में बड़ी राहत प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सेवा निवृत्त कार्मिकों को कुल खपत के 25 फीसदी बिल में छूट प्रदान की जाती है।

भत्तों के रूप में प्रोत्साहन

विद्युत कंपनी में वेतन के साथ कई प्रकार के प्रोत्साहन स्वरूप भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें दिन रात कार्यरत रहने वाले हमारे कार्मिकों का मनोबल बना रहे तथा आर्थिक रूप से मजबूत होकर वे अधिक आत्मविश्वास से कार्य कर सकें।इनमें प्रमुख रूप से मकान भाड़ा भत्ता, मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत हमारे अभियंताओं एवं कर्मियों को दिया जाने वाला मैदानी भत्ता,योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे अभियंताओं को तकनीकी भत्ता, वाहन भत्ता, रात्रि भत्ता, किट संधारण भत्ता, गणवेश भत्ता, धुलाई भत्ता, अर्दली भत्ता, हॉट लाइन संधारण भत्ता, चिकित्सकों को नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस, अतिरिक्त वेतन, दिव्यांगजन को दुगना वाहन भत्ता पात्रता अनुसार कार्मिकों को प्रदान किए जाते हैं।

खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

विदयुत कंपनी अपने कार्मिकों को एक रचनात्मक महौल मुहैय्या कराने के लिए वर्षभर खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करती है। इसके लिए मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं विद्युत गृहों के स्तर पर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक परिषदों का गठन कर इन गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है। कंपनी के खिलाड़ी क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर खेल





प्रतिस्पर्धाओं के अलावा पॉवर कंपनी के राष्ट्रीय खेलों में भी हिस्सा लेते रहे। मुख्यालय समेत कुछ केन्द्रों पर खेल परिसर भी संचालित हैं।

पालना घर और कैंटिन का संचालन

कारखाना अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पॉवर कंपनी मुख्यालय परिसर समेत विद्युत गृहों में पालना घर और कैंटिन का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। रायपुर और कोरबा में पालना घर के साथ ही मुख्यालय रायपुर समेत कोरबा एवं मड़वा स्थित विद्युत गृहों के परिसरों में कैंटिन का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

कल्याण केन्द्र

पॉवर कंपनी के कार्मिकों के बीच सामाजिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को बढ़ावा देने के लिए कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गई है। अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा (पूर्व एवं पश्चिम), मड़वा, बिलासपुर, रायपुर , खेदामारा(भिलाई) तथा बांगो में कल्याण केन्द्र संचालित हैं।



भारत में नियोजित ऊर्जा सर्वे 1955 में शुरू हुआ।
देश में अब तक हुए 20 राष्ट्रीय विद्युत सर्वे ।

औद्योगिक संबंध विभाग

किसी भी औद्योगिक संस्थान में नियोक्ता एवं कार्मिकों के बीच के औद्योगिक संबंध जितने सौहार्दपूर्ण होते हैं उस संस्थान की उत्पादकता और सफलता उतनी ही अधिक होती है। विद्युत मंडल/कंपनी के गठन के साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों का गठन किया गया। इसमें से एक है औद्योगिक संबंध विभाग। इस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है श्रमिक संगठनों (अधिकारी-कर्मचारी संगठनों) के बीच मधुर संबंध बनाए रखना। एक औद्योगिक संबंध अधिकारी को प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच पुल का कार्य करना होता है। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण जैसे कार्य चूंकि औद्योगिक इकाई के कार्य हैं ऐसे में मप्रविमं के दौर से ही जब श्रम कानून कड़े होते गए और श्रमिक संगठनों की गतिविधियाँ बढ़ने लगी तब पृथक से श्रम एवं कल्याण अधिकारी की नियुक्ति नवंबर 1960 में हुई जो कार्मिक विभाग के अधीन कार्यरत थे। समय के साथ मुख्यालय समेत विभिन्न विद्युत गृहों में कारखाना अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुरूप कल्याण अधिकारी की नियुक्ति हुई।

राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने मुख्यालय, उत्पादन केन्द्रों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कल्याण अधिकारी की नियुक्ति कर श्रमिक हितों के लिए अपनी तत्परता को स्पष्ट किया। विभिन्न मौकों पर श्रमिक संगठनों एवं प्रबंधन के बीच तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होने पर कुशलता से स्थिति को संभालते हुए मंडल / कंपनी के कार्यों को बाधारहित बनाए रखा एवं प्रबंधन एवं संगठनों के बीच स्थिति सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में सफलता हासिल की है। आज पॉवर कंपनियों में ट्रेड युनियन एक्ट 1926 के तहत 11 श्रमिक संगठन पंजीकृत हैं जो श्रम आयुक्त कार्यालयों में पंजीकृत हैं वहीं अधिकारियों-कर्मचारियों के 12 एसोसिएशन एवं संगठन सक्रिय हैं। इन सभी संगठनों के बीच आपस में समन्वय बनाए रखने तथा इन सभी संगठनों और प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने में औद्योगिक संबंध कार्यालय की भूमिका अहम होती है।



आज के दौर में जबकि श्रम कानूनों तथा कारखाना अधिनियमों का बड़ी कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य हो गया है ऐसे में औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में भूमिका अदा करना चुनौतियों से भरा है। औद्योगिक संबंध कार्यालय इस बात पर भी नजर रखता है कि पॉवर कंपनी में लागू समस्त श्रमिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो, उन्हें आवास, अवकाश आदि सुविधाएं समुचित ढंग से मिल रही है कि नहीं। औद्योगिक संबंध अधिकारी इन कार्यों के साथ ही मुख्यालय समेत विद्युत गृहों, क्षेत्रीय कार्यालयों में पालना घर, कल्याण केन्द्र और कैंटिन का संचालन आवश्यकता अनुसार संचालित कराना सुनिश्चित करता है।



सुरक्षा विभाग

पॉवर कंपनी में सुरक्षा विभाग ने हमेशा अहम भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो हमारे संयंत्रों की सुरक्षा हो या मुख्यालय परिसर। सुरक्षा विंग हमारे परिसरों में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सदैव कामयाब रही है। कई मौकों पर राजनीतिक अथवा अन्य समूहों के आंदोलनों हमारी सुरक्षा विंग जिस सामंजस्य के साथ कंपनी के जान-माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करती आई है वह उल्लेखनीय है। वर्तमान में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में पूरा अमला कार्य करता है इनके अलावा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी समेत सुरक्षा सैनिक तक इस सुरक्षा बल का हिस्सा हैं। 363 नियमित सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त बाह्य स्त्रोत से भी सुरक्षासैनिक तैनात किए जाते हैं।

बिजली की हो देखभाल, जैसे नव निहाल ।
बचेंगे चार पैसे, परिवार हो खुशहाल ।।



जनसंपर्क विभाग

आमजन से जुड़ी कंपनी होने के नाते राज्य विद्युत कंपनी के लिए उपभोक्ता सेवा की निरंतरता सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। बेहतर सेवाओं से जनअपेक्षाएं बढ़ी हैं ऐसे में जनता में अपनी सकारात्मक छवि के साथ जनजागरूकता बढ़ाना पॉवर कंपनी के लिए हमेशा एक अहम कार्य रहा है। कंपनी प्रबंधन और आम उपभोक्ताओं के बीच एक मध्यस्थ के रूप में होता है जनसंपर्क अधिकारी। मप्रविमं में अक्टूबर 1969 में अपने गठन के समय से ही जनसंपर्क विभाग बाह्य एवं आंतरिक रूप से मंडल की बेहतर छवि निर्माण के कार्यों को बखूबी करता आया है।

जनजागरूकता अभियान हो, विद्युत के विकास और विस्तार के लिए उपभोक्ता हितैषी योजनाएं हों, बिजली की बचत और विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के उपाए जैसे अभियान हों, सभी को योजनाबद्ध ढंग से सफल बनाने का काम जनसंपर्क विभाग ने किया है। जनसंपर्क विभाग अपने आंतरिक प्रचार-प्रसार के तहत कंपनी की गतिविधियों और कर्मचारियों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए गृह पत्रिका का प्रकाशन करता है, वहीं आम उपभोक्ता और मीडिया को कंपनी की योजनाओं, उपलब्धियों एवं भावी परियोजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कांफ्रेंस , न्यूज़ ब्रीफिंग आदि भी करता है।

मप्रविमं की स्थापना के कुछ वर्ष बाद 1960 में 'विदयुत प्रकाश' त्रयमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसकी निरंतरता बनी न रह सकी। बाद में जनसंपर्क प्रकोष्ठ के शुरू होने के बाद 1970 में हिन्दी मासिक पत्रिका 'विद्युत सेवा' की शुरूआत हुई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के गठन के तीसरे वर्ष में द्विमासिक गृह पत्रिका 'संकल्प' का प्रकाशन शुरू हुआ जो आज अनवरत जारी है। इसके अतिरिक्त भी समय-समय पर मंडल/कंपनी की विभिन्न योजनाओं और विकास संबंधी कार्यों को रेखांकित करने वाले प्रकाशन भी किए गए हैं। विद्युत कंपनी की बढ़ती उपभोक्ता संख्या, कार्य विस्तार एवं मीडिया के बढ़ते और विस्तारित स्वरूप को देखते हुए विद्युत कंपनी ने मुख्यालय के अतिरिक्त विद्युत गृहों एवं क्षेत्रीय स्तर पर जनसंपर्क अधिकारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया, इसके कारण मीडिया प्रबंधन एवं उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में काफी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं।

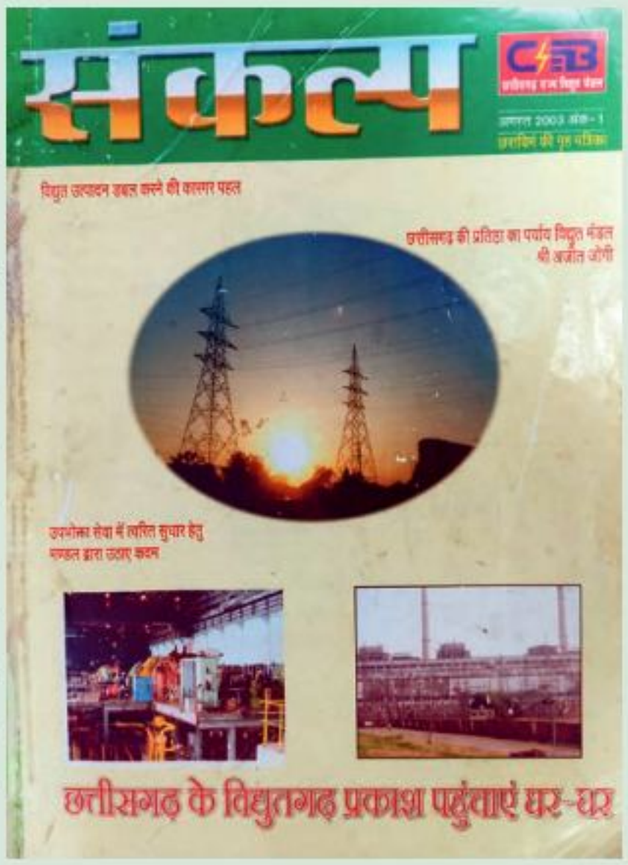

छत्तीसगढ़ में एकमात्र लाइसेंसी कंपनी सीएससी थी
द सेन्ट्रल इंडिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बिलासपुर थी ।

विधि विभाग

मानव संसाधन विभाग स्थापना से जुड़े मामलों को देखता है जहाँ वैधानिक विषय पग-पग पर होते हैं। तकनीकी पेचीदगियों के अलावा कानूनी जटिलता, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, महिला अधिकार समेत अनेक हित समूहों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विषय पर मानव संसाधन विभाग कार्य करता है। अनेक अवसरों पर विधि संबंधी जटिलताओं को समझने तथा नई नीति के निर्माण के दौरान संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में सहायक होता है विधि विभाग। विधि विभाग की भूमिका हर उस अवसर पर महत्वपूर्ण होती है जब किसी पर विभागीय जाँच करनी हो, भर्ती, पदोन्नति समेत स्थानांतरण के मामले में असंतुष्ट कार्मिक न्यायालय की शरण में चला जाए। विभागीय पक्ष मजबूत करने के लिए विधि के जानकार विधि अधिकारी अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार असंतुष्ट उपभोक्ता भी न्यायालय की शरण में चले जाते हैं ऐसे अवसर पर भी विधि विभाग के परामर्श से मानव संसाधन विभाग कार्य करता है, इससे कंपनी का पक्ष अधिक मजबूत होता है और वैधानिक जटिलताओं को समझते हुए आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। मप्रविमं के दौर में विधि सलाहकार नियुक्त किए जाते थे बाद में विधि प्रकोष्ठ स्थापित कर इसे अधिक मजबूत किया गया है। इसे भी मुख्यालय के साथ ही विद्युत उत्पादन गृह और क्षेत्रीय कार्यालयों तक विस्तारित किया गया है जिससे किसी भी मामले को निपटाने में लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े।



75 साल पुराना बल्ब आज भी फैला रहा रोशनी



जगदलपुर शहर के पंचपथ चौक के पास रहने वाले श्री अनिल दास के घर 75 वर्ष पहले लगाया गया बल्ब आज भी घर को रोशन कर रहा है। वर्ष 1950 में स्वर्गीय लिंगराज दास ने आठ कमरों वाला पक्का आवास बनवाया और सभी कमरों में मेड इन इंग्लैंड बल्ब लगवाया था। स्व. लिंगराज के 77 वर्षीय पुत्र श्री दयानिधि दास बताते हैं कि बिजली फिटिंग के बाद उनके पिता ने दस रूपए में एडिसन कंपनी का चालीस वाट का दस बल्ब खरीदा था। उन दिनों भारत में बल्ब नहीं बनते थे। खरीदे गए उन दस बल्बों में से एक बल्ब आज भी जल रहा है। बल्ब काफी पुराना है इसलिए इसे हर शाम दीया बत्ती के समय ही जलाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि बल्ब चोरी न हो जाए इसलिए उसके ऊपर ताले वाली जाली लगी है। चाबी खो जाने के कारण बल्ब की सफाई नहीं हो पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार श्री हेमंत कश्यप बताते हैं कि तीन पीढ़ियाँ ने इस बल्ब की रोशनी को देखा है और आज भी हर शाम की दस्तक इस बल्ब के रोशन होने के साथ होती है।



मुख्यमंत्री जी का सपना,
उन्नत छत्तीसगढ़ हो अपना ।।

24x7 विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जुटे रहने वाले श्रम साधक लाइनमैन सही मायनों में 'सुपरमैन' हैं

नई चुनौतियों के लिए कार्मिक यहाँ तराशे जाते हैं

विद्युत उत्पादन से लेकर पारेषण और वितरण का पूरा तंत्र कुशल और दक्ष अभियंताओं तकनीकी कर्मचारियों के सहारे अनवरत और निर्बाध चल रहा है। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहने के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। यह चुनौतियाँ उत्पादन प्रक्रिया से लेकर पारेषण और वितरण के दौरान उत्पन्न होती है। इनके संचालन में कोई अवकाश नहीं बल्कि सतर्कता और तत्परता की बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसे में जबकि तकनीकी रूप से जानकार युवा विद्युत कंपनी की सेवा में शामिल होता है तो उसे व्यवहारिक जानकारी और बेहतर समझ कार्य के दौरान मिलती है। इस समझ को विकसित करने का काम होता है पॉवर कंपनी के प्रशिक्षण केन्द्रों में। विभिन्न प्रकार की तकनीकी विशेषज्ञता के लिए अलग-अलग प्रकार का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है।

पॉवर सेक्टर रिफार्म को लेकर भारत सरकार द्वारा 1980 में श्री वी जी राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट में मानव संसाधनों के बेहतर प्रशिक्षण को लेकर तीन प्रमुख अनुशंसाएं की गईं थीं। इस रिपोर्ट के बाद पॉवर इंजीनियर और तकनीकी कर्मियों के प्रशिक्षण को महत्व प्रदान किया गया और प्रशिक्षण मैदानी स्तर पर भी दिया जाना सुनिश्चित किया गया।

पीजीटीआई : कोरबा में स्थापित हुआ मंडल का पहला प्रशिक्षण केन्द्र

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के गठन के कुछ वर्षों बाद 1958-59 से स्नातक एवं पत्रोपाधि इंजीनियरों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। बावजूद इसके यह महसूस किया जा रहा था कि संस्थागत रूप से प्रशिक्षण दिया जाए और इसलिए केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। कोरबा में मध्यप्रदेश के पहले बड़े ताप विद्युत संयंत्र ने वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू भी कर दिया था तो और तब प्रशिक्षित अभियंताओं की जरूरत को पूरा करना आवश्यक हो चला था। इसी जरूरत की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कोरबा में की गई थी जहाँ स्नातक अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, इसके बाद फरवरी 1976 में सीटीआई की स्थापना जबलपुर में की गई, इसी दौरान कोरबा में संचालित प्रशिक्षण संस्थान के स्थान पर पॉवर जनरेशन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (पीजीटीआई) की स्थापना की गई। इसके लिए अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।

भारतीय विद्युत संशोधन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार 100 मेगावॉट या अधिक क्षमता के संयंत्रों का संचालन प्रशिक्षित अभियंता एवं कार्मिकों द्वारा ही किया जा सकता था। इस प्रावधान के अनुरूप 1986 में आईटीआई एवं गैर आईटीआई कर्मियों के प्रशिक्षण का भी कार्य पीजीटीआई में शुरू किया गया और इसके लिए मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई जिससे प्रशिक्षण को अधिक महत्व और गंभीरता प्रदान किया जा सके। वर्तमान में यहाँ स्नातक अभियंता, डिप्लोमा अभियंता, शिफ्ट केमिस्ट, आईटीआई एवं गैर आईटीआई तकनीशियन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एप्रेंटिस, सिमुलेटर ट्रेनिंग आदि प्रदान की जाती है। राज्य निर्माण के बाद बीते 25 वर्षों में हजारों अभियंता,तकनीशियन एवं कार्मिक को प्रशिक्षण के माध्यम से परिष्कृत किया गया है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट)

राज्य बनने के बाद पृथक विद्युत मंडल का गठन किया गया तभी से इस बात पर जोर था कि सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं समेत कार्यालय सहायकों एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीयकृत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो। तत्कालीन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल में रायपुर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र था। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के तकनीकी कर्मियों समेत कार्यालयीन कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अधीन तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर और अंबिकापुर भी संचालित थे जहाँ लाइन परिचारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था।



बत्ती बुझाओ झट ले।
बिल घटही फट ले।।



विद्युत मंडल का विखंडन कर पॉवर कंपनियों का गठन हुआ तब एक बार फिर केन्द्रीय संस्थान बनाने पर विचार हुआ। वर्ष 2010 में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान रायपुर को उच्चीकृत कर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट) ,रायपुर की स्थापना हुई। इसके बेहतर संचालन के लिए मुख्य अभियंता समेत समुचित पदसंरचना के साथ नियुक्तियाँ की गईं। यहाँ वितरण एवं पारेषण कंपनी के अभियंताओं के प्रशिक्षण के अतिरिक्त गैर-तकनीकी कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। खास बात यह कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान रायपुर का संचालन छत्तीसगढ़ के पहले ताप विदयुत संयंत्र के बंद पड़े गुढ़ियारी स्थित परिसर में किया जा रहा था, बाद में वर्ष 2010 में सीटीआई की स्थापना के बाद वर्तमान नए भवन में स्थानांतरित किया गया । क्षेत्रीय और बाद में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर कार्य करते हुए बीते 25 वर्षों में 10 हजार के करीब अभियंताओं, तकनीकी एवं कार्यालयीन कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न कार्यशालाओं , सीमित अवधि के प्रशिक्षण आदि भी समय-समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र , रायपुर

तकनीकी स्टॉफ विशेषकर लाइन परिचारक (लाइनमैन) का प्रशिक्षण हमेशा अनिवार्य रहा है। मैदानी अमला जो सबसे अधिक खतरों और शारीरिक श्रम एवं मानसिक दबाव के बीच कार्य करता है का कुशल और प्रशिक्षित होना उतना ही आवश्यक। इसी क्रम में 1970 के दशक के अंत में रायपुर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान एवं उसके अधीन तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान में सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए। वर्तमान में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में ही यह केन्द्र संचालित है।



तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, अंबिकापुर

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), रायपुर के अधीन संचालित तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, अंबिकापुर सितंबर 1989 में अस्तित्व में आया। तब यह केन्द्र क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के अधीन था। मुख्यअभियंता, अंबिकापुर क्षेत्र के अंतर्गत सहायक अभियंता स्तर के अधिकारी इस संस्थान के प्रभारी हैं । विगत वर्षों में इस केन्द्र के माध्यम से हजारों लाइनमैन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ लाइन कर्मचारियों को मैदानी कार्य, लाइन निर्माण एवं रखरखाव, विद्युत सामग्री का उपयोग, सुरक्षित एवं सतर्कता सहित कार्य संपादन के लिए तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में 1971 में स्थापित.
2005 तक महासमुंद ,दुर्ग और जांजगीर चाँपा जिले ही पूर्ण विदयुतीकृत थे।

सतर्कता तंत्र की सक्रियता और विद्युत कंपनी की सफलता

छत्तीसगढ़ का विद्युत तंत्र बहुत व्यापक और विस्तारित है । इतने बड़े तंत्र और उपभोक्ताओं वाले पॉवर कंपनी में सेवा की गुणवत्ता के साथ अवैध कनेक्शन और मीटर छेड़छाड़ पर निगरानी रखना बड़ी चुनौती है। विद्युत की चोरी अथवा अवैध कनेक्शन की समस्या से निपटने में पॉवर कंपनी को कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक ओर तो राजस्व की सीधे हानि होती है, साथ ही ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ता है जिससे ट्रांसफार्मर की क्षमता और उपभोक्ता की सेवा प्रभावित होती है।

बिजली की चोरी रोकने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के दौर से ही निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी जो पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारी पूरे प्रदेश में इस निगरानी तंत्र के नियंत्रक अधिकारी होते थे, पॉवर कंपनी बनने के बाद कार्यपालक निदेशक(सतर्कता) इस विभाग के मुखिया होते हैं। प्रदेश में सतर्कता विंग की चुनौती अलग प्रकार की होती है और कार्य का संपादन करना खतरों से भरा होता है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में नवंबर 2001 में मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्यालय की स्थापना हुई थी। कार्यपालक निदेशक (सतर्कता) पॉवर कंपनी के अध्यक्ष के सीधे प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होते हैं। विद्युत अधिनियम- 2003 के अंतर्गत धारा 135 के अनुसार विद्युत लाइन या मीटर में अनाधिकृत उपयोग या छेड़छाड़ करना दंडनीय है।

कार्यपालक निदेशक (सतर्कता) कार्यालय के तहत वितरण कंपनी के अतंर्गत प्रदेश के सभी वृत्तों में एक कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) और सहायक अभियंता (सतर्कता) नियुक्त होते हैं। इनके नियंत्रक अधिकारी कार्यपालक निदेशक (सतर्कता) होते हैं । इन सतर्कता टोलियों को एंटी पॉवर थेफ्ट स्वाड (एपीटीएस) के रूप में जाना जाता है। एपीटीएस का नेतृत्व कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी करते हैं।

वर्तमान में प्रदेश में 19 सर्किल (वृत्त) हैं जिनमें प्रत्येक में एक एपीटीएस बनी हुई है। सतर्कता विंग आमजन से लेकर अपने किसी अधिकारी की सूचना के आधार पर औचक निरीक्षण कर बिजली चोरी की घटना की जाँच करता है। यह जाँच विद्युत प्रदाय संहिता 2011 की कण्डिका 11.6 के तहत की जाती है। चोरी पकड़े जाने पर पंचनामा तैयार कर सतर्कता विभाग, वितरण कंपनी के ही संचारण एवं संधारण विभाग को प्रकरण प्रेषित करता है जो चोरी का आँकलन कर दण्ड स्वरूप राशि की मांग और वसूली के लिए जिम्मेदार होता है। सतर्कता विभाग ने बीते वर्षों में लगातार जाँच की कार्रवाई को तेज किया है और चोरी करने वाले उपभोक्ताओं में एक डर का वातावरण निर्मित हो ऐसा भी प्रयास इन कार्रवाइयों के जरिए किया जाता है। उपभोक्ता उच्चदाब का हो या निम्नदाब का सतर्कता दल सभी पर अपना शिकंजा कसता है। बीते वर्षों में सतर्कता टीम की जाँच में गति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज एक वर्ष में लगभग पचास हजार कनेक्शन की जाँच की जा रही है जबकि पंद्रह वर्ष पूर्व 2010 में चौबीस हजार कनेक्शनों का औचक निरीक्षण किया



जा रहा था। वर्ष 2009-10 में जहाँ 20 करोड़ 26 लाख रूपए की चोरी पकड़ी गई थी वहीं बीते वित्तवर्ष 2023-24 में यह आँकड़ा बढ़कर 43 करोड़ 98 लाख रूपए हो गया है।

राज्य निर्माण के बाद विद्युत वितरण क्षेत्र में अधोसंरचना का व्यापक विस्तार हुआ है साथ ही उपभोक्ताओं की संख्या में कई गुणा इजाफा भी हुआ है। इन सबके बीच बिजली क्षेत्र में वितरण हानि एक बड़ी समस्या रही है। इस हानि में विदयुत की चोरी एक बड़ा कारण रहा है । विद्युत हानि को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा रहा है और इलेक्ट्रानिक और स्मार्ट मीटर से लेकर हर एक पोल की निगरानी तक की जा रही है। इन सबके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं किन्तु सतर्कता टीम के सतर्क और सघन अभियान का असर चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर व्यापक रूप से देखने में आया है। विद्युत चोरों पर सतर्कता विंग की कार्रवाई का भय इस बात से लगाया जा सकता है कि 15 वर्ष पूर्व जबकि 24 हजार जाँच में 1478 मामले चोरी के पकड़े गए वहीं बीते वर्ष पचास हजार निरीक्षण के बाद 2168 चोरी के मामले ही दर्ज हुए। आज विदयुत वितरण हानि में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य गठन के दौरान हमारे प्रदेश में वितरण हानि 34 प्रतिशत थी जो अब 14.58 प्रतिशत तक आ चुकी है। यह विद्युत तंत्र की कसावट का ही परिणाम है।

विद्युत कंपनी ने बिजली चोरी को रोकने के लिए आम जन की भागीदारी पर बल दिया है। विद्युत मंडल के दौर से ही चोरी की सूचना देने पर आमजन को न केवल पुरस्कृत किया जाता है बल्कि उनकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाता है। पूर्व में जहाँ लोग निर्धारित टेलीफोन नंबर पर कॉल किया करते थे वहीं अब लोग बड़े सजग हो चुके हैं और टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर विद्युत चोरी की सूचना देते हैं। पॉवर कंपनी ने बाकायदा यह भी सुनिश्चित कर रखा है कि जो भी बिजली चोरी की शिकायत आए उसे तुरंत संबंधित कार्यपालक निदेशक और विजिलेंस टीम को एसएमएस के जरिए प्रेषित की जाए। विद्युत जैसी राष्ट्रीय संपदा के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रोत्साहन योजना भी चलाई जाती है।

एनएबीएल प्रमाणित पहली मीटर जाँच प्रयोगशाला - सेन्ट्रल टेस्टिंग लैब

विद्युत अधिनियम 2003 में उपभोक्ता के हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जिससे विद्युत उपभोक्ता विद्युत कंपनियों की सेवा से संतुष्ट हो। इन्हीं प्रावधानों में एक था राज्य विदयुत कंपनियों में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) अधिमान्य जाँच प्रयोगशाला का संचालन। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी और प्रदेश का एकमात्र एनएबीएल प्रमाणित जाँच प्रयोगशाला आज केन्द्रीय जाँच प्रयोगशाला के रूप में भिलाई -03 में संचालित है।

सेन्ट्रल टेस्टिंग लैब (सीटीएल) के शुरू होने से जहाँ एक ओर आम उपभोक्ताओं में पॉवर कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है वहीं कार्यदक्षता में वृद्धि के साथ समय, श्रम और धन की बड़ी बचत भी हो रही है। सर्वसुविधा युक्त इस लैब में एक साथ 20 मीटरों की जाँच की जा सकती है। इस मीटरों में लो टेंशन (एलटी - जिन उपभोक्तओं को 400 वोल्ट तक की आपूर्ति की जाती है) एवं हाई टेंशन (एचटी- जिन उपभोक्ताओं को 400 वोल्ट से अधिक की आपूर्ति की जाती है) दोनों ही प्रकार के मीटरों की जाँच की जाती है।

समय और धन की बचत

आज पॉवर कंपनी के घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं के मीटरों के अतिरिक्त सीटीएल में निजी तौर पर भी मीटर की जाँच के लिए उपभोक्ता आते हैं। इस लैब के शुरू होने से विद्युत कंपनी को बड़ी राहत मिली है। अपने उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराने के लिए मंगाए गए मीटरों की जाँच के लिए अब सैंपल भोपाल स्थित सेंट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टिट्यूट को नहीं भेजना पड़ता है। 2018 में एनएबीएल प्रमाणित होने के बाद से सैंपल जाँच पर होने वाले लाखों रुपए के खर्च और समय की बड़ी बचत हो रही है। अनुमान के मुताबिक 2019 से 2023 तक ही परीक्षणों पर होने वाले खर्च में छह करोड़ रूपए से अधिक की बचत हुई है।

विद्युत कंपनी की निगरानी टीम अथवा नियमित जाँच दल द्वारा छेड़छाड़ वाले मीटर को जाँचने के लिए भी यहाँ भेजा जाता है , साथ ही आम उपभोक्ताओं के संदेह के समाधान के लिए भी निर्धारित शुल्क देकर मीटर की जाँच यहाँ की जाती है। मीटर की जाँच 29 विभिन्न पैमानों पर होती है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार जाँच की मांग कर सकता है। सीटीएल की स्थापना के बाद से इसके प्रति बढ़ती विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014-15 में जहाँ 183 मीटरों की जाँच की गई थी वहीं दस वर्षों में ही इसका आँकड़ा बढ़कर 3724 तक पहुँच गया है। इतना ही नहीं बीते एक दशक में कुल 20,191 मीटरों की सफलतापूर्वक जाँच की जा चुकी है।



पाँच क्षेत्रीय भंडार – रायपुर, बिलासपुर, भिलाई,रायगढ़ और विश्रामपुर में है।
बिलासपुर, जगदलपुर,भिलाई और रायगढ़ में होता था पीसीसी पोल का निर्माण ।



विधानसभा से हुआ अनुमोदन

इस प्रयोगशाला की पृष्ठभूमि विद्युत अधिनियम 2003 के लागू होने के साथ ही तैयार हो गई थी। राज्य में विदयुत मंडल के विखंडन और पॉवर कंपनियों के गठन के दौरान ही इस हेतु शासन ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया था। कंपनी गठन के कुछ वर्षों बाद वर्ष 2013 में केन्द्रीय जाँच प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया गया। स्थापना के लिए मानक उपकरणों की खरीदी, नए भवन के निर्माण के बाद प्रयोगशाला में विधिवत कार्य की शुरूआत 2014 में हुई। इस बीच नेश्नल एक्रिडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलीब्रेशन लेबोरेटरी (एनएबीएल) के कड़े मापदण्डों के अनुकूल प्रयोगशाला का उन्नयन किया गया। लैब में आवश्यक सुधार के साथ ही अधिकारियों की कड़ी मेहनत तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप सेन्ट्रल टेस्टिंग लैब (सीटीएल) को एनएबीएल से दिसंबर 2018 को गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

भरना होता है निष्पक्षता का शपथपत्र

आज प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं में लगातार वृद्धि हो रही है। 25 वर्षों में तीन गुणा से अधिक उपभोक्ता बढ़े हैं साथ ही जागरूकता और सतर्कता भी बढ़ी है। इन स्थितियों में विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा के साथ ही बिजली के मीटर को लेकर विश्वास बनाए रखना विद्युत कंपनी की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रानिक और स्मार्ट मीटर के दौर में उपभोक्ता बिजली के हर पल की खपत पर नजर बनाए रखते हैं। ऐसे में मीटरों का सटीक और उसकी प्रामाणिकता का होना बहुत आवश्यक है।

यहाँ वर्तमान में एक संक्षिप्त कार्यबल कार्यरत है. जिसमें एक हेड ऑफ लैब (ईई), क्वालिटी मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर (दोनों एई) स्तर के अधिकारियों के अतिरिक्त 04 तकनीकी सहायक कार्यरत हैं। विशेष बात यह कि प्रयोगशाला की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यहाँ कार्यरत सभी कार्मिकों से निष्पक्षता का शपथपत्र भरवाया जाता है।

पारदर्शिता और निष्पक्षता से बढ़ा विश्वास

सीटीएल को लेकर उपभोक्ताओं का विश्वास लगातार बढ़ा है। इसका अंदाजा हम बीते वर्षों में किए गए मीटरों की जाँच की संख्या में हो रहे बदलाव से लगा सकते हैं। जहाँ प्रारंभिक वर्ष 2014 में 183 मीटरों की जाँच की गई वहीं 2024 में 3724 हो गए। एनएबीएल प्रमाणित होने के बाद अब तक कुल 20191 मीटरों की जाँच की जा चुकी है। स्थापना के बाद अब तक यह सिर्फ एक बानगी है। सच तो यह है कि उपभोक्ता की संतुष्टि का बड़ा व्यापक असर होता है। यह कंपनी और उपभोक्ता के बीच संबंधों को मजबूत और आमजन में एक सकारात्मक छवि का भी निर्माण करता है।

कार्यक्षेत्र में होगा विस्तार

सीटीएल में जिस निष्पक्षता, पारदर्शिता और सटीकता से जाँच को संपन्न किया जा रहा है इससे पॉवर कंपनी ने इस प्रयोगशाला के कार्य विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर और केबल की टेस्टिंग का काम भी शुरू किया जाना है। इस दिशा में काम तेजी से जारी है और जल्द ही यह कार्य भी शुरू होने जा रहा है।



रोशनी फैलाने के संकल्प को डिगा नहीं पाई विपदाएं

छत्तीसगढ़ के विकास को पंख लगाने में जिस बिजली का योगदान सबसे अहम है उसे बाधित करने के कुत्सित प्रयास लोकतंत्र और विकास विरोधी ताकतों ने लगातार किए। राज्य निर्माण के पहले दशक में तो मानो प्रदेश के विकास की गति को रोकने के लिए माओवादियों ने हर संभव प्रयास किए। लेकिन विद्युत मंडल के जीवट कार्यबल के हौसले के सामने उनके गलत इरादे सफल नहीं हो सके। पहले दशक में विद्युत विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को अपने अस्तित्व के लिए खतरा जानकर उन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। अपने लिए सुरक्षित समझे जाने वाले बस्तर के घने जंगलों के बीच से गुजरते 220 केव्ही के टॉवरों को कई बार उन्होंने निशाना बनाया। इनमें से दो बार तो पाँच दिन और 11 दिनों के लिए बस्तर अंचल पूरी तरह अंधेरे में डूबा रहा है। उस अंधेरे में उजाले की रोशनी फिर फ़ैलाने में विद्युत अभियंताओं और कार्मिकों का दल पूरी शिद्दत से जुटा और तमाम अड़चनों और माओवादियों की गोलियों की बौछार के बीच टूटे टॉवर को खड़ा कर अंचल में फैले अंधेरे को उजाले से भर दिया।



माओवादियों द्वारा ध्वस्त पारेषण टावर को पुन: इरेक्ट करते विद्युतकर्मी

ऐसी ही कई बड़ी घटनाओं में विदयुत मंडल के अभियंता के तौर पर शामिल रहे श्री पी के गुप्ता (बाद में आप कार्यपालक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए) बताते हैं कि 2006 से 2008 के बीच में चार बड़ी घटनाओं के वो साक्षी रहे। इस दौरान प्रदेश के इतिहास में दो सबसे अधिक दिनों तक ब्लैक ऑउट की स्थिति निर्मित भी हुई जब 05 दिन और 11 दिन के लिए पूरे बस्तर संभाग में विद्युत की आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद रही।

इन सभी में सबसे बड़ी घटना थी बोदली, बारसूर जिला दंतेवाड़ा की थी। 24 फरवरी 2006 में हुई इस घटना में 220 केव्ही के एक टॉवर को बम धमाके से उड़ा दिया गया था। इसे इरेक्ट करने सुरक्षा बलों के साथ विद्युत मंडल के अभियंताओं और अन्य मैदानी कार्मिकों का दल रवाना हुआ था कि घने जंगलों के बीच माओवादियों ने हमला कर दिया। क्रासफायरिंग हुई जिसमें सुरक्षा बल के जवान बलिदान हो गए। इस हमले के बाद भी विद्युत मंडल का दल बिना रूके आगे अपने स्थान पर पहुँचा और अगले दिन टॉवर सुधार कार्य को अंजाम दिया जा सका। 2 मार्च 2006 को आपूर्ति बहाल कर ली गई। पूर्व प्रबंध निदेशक(ट्रांसमिशन) श्री विजय सिंह इस दौरान अभियान में अधीक्षण अभियंता के तौर पर साथ ही थे।

नारायणपुर के झाराघाटी में 31 मई 2007 को माओवादियों ने भिलाई-गुरुर-बारसूर लाइन के 220 केव्ही के 03 टॉवर को बम धमाके से उड़ा दिया था। इस दौरान टॉवर इरेक्शन करने दल गया हुआ था। निर्माण सामग्री के साथ आ रहे वाहन की छत पर कुछ सुरक्षा जवान सवार थे इसकी सूचना मिलने पर घात लगाकर बैठे माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया जिससे वाहन चालक और एक सहायक उस धमाके में बलिदान हो गए जबकि सुरक्षा जवान घायल हो गए थे। अधीक्षण अभियंता श्री प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में विद्युत मंडल के 170 अभियंताओं और मैदानी कर्मियों की टीम ने साहस के साथ लगातार 11 दिनों तक अनथक कार्य करते हुए 11 जून 2007 के अंधेरे में डूबे बस्तर क्षेत्र में प्रकाश फैलाया। सुधार कार्य के बाद जब हमारा दल बारसूर लौटा तो जगदलपुर के तत्कालीन मुख्य अभियंता श्री एस डी दीवान ने अपने सभी अभियंताओं और कार्मिकों का जोरदार स्वागत किया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में 1970 में ग्राम विदयुत सेवकों की हुई थी नियुक्ति
छत्तीसगढ़ में कुल 173 ग्राम विद्युत सेवक हुए थे नियुक्त।



तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा निर्भिक सेवा के लिए अभियंताओं और विद्युतकर्मियों का सम्मान

इसी प्रकार एक घटना केशकाल के पास 23 मार्च 2006 में हुई थी। यहाँ धनोरा के पास 220 केव्ही के टॉवर क्रमांक 450 को माओवादियों ने क्षति पहुँचाने का प्रयास किया और टॉवर बम ब्लास्ट से भारी कंपन के कारण मुड़ गया था। इसके रेक्टिफिकेशन के लिए रायपुर के अभियंताओं की टीम के साथ स्थानीय टीम और भारी सुरक्षा बल साथ में घटना स्थल के लिए सुबह रवाना हुआ ही था कि नक्सलियों ने हमला करने का प्रयास किया। इस दौरान सुरक्षा बल की फायरिंग में कुछ नक्सली मारे गए साथ ही काफी देर तक खोज अभियान चलता रहा और कुल मिलाकर टॉवर के सुधार का काम अगले दिन ही किया जा सका।

इसी प्रकार 05 जून 2008 को माओवादियों ने बारसूर-भिलाई 220 केव्ही लाइन के एक टॉवर (717 नंबर) को ध्वस्त कर दिया था। इससे जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के 5784 गाँव एवं मजराटोला में अंधेरा छा गया। इतनी बड़ी क्षति को छह दिनों के भीतर सुधारकर मंडल के कार्मिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। नक्सल चुनौतियों के बीच साहसपूर्वक दिन- रात करते हुए विदयुत कर्मियों ने भिलाई-बारसूर 220 केव्ही लाइन में आपूर्ति 12 जून 2008 को बहाल की थी। 238 किलोमीटर इस लाइन में से तत्कालीन दौर में 98 किलोमीटर अतिसंवेदनशील क्षेत्र से गुजरता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी ने इस अभियान से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित भी किया था। ऐसी और भी कई घटनाओं के दौरान जीवन को खतरे में डाल विद्युत कर्मियों ने निर्बाध आपूर्ति के लिए जी जान से मेहनत की और आमजन के जीवन में रोशनी फैलाने का हर संभव प्रयास किया है।

ग्रिड फेलियर की घटनाओं से मिली सीख

राज्य गठन के पश्चात ग्रिड फेलियर की पहली घटना 31 जुलाई 2002 को हुई। इससे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई थी। लगभग साढ़े 22 घंटे तक इन राज्यों में बिजली की आपूर्ति बाधित रही। मूलभूत सेवाओं पर इसका व्यापक असर पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद इस स्थिति से निपटने में सफलता हासिल हुई।

इसी प्रकार उत्तरी और पूर्वी भारत को प्रभावित करने वाली घटना हुई 30 जुलाई 2012 को जिससे उत्तरी ग्रिड फेल हो गया और भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्से में अंधेरा छा गया। इस ग्रिड फेल की घटना से पश्चिमी ग्रिड आंशिक रूप से प्रभावित रहा । छत्तीसगढ़ की विद्युत भार प्रबंधन और ग्रिड अनुशासन के कारण कोरबा स्थित उत्पादन संयंत्रों पर बहुत ही कम असर हुआ लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भविष्य की तैयारियों को और बढ़ाने की सीख अवश्य मिली।



कोरोना महामारी के दौर में विद्युत कंपनी में सतर्कतापूर्वक हुए काम

अपनी बिजली आप बचाकर,
कर दो अपनों पर उपकार।

कोरोना के भयावह मंजर में भी निर्बाध रही बिजली आपूर्ति

मार्च 2020 से सितंबर 2021 के बीच का समय राज्य ही नहीं पूरे देश और सच कहे तो पूरे विश्व पर बड़ा भारी गुजरा। कोराना वायरस का वह वैश्विक संक्रमण का दौर जिसमें देश के लाखों लोग काल कलवित हो गए। जब लोगों का घर से निकलना तो दूर परिवार के अंदर भी आपस में दूरी बनाए रखने की हिदायतें थीं । ऐसे दौर में घर-घर में लोग दिन भर बिजली से चलने वाले उपकरणों के सहारे अपना समय बीता रहे थे। तब की विकट स्थिति में विदयुत की आपूर्ति घर से लेकर अस्पताल तक निर्बाध बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे थे बिजलीकर्मी।

अपने उपभोक्ताओं को बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने की जद्दोजहद में प्रदेश के कई विद्युत कार्मिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिजली का उत्पादन हो, पारेषण हो या हो वितरण का काम इन सभी कार्यों में 24 घंटे लोगों को मिलकर कार्य करते रहना ही पड़ता था। इस भयभीत कर देने वाले काल में सब कुछ जानते हुए भी विद्युत कर्मियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। कोरोना वारियर्स के तौर पर विद्युत कर्मियों का सम्मान भी आम लोगों और संस्थाओं की ओर से किया गया। यह विद्युत कर्मियों के निष्ठापूर्वक किए गए कार्यों के प्रति आमजन में उपजे सम्मान के भाव का प्रकटीकरण था।

लाइनमैन दिवस : लाइनमैन के समर्पण को सम्मान

विद्युत क्षेत्र के फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी लाइनमैन और लाइनवूमेन के काम और उनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से 4 मार्च को पूरे देश में लाइनमैन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिवस के माध्यम से लाइनमैन की सुरक्षा, बेहतर कार्य स्थितियों और उनके अधिकारों पर जागरूकता बढ़ाना भी है। दर असल कोरोना काल में फ्रंटलाइन कर्मी के तौर पर विद्युत कर्मियों की सेवा भावना और उनके द्वारा किए गए त्याग को समझते हुए विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने लाइनमैन दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था। विद्युत मंत्रालय के निर्णय अनुसार वर्ष 2021 से हर साल 4 मार्च को लाइनमैन दिवस मनाया जाता है।छत्तीसगढ़ में लगभग 10 हजार लाइनमैन पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं।

अतीत हो गए सिजनिंग प्लांट

प्रारंभिक दिनों में विदयुत तारों को बिछाने के लिए लड़की के खंभों का उपयोग किया जाता था। छत्तीसगढ़ में वनों की उपलब्धता के कारण बिजली के तारों को खिंचने के लिए 80 के दशक तक लकड़ी के विद्युत पोल तैयार किए जाते थे। खंभो को तैयार करने के लिए इन लकड़ियों की सिजनिंग की जाती थी। सिजनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी के खंभों को एक बेलनाकार लोहे के ड्रम में डालकर भाप दिया जाता है जिससे लकड़ी में मौजूद नमी अंदर से समाप्त हो जाए और बिजली का खंभा लंबे समय तक सड़ने, दीमक या अन्य कीटों के प्रकोपों से बचा रहे। विद्युत मंडल,वन विभाग से इन खंभों की खरीदी करता था, और सिजनिंग के लिए बाकायदा छोटे संयंत्र भी स्थापित होते थे। एक संयंत्र का अवशेष मनेन्द्रगढ़ में विद्युत कंपनी के कार्यपालन अभियंता कार्यालय परिसर पर आज भी मौजूद है।



विद्युत उपभोक्ता शिकायत का होता जहाँ निष्पक्ष समाधान

विद्युत उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना पॉवर कंपनी का दायित्व है पर साथ ही उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता। लाखों उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में एक बड़ा नेटवर्क और सिस्टम काम करता है। इन सबके बावजूद कई मौकों पर विदयुत उपभोक्ता सेवा से असंतुष्ट हो जाता है। पॉवर कंपनी अपने उपभोक्ताओं की शिकायतों का यथासंभव समाधान भी करता है पर कई बार उपभोक्ता एक निष्पक्ष मंच में अपनी बात रखना चाहता है।

उपभोक्ताओं की ऐसी शिकायतों को सुनने के लिए प्रदेश में आज विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम स्थापित है। इस फोरम का गठन विद्युत अधिनियम-2003 के उपधारा 42(5) के तहत किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक विदयुत वितरण अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) मिलने अथवा निर्धारित दिनांक से छह माह के भीतर उपभोक्ता शिकायत फोरम का गठन करना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य विदयुत मंडल द्वारा 20 सितंबर 2005 को प्रदेश के पहले विद्युत उपभोक्ता फोरम का गठन रायपुर में किया गया। इसके साथ ही जगदलपुर एवं बिलासपुर में भी गठन किया गया।

तीनों स्थानों पर दो पद स्वीकृत हैं जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य होते हैं। दोनों ही पदों पर विदयुत कंपनी के विभागीय अधिकारी पदस्थ होते हैं जिन्हें निष्पक्षता से निर्णय देने का अधिकार प्राप्त होता है। गठन के बाद से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने आने वाली शिकायतों का लगभग शत प्रतिशत निराकरण किया है। फोरम के बनने के बाद आम उपभोक्ता को अपनी असंतुष्टि के लिए न्यायालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सामान्य स्थिति में फोरम के स्तर पर समाधान प्राप्त हो जाता है।

समय सीमा में होती है सुनवाई

फोरम में निम्नदाब और उच्चदाब दोनों ही प्रकार के उपभोक्ता अपनी शिकायत लेकर आते हैं। जहाँ 30 दिनों के भीतर सुनवाई कर निराकरण का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इन मामलों का समयसीमा में ही निराकरण कर लिया जाता है। सामान्य रूप से विद्युत अवरोध, वोल्टेज की समस्या, बिना सूचना बिजली बंद ,बिल संबंधी शिकायत, नए कनेक्शन, सुरक्षा निधि की वापसी, लोड घटाने-बढ़ाने जैसी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता फोरम में आता है। इसके साथ ही फोरम न्यायालयों में लंबित मामलों,सक्षम न्यायालयों से आदेशित मामलों, चोरी के मामलों, अनाधिकृत कनेक्शन के मामलों की सुनवाई नहीं करता है।



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर

बिजली लग गे स्कूल म, चले लगीस कम्प्यूटर ।
सपना देखय दाई ददा, लइका बनही कलेक्टर ।।

तीन विद्युत उपभोक्ता फोरम

स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वर्तमान में तीन उपभोक्ता फोरमों में रायपुर फोरम में विद्युत कंपनी के रायपुर शहर एवं ग्रामीण, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, इसी प्रकार बिलासपुर फोरम में अंतर्गत बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर क्षेत्र के उपभोक्ता तथा जगदलपुर फोरम में जगदलपुर क्षेत्र के जिसमें संपूर्ण बस्तर के उपभोक्ता शामिल हैं अपनी शिकायत लेकर आ सकते हैं।

विगत छह वर्षों में बिलासपुर में विद्युत उपभोक्ताओं की ओर से 540 शिकायतें दर्ज हुईं, रायपुर में सात वर्षों में 402 और जगदलपुर में बीते पाँच वर्षों में 48 मामले दर्ज हुए हैं। खास बात यह कि फोरम में दर्ज सभी शिकायतों का समाधान समयबद्ध किया जा रहा है और स्थिति यह कि लगभग सभी मामलों का निपटारा किया जा चुका है एवं कुछ ही प्रक्रियाधीन हैं। खास बात यह कि फोरम में आवेदन के लिए अब कार्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वे ऑनलाइन मोड में शिकायत दर्ज कर सकते हैं , इतना ही नहीं आवश्यकता अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई भी फोरम में होती है।

लोकपाल का भी होता है विकल्प

फोरम विद्युत अधिनियम-2003 के अंतर्गत तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों के निर्देशों एवं छ.ग. उपभोक्ता परिवेदना निवारण विनियम-2023 के तहत अपने यहाँ दर्ज शिकायतों की सुनवाई और निर्णय देता है। फोरम के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता के पास विद्युत लोकपाल के समक्ष अपनी बात रखने का विकल्प भी होता है। उपभोक्ताओं की सहुलियत की दृष्टि से छ.ग. उपभोक्ता परिवेदना निवारण विनियम -2023 के तहत प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालयों में भी इस प्रकार विदयुत उपभोक्ता फोरम के गठन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त अभी आयोग का निर्देश तो द्वी स्तरीय फोरम के गठन का है जिसमें मैदानी कार्यालयों के स्तर पर फोरम समस्या का समाधान करेगा और फिर राज्य स्तर के फोरम में अपील की जाए इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और उपभोक्ता को समाधान सुगमता से मिल सकेगा। विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए विद्युत वितरण कंपनी के इस प्रयास ने एक ओर उपभोक्ताओं को उचित और सार्थक मंच दिया है वहीं फोरम के गठन से हमारे मैदानी अधिकारियों को अधिक जिम्मेदार रहते हुए कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित किया है।

...और पॉवर हॉऊस ने दी पहचान

छत्तीसगढ़ में बिजली का इतिहास सौ साल से कुछ पुराना है, जहाँ से ऊर्जा मिलेगी उसकी पहचान कुछ अलग होगी ही। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नगरों और शहरों के कुछ हिस्से आज भी 'पॉवर फुल' बने हुए हैं। यानी उस क्षेत्र की पहचान आज भी पॉवर हॉउस के रूप में है। कुछ पॉवर हॉउस चौक-चौराहे हैं कुछ मुहल्लों को लोग पॉवर हॉउस के रूप में ही जानते हैं। इतना ही नहीं एक रेलवे स्टेशन का नाम ही 'पॉवर हॉउस' है। बिलासपुर का तोरवा क्षेत्र जहाँ कभी पहले बिजली उत्पादन के लिए पॉवर हॉउस था उस संयंत्र को बंद हुए 60 से अधिक वर्ष हो चुके हैं पर लोगों की जुबान पर ही नहीं दस्तावेजों में भी वह क्षेत्र पॉवर हॉउस और पॉवर हाउस चौक के रूप में दर्ज है।

इसी प्रकार जगदलपुर में 1929 में बिजली उत्पादन के लिए डीजल सेट लगाए गए थे उससे उत्पादन तो दशकों पहले बंद हो चुका है पर राजमहल के निकट उस स्थान की पहचान अब भी 'पॉवर हॉउस चौक' के रूप में है और इसी भवन में विद्युत कंपनी का कार्यालय भी स्थापित है। भिलाई का पॉवर हॉउस चौक तो प्रदेश में अपने आप में एक प्रमुख चौक के तौर पर जाना जाता है। इस स्थान पर कभी भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए डीजल सेट से बिजली उत्पादन किया जाता था। इस स्थान को लोगों ने इतनी प्रमुखता दी कि आगे चलकर भिलाई में बने तीन रेलवे स्टेशनों में एक को अधिकृत रूप से 'भिलाई पॉवर हॉउस' स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया। कोरबा विद्युत उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है और यहाँ तो पॉवर का इतना महत्व है कि लोगों ने रिहायशी क्षेत्र का नाम 'पॉवर सिटी' कर रखा है। वैसे कोरबा के दीपका स्थित एशिया के सबसे बड़े ओपन कास्ट माइन की एक रिहायशी कालोनी का नाम 'शक्ति नगर' रखा गया है। इस प्रकार 'पॉवर हब' छत्तीसगढ़ में न जाने और कितने नगर, मुहल्ले और चौराहों के नाम पॉवर से जुड़े होंगे।





**सबसे पहले 1958 में रायपुर वृत्त का हुआ गठन,
प्रदेश का दूसरा वृत्त 1969 में बिलासपुर में गठित।**

भगीरथ योजनाओं से जन-जन तक पहुँची बिजली



रमेश कुमार श्रीवास
मुख्य सांख्यिकी अधिकारी
छ.ग. स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी

विद्युत ऊर्जा से आज मानव समाज अपनी दैनंदिनी गतिविधियों को पूरा कर पा रहा है। ऐसी ऊर्जा जिसके एक क्षण न होने से मानों सब कुछ रूक जाने का एहसास होता है। हर घर-आंगन, उद्योग, व्यापार-व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, मनोरंजन समेत हर वो गतिविधि जो हमारे आपके जीवन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है उसके पीछे विद्युत ऊर्जा का प्रमुख आधार है। इसे यों भी कहें कि विद्युत हमारे जीवन को प्रभावित और प्रवाहित भी करता है। इसी बात को सरकार ने बहुत पहले समझा और दशकों की निरंतरता से विभिन्न योजनाओं के सहारे और विद्युत मंडल तथा कंपनियों के कार्मिकों के अथक परिश्रम से आज इस मुकाम तक ला खड़ा किया है कि हम अपनी ही नहीं बल्कि औरों की विद्युत ऊर्जा की पूर्ति कर पा रहे हैं।

घर-घर को रोशन करने से लेकर बारहमासी लहलहाती फसलों से भरे खेत हों या 24 घंटे चलते उद्योग और व्यवसाय इसके लिए बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की दूरदर्शी योजनाओं और प्रयासों का जो सुफल है आज हम सब देख रहे हैं। सवा सौ साल पहले किसी एक सड़क को बिजली के बल्ब से प्रकाशित कर विद्युत ऊर्जा का हमारे देश में आगाज हुआ था और आज है कि बिजली से हर पारा-मुहल्ला के साथ हर घर रोशन है । ऐसे में छत्तीसगढ़ के जीरो पॉवर कट से लेकर कर सरप्लस बिजली की स्थिति हो तो इसमें भी विभिन्न दूरदर्शी शासकीय नीतियों को श्रेय जाता है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन शासकीय योजनाओं पर जिसने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति को सुगम बनाया और प्रगति को तेजी प्रदान की है।

कृषि क्षेत्र की उन्नति में भागीदार

कृषि क्षेत्र की उन्नति में विदयुत की भूमिका बड़ी अहम रही है। असल में भारत जैसे देश में विद्युत की भागीदारी कृषि और प्रकारांतर में देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी रही है। स्वतंत्रता के बाद के शुरूआती दशकों में जब खेती पूर्ण रूप से मौसम पर आधारित थी और सूखा और बाढ़ जैसे हालात देश में सालभर चलते थे ऐसे में करोड़ों लोगों की भूख और आजीविका के साधन को नियती के आश्रित नहीं छोड़ा जा सकता था। तब सिंचाई की सघन सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया गया। बाँधों के माध्यम से व्यापक सिंचाई सुविधा होने के बावजूद इसकी अनेक सीमाएं थीं और इन स्थितियों में भूजल और अन्य बड़े जलाशयों से सिंचाई सुविधा को बढ़ावा दिया गया। इस व्यापक कार्ययोजना को पिछली सरकारों ने अभियान की तरह लेकर बढ़ावा दिया।

कृषि सिंचाई के लिए पंपों की स्थापना पर बल दिया और कृषकों को भूजल के उपयोग के लिए विद्युत सिंचाई पंपों तक विद्युत अधोसंरचना की स्थापना की गई। इस हेतु समय- समय पर विभिन्न योजनाएं संचालित की गई और समय के साथ गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति के लिए सुधार भी किए गए। मध्यप्रदेश के गठन के समय पूरे मध्यप्रदेश में कुल 265 सिंचाई पंप थे। बाद के दशकों में विभिन्न योजनाओं के कारण पूरे मध्यप्रदेश में 1999-2000 तक 12.5 लाख ऊर्जीकृत कृषि पम्प थे। वहीं राज्य स्थापना के समय वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ में कुल 73,369 कृषि पम्प ऊर्जीकृत थे। बीते 25 वर्षों में यह आँकड़ा बढ़कर 8.17 लाख से अधिक हो गया है। ये सिर्फ कृषि पम्पों की संख्या न होकर कृषकों की समृद्धि का प्राथमिक मापदण्ड भी कहा जा सकता है। बीते दशकों से आज तक कृषि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं।

कुदरत ने दी हवा, रोशनी, खुले रखें खिड़की और द्वार ।
बिजली बिल का बोझ घटे तो सुखमय होगा घर-परिवार।।



एसपीए योजना

मध्यप्रदेश के दौर में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना कृषि (स्पेशल प्लानिंग एग्रीकल्चर) शुरू की गई। कृषि पम्पों को ऊर्जीकृत करने पर विद्युत विभाग को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।

नाबार्ड योजना

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ने यह योजना उन क्षेत्रों में लागू की थी जहाँ एसपीए योजना के तहत कृषकों को लाभ नहीं मिल पाता था। इसके तहत भी विभिन्न हार्स पॉवर के हिसाब से सहायता राशि स्वीकृत की जाती थी।

जलधारा योजना

सूखे से प्रभावित मध्यप्रदेश के कुछ जिलों के लिए एक एकड़ तक की जमीन वाले जरूरमंद किसानों को विद्युत मंडल से कृषि पंपों के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता था। इस योजना में छत्तीसगढ़ के कुछ जिले शामिल थे।

फ्लेट दरों पर बिजली

मध्यप्रदेश सरकार ने 5 एचपी तक के सिंचाई पंपों के उपभोक्ताओं को मई 1989 से फ्लैट बिलिंग की नई प्रणाली का विकल्प उपलब्ध कराया था।

अटल ज्योति योजना (कृषि फीडर सेपरेशन)

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि सिंचाई पंपों को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं को मिले यह भी सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं लाईं गईं। वर्ष 2006 में अटल ज्योति योजना लागू की गई, जिससे शहरी तथा ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली निरंतर मिल सके। योजना के तहत घरेलू तथा कृषि के लिए विद्युत की लाइनों को पृथक किया गया। सिंचाई पंपों के लिए 11 केव्ही की पृथक लाइनों का विस्तार 33 केव्ही उपकेन्द्रों से किया गया। दो चरणों में 2440 गावों के 61 हजार 952 सिंचाई पंपों के लिए पृथक लाइन बिछाई गई।

प्रदेश का पहला सिविल संभागीय कार्यालय रायपुर में 01 दिसंबर 1958 में स्थापित हुआ।



किसान समृद्धि योजना (इंदिरा खेत गंगा योजना)

वृष्टि छाया क्षेत्रों वाले तत्कालीन पांच जिलों रायपुर, दुर्ग,राजनांदगाँव,कबीरधाम एवं बिलासपुर के 25 विकासखंडों में नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2002-03 में योजना लागू की गई थी। इसके तहत नलकूपों के विद्युत लाइन विस्तार पर तात्कालिक तौर पर आने वाले व्यय जो 60 हजार रूपए निर्धारित की गई थी में से 50 हजार रूपए विद्युत मंडल द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान था तथा शेष 10 हजार रूपए राज्य शासन द्वारा अनुदान देकर उस क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह योजना 2014-15 तक संचालित की गई थी इस दौरान 15,502 सिंचाई पंपों को विदयुत आपूर्ति कर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं फीडर पृथक्करण योजना

सिंचाई पंपों के लिए 33 /11 केव्ही उपकेन्द्रों से 11 केव्ही फीडर पृथक से निकालकर लंबी निम्नदाब लाइनों को कम कर सिंचाई के लिए गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु कम क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। इन ट्रांसफार्मरों से सिंचाई पंप तक केबल के जरिए विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आरईसी से ऋण प्राप्त कर प्रदेश के चार विद्युत संधारण एवं संचारण संभाग सरायपाली, कवर्धा, महासमुंद एवं अकलतरा में मार्च 2024 तक 209 फीडर सेपरेशन के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

कृषि पंपों का ऊर्जीकरण

कृषि कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु आवश्यक लाइनों के विस्तार के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए एनीकट तथा राज्य के नदी नालों के किनारे खेतों तक पानी ले जाने हेतु पम्पों तक आवश्यक लाइन की स्थापना हेतु भी राज्य शासन द्वारा एक लाख रूपए तक अनुदान दिया जा रहा है। इस महत्वाकंक्षी योजना के लिए सरकार ने वर्ष 2006-07 से 31 मार्च 2025 तक 2 हजार 600 करोड़ रूपए व्यय कर 5 लाख 82 हजार कृषि सिंचाई पंपों के कार्य कराए हैं। इस प्रकार वर्ष 2000 में स्थाई पंप कनेक्शन 73 हजार 369 पंपों से कई गुणा बढ़कर आँकड़ा 5 लाख 82 हजार से ऊपर हो गया है।

कृषक जीवन ज्योति योजना

कृषकों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने के लिए शासन द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को यह योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 3 से 5 हार्स पॉवर क्षमता के कृषि पंपों पर 7500 यूनिट प्रतिवर्ष निःशुल्क बिजली प्रदाय की जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उपभोक्ताओं को बिना किसी सीमा के संपूर्ण खपत निःशुल्क है। इसी योजना के अंतर्गत फ्लैट रेट की योजना का विकल्प भी किसानों को उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत विकल्प का चयन करने वाले किसानों को पम्प क्षमता एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंप के आधार पर 100/200/300 रूपए प्रति एचपी प्रति माह के भुगतान पर बिना किसी खपत सीमा के संपूर्ण बिजली निःशुल्क है।

वर्तमान में 8.17 लाख (5.82 लाख स्थाई+2.35 लाख अस्थाई) कृषि पंपों को योजना के तहत निःशुल्क बिजली प्राप्त हो रही है। वर्ष 2009 से 2024 तक लगभग 28 हजार करोड़ रूपए की बिजली कृषि पंपों के उपभोक्ताओं को निःशुल्क प्रदान की जा चुकी है।



अपनी बिजली आप बचाकर, कर दो अपनों पर उपकार ।
सूझ बूझ से इसे जलायें, ज्ञानी हो तुम बनो समझदार ।।

स्कूलों एवं अस्पतालों का विद्युतीकरण

बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना वर्ष 2012 से संचालित है। इसके अंतर्गत बिजली की पहुँच वाले क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों एवं अस्पतालों में निशुल्क बिजली कनेक्शन मुहैय्या कराया जाता है। इसके तहत अब तक 48 हजार 863 स्कूलों तथा 4990 स्वास्थ्य केन्द्रों में से अधिकांश में ग्रिड प्रणाली से तथा कुछ में ऑफ ग्रिड पद्धति से बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

घर-घर को रोशन करने मिशन मोड पर हुए कार्य

स्वतंत्रता के समय विद्युत ऊर्जा की पहुँच बहुत ही सीमित लोगों या आवश्यक सेवा से जुड़े संस्थानों तक ही थी। इसके बाद के कालखंड में विशेषकर मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के गठन और पंचवर्षीय योजनाओं के शुरू होने पर केन्द्रियकृत प्रयास विद्युतीकरण के लिए हुए। ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के गठन के दौरान पूरे प्रदेश में 142 गावों तक बिजली पहुँची थी और 265 कृषि पंप ऊर्जित थे। इसके बाद निरंतर इस दिशा में कार्य हुए और विद्युतीकरण का प्रतिशत बढ़ता चला गया। यहाँ इस बात को भी रेखांकित करने की जरूरत है कि वर्ष 1997-98 यानी छत्तीसगढ़ राज्य गठन के करीब तक मध्यप्रदेश के हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के भूभाग में





विद्युतीकरण के प्रतिशत में पर्याप्त अंतर था। यह अंतर और रेखांकित होता है क्योंकि सबसे अधिक बिजली जिस छतीसगढ़ से उत्पादित होती थी वहाँ के हिस्से में विद्युतीकरण कम और लचर थी। खैर, समय बदला और राज्य गठन के बाद इस काम में तेजी आई और अब पूरे प्रदेश का हर ग्राम और घर विद्युतीकृत है।

राजीव गाँधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना (आरजीजीवीवाय)

सघन ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार की यह योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई, इसके तहत अलग-अलग पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान अविद्युतीकृत ग्रामों में बिजली पहुँचाने के साथ ही जरूरतमंद परिवारों तक बिजली की सुलभता सुनिश्चत कराने की बड़ी योजना थी। इसके अंतर्गत 10 वीं पंचवर्षीय योजना में तीन जिलों, 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 जिलों तथा 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार जिलों का चयन किया गया। योजना के तहत 1746 अविद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत, 18,889 ग्रामों में सघन विद्युतीकरण, 7 लाख 63 हजार से अधिक बीपीएल परिवारों के लिए विद्युत कनेक्शन, नए उपकेन्द्र,वितरण ट्रांसफार्मर समेत कुल 14 हजार 37 करोड़ रूपए के निर्माण एवं विकास कार्य कराए गए हैं।

एनएबीएल प्रमाणित छत्तीसगढ़ की एकमात्र प्रयोगशाला
केन्द्रीय जाँच प्रयोगशाला संभाग भिलाई में स्थित है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय)

योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं अबाधित विद्युत आपूर्ति तय करने के लिए वर्ष 2015 में यह योजना शुरू की गई है। फीडर पृथककरण कार्य, विद्युत भार में वृद्धि अनुकूल अधोसंरचना विकास, वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, वितरण हानि को नियंत्रित करने जैसे कई उद्देश्यों के लिए इस योजना के तहत कार्य कराए गए। 1257 करोड़ की लागत से 2672 ग्रामों को पूर्ण रूप से विद्युतीकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त 33/11 केव्ही के 80 उपकेन्द्र, 9887 वितरण ट्रांसफार्मर, 33 एवं 11 केव्ही का लाइन निर्माण समेत अन्य अधोसंरचना के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।



मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना

यह योजना शहरों की विद्युतीकरण को मजबूत, व्यवस्थित एवं सुंदर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत शहर के अंदर विद्युत लाइनों का विस्तार, अव्यवस्थित लाइनों को व्यवस्थित करने, वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, तंग एवं व्यस्ततम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओव्हर हेड एवं भूमिगत केबलों का उपयोग किया जा रहा है। इस योजना को 2017 से प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसमें बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना एवं इसके लिए लाइन विस्तार के कार्य भी शामिल है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के प्रारंभ होने से अब तक 340 करोड़ रूपए व्यय कर 7 हजार 582 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना)

भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना देश के हर घर को बिजली के प्रकाश से रोशन करने के लिए है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना(सौभाग्य) की शुरूआत 25 सितंबर 2017 को हुई। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रिड तथा ऑफ ग्रिड पद्धति से घरों में बिजली पहुँचाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 31 मार्च 2019 तक परंपरागत ग्रिड से 6 लाख 65 हजार 756 घरों तथा ऑफ ग्रिड पद्धति से 65 हजार 373 घरों में इस प्रकार कुल 7 लाख 31 हजार 129 घरों में बिजली पहुँचाई गई। इस पर कुल 470 करोड़ रूपए व्यय किया गया है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम-जन मन)

भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह (पीव्हीटीजी) के जनजातियों के गाँवों, मजरा-टोला एवं उनकी बसाहटों में विदयुतीकरण करने की योजना वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई है। प्रदेश के अबूझमाड़िया, बैगा, भारिया,पहाड़ी कोरवा, कमार, शहरिया एवं बीरहोर जनजातियों को इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश के 1026 ग्रामों के 1959 बसाहटों में इन जनजातियों के 60 हजार 929 घरों में सर्वे कर पाया गया कि कुल 8655 घरों में बिजली नहीं है ऐसे सभी घरों में से 7077 घरों को ग्रिड एवं 1578 घरों को ऑफग्रिड माध्यम से विदयुतीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। 31 मार्च 2025 तक ग्रिड के जरिए 6846 घर विद्युतीकृत हो चुके हैं।



बिजली की करें हिफाजत जैसे नौनिहाल ।
बचेगी बिजली यदि यहाँ तो जीवन होगा खुशहाल। ।

नियद नेल्लानार योजना

केंद्र सरकार की नियद नेल्लानार योजना के तहत प्रदेश के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 54 सुरक्षा शिविरों के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले चयनित 149 गाँवों के 9762 घरों में से 65 ग्रामों के 5422 घरों तक ग्रिड के माध्यम से बिजली पहुंचाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना

योजना के तहत आंशिक रूप से विद्युतीकृत ऐसे ग्रामों, मजरा-टोलों, बसाहटों का विद्युतीकरण किया जा रहा है जो राज्य में चल रही किसी भी अन्य योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा इन मजरा-टोलों और बसाहटों के बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किया जा रहा है। 2014-15 में योजना की शुरूआत होने से अब तक 602 करोड़ रूपए खर्च कर 13 हजार से अधिक मजरा-टोले को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा चूका है।

बीपीएल उपभोक्ताओं को राहत

गरीबी रेखा से नीचे (निम्न आय वर्ग) जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 30 यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्रदान की जाती है। इन कनेक्शनधारियों को एकल बत्ती कनेक्शन (सिंगल लाइट पाइंट) उपभोक्ता भी कहा जाता है। राज्य शासन द्वारा इन परिवारों को 2009 - 10 से 2023-24 तक कुल 04 हजार 7 करोड़ रूपए की छूट प्रदान की जा चुकी है। राज्य निर्माण के समय प्रदेश में कुल 6 लाख 30 हजार 389 एकल बत्ती उपभोक्ता थे जो विगत वर्षों में 150 प्रतिशत बढ़कर 15 लाख 40 हजार 686 हो गए हैं।

बीपीएल परिवारों को फ्लैट रेट पर बिजली

राज्य शासन ने अगस्त 2018 से बीपीएल परिवारों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इसके तहत उन बीपीएल उपभोक्ताओं को सहुलियत प्रदान की गई जो 30 युनिट से अधिक किन्तु 100 यूनिट से कम खर्च करते थे। इसके तहत वर्षभर में 1200 यूनिट से कम खपत करने पर प्रतिमाह 100 रूपए फ्लैट भुगतान कर उपभोक्ता बिजली की निर्बाध आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री एलईडी लैम्प वितरण योजना

आम उपभोक्ताओं की कार्बन फुट प्रिंट कम करने में सहभागिता के लिए 16 मार्च 2017 मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना की शुरूआत की गई। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा सीएसपीडीसीएल के सहयोग से 14 लाख 72 हजार बीपीएल परिवारों को 44 लाख 17 हजार से अधिक 09 वॉट के एलईडी बल्ब निःशुल्क, 6 लाख 75 हजार 564 एपीएल परिवारों को 36 लाख 72 हजार 988 को मासिक किश्तों पर तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थानों को 12 लाख 92 हजार 202 बल्ब समेत कुल एक करोड़ 08 लाख 22 हजार 335 एलईडी बल्ब वितरित किए गए। नेशनल उजाला डेशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी अनुसार इन एलईडी बल्बों के उपयोग से प्रतिवर्ष 14 लाख 05 हजार 464 एमडबल्यूएच ऊर्जा की बचत के साथ 281 मेगावॉट पीक डिमांड में कमी आई एवं 11 लाख 38 हजार 426 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का अनुमान है।

हॉफ बिजली बिल योजना

राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ता को हॉफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर ले जाने तथा उपभोक्ता को बिजली उत्पादक बनाने के लिए अभिनव पहल की है। इसके तहत 100 यूनिट प्रतिमाह तक खर्च करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल का लाभ दे रही है जिससे लगभग 31 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। जबकि अन्य उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली बिल की दिशा में प्रोत्साहित कर रही है इसके लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान दे रही है। पूर्व में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आँकलित बिल की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही थी। 01 मार्च 2019 को योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक 5797 करोड़ रूपए की छूट उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है।



विद्युत पारेषण को नियंत्रित करने ग्रिड प्रणाली संचालित है
पाँच क्षेत्रीय ग्रिड में छत्तीसगढ़ पश्चिम ग्रिड का हिस्सा है।



प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

आम उपभोक्ता को विद्युत उत्पादक और विद्युत स्वावलंबी बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। इसमें 01 से 03 किलोवॉट के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर 78 हजार रुपए तक का अनुदान केन्द्र सरकार दे रही है। उपभोक्ता इससे अधिक क्षमता का संयंत्र भी स्थापित कर सकता है पर अनुदान सिर्फ तीन किलोवॉट तक दिया जा सकेगा। केन्द्र सरकार ने पूरे देश में इस योजना के तहत एक करोड़ घरों से 30 गीगावॉट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2026-27 तक एक लाख 30 हजार घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापना का लक्ष्य है। योजना के शुरू होने के बाद से काफी अच्छे परिणाम सामने आ रही हैं। केंद्र की भांति प्रदेश सरकार भी इस योजना के हितग्राहियों को कुल तीस हज़ार रूपए तक अनुदान दे रही है। अभी तक योजना के तहत लगभग 5000 घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं ।

पीएम कुसुम योजना

विकेन्द्रित सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने तथा किसानों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरूआत की गई है। केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की 5 किलोमीटर की परिधि में बंजर भूमि पर 500 किलोवॉट से 02 मेगावॉट तक ग्रिड से जुड़े सौर अथवा अन्य नवीकरण आधारित स्रोतों के संयंत्र की स्थापना करना है।

विद्युत अधोसंरचना विकास के प्रयास

प्रदेश के हर घर को रोशन करने और आमजन में विद्युत की जरूरतों के बढ़ने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए मजबूत अधोसंरचना की आवश्यकता होती है। यह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे उत्पादन और वितरण के बीच होने वाली विद्युत हानि में कमी आती है साथ ही उत्पादन का समुचित उपयोग होता है। इसके अतिरिक्ति उपभोक्ताओं पर व्यय भार कम पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा पॉवर कंपनी अपने-अपने स्तर पर योजनाबद्ध प्रयास करती है। इसके लिए समय-समय पर उठाए गए कदमों को जानना जरूरी है।

आरएपीडीआरपी(रिस्ट्रक्चर एक्सलेरेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट रिफार्म प्रोजेक्ट)

तीस हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में ऊर्जा क्षति के आँकलन और इसे 15 प्रतिशत से कम के स्तर पर लाने हेतु आरएडीआरपी योजना की शुरूआत 2011 में हुई। इसके तहत 20 शहरों का चयन किया गया तथा वितरण हानि का आँकलन किया गया। इसके अलावा विद्युत हानि कम करने के लिए 710 करोड़ की लागत से 33/11 केव्ही के 52 विद्युत



गाँव-गाँव में बिजली पहुंची, घर-घर हुआ ऊजाला ।
हर हाथ को काम मिला, हर मुँह को निवाला ।।

उपकेन्द्र, 240 किलोमीटर 33 केव्ही लाइन निर्माण, 1427 किलोमीटर 11 केव्ही लाइन निर्माण करने के साथ ही निम्न दाब लाइनों के तारों को बदलकर 3277 किलोमीटर ए.बी. केबल लगाए गए तथा 5981 वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए।

आरएपीडीआरपी (आईटी)

इस योजना के तहत ही सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग को बढ़ाते हुए पॉवर कंपनी की दक्षता में वृद्धि की गई। संस्थान की सभी अधोसंरचना को आईटी इनेबल्ड किया गया और उपकरणों समेत सभी कार्यालयों एवं अन्य अधोसरंचनाओं को जीयो मैपिंग के जरिए एकीकृत किया गया। नए कनेक्शनों(एनएससी) को ऑनलाइन आधार पर क्रियान्वित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकी। इसके अतिरिक्त रायपुर-दुर्ग-भिलाई का एक व्यापक स्काडा निगरानी एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी इस योजना के तहत की गई। आरएपीडीआरपी (आईटी) के तहत 140 करोड़ रूपए के करीब व्यय कर पूरे प्रदेश की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

केन्द्र सरकार ने विदयुत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, वितरण हानि कम करने, वितरण ट्रांसफार्मर, 11 केव्ही फीडर की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई टी उपयोग को बढ़ावा देने के उदेश्य से एकीकृत विद्युत विकास योजना की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015 में इस योजना की शुरूआत हुई। प्रदेश के पाँच हजार से अधिक आबादी वाले 182 शहरों में वितरण हानि को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली के विस्तार के साथ विद्युतीकरण के कार्य कराए गए। आईपीडीएस योजना के तहत 526.69 करोड़ रूपए के कार्य कराए गए हैं। इसमें 32 नए 33/11 केव्ही उपकेन्द्र निर्माण के साथ ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, 11 एवं 33 केव्ही लाइन का निर्माण सहित नए वितरण ट्रांसफार्मर भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आईटी के प्रयोग से वितरण एवं उपभोक्ता सेवा विस्तार के लिए अनेक कार्य संपादित किए गए। इसमें जीआईएस, डाटा सेंटर, रिकव्हरी डाटा सेंटर के उन्नयन के कार्य संपादित किए गए। इसके लिए प्रदेश के 160 शहरों में आईटी इंफ्रा विकास के लिए लगभग 78 करोड़ रूपए व्यय किए गए।

उदय योजना (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस)

एटी एंड सी हानि को कम करने के उदेश्य से एक व्यापक कार्ययोजना पर कार्य करने के लिए



विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य विद्युत वितरण कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता 25 जनवरी 2016 को किया गया। योजना के अंतर्गत बंद खराब मीटर को बदलने एवं मीटर की स्थापना, सभी फीडरों में ऊर्जा माप हेतु मीटर की स्थापना एवं एलईडी लैंप वितरण जैसे कार्यों से एटी एंड सी हानि को कम करने का कार्य किया गया। योजना के तहत 94 हजार खराब मीटर बदले गए, 3651 फीडरों में मीटर की स्थापना समेत 50 लाख एलईडी बल्बों का वितरण किया गया। इससे एटी एंड सी हानि को वर्ष 2014-15 में 22.50 प्रतिशत से वर्ष 2015-16 में 19.84 प्रतिशत तक लाने में सफलता प्राप्त की गई।

उप-पारेषण अधोसंरचना विकास (एस.टी.एन)

प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने हेतु स्वयं के स्रोत से एसटीएन योजना शुरू की गई है। इसके तहत नए उपकेन्द्रों की स्थापना, लाइन विस्तार एवं 33/11 केव्ही विदयुत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य शामिल है। योजना अंतर्गत 207 नए 33/11 केव्ही उपकेन्द्र , 2000 किलोमीटर की 33 केव्ही लाइन, 1638 किलोमीटर 11 केव्ही लाइन, 75 पॉवर ट्रांसफार्मर वृद्धि एवं 73 अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई है। 2016-17 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 802 करोड़ रूपए व्यय कर अधोसंचना का विकास किया गया है।

प्रदेश का पहला एसएलडीसी खेदामारा में स्थापित हुआ
वर्तमान में रायपुर में संचालित है राज्य भार प्रेषण केन्द्र



मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना

पूर्व में यह योजना उप-पारेषण अधोसंरचना विकास (एस.टी.एन) के नाम से संचालित थी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना के नाम से संचालित है। इसके तहत 33/11 केव्ही उपकेन्द्रों की स्थापना, 33 एवं 11 केव्ही लाइनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2021 -22 से 2023-24 तक 184 नए उपकेन्द्र, 227 अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापना एवं 201 पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के कार्य, 2561 किलोमीटर 33 केव्ही लाइन एवं 201 किलोमीटर 11 केव्ही लाइन का निर्माण किया जाना है। इन सभी योजनाओं के लिए 1073 रूपए का प्रावधान किया गया है। इनमें से 124 नए 33/11 केव्ही उपकेन्द्र, 66 पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि सहित अन्य कार्य किए जा चुके हैं एवं शेष प्रगति पर है।

रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)

विद्युत कंपनियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। विद्युत अधोसंरचना के नवीनीकरण एवं वितरण हानि को कम करने की दिशा में इस योजना के तहत केन्द्र सरकार के निर्देश पर एक वृहद कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। आरडीएसएस के तहत प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर से बदले जाएंगे। इसमें वितरण ट्रांसफार्मर एवं 11 केव्ही फीडर में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे साथ ही एलटी के एबी केबल लाइन का विस्तार, सर्विस लाइनआर्मल्ड केबलिंग, वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स प्रतिस्थापना कार्य। इसके लिए कार्य एजेंसी को स्वयं के व्यय पर स्मार्ट मीटर को बदलना होगा एवं 10 वर्ष तक रख रखाव किया जाएगा और मीटर खराब होने पर उसे बदलने का कार्य भी किया जाएगा। इसमें कुल व्यय के 15 प्रतिशत राशि को केन्द्र सरकार अनुदान के रूप में देगी जबकि राज्य को कोई अंश नहीं देना होगा। इस पर 7,600 करोड़ रूपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है।



वितरण हानि कम करने एवं उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा रही है। आगामी 10 वर्षों तक 70,70,288 स्मार्ट मीटर की स्थापना स्वयं के व्यय पर ऐजेंसी द्वारा लगाया जाएगा। इसमें डीबीफुट (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मोड पर यह कार्य किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 55 लाख, 63 हजार से अधिक घरेलू, व्यवसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के पुराने बिजली मीटर बदले जा रहे हैं, इस हेतु 2024 में ही कार्य शुरू कर दिया गया और अब तक 21 लाख के करीब मीटर बदले भी जा चुके हैं। इस कड़ी में एबी लाइन विस्तार, सिंचाई पंपों के लिए पृथक 11 केव्ही लाइन एवं फीडर की स्थापना, 5 किलोवॉट से अधिक लोड वाले विद्युत उपभोक्ताओं में आर्मड सर्विस वायर से विद्युत प्रदाय करना, वितरण ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन बाक्स प्रतिस्थापना, 11 केव्ही केपेसीटर बैंक स्थापना समेत अन्य कार्य किए जाने हैं। बीते वित्त वर्ष की समाप्ति तक 15 लाख 30 हजार 551 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके थे इसी प्रकार 5457 फीडर मीटर एवं 34 हजार 673 डीटी मीटर भी स्थापित किए जा चुके हैं।

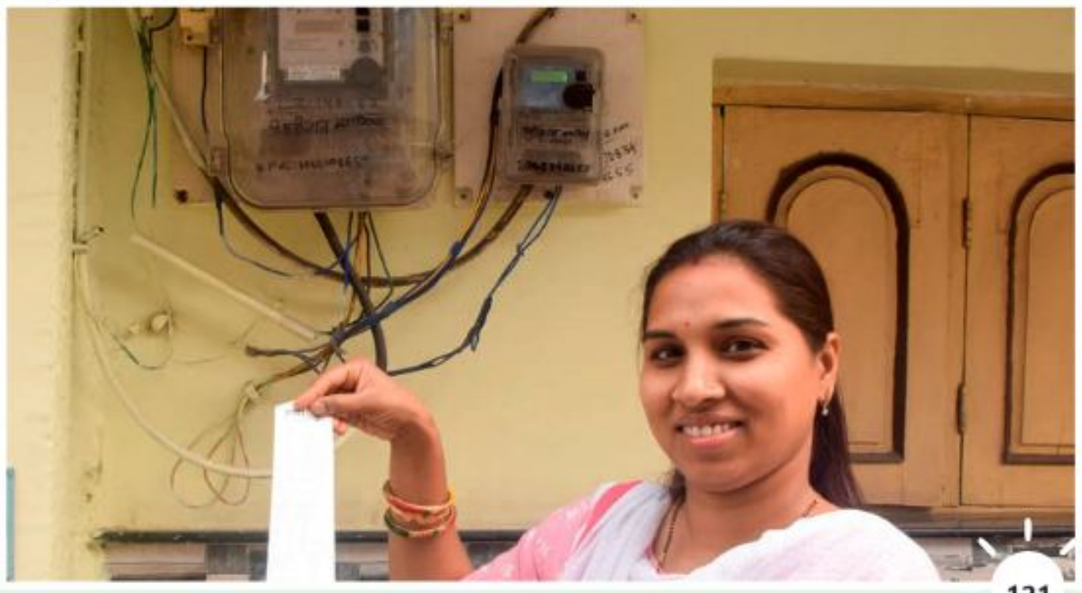

बिजली का मजबूत आधार,
हर घर द्वार, लगातार ।।



समय के साथ बदलते गए बिजली के मीटर



बिजली की बात हो तो आम उपभोक्ता का ध्यान बिजली के मीटर पर पहले जाता है। स्वाभाविक भी है हमारे घर में बिजली की आपूर्ति की निरंतरता और पॉकिट पर पड़ने वाले भार को दिखाने वाले बिजली के मीटर पर हमारा ध्यान सबसे अधिक होता है। बिजली की आपूर्ति और उसके उपभोग की गणना करने के लिए पहले इलेक्ट्रोमेकेनिकल मीटर (जिसे आम लोग काला मीटर कहते थे) लगाए जाते थे, ये एनालॉग मीटर होते थे। इसके डिस्क या डायल के घुमने की गति दर्शाती थी कि हमारी विद्युत खपत कितनी हो रही है। साथ ही अंकों में खपत भी दर्शाया जाता था।

लगभग पाँच दशकों तक इन काले मीटरों का उपयोग होता रहा, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के तीन वर्ष बाद 2003 से इन काले मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटरों से बदला गया। इन नए मीटरों ने वास्तविक खपत के साथ उसकी गणना को सुनिश्चित किया। इनके अंदर के उपकरण तो इलेक्ट्रॉनिक हो गए थे बावजूद रीडिंग दिखाने वाला डायल (डिस्प्ले) मेकेनिकल था।

कुछ वर्षों बाद ही पूरा मीटर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिस्प्ले भी डिजिटल हो गया साथ ही यह डेटा भी संग्रहित कर रख सकता है। एक दशक तक लगभग यह इलेक्ट्रॉनिक मीटर घरों में लगे और फिर आज का युग इलेक्ट्रॉनिक का विकसित वर्जन है जिसे हम स्मार्ट मीटर कहते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को और अधिक पारदर्शी एवं सटीक बनाने तथा संग्रहित डेटा को नियंत्रण केंद्रों तक स्वतः संप्रेषित करने की क्षमता से युक्त मीटर विकसित किए गए हैं जो काम में भी स्मार्ट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम तेजी से चल रहा है।

छगविमं के गठन के बाद आईटी का बढ़ा उपयोग
2009 से कार्यालयीन कार्य पूर्ण रूप से कंप्यूटर से सम्पादित

मध्यभारत की पहली भूमिगत विद्युत अधोसंरचना : नवा रायपुर





नवा रायपुर 21 वीं सदी का पहला नियोजित शहर है। नवा रायपुर विद्युत अधोसरंचना प्रदेश के विद्युत विकास क्रम का एक बेहतरीन उदाहरण है। नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए) द्वारा विकसित किए जा रहे इस शहर का पहला लेयर 80 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है जहाँ 40 सेक्टरों का विकास किया गया है और इसमें पूरी विद्युत व्यवस्था भूमिगत है। सड़क के दोनों ओर ट्रेंच का निर्माण कर मोटे केबलों का जाल जहाँ शहर को ओव्हरहेड बिजली के तारों से मुक्त रखता है वहीं आँधी-पानी जैसी विपदाओं से होने वाले विद्युत अवरोध से मुक्त रखता है। नवा रायपुर मध्यभारत का पहला शहर है जहाँ विद्युत अधोसंरचना पूर्ण रूप से भूमिगत है।

पूरे शहर में 33/11 केव्ही के इंडोर उपकेन्द्रों के जरिए विद्युत प्रवाहित और नियंत्रित होती है। 14 उपकेन्द्रों को रिंगमैन पद्धति से नियोजित किया गया है जिससे किसी भी उपकेन्द्र में विद्युत अवरोध उत्पन्न होने पर दूसरे उपकेन्द्र से तत्काल विद्युत प्रवाह शुरू हो सकेगा। रिंग मैन सिस्टम को एलटी लाइन के स्तर तक जोड़ा गया है। पूरे शहर के लिए 05 अतिउच्चदाब उपकेन्द्र स्थापित करने की योजना है जिसमें से एक संचालित है तथा अन्य का काम भविष्य की जरूरतों के साथ ही विकसित किया जाना है।

नगर स्तर के साथ ही पूरे शहर के सेक्टर स्तर पर भी भूमिगत विद्युत केबलों का जाल बिछाया गया है तथा उपकेन्द्रों को अत्याधुनिक ढंग से विकसित किया गया है। उपकेन्द्रों में सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण भवन के अंदर तथा ट्रांसफार्मर एवं केपेसिटर ही खुले में नजर आते हैं। वीसीबी इंडोर पैनल तथा प्रोटेक्शन रिले नई प्रौद्योगिकी के अनुकूल है जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पूरे उपकेन्द्र को मानव रहित रहते हुए संचालित किया जा सकता है।

जनहित और सुधार का दम ।
विद्युत विकास के बढ़ते कदम ।।

ऊर्जा परिदृश्य : आँकड़ों की जुबानी, प्रगति की कहानी

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद सबसे अधिक दबाव विद्युत क्षेत्र में सुधार का था। इसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण सभी क्षेत्रों में काम किया जाना था और उसमें भी सबसे अधिक वितरण अधोसंरचना की मजबूती और आधुनिकीकरण का था। पूर्ववर्ती छ.ग.वि.मं और वर्तमान स्टेट पॉवर कंपनियों ने बीते 25 वर्षों में अनेक कार्य किए हैं जिससे आज लाखों उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। यह बड़ी उपलब्धि से कम नहीं कि जहाँ राज्य गठन के पूर्व लो वोल्टेज और लोड शेडिंग की बातें आमजन की चर्चा का विषय होती थी जो अब अतीत का हिस्सा हो चली है। विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति को कुछ आधारभूत मापदण्डों से जुड़े आँकड़ों से हम देख सकते हैं । हमारा छत्तीसगढ़ अब कैसे जीरो पॉवर कट राज्य कहा जाता है। उपभोक्ता संख्या, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत, विद्युत वितरण हानि, पारेषण हानि, कृषि सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण, उपकेन्द्रों की संख्या, पारेषण-वितरण लाइनों एवं उपकेन्द्रों का विस्तार जैसे कई मापदण्डों से यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ का विद्युत उपभोक्ता देश का समृद्ध उपभोक्ता है।

ढाई दशक में बढ़े

300%

उपभोक्ता



(कुल उपभोक्ता संख्या)

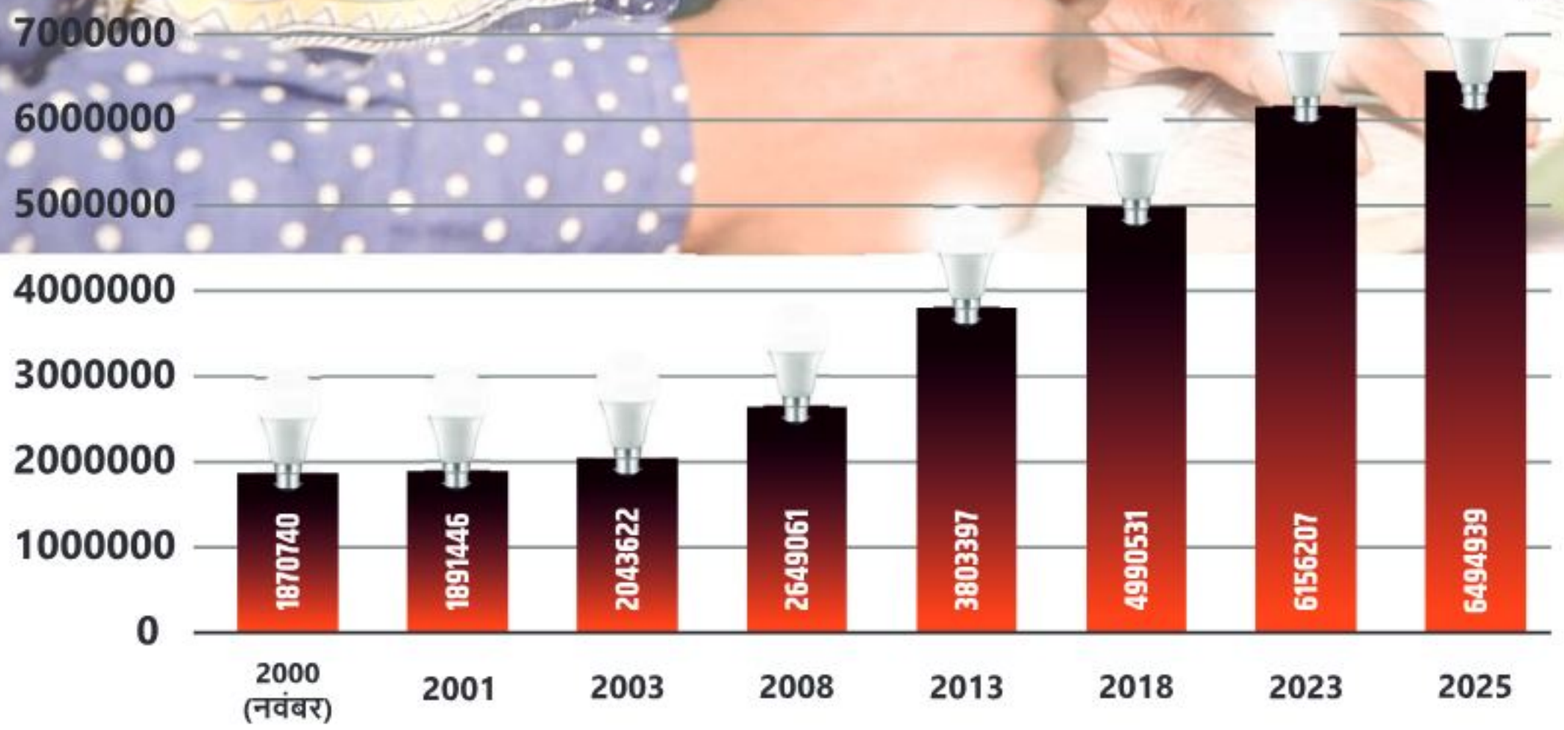

उपभोक्ता सेवा बढ़ाने कॉल सेंटर की सुविधा
17 अगस्त 2005 को बिलासपुर में हुई शुरुआत

निम्न दाब उपभोक्ता



बिजली देवय अब्बड़ सुख ।
लपरवाही म मिलही दुख ।।

700%

बढ़े उच्च दाब उपभोक्ता

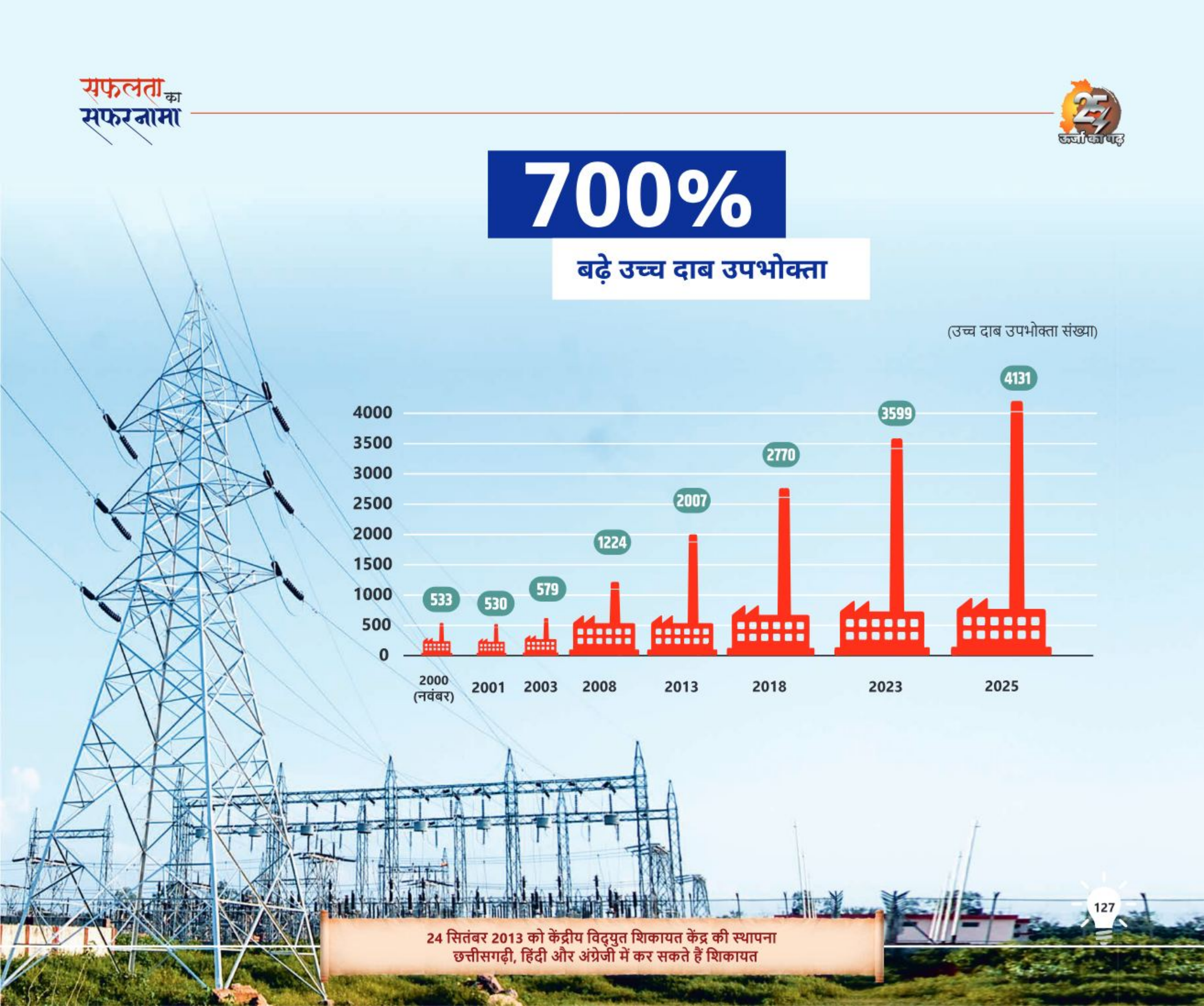

24 सितंबर 2013 को केंद्रीय विद्युत शिकायत केंद्र की स्थापना
छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी में कर सकते हैं शिकायत

रिश्तों का जंक्शन एकल बत्ती कनेक्शन



बढ़ते गए आशियाने और बढ़े घरेलू उपभोक्ता



प्रदेश में अंबिकापुर में पहली बार आई बिजली
1915 में नगर में बिजली से रोशन हुए बल्ब



बढ़ी व्यावसायिक गतिविधियाँ और बढ़े कमर्शियल कनेक्शन

(व्यावसायिक उपभोक्ता संख्या)

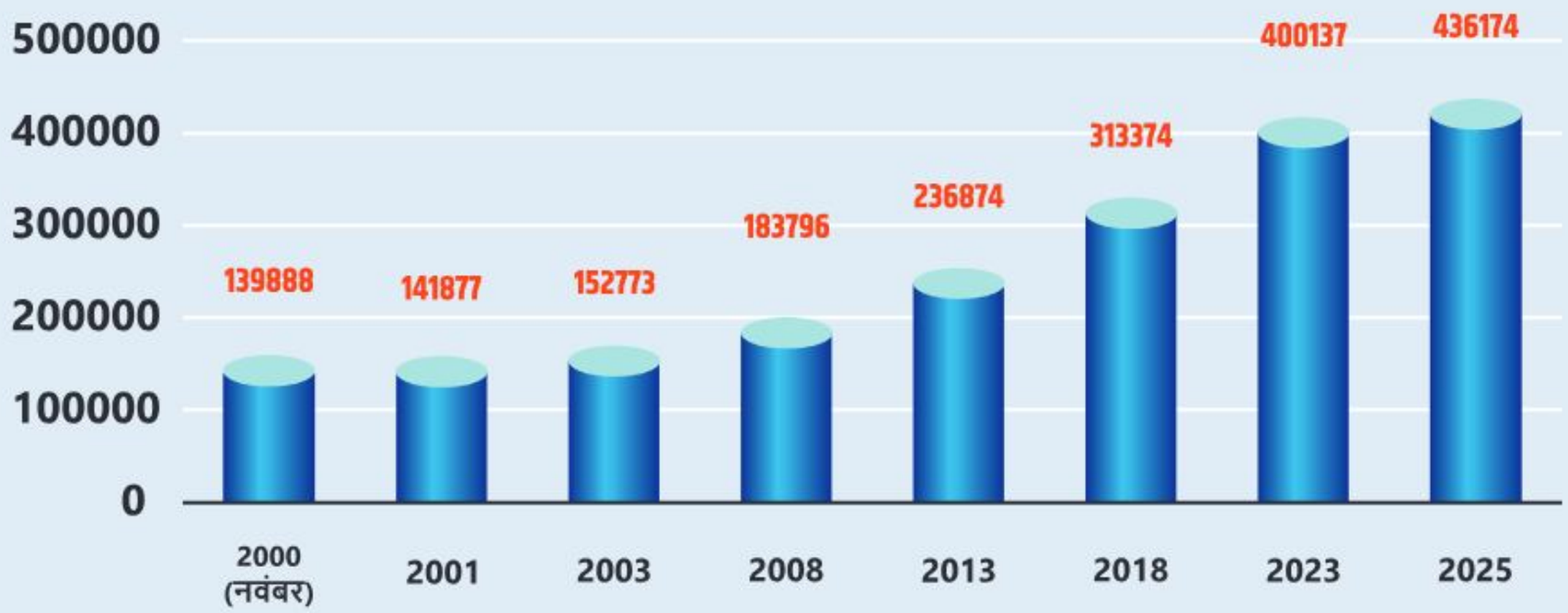

800% बढ़े कृषि सिंचाई पम्प
बिजली से उन्नत हुई खेती

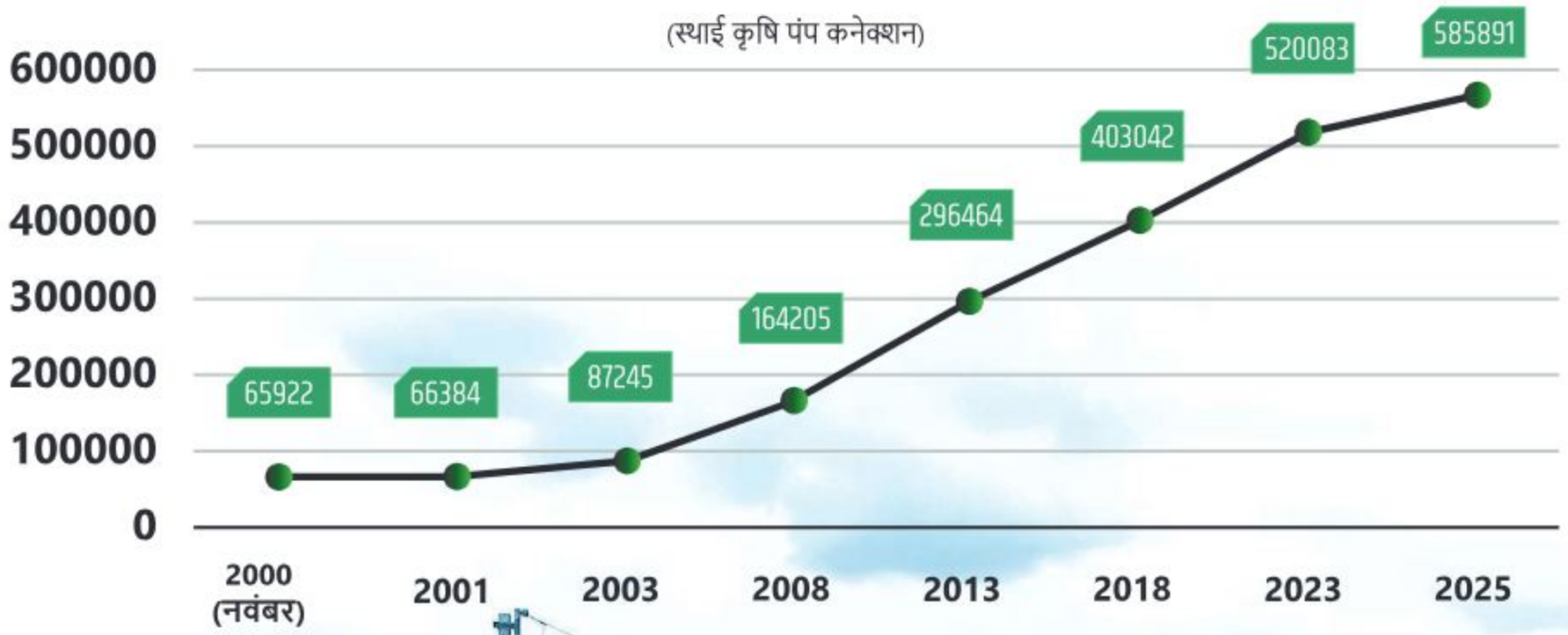

विद्युत मंडल में 2006 में सैप प्रणाली की शुरुआत
पावर कंपनी की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में मिली सफलता

पॉवर ने बनाया प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब



बढ़ी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत, सशक्त हुए उपभोक्ता



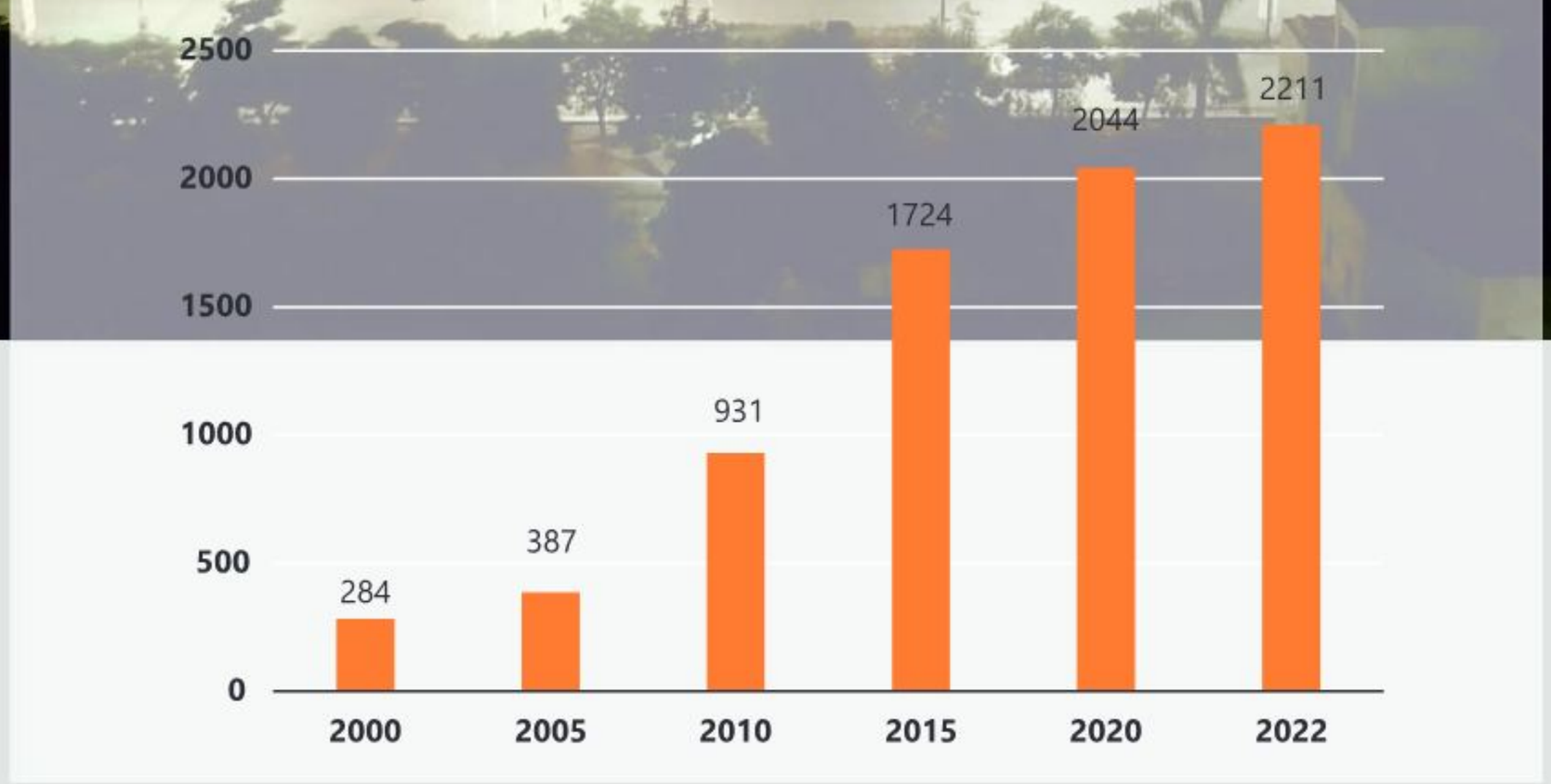

SAP-ERP की शुरुआत करने वाला पहला विद्युत मंडल बना छत्तीसगढ़

उन्नत हुई प्रणाली, नियंत्रित वितरण हानि

Switches have two options on or off.
Switch "off " to switch "on" energy conservation.

500% बढ़ी विद्युत की अधिकतम मांग

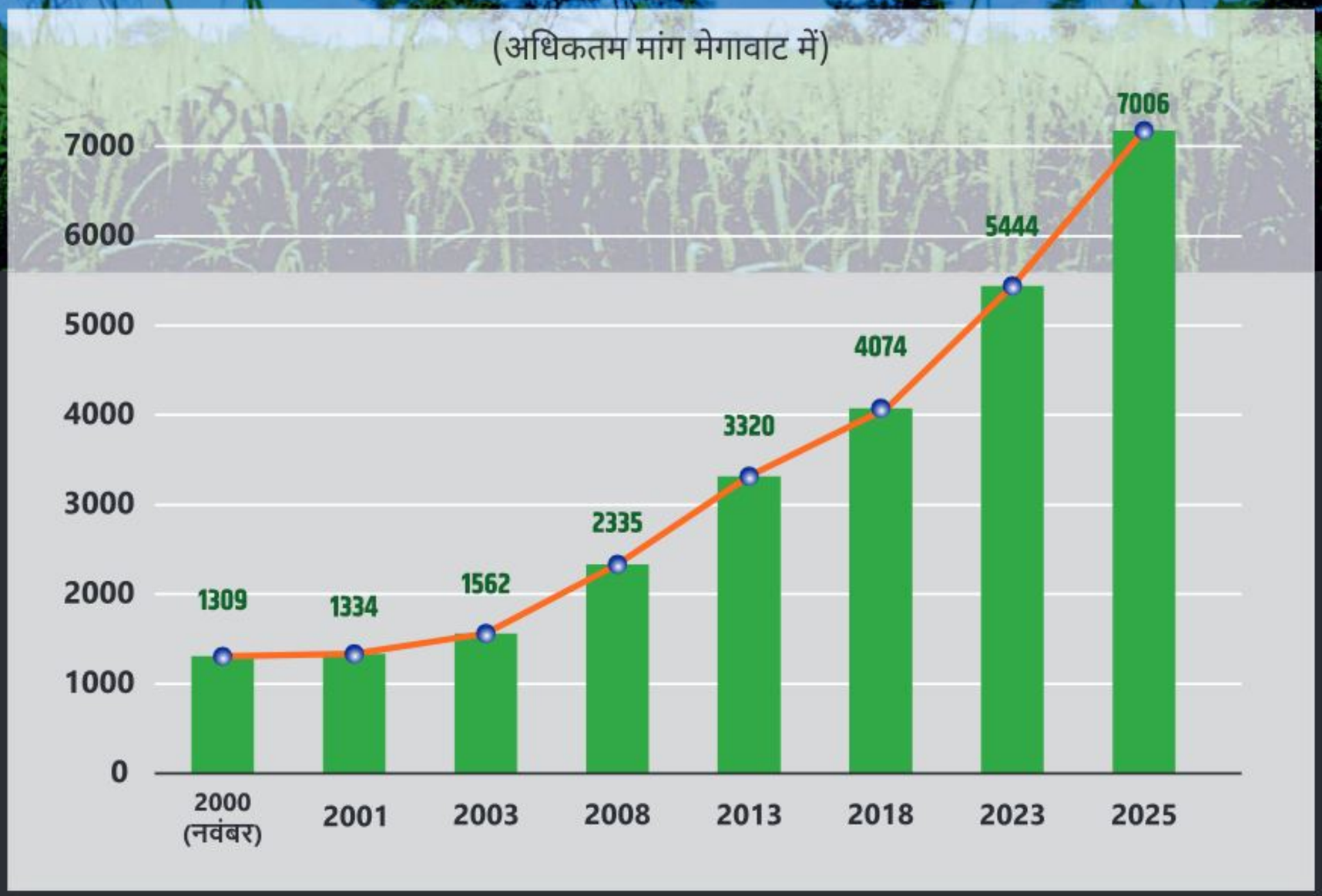

2002 में पहली बार विद्युत मंडल ने बनाया अपना वेबसाइट
www.cseb-powerhub.com की हुई शुरुआत

300% विस्तारित हुई पारेषण लाइन



400KV, 220KV एवं 132 KV लाइन की कुल लम्बाई

Bright Present should not turn future dark : Save Energy !

700% क्षमता वृद्धि से हर छोर पर समान बिजली आपूर्ति



(पारेषण क्षमता एमवीए में)

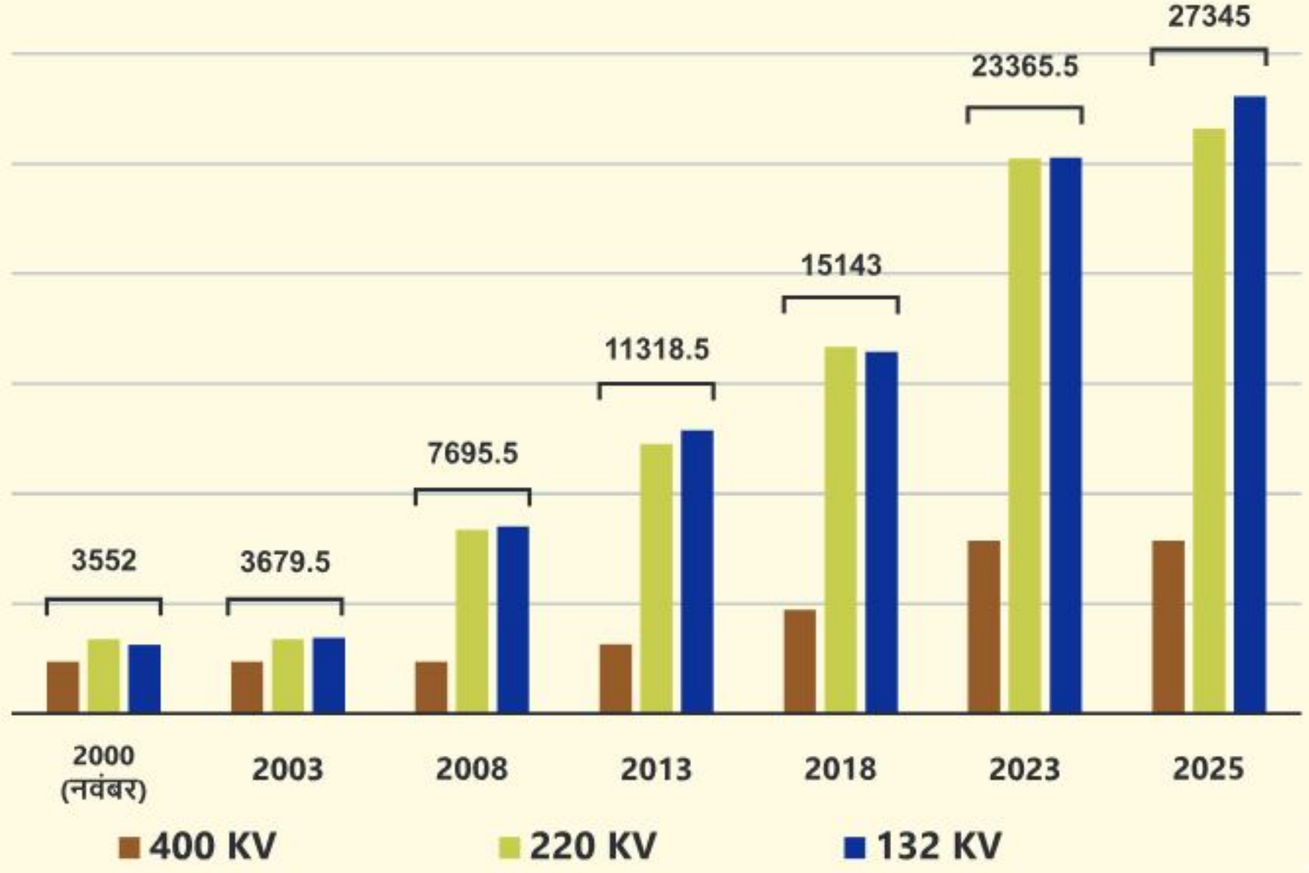

वर्ष 2019 में हुई मोर बिजली एप की शुरुआत
30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने किया डाउनलोड

500% बढ़े अति उच्च दाब उपकेन्द्र

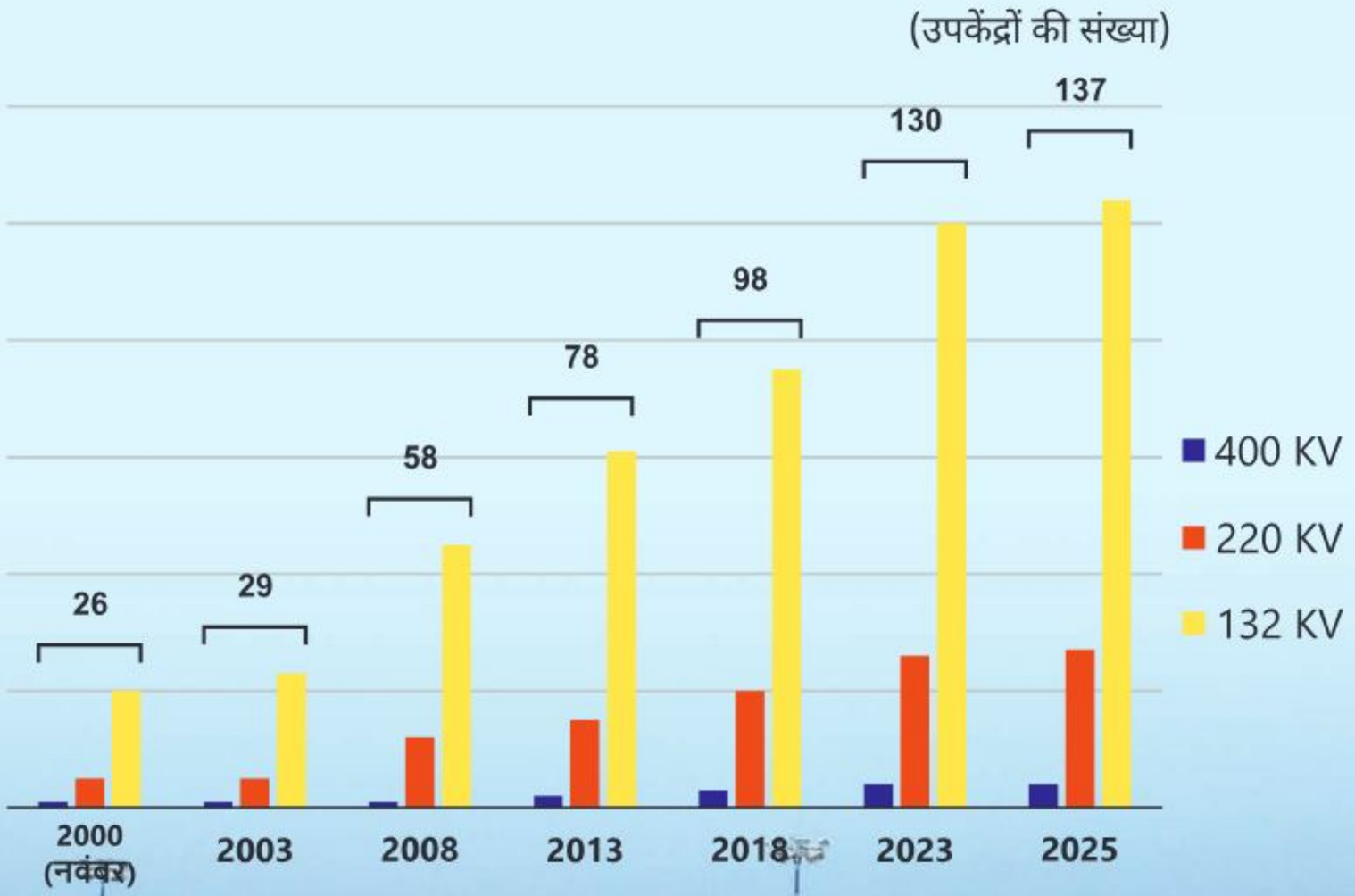

मुख्यमंत्री जी का सपना,
उन्नत छत्तीसगढ़ हो अपना।।

33 केव्ही के बढ़े उपकेन्द्र
लो-वोल्टेज हुई बीती बात

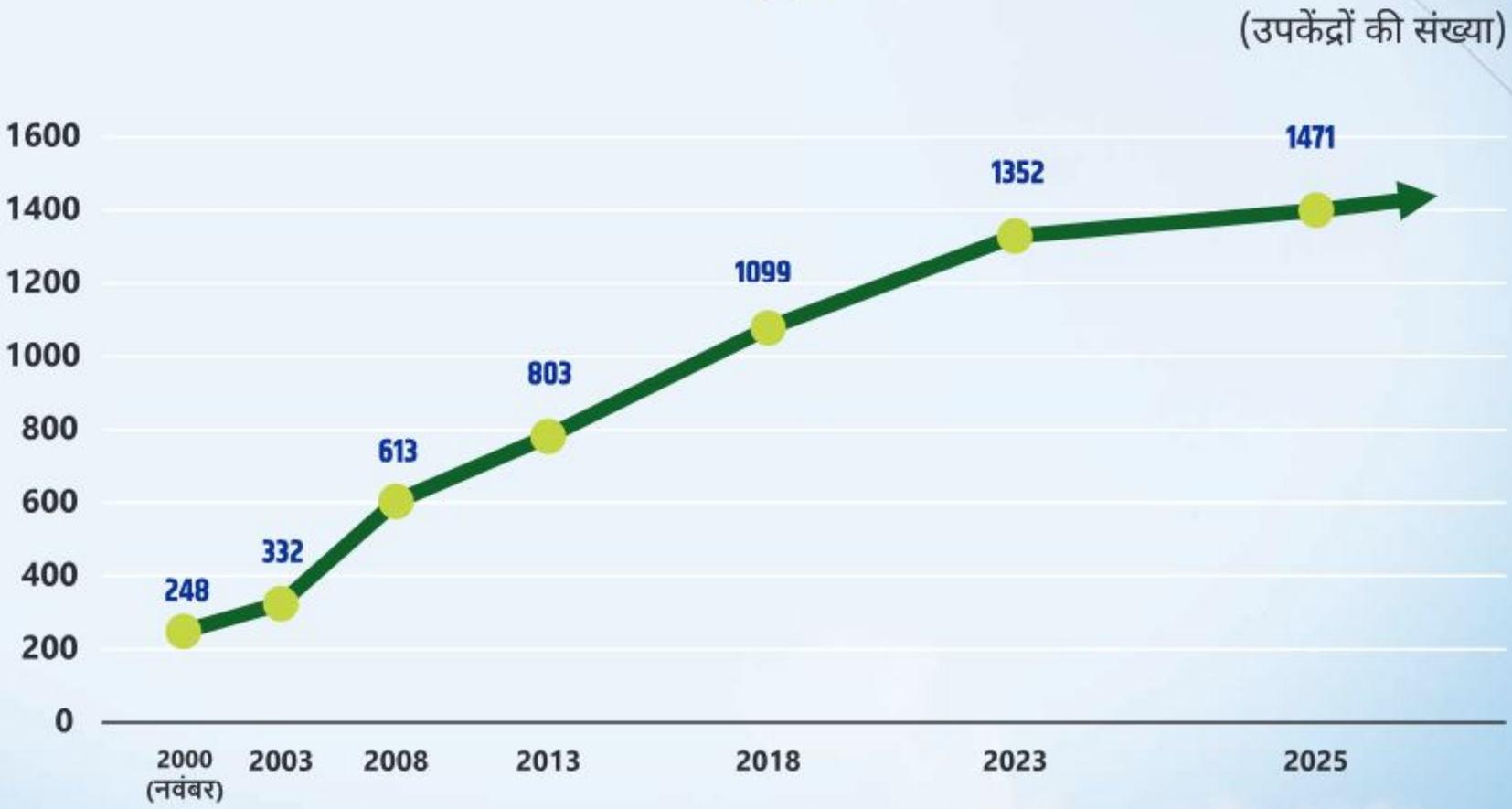

बिजली की बही जोर बयार ।
खुले समृद्धि के नवद्वार ।।

800% बढ़े 11/04 केव्ही उपकेन्द्र

(11/04 केव्ही उपकेंद्रों की संख्या)





प्रदेश में बिजली पहली बार अंबिकापुर में आई।
डीजल जनरेटर के जरिए 1915 में बल्ब हुए रोशन ।



निम्न दाब लाइनों का विस्तार
गाँव-घर पहुंचे बिजली के तार

(एलटी लाइन की लम्बाई किमी में)

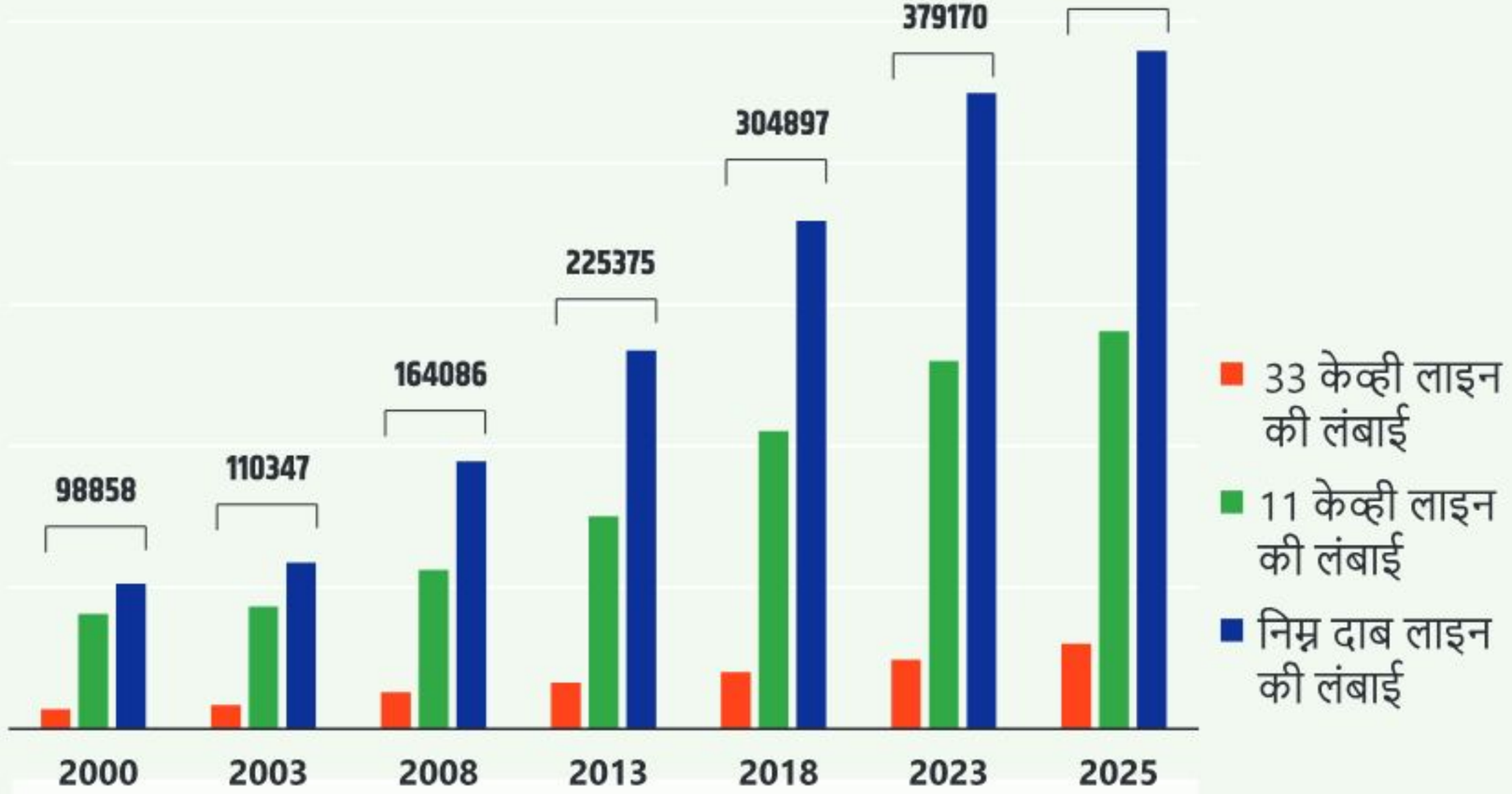

बिजली बची रहेगी ।
मुस्कान बनी रहेगी ।।



प्रशासनिक इकाई का विस्तार
मजबूत अमला, त्वरित सुधार

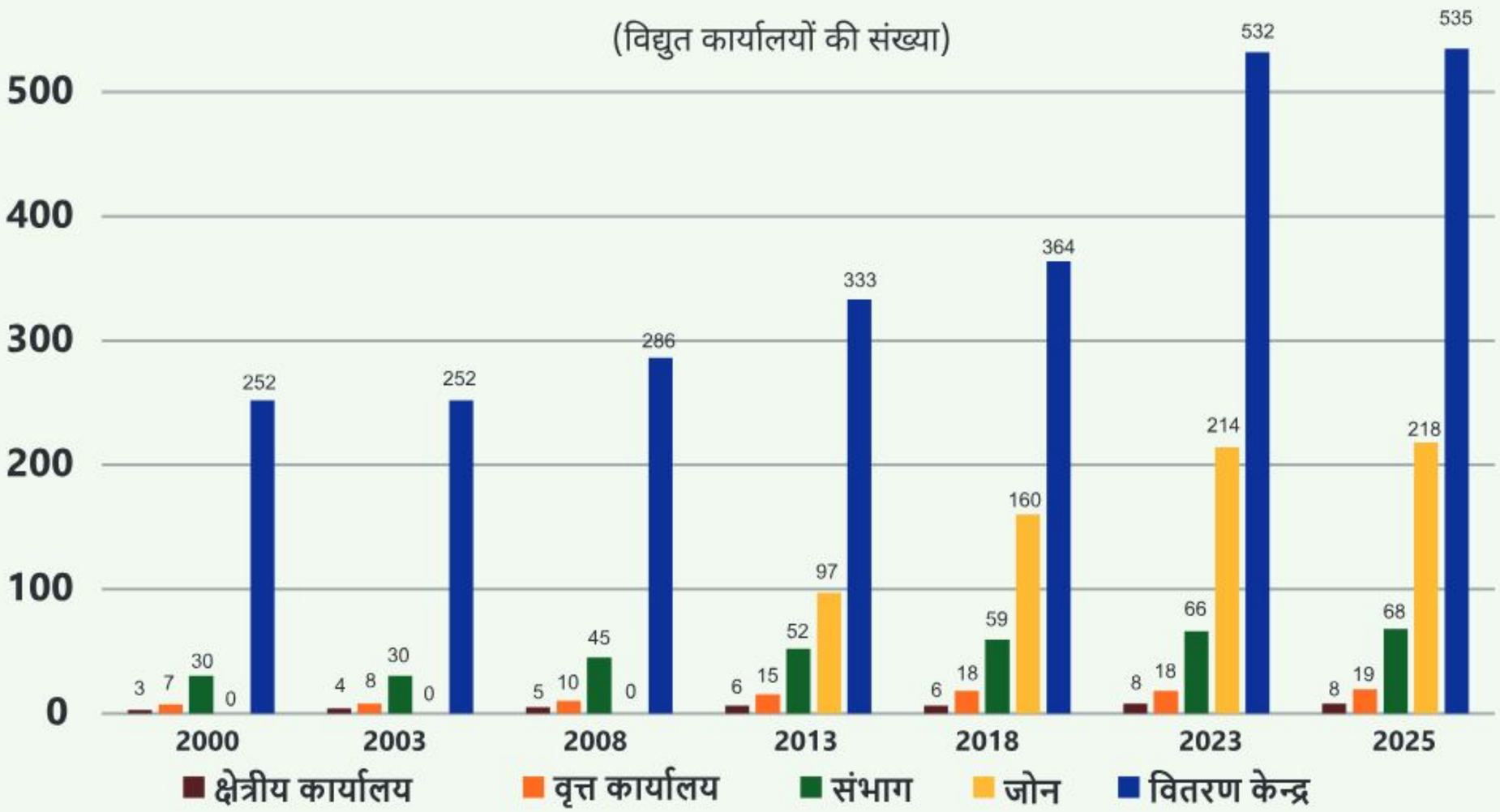

रायपुर, मध्यभारत का पहला नगर पालिका बना,
जिसने अपने स्तर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की।

संक्षिप्तिकरण (एब्रिवेशन)

ABVTPS	एबीवीटीपीएस	अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पॉवर स्टेशन
AC	एसी	अल्टरनेट करंट
APTS	एपीटीएस	एंटी पॉवर थेफ्ट स्वाड
AT &C Loss	एटी एंड सी लॉस	एग्रिगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस
BHEL	बीएचईएल	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड
CDAC	सीडेक	सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग
CEA	सीईए	सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथॉरिटी (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)
Ckt. Kms	स.कि	सर्किट किलोमीटर (पॉवर लाइन नापने की इकाई)
CPRI	सीपीआरआई	सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टिट्यूट
CSEB	सीएसईबी	छग स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (छग राज्य विद्युत मंडल)
CSIRT	सीएसआईआरटी	कंज्यूमर सिक्यूरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम
CSPDCL	सीएसपीडीसीएल	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
CSPGCL	सीएसपीजीसीएल	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
CSPHCL	सीएसपीएचसीएल	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
CSPTCL	सीएसपीटीसीएल	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
CSTrCL	सीएसपीटीआरसीएल	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
CTI	सीटीआई	सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान)
CTL	सीटीएल	सेन्ट्रल टेस्टिंग लैब (केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला)
DC	डीसी	डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर (वितरण केन्द्र)
DC	डीसी	डायरेक्ट करंट
DC / DRC	डीसी/डीआरसी	डाटा सेंटर/डाटा रिकव्हरी सेंटर
DDUGJY	डीडीयूजीजेवाय	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
DSM	डीएसएम	डेविएशन सेटलमेंट मेकेनिजम
DSPM	डीएसपीएमटीपीएस	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पॉवर स्टेशन
EESL	ईईएसएल	इनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड
FOC	एफओसी	फ्यूज़ ऑफ कॉल
GIS	जीआईएस	जीयोग्राफिक इंफारमेशन सिस्टम
GW	गी.वॉ	गीगा वॉट (एक हजार मेगावॉट)
HPTS	एचटीपीएस	हसदेव थर्मल पॉवर स्टेशन
HT	एचटी	हाई टेंशन (उच्च दाब)
HVDC	एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
HVDS	एचव्हीडीएस	हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
IPDS	आईपीडीएस	एकीकृत विद्युत विकास योजना
ISO	आईएसओ	इंडियन स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन (भारतीय मानक संगठन)
IT	आईटी	इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी)
KV	केव्ही	किलो वोल्ट (एक हजार वोल्ट)
KVA	केव्हीए	किलो वोल्ट एम्पियर
KW	किवॉ	किलो वॉट (एक हजार वॉट)
KWH	केडब्यूएच	किलो वॉट ऑवर (बिजली खपत मापन की इकाई)
LT	एलटी	लो टेंशन (निम्न दाब)
MPEB	एमपीईबी	मध्यप्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड/मध्य प्रदेश विद्युत मंडल
MW	मेवॉ	मेगा वॉट (दस लाख वॉट)
MVA	एमव्हीए	मेगा वोल्ट एम्पियर
NABL	एनएबीएल	नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज़
NPCIL	एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
NSC	एनएससी	न्यू सर्विस कनेक्शन
NTPC	एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)
OH	ओएच	ओव्हर हेड
OP	ओपी	ऑफ पीक
PGTI	पीजीटीआई	पॉवर जनरेशन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
PLCC	पीएलसीसी	पॉवर लाइन कैरियर कम्यूनिकेशन
PLF	पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
RADRP	आरएपीडीआरपी	रिस्ट्रक्चर एक्सलेरेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट रिफार्म प्रोजेक्ट
RDSS	आरडीएसएस	रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम
REC	आरईसी	रूरल इलेट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लि.
RES	आरईएस	रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत)
RGGVY	आरजीजीवीवाय	राजीव गाँधी ग्रामीण विदयुतीकरण योजना
SAP	सैप	सिस्टम एप्लिकेशन प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग
SLP	एसएलपी	सिंगल लाइट पाइंट (एकल बत्ती कनेक्शन)
SLDC	एसएलडीसी	स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर (राज्य भार प्रेषण केन्द्र)
STN	एसटीएन	उप-पारेषण अधोसंरचना विकास
STPS	एसटीपीएस	सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन
UG	यूजी	अंडर ग्राउंड (भूमिगत)
WAN	वैन	वाइड एरिया नेटवर्क
WAPCOS	वैपकॉस	वॉटर एंड पॉवर कंसल्टेंसी सर्विसेस (इंडिया) लिमि.
WR	डब्ल्यू आर	वेस्टर्न रीजन (पश्चिमी क्षेत्र)
WRPC	डब्ल्यूआरपीसी	वेस्टर्न रीजन पॉवर कमेटी (पश्चिमी क्षेत्रीय विदयुत समिति)

बनेगी अपनी छत, अपना बिजली घर ।
दिलाए मुफ्त बिजली, पीएम सूर्य घर ।।

सफरनामा के साक्षी, विश्वसनीय सन्दर्भ

1. मध्यभारत एवं बरार प्रांत के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का पत्र 2235-299, 26 अप्रैल 1948
2. मध्यभारत एवं बरार प्रांत के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का पत्र (7634-509, दिनांक 09 सिंतबर 1949)
3. विद्युत सेवा (प्रवेशांक- जनवरी 1970) (मप्रविमं की गृह पत्रिका)
4. विद्युत सेवा (द्वितीय अंक फरवरी 1970)
5. बोधघाट जल विद्युत परियोजना, प्रतिवेदन, प्रारूप एवं वित्तीय विवरण- जून 1970
6. विद्युत सेवा, 1973 (मप्रविमं की गृह पत्रिका)
7. एस्टिमेट कमेटी ऑन इरिगेशन एंड पॉवर, 1973-74 (लोकसभा संग्रहालय)
8. नागपुर जिला गजेटियर 1919
9. रायपुर जिला गजेटियर 1973
10. बिलासपुर जिला गजेटियर 1973
11. दुर्ग जिला गजेटियर 1973
12. बस्तर जिला गजेटियर 1973
13. रायगढ़ जिला गजेटियर 1973
14. सरगुजा जिला गजेटियर 1973
15. कोरबा इस्ट बैंक थर्मल पॉवर स्टेशन, परियोजना रिपोर्ट
16. मध्यप्रदेश विद्युत मंडल रजत जयंती स्मारिका- 1978
17. एस्टिमेट कमेटी रिपोर्ट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी- 1980-81
18. विश्व बैंक की रिपोर्ट क्र. पी 3785 वाल्यूम 01, दिनांक 30अप्रैल 1984
19. इंडिया टुडे राष्ट्रीय पत्रिका में श्री श्रीकांत खांडेकर की 30 अप्रैल 1986 में जारी रिपोर्ट
20. शोध पत्र- मध्यप्रदेश में विद्युत क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन- श्री पी एन सिंह 1985
21. कोरबा वेस्ट थर्मल पॉवर स्टेशन, परियोजना रिपोर्ट
22. The Power Behind the Growth (Published by MPEB) 1996
23. श्री एन पी श्रीवास्तव, 1950 में गठित मप्रविमं के पहले निदेशक मंडल के सदस्य एवं बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, श्री आर के मिनोचा, पूर्व सदस्य, तकनीकी,मप्रविमं, श्री एन टाटा राव, पूर्व अध्यक्ष, एपीईबी,श्री एम के आर मेनन, पूर्व मुख्य अभियंता, मप्रविमं, श्री पी एल नेने, पूर्व अध्यक्ष, एमपीईबी, श्री वी.के.ब्रम्हणकर, सदस्य सिविल इंजीनियरिंग, मप्रविमं, श्री वी.के.नांगिया, पूर्व सदस्य उत्पादन, मप्रविमं के संकलित लेख
24. म.प्र पुनर्गठन विधेयक पर संसद में हुई चर्चा (संसद के संग्रहालय से)
25. बोधघाट परियोजना पर संसद में हुई चर्चा (संसद के संग्रहालय से)
26. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजी ओव्हरव्यूव टू एचव्हीडीसी लाइन्स इन इंडिया- 20 मई 2013
27. छ.ग. विद्युत मंडल एवं छ.ग. स्टेट पॉवर कंपनीज के विभिन्न विद्युत समंक
28. छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग के विगत वर्षों के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
29. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
30. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न आँकड़े।
31. भारत के विद्युत क्षेत्र का 1947 से 2022 तक संवर्धन,ऊर्जा मंत्रालय, दिल्ली
32. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) जनरल रीव्यू रिपोर्ट 2024
33. प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के ऊर्जा विभाग पर केन्द्रित लेख
34. शोध पत्र- भारत में विदयुत शक्ति का इतिहास (1890-1990) सुश्री संध्या मदान, श्वेता मणिमुथु एवं एस थिरूवेंगदम (वर्ष 2008)
35. इवोल्यूशन ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन प्रोसेस इन इंडिया, ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव- प्रो. अतुल कुमार (निदेशक, ऊर्जा अध्ययन कार्यक्रम, जेएनयू, दिल्ली)

रायपुर में पहला बड़ा विद्युत संयंत्र गुढ़ियारी में स्थापित हुआ
15 अगस्त 1951 को 4 मेगावॉट संयंत्र हुआ लोकार्पित।

...जिनसे साकार हुआ 'सफरनामा'

इस संदर्भ पुस्तक के लिए तथ्य, दस्तावेज एवं प्रामाणिक सामग्री एकत्र करने में हमारे बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों का सद्भावनापूर्ण सहयोग रहा है और साथ ही हर संभव सहयोग इस प्रयास को सफल बनाने में रहा है। ऐसे सहयोग और मार्गदर्शन करने वाले वरिष्ठजन, अधिकारियों, साथियों के प्रति कृतज्ञता के बिना यह प्रयास अधूरा होगा।

श्री ए एम के भरोस, पूर्व सदस्य सचिव
श्री सुधीर रेगे, पूर्व कार्यपालक निदेशक, एचटीपीएस
श्री संजय पटेल, कार्यपालक निदेशक, सीएसपीटीसीएल
श्री सतीश कुमार गजपाल, कार्यपालक निदेशक, सीएसपीडीसीएल
श्री आर सी अग्रवाल, पूर्व कार्यपालक निदेशक, सीएसपीटीसीएल
श्री एस आर बी खंडेलवाल, मुख्य अभियंता, सीएसपीडीसीएल
श्री ए के तिर्की, मुख्य अभियंता, सतर्कता
श्री यशवंत शिल्लेदार, मुख्य अभियंता, सीएसपीडीसीएल
श्री अनिल व्यास, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिविल
डॉ सीताराम साहू, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सीटीआई
श्री राजेश पांडे, अति.मु.अभि. एवं अध्यक्ष (छ. ग. विद्युत मंडल अभियंता संघ)
श्री विनय कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सीएसपीजीसीएल
श्री एम डी बड़गैया, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सीएसपीडीसीएल
श्री जी के मंडावी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सीटीआई
श्री अनीश लखेरा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सीएसपीडीसीएल
श्री पियूष गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, सीएसपीडीसीएल
श्री जी के गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, सीएसपीजीसीएल
श्री प्रशांत बापट, अधीक्षण अभियंता, सीएसपीजीसीएल
श्री विकास शर्मा, अधीक्षण अभियंता, ईआईटीसी
श्री राजेश श्रीवास्तव, उपमहाप्रबंधक (मा.सं), सीएसपीडीसीएल
श्री पंकज सिंह, उपमहाप्रबंधक (मा.सं), सीएसपीटीसीएल
श्री अतुल तिवारी, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी, सीएसपीटीसीएल
श्री निमिष परमार, सदस्य, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर
श्री विकास श्रीवास्तव, प्रबंधक (मा.सं), सीएसपीडीसीएल
श्री जी पी सिंह, कार्यपालन अभियंता, सीएसपीटीसीएल
श्री अविनाश चौहान, कार्यपालन अभियंता, सेंट्रल टेस्टिंग लैब
श्री मनोज वर्मा, कार्यपालन अभियंता, सीएसपीटीसीएल
श्रीमती शिखा सिंह, कार्यपालन अभियंता, सीएसपीटीसीएल
श्री प्रकाश जैन, कार्यपालन अभियंता, सीएसपीजीसीएल
श्री आशुतोष शुक्ला, सहायक अभियंता, सीएसपीजीसीएल
श्री मनोज बजाज, सहायक अभियंता, सीएसपीडीसीएल
प्रकाशन अधिकारी श्री बसंत शाहजीत, श्रीमती माया चंद्राकर, श्री मुकेश माथुर, श्रीमती अनामिका मंडावी एवं श्री धर्मेन्द्र मण्डावी

पॉवर कंपनी से इतर भी जिनका रहा सहयोग

श्री सुशील त्रिवेदी (भा.प्र.से. के पूर्व अधिकारी) वरिष्ठ स्तंभकार एवं साहित्यकार
श्री सौरभ शर्मा, उपसंचालक, जनसंपर्क संचालनालय
श्री पंकज स्वामी, जनसंपर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी
श्री रूद्र अवस्थी (बिलासपुर)
श्री भीष्म देव चतुर्वेदी (बीएसआर फिल्म्स)
जनसंपर्क विभाग छ.ग. शासन, भिलाई इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एवं गूगल फोटोज

हम सब करें बचत का वादा ।
बिल न होगा कभी भी ज्यादा ।।

बिजली से रोशन जिंदगी...













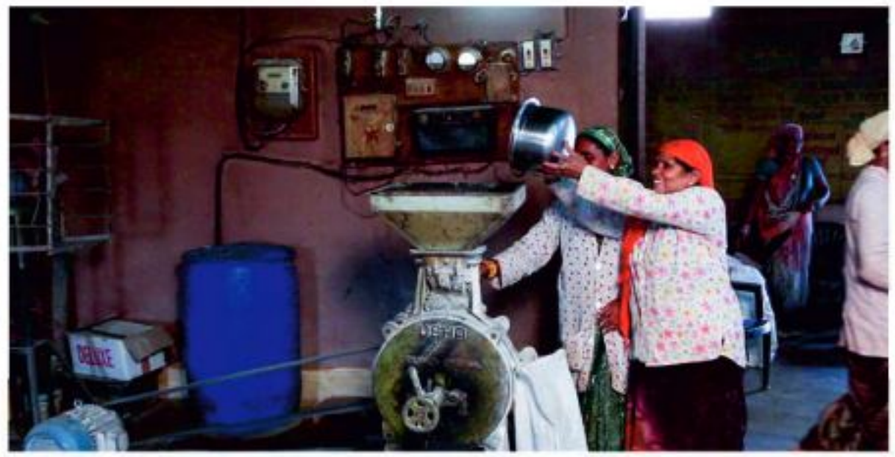





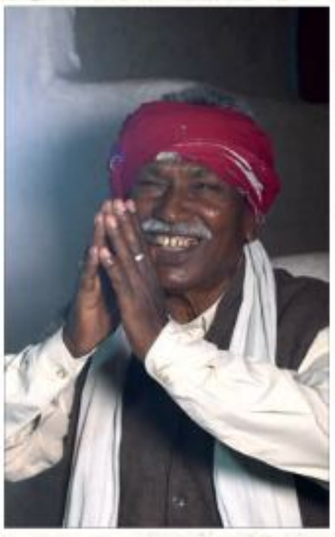



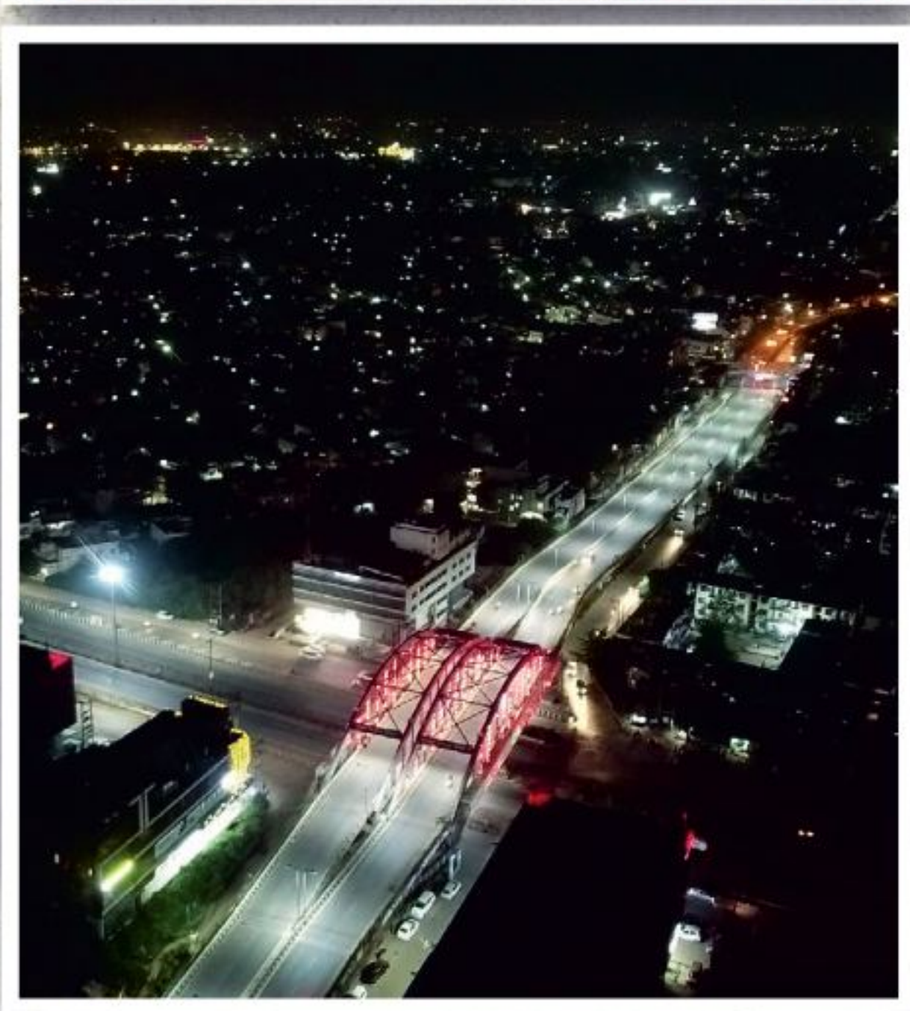



बिजली बची रहेगी

स्टार रेटिंग उपकरणों का ही उपयोग करें

पुराने बल्बों को एलईडी से बदलें

कपड़े सुखाने के लिए सूर्य की रोशनी का प्रयोग करें



एसी का उपयोग सही तरीके से करें

प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा उपयोग करें

बटन बंद करने की आदत बनाएं

मुस्कान बनी रहेगी...

मोर बिजली 2.0
हमारा संकल्प - उत्कृष्ट उपभोक्ता सेवा

उपभोक्ता सेवा के लिए डाउनलोड करें मोर बिजली एप

पॉवर कंपनी के कार्मिकों के कार्यालयीन उपयोग हेतु मोर बिजली कंपनी एप

मोर बिजली कंपनी
बिजली कर्मियों के लिए उपयोगी

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें – www.cspdcl.co.in, www.csptcl.co.in, www.cspgcl.co.in

पुस्तक की PDF के लिए स्कैन करें

CSPDCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) 492013

दूरभाष - 0771 2574200/0771 2576758

सफलता का सफरनामा - छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तृतीय तल विद्युत सेवा भवन द्वारा प्रकाशित एवं छ.ग. संवाद द्वारा मुद्रित

(पुस्तक में शामिल तथ्यों को लेकर अधिकतम सतर्कता बरती गई है तथापि अधिक प्रामाणिक तथ्यों के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं cspdclsandarbh@gmail.com पर प्रेषित करें)